राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक–2 नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का पन्द्रहवां दिवस संख्या–10

मंगलवार,
दिनांक 10 जुलाई, 1990

विधान सभा की कार्यवाही म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7 जुलाई, 1990 को मिजोरम के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री लालडेंगा के निधन से सारे ही क्षेत्रों में शोक छाया है। मैं, उनकी आत्मा को शान्ति मिले, इस दृष्टि से भगवान से प्रार्थना करता हूं और यह भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस शोक को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो।

अध्यक्ष महोदय श्री लालडेंगा का जीवन पूरी तरह से संघर्षमय जीवन रहा है। इस देश में बहुत नेता हुए हैं लेकिन वह उन नेताओं में से थे जो लगभग दो दशक तक अन्डर ग्राउंड रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष के बाद भारत सरकार से समझौते के आधार पर मिजोरम में नई सरकार बनी और उस समय मिली-जुली सरकार के वह मुख्य मन्त्री बने। पिछले कई दिनों से उन्हें कैंसर की बीमारी थी। भारत सरकार ने उनके उपचार की व्यवस्था की। उनको अमेरिका के स्लोन कैटरिंग हॉस्पीटल में कैंसर के उपचार के लिए भेजा। उपचार कराने के बाद जब वह वापस आ रहे थे तो हवाई जहाज में उनके गड़बड़ हुई। लन्दन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनको उतारा गया और वहां से सीधे हॉस्पीटल ले जाने की व्यवस्था की, लेकिन रास्ते में ही उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री लालडेंगा ने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार की प्रसिद्धि पाई, उस प्रसिद्धि का कारण उनके स्वयं के त्याग व तपस्या थी। वह एक निडर व्यक्ति थे और अपनी उस निर्भयतापूर्ण कार्य-प्रणाली से ही उन्होंने सारे संसार में अपना नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि लालडेंगा को कोई धमकी से झुका नहीं सकता। लेकिन समय रहते और भारत सरकार के प्रयासों के उपरान्त उनमें लोकतन्त्र की भावना जागी जिसके कारण उन्होंने अलगाववाद की प्रवृत्ति, जो पहले उनकी विचारधारा में आ गई थी, उसका परित्याग किया और लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विश्वास कर चुनावों में भाग लिया। चुनावों में विजयी होकर वह मुख्य मन्त्री बने। ऐसे व्यक्ति से इस देश में, जिस समय लालडेंगा अन्डर

(श्री अध्यक्ष)

ग्राउण्ड थे. रोज समाचार-पत्रों में उनके सम्बन्ध में कुछ न कुछ बाते छपती रहती थीं। उसके बाद वह विदेश चले गये और विदेश में ही रहकर उन्होंने यह सारी व्यवस्था की जिससे यह समझौता हुआ। वह व्यक्ति हमारे बीच में से उठ गया।

यह सदन उनके प्रति अपनी श्रद्धांजली व्यक्त करता है और उनकी आत्मा को शांति मिले, इस दृष्टि से भगवान से प्रार्थना करता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लालडेंगा हमारे बीच में नहीं रहे। पूर्वांचल में मिजोरम एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रदेश है और वहां पर लम्बे समय तक एक संघर्ष चला। वहां के लोग भारत की मुख्य धारा से अलग रहे। लालडेंगा उनके नेता थे। लेकिन लम्बे संघर्ष के बाद में उनको एक बात समझ में आई कि मिजो समाज का हित इसी में है कि हम भारत की मुख्य धारा में जुड़ें और उन्होंने बुद्धिमता का परिचय देते हुए कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार से समझौता किया और वहां जनतन्त्रवादी तरीके से सरकार चुनी गई, जो अब भी चाहे लालडेंगा सत्ता में नहीं रहे, लेकिन एक जनतांत्रिक प्रणाली से वहाँ शासन चल रहा है और वह प्रदेश दिनों-दिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है।

लालडेंगा ने कोई खास आयु भी नहीं पाई और वह यदि हमारे बीच में रहते तो हमारे भारत के कई प्रदेशों में जो एक अलगाव की विचारधारा पनप रही है, उसमें वह हमारे देश के लोगों को सलाह-मशविरा दे सकते थे।

मैं उनके शोक-संतप्त परिवार और उनके समाज के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लालडेंगा हमारे बीच में से उससमय उठे हैं जब देश की परिस्थितियों में उनकी बड़ी आवश्यकता थी उन्होंने कड़े संघर्ष के बाद यह अनुभव किया कि भारत की, और पूर्वांचल में और मिजोरम की तरक्की करनी है तो भारत के संविधान के अन्तर्गत ही की जा सकती है आज उत्तर में कई तरह की शक्तियां सिर उठा रही हैं जो अलगाववादी है। उनके सम्पर्क में आने से निश्चित रूप से, उनके अनुभवों से उनको लाभ होता, क्योंकि समझ तो उनको भी आनी है एक दिन, कि आतंकवाद से और देश में अलगाव की भावना से कुछ नहीं मिलने वाला है, देश के संविधान के अन्तर्गत ही सभी वर्गों की तरक्की हो सकती है। ऐसे समय में हमारे बीच से श्री लालडेंगा उठ गये।

मैं उनके प्रति अपनी ओर से, जनता दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोक-संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिन नेता को हम श्रद्धांजली दे रहे हैं, वास्तव में हमारे देश में उन्होंने जिस तरह से अलग रहकर एकछबि बनाई थी उसमें जो परिवर्तन आया, उस सुखद परिवर्तन की वजह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

से हमारे देश में एक नई भावना पैदा हुई और लालडेंगा की तरह ही हम उम्मीद करते थे कि उसका प्रभाव देश के दूसरे हिस्सों में भी होगा एवं लोग हमारे देश की, विशेष तौर से जो सीमाएं हैं, उन प्रदेशों में रहने वाले नेता भी उनका अनुसरण करेंगे। ऐसे मौके पर उस नेता की वजह से उस क्षेत्र में विशेष तौर से एक ट्राइबल एरिया में, जहां के वे नेता थे, जहां उन्होंने हथियारबन्द संघर्ष लड़ा, निश्चित तौर से उनका जो संघर्ष था, उसकी जड़ें आर्थिक थीं और आर्थिक जड़ों की वजह से जो हमारे देश में दूसरी तरह के इस तरह के आन्दोलन चले हैं उनके नेता भी उसी धारा में, मुख्य धारा में आयें, यह हमारे देश के हित में है और सारे देश की जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी इच्छा है।

मैं समझता हूं, ऐसा नेता एक ऐसे मौके पर हमारे बीच से चला जाय जब कश्मीर, आसाम और हमारे प्रदेश के दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें इसी तरह की अशांति और इसी तरह के तत्व पैदा हो रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी हानि हुई है।

मैं समझता हूं कि यह परिवार का नुकसान नहीं, उन जन-जातियों का ही नुकसान नहीं, ऐसी हस्ती के बीच में से उठ जाने से हमारे पूरे देश का नुकसान हुआ है।

मैं अपनी पार्टी की ओर से ऐसे बहुत बहादुर और हमारे देश के हित-चिन्तक का निधन हो जाने पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोक की घड़ी में डूबे हुए इस सदन में माननीय सदन के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने मिजोरम राज्य के पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय श्री लालडेंगा के निधन पर जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने बोझिल दिल व मन से अपनी भावना सम्मिलित करता हूं।

श्री लालडेंगा का जन्म 11 जून, 1927 को हुआ। वे फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। भारत के प्रधानमन्त्री श्री वी. पी. सिंह ने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इनके उपचार की व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से करवाकर गत अप्रेल में न्यूयार्क के स्लोन केटरिंग कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट में उनको उपचार के लिए भेजा था। दिनांक 3 जुलाई, 1990 को अकस्मात् अचेत हो गये थे किन्तु बुधवार, दिनांक 6 जुलाई, 1990 को उनकी चेतना लौट आयी। उनकी बेटी द्वारा टेलीफोन पर सम्पर्क करने पर उन्होंने स्वदेश लौटने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छानुसार उनको वापस विमान से स्वदेश लाया जा रहा था कि अचानक उनकी हालत बिगड़ गयी और रास्ते में ही लन्दन में उन्हें उपचार के लिए उतारा गया किन्तु अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही अपराह्न 2.30 बजे उनकी मृत्यु हो गयी।

आपका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। हथियारबन्द संघर्ष से सत्ता तक लालडेंगा की जीवन यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही है। सरकार के खिलाफ दो दशक से अधिक समय तक भूमिगत संघर्ष करने वाले इस नेता के लिए बदलाव की प्रक्रिया अत्यन्त ही जटिल रही। आप पूर्व में अलगाववादी थे तथा मिजोरम की आजादी चाहते थे।

(श्री अध्यक्ष)

किन्तु उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया। बरसों की बातचीत के बाद 30 जून, 1986 को केन्द्र सरकार के साथ उनकी पार्टी का समझौता हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 20 साल पुराने विद्रोह का अन्त हुआ मिजो नेशनल फ्रन्ट और कांग्रेस (इ) की साझेदारी में बनी अंतरिम सरकार में लालडेंगा मुख्य मन्त्री नियुक्त किए गए। आप सर्वप्रथम सन् 1987 में सातिक और आइजोल से मिजोरम विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके साथ ही खून-खराबी व अशांति के दौर से गुजरे एक लम्बे संघर्ष का अन्त हो गया। आपके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रण्ट ने विधान सभा में भारी बहुमत प्राप्त किया और आप मिजोरम राज्य के मुख्य मन्त्री बने। आप अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र व दो पुत्रियां छोड़ गए हैं।

आपका निधन 7 जुलाई, 1990 को हुआ। मैं दिवंगत नेता को अपनी ओर से इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके शोक सन्तप्त परिवारजन को उनके विछोह को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत नेता की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट का मौन रखा)

(मौन के पश्चात्)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 244

पुलिस ढांचे में सुधार

244. **श्री महीपाल यादव** (बहरोड़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की करेंगे :—

1. क्या सरकार वर्तमान पुलिस ढांचे में सुधार हेतु पुलिस कर्मियों को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षित कर संवेदनशील प्रशासन का अंग बनाने की दिशा में शीघ्र उचित कार्यवाही पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? इस सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

2. यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है?

एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री (गृह मन्त्री के स्थान पर) (श्री सम्पतराम) :

1. जी हाँ। मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षित करने की एक निरन्तर प्रक्रिया है। पुलिस विभाग की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से विशेष व्याख्याताओं की वार्ता से व समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले सेमिनारों के माध्यम से पुलिस कर्मियों को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में कोई नयी योजना प्रस्तावित नहीं है।

2. प्रश्न के भाग एक में इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री महीपाल यादव : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी जो बात

(श्री महीपाल यादव)

माननीय मंत्री महोदय ने कही है और मनोवैज्ञानिक आधार पर पुलिस कर्मियों को समय-समय पर जो प्रशिक्षण दिये जाने की बात कही है उस बात को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं कि जब व्यवहारिक रूप से हमारे थानों में देखा जाता है तो वह बात आज नजर नहीं आ रही है। साधारण आदमी एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाता है तो पुलिस के अधिकारी एफ. आई. आर. दर्ज करने में भी आनाकानी करते हैं। उसके लिए रिश्वत तक मांगी जाती है। आम आदमी का विश्वास आज थानों पर से उठ चुका है। न्याय की पूर्ति पुलिस के मार्फत अब बहुत कम रह गयी है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ?

श्री महीपाल यादव : प्रश्न यह है कि पुलिस के चरित्र को....

श्री परसादीलाल मीणा : धीमी गति के समाचार।

श्री महीपाल यादव : पुलिस के व्यवहार को सुधारा जाय और उसको संवेदनशील बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आपका सवाल आ गया।

श्री महीपाल यादव : पुलिस के थानों में जो व्यवहार आज किया जा रहा है उस व्यवहार को सुधारने के लिए कोई योजना सरकार को बनानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आज पुलिस की डिमाण्ड है और शुरूआत अच्छी हो गयी है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

ट्रस्ट अधीन मन्दिरों की व्यवस्था

245. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य ने किन-किन मन्दिरों के ट्रस्टों को चढ़ावे के रूप में विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी आय प्रति वर्ष होती रही है ? आय स्रोत व व्यय मद पर क्या राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण है ? यदि हां, तो किस रूप में है ?

(2) उक्त मन्दिरों की आय से उनके विकास कार्यों एवं दर्शनार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उक्त अवधि में अब तक किस-किस कार्य पर, कहां–कहां, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है ?

श्री रामकिशोर मीणा (देवस्थान मंत्री) : इसको स्थगित करने के लिए निवेदन किया था। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत विस्तृत सूचना मांगी गयी है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था करा दें कि इस सत्र के अन्दर इसका जवाब आ जाये। पूरे राजस्थान भर का मामला है तो यह इसी सत्र में आ जाये।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र के अन्दर आ जायेगा। स्थगित। प्रश्न सं. 246।

सीमावर्ती जिलों में अनुसूचित जाति के छात्रावास

246. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लाभार्थ नये छात्रावास खोलने

(6)

(श्री अमीन खां)

का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां व कब तक ?

2. क्या सरकार का सीमावर्ती जिला बाड़मेर की तहसील शिव के मुख्यावास पर भी छात्रावास खोलने का विचार है ?

यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दनलाल मिगलानी) : (1) जी हां, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं आवश्यकता के अनुसार छात्रावास खोलने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(2) जिला बाड़मेर की तहसील शिव मुख्यावास पर छात्रावास खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । जिसके सम्बन्ध में निर्णय वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, रेगिस्तान और शिक्षा के स्तर के देखते हुए उस इलाके में जो शिक्षा के मामले में सारे देश में नीचे है और एक बहुत बड़ा तहसील मुख्यावास होने के कारण इस बार जनजाति के लिए समाज कल्याण छात्रावास खोलने का गम्भीरता से विचार रखती है ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि यह वित्तीय संसाधन से सम्बन्ध रखता है । यदि उपलब्ध रहेंगे तो खोलने पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आपने कल बहुत कुछ बता दिया था ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं वह बता देता हूं जहां खोलने का विचार है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है पहले आप सवाल सुन लें । श्री नीनामा ।

श्री अमीन खां : जब वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था है तो क्या दिक्कत है कि तहसील मुख्यावास पर आप छात्रावास खोलने पर विचार नहीं कर सकते हैं ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इस वर्ष छात्रावासों में कम छात्र व छात्राओं को भर्ती करना चाहती है ? अगर ऐसा निर्णय लिया गया है तो कब लिया गया और क्यों लिया गया ? क्या यह सही है कि कल बांसवाड़ा जिले में जब छात्रों को भर्ती किया जा रहा था यहां से एक वायरलैस गया है उसमें कहा गया है कि जहां पहले 100 लड़के भर्ती किये जाते थे वहां पर अब 70 लड़के ही भर्ती किये जायेंगे ? यह वायरलैस राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार है या किसी अधिकारी द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार है ?

श्री बहादुर सिंह : नये छात्रावास खोलने की बात तो दूसरी रही पर अध्यक्ष महोदय, जो पुराने छात्रावास चल रहे हैं, खासकर आदिवासी जन जाति क्षेत्रों में उनमें लोगों को खाने पीने और दूसरी सामग्री जो देनी थी वह नहीं मिल रही है और अन्त में जैसा माननीय सदस्य घाटोल से आने वालों ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में जिन छात्रावासों में भर्ती चल रही है उनमें कम छात्र भर्ती किये जा रहे हैं और उसका क्राइटेरिया यह बताया गया है कि 8 × 5 स्क्वायर फीट जमीन है उसमें एक

(श्री बहादुर सिंह) .... छात्र रहेगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि यह क्राइटेरिया आपके माध्यम से बनाया गया है या अधिकारियों ने अपनी मर्जी से किया है या स्थानीय कमेटी ने बनाया है....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल आ गया, बैठिए।

श्री नवनीत लाल नीनामा : क्राइटेरिया बनाया गया है तो 100 लड़कों का जो छात्रावास था उसमें अब कमी आयी है और 100 की जगह 70 लड़के भर्ती होंगे तो 30 का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में विशेषकर के शिव मुख्यालय पर जो सीमावर्ती बाड़मेर का क्षेत्र है, उसके लिए प्रश्न पूछा गया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश में राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है और राजस्थान में भी बाड़मेर में सबसे कम है और बाड़मेर में भी अनुसूचित जाति का नगण्य सा साक्षरता का प्रतिशत है। उसमें सीमावर्ती शिव तहसील में जब पूर्व में छात्रावास रहा है, वहां पर अनुसूचित निगम के सदस्य के नाते वहां चैक करने भी गया था, वहां पूर्व में भी रहा है तो मेरा विशेष आग्रह है, माननीय मंत्रीजी से कि जो 27 नये छात्रावास राजस्थान में खोलने का प्रस्ताव है, क्या मंत्री महोदय इन विषम परिस्थितियों में सीमावर्ती क्षेत्र को मद्दे नजर रखते हुए शिव में छात्रावास खोलने की अनुमति देंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि धन का प्रावधान होने पर इस पर विचार किया जायेगा, निर्णय लिया जा चुका है, शिव के अन्दर छात्रावास खोले जायेंगे। 27 नये छात्रावास आप खोलने जा रहे हैं, फिर क्या कारण है कि इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर आपने नहीं दिया और उस प्रश्न को गोल करने की चेष्टा की है कि धन की व्यवस्था होगी, जब करेंगे। फिर 27 नये छात्रावास खोलने जा रहे हैं, फिर क्या कारण है, अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए क्या छात्रों के लिए जो निश्चित मापदण्ड के अनुसार खर्चा किया जा रहा है, एक छात्र के ऊपर, क्या उस राशि को बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा है या नहीं। अन्यथा इस महंगाई के अन्दर छात्रों को पूरा भोजन भी नहीं मिलेगा, छात्रावास के अन्दर। मैं इस बात की मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र केसरीपुर में छात्रावास खोलने का आपका कोई इरादा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, क्या छात्रावासों में 25 विद्यार्थियों का रजिस्टर में नाम लिखकर, 5 ही विद्यार्थी रख करके, पूरा करने का कोई प्रावधान है। अटरू विधानसभा क्षेत्र के अटरू छात्रावास में ऐसा होता है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो सौ की जगह सत्तर को एडमिशन दिया गया, इसके लिए माननीय सचिव महोदय की तरफ से उनकी सुविधा को देखते हुए क्योंकि पहले अधिक कर दिये गये, मगर वहां पर सुविधा 70 ही छात्रों के लिए उपलब्ध है कि उनको असुविधा नहीं रहे, इसलिए 70 के लिए ही एडमिशन देने के लिए उनको निर्देश दिये गये हैं। उसके बाद जो नये छात्रावास खोलने के लिए माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर छात्र उपलब्ध होंगे उस सुविधा के अनुसार, क्योंकि कई जगह पर ऐसी शिकायतें भी आयी हैं कि छात्र नहीं हैं, मगर छात्रावास वहां पर हैं। इसलिए अगर छात्र वहां पर होंगे तो जो 27 छात्रावास खोले जाने हैं, उनमें से जहां अधिक से अधिक छात्र होंगे, वहां छात्रावास खोलने की व्यवस्था कर दी जायेगी। ऐसा है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसकी जानकारी सरकारी कैसे प्राप्त करेगी ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सारे क्यों खड़े हैं, आप बोल रहे हैं ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जहां पर छात्रों की संख्या अधिक होगी, तो इस बात का सर्वे किस प्रकार होगा। जहां कोई छात्रावास नहीं है, वहां कोई प्रार्थना-पत्र तो आमन्त्रित होगा नहीं। जब प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित नहीं किये जायेंगे तो इस बात की जानकारी कैसे होगी कि यहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा है....(व्यवधान)....इसके लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है, छात्रों की संख्या की जानकारी कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे इस प्रश्न का कि महंगाई को देखते हुए, जो मापदण्ड है खर्चे का, उस प्रश्न का माननीय मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया कि जो छात्रावासों में छात्र आलरेडी रह रहे हैं, इस महंगाई को देखते हुए क्या वहां छात्रावासों की राशि बढ़ाने का कोई इरादा या प्रस्ताव है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये....(व्यवधान)....आप बैठिये। आप जवाब सुन लीजिए। आप विराजिये। माननीय मंत्रीजी इन तीन बातों का जवाब दे दें। एक तो इस बात का कि आप किस प्रकार सर्वे करेंगे कि यहां छात्र हैं....(व्यवधान)....अब आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन। दूसरा, इसका कि उनके खाने-पीने की समुचित व्यवस्था होगी, जो कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। पूरी बात है या नहीं। और तीसरा, शिव के बारे में इन्होंने पूछा है। आपने इसको विचाराधीन बताया है तो उस बारे में आप क्या कर रहे हैं, इन तीनों का जवाब दीजिए। अब आप प्लीज पहले इनका जवाब दीजिए।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, नये छात्रावास खोलने के लिए जिन-जिन माननीय सदस्यों की तरफ से विचारार्थ एप्लीकेशन्स आयेंगी, उनके लिए सर्वेक्षण करवाकर के जहां भी उसकी उचित व्यवस्था कर ली जायेगी या जहां सुविधानुसार अधिक छात्र मिलेंगे, वहां पर

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

छात्रावास जरूर खोल दिये जायेंगे और मैं आपको यह विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी बोर्डर एरिया है और वहां पर खासकर के आदिवासी एरिया में ज्यादा छात्रावास खोलने का निर्णय लिया जायेगा। उसके बाद जो 170 रुपया प्रति छात्र प्रति माह मिलता है, मैंने पहले भी निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय कि वह बजट में से जिस तरह से भी पैसे की थोड़ी सी व्यवस्था होगी, उसको बढ़ाने के ऊपर विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : और तीसरा, शिव वाला। शिव का।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य अमीन खां जी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वहां छात्र होंगे तो वह यह विश्वास रखें कि वहां पर भी सब व्यवस्थाओं को पूरा कर सकेंगे और जरूर छात्रावास खुलवा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मांगीलाल जी मेघवाल....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बहुत सीमित है। प्रश्न का....(व्यवधान)

श्री नवनीतलाल नीनामा : नाश्ता नहीं दिया जा रहा है और राजस्थान सरकार भी मांग करती है, माननीय मन्त्री महोदय कि आज भी बांसवाड़ा जिला....

श्री अध्यक्ष : (श्री) मांगीलाल जी मेघवाल....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी विशिष्ट योजना मन्त्रीजी। आप मौका ही नहीं देते हैं। आप सुनिये। जवाब दे रहे हैं। पहले इनका जवाब सुन लीजिए। प्लीज सिट डाउन।

श्री नवनीतलाल नीनामा : अध्यक्ष महोदय, वहां अशांति फैली हुई है, हमको आश्वासन दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूँ। मेरे बराबर खड़े हैं आप। विराजिये, बैठिये आप। प्लीज सिट डाउन।

बूंदी जिले की योजनाओं हेतु विज्ञापन

247. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : **श्री श्रीकिशन सोगनरा** (अजमेर पूर्व) **श्री हुकमाराम** (सिवाना) :—क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रसार-प्रचार हेतु किन-किन समाचार पत्रों को कितनी-कितनी राशि के सजावटी एवं गैर सजावटी विज्ञापन दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों के अलावा भी किन्हीं समाचार, पत्रों को गैर सजावटी विज्ञापन दिये गये ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत, किन-किन को कब-कब कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री बहादुर सिंह : यह तो दूसरा प्रश्न हो गया। समाज कल्याण मन्त्रीजी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। अभी तक छात्रों की संख्या

(श्री बहदुरसिंह)

के अनुसार यदि भवन की कमी हो तो भवन किराये पर लें....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाके में क्या हालत है, जहां पिछड़े लोग हैं, जहां खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है....(व्यवधान)

श्री नवनीतलाल नीनामा : निर्देश दिये जायें आज ही कहाजाय वायरलैस से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित मत करिये, कुछ मत करिये अंकित।

श्री नवनीतलाल नीमामा : ××××

श्री बहादुर सिंह : ×××

श्री मोहनलाल चौहान : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। वही वही बहुत हैं।

श्री बहादुर सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अब बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन। माननीय मन्त्री जी आप कोई सीमा ही नहीं समझते। वह हाउस चला रहे हैं कि मार्केट बना रहे हैं इसे आप ?

श्री नवनीतलाल नीनामा : 100 की जगह 70 कर दी गयी है....

एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री सम्पतराम) (1) बून्दी जिले में वर्ष 1988-89 व 1989-90 में....

श्री नवनीतलाल नीनामा : पता ही नहीं है, बतायें क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय नीनामा जी सिट डाउन। आई विल नेम यू। आप सीनियर हैं, समझ ही नही रहे हैं आप। व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री सम्पतराम : (1) बून्दी जिले में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नानुसार सजावटी एवं गैर-सजावटी विज्ञापन समाचार पत्रों को दिये गये :—

	1988-89	1989-90
सजावटी	रु. 1800/	रु 3400/
गैर-सजावटी	रु. 1628/	रु 2020/

सूची संलग्न है।

(2) जी हां, दिये गये। किन-किन समाचार पत्रों को कब-कब कितनी कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये, बाबत सूची संलग्न है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चूंकि एक स्वायत्तशासी संस्था है, अतः अभिकरण योजनाओं के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में सक्षम है।

(सूची के कृपया लिए परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि जो विज्ञापन दिये गये उनके सम्बन्ध में नियमों की

××× : माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें। इन्होंने नियमों की तो कोई प्रति सदन के पटल पर रखी नहीं। उत्तर दिया है कि जिला ग्रामण विकास अभिकरण चूंकि एक स्वायत्तशासी संस्था है, अतः अभिकरण योजनाओं प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में सक्षम है इसके मायने मनमर्जी है। मैं यह बताते हुए माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूँगा कि पिछले वर्षों में अकाल की विषम परिस्थितियों के कारण क्या सरकार ने सजावटी विज्ञापनों पर रोक लगायी थी? पाबन्दी के बावजूद, अध्यक्ष महोदय, आदेश की अवहेलना कर सरकारी राशि का अपव्यय किया गया। क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? दूसरा, गैर मान्यता प्राप्त कर अखबारों को सजावटी विज्ञापन दिये गये, क्या सरकार इसको न्यायोचित मानती है? तीसरा, जिन गैर मान्यता प्राप्त अखबारों को विज्ञापन दिये गये हैं उनकी प्रसार संख्या कितनी है और उनका कार्य क्षेत्र कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि....

श्री अध्यक्ष : आप किसलिए पूछ रहे हैं यह मैं नही पूछ रहा हूँ आप सवाल करिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : यह अखबार है....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल करें न। और कोई सवाल बाकी रहा?

श्री मांगीलाल मेघवाल : यही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : बस, बिराजिये। माननीय मन्त्री जी आप अपने सवालों का जवाब लीजिए, नहीं अभी आप ही जवाब देना शुरू कर देंगे।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, अकाल के दिनों में क्या आज्ञा प्रसारित की गयी थी, यह सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह स्वायत्तशासी संस्था है, स्वायत्तशासी संस्था अपने स्तर पर निर्णय करके किसी भी अखबार को विज्ञापन दे सकती है। माननीय सदस्य को शायद यह ख्याल है कि बहुत बड़ी रकम दी गयी है। ऐसा नहीं है। कहीं दो सौ, कहीं तीन सौ और ज्यादा से ज्यादा सौ चार रुपए की राशि है। यह तो रजिस्टर्ड स्वायत्तशासी संस्था है, अपना निर्णय लेती है वह दे सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सोनगरा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : एक साल के अन्दर-अन्दर....

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर आ जायेगा, मांगीलाल जी, पहले श्री सोनगरा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : 42 तारीखों में....

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर फिर आ जायेगा। श्री सोनगरा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री हुकमाराम। (अनुपस्थित)

अब पूछिये आप।

श्री मांगीलाल मेघवाल : भिन्न-भिन्न तारीखों में विज्ञापन दिये गये हैं, 42 तिथियां हैं। एक साल के अन्दर अन्दर 42 तिथियों में। राशि बड़ी नहीं है पर फिर भी अनावश्यक रूप से, और उनको जिनकी प्रति साल में कोई एक-आध छपती है।

श्री अध्यक्ष : आपकी सलाह मानी

(12)

(श्री अध्यक्ष)

जायेगी । वह ध्यान रखेंगे, अनावश्यक नहीं देंगे ।

नेक्स्ट, श्री परसादीलाल मीणा ।

लालसोट में अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय

248. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने आश्वस्त किया था कि दौसा से अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय को राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति मिलने के एक माह बाद लालसोट स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में लालसोट क्षेत्र के ही मुकदमों की सुनवाई होती है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? सहमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त न्यायालय को लालसोट स्थानान्तरित करने से वहां की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सकेगा ? यदि हां, तो सरकार कब तक न्यायालय को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । उच्च न्यायालय के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जी हां, परन्तु धनाभाव के कारण अपर मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय दौसा को लालसोट स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद हुआ मंत्री का उत्तर सुनकर । विधान सभा में आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति आने के एक माह बाद वहां पर इस कोर्ट को शुरू कर दिया जायेगा । वह सहमति भी आ गयी आपके पास, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास धनाभाव है । माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी दोनों बैठे हैं । क्या इस कोर्ट को खोलने में सरकार की नीयत साफ है ? यदि नीयत साफ है तो विधान सभा में जब यह बात कही गयी थी उसमें कोई वो नहीं था कि धनाभाव नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सहमति के बाद भी । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं इस मामले में ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये, मैं प्रोटेक्शन देता हूं । माननीय मंत्री जी, यह बताइये कि आपके पास धन आ गया तब तो खोल देंगे ?

श्री शांतिलाल चपलोत : बिलकुल खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हो गया, और क्या चाहिए ।

श्री परसादीलाल मीणा : धन कब तक आयेगा ? कब तक खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कब तक आयेगा, यह कोई बता सकता है ?

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा निवेदन है कि इसमें वित्त विभाग से फाइल...

श्री अध्यक्ष : आपको परम आश्वासन मिल गया है कि धन की व्यवस्था होते ही आपके यहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत खुल जायेगी।

श्री परसादी लाल मीणा : उसकी सीमा भी तो होनी चाहिए, साहब।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या धन उपलब्ध कराने की आपकी मंशा है ? धन उपलब्ध कराने की मंशा सरकार रखती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, ठीक है, बैठिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : धन उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा नहीं होगी तो धन उपलब्ध नहीं होगा।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में पांच लाख इकहत्तर हजार मुकदमें पैण्डिंग हैं। उनके लिए कम से कम आठ सौ करोड़ रुपए चाहिए। प्रत्येक मुंसिफ न्यायालय लगाने में कम से कम दो लाख रुपए का सरकार को व्यय करना पड़ता है। वह भी वहां पर जहां सैशन कोर्ट के अधीन कोर्ट हैं। यदि अलग से एडीशनल जज, सैशन, एडीशनल जज, सिविल या चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष : गहलोत साहब ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं। आप पूरा जवाब सुनिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : हमको उसके लिए 5-7 लाख रुपए का व्यय करना पड़ता है। इसमें डाइरेक्शन आये हुए हैं, लेकिन चूंकि धनाभाव है, इसमें करोड़ों रुपए का व्यय होने की सम्भावना है, पिछली सरकार सारा खजाना खाली करके गयी है। आज हमारे पास पैसी भी नहीं है। इसलिए हम अभी इस मामले में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं जब भी धन उपलब्ध हो जाएगा इसकी अवश्य पूर्ति की जाएगी सभी कोर्टों से।

श्री अध्यक्ष : हो गया। अब क्या रहा ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत ही मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पिछली सरकार खजाना खाली कर गई। वो तो आपके पास... (व्यवधान) यह तो आपके पास उपलब्ध है। यह तो आपके रिकार्ड से मालूम पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है, और आप कहां ले जा रहे हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बात-बात में कहना, हर बात को टालने के लिए यह जवाब देना बिल्कुल निरर्थक है और राजस्थान की जनता को धोखा देना है। तो

(१५)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं, गुर्जर साहब।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप गोविन्दसिंह जी गुर्जर से पूछ लेना। आप तो सवाल ही दूसरा उठा रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जब सवाल पैदा कर दिया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में दौसा में जो यही न्यायालय चल रहा है उसमें सारे केस लालसोट के हैं। इसी आधार के ऊपर तय किया गया था कि इस न्यायालय को दौसा से लालसोट शिफ्ट कर दिया जाय और मैं समझता हूँ उसमें न्यायाधीश, वही स्टाफ, वो ही जाएगा। एक आपके भवन की जरूरत पड़ेगी वो परसादी लाल मीणा आपको दिलवा देंगे। इसमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है। यह ट्रांसफर करने का मामला है कोई नया खोलने का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है माननीय सदस्य, आप मंत्री जी से बात करके उनको जो भवन की व्यवस्था....

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं अध्यक्ष महोदय, धनाभाव का मामला है।

श्री अध्यक्ष : काम करने का तरीका है यहां से होगा नहीं यह भी....

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मंत्री जी से तो हो गया, मुख्यमंत्री जी से एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

प्लीज, सिट डाउन। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। जो सम्बन्धित....(व्यवधान)

आप मंत्री जी से पूछिए, मुख्यमंत्री जी से नहीं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि वित्त विभाग को आपने फाइल कब भेजी। वित्त विभाग ने क्या उसमें कार्यवाही की। और आपने क्या सबसे पहले इसमें अलग से अदालत खोलने का मामला नहीं है केवल अदालत को ट्रांसफर करने का मामला है। दौसा में जो एक साथ इतनी अदालत....

श्री अध्यक्ष : ठीक है हो गया सवाल आपका।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल....

श्री अध्यक्ष : हो गया सवाल आपका।

श्री परसादी लाल मीणा : दौसा में

(श्री परसादीलाल मीणा)

कितनी अदालत हैं, आपको पता है। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, दौसा, एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दौसा, मुंसिफ कम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दौसा एडीशनल मुंसिफ कम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दौसा। क्या 4 अदालतें एक साथ चल रही हैं मंत्री महोदय उसके बाद भी जिस अदालत को हम ले जाना चाहते हैं लालसोट के लिए उसमें केवल लालसोट के मुकदमों की सुनवाई होती है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप भाषण देंगे तो मैं जवाब नहीं दिलवाऊंगा। आपका सवाल हो गया, आप बिराजिए। जवाब लेना है आपको। मंत्री जी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा जवाब सुनिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि काफी व्ययसाध्य है। एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट तो वहीं बैठते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट को तो वहां ट्रांसफर किया जा सकता है उनके वेतन का झगड़ा नहीं है किन्तु उसमें उसके साथ एक एक्जीक्यूशन का क्लर्क होता है जो हकरसी का काम करता है वो क्रिमिनल केसेज के लिये क्रिमिनल क्लर्क। तीसरा असिस्टेंट नाजीर होता है नाजीर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके साथ ही कोपिस्ट होते हैं और नकलों के लिए जरूरी है उसके लिए भी जरूरी है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ये सब चीजें तो अभी भी हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक मिनट ठहर जाइए। गोविन्द सिंह जी आप तो सीनियर हैं आप तो कम से कम क्षमता रखिए सुनने की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई कहे खाने के साथ पानी पिलाना चाहिए। यह कोई बात थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनिए। (व्यवधान)

Are you not interested ? जवाब नहीं सुनना चाहते ? नहीं वो सुनना चाहते हैं। सुनिए फिर। आप बोलिए मंत्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक आफिस पिअोन और एक चौकीदार इन सबमें 1,80,00/- रुपये का खर्चा आएगा। इसके साथ ही क्लास फोर्थ एम्पलाइज के लिए 20,000 अगर चाहिए। 2 लाख रुपये अलग फण्ड्स में होंगे तो इसको देखा जाएगा वरना यह असंभव है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह तो अभी भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : हो गया जवाब। नेक्स्ट। श्री हीरालाल आर्य।

इटावा (कोटा) क्षेत्र में कुएं निर्माण हेतु ऋण

249. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, इटावा (कोटा) द्वारा पिछले वर्षों में कुएं निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किये गये थे ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत राशि की किश्तें समय पर नहीं दिये जाने की वजह से कुओं का निर्माण कार्य समय पर नहीं हो सका ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पता, स्वीकृत राशि, कितनी किश्तें दीं, पूरी राशि नहीं देने का कारण सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को स्वीकृत पूरी राशि दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) :

(1) जी हां ।

(2) ऋण स्वीकृति के उपरान्त कृषक को ऋण स्वीकृति की शर्तों की पूर्ति कर रहननामा निष्पादित करना होता है और तब उसे प्रथम किश्त दी जाती है । प्रथम किश्त के उपयोग की जाँच के उपरान्त आगे की किश्तें दी जाती हैं । वर्ष 1989-90 से पूर्व का कोई भुगतान शेष नहीं है । वर्ष 1989-90 में 69 व्यक्तियों को कूप निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किया गया था, उसमें से 36 लोगों ने पूर्ण भुगतान उठा लिया । शेष 33 व्यक्तियों की सूचना जिनको भुगतान नहीं हुआ है, कारण सहित सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । कृषकों द्वारा ऋण स्वीकृति की शर्तों की पूर्ति के आधार पर बैंक से भुगतान किया जायेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वो तथ्यों से परे है । आपने कहा कि वर्ष 89-90 से पूर्व का कोई बकाया नहीं है जबकि मेरे क्षेत्र में पचासों कुए ऐसे हैं । क्या यह मंत्री महोदय सही है । मेरे क्षेत्र में पचासों कुए ऐसे हैं जो दूसरी, तीसरी किश्त न मिलने के अभाव में अधूरे पड़े हैं और उनसे किश्ते तो दी ही नहीं बल्कि जो कुछ पैसा उनको दिया गया है उसको वसूलने की कार्यवाही की जा रही है । उसमें खासतौर जिनकी किश्तें बकाया हैं जिनसे आप वसूली कर रहे हैं । मेरे पास····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछने से पहले····

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष····

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिए । Please, hear me. प्रश्न का जो उत्तर आया है····

श्री हीरालाल आर्य : वो सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिए । उसमें उत्तर में यह कहा है कि पहली किश्त के खर्च की जांच करने के बाद फिर दूसरी, तीसरी किश्त दी जाएगी । जब आप सवाल पूछते हैं कि जिन लोगों के बकाया है क्या आप यह निश्चित कह सकेंगे कि उन लोगों ने पहली किश्त की जो जांच करवाली और सही प्रकार से खर्च कर दिया यह आपको मालूम है तो बताइये ।

श्री हीरालाल आर्य : इसलिए तो मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और मैं क्या कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने तो बता दिया।

श्री हीरालाल आर्य : सरकार ने क्या बताया....

श्री अध्यक्ष : उनको नहीं मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि....

श्री हीरालाल आर्य : मैं यही बात कह रहा हूं कि सरकार ने जो उत्तर दिया है वो एकदम गलत और तथ्यों के परे है। वर्ष 89-90 के आप कह रहे हैं कि पूर्व का कोई बकाया ही नहीं है जबकि पचासों लोग ऐसे हैं मेरे पास नाम भी हैं उनके। मैं उनके नाम भी बता रहा हूं मंत्री महोदय वो नाम लिखें और चैक करें। हां तो सुनिए।

मोहनसिंह, रामनारायण और हंसराज इटावा के हैं। इसी प्रकार से देलोत, कैथोदा, गुगला, नोलेटा, बमोल्या, रणोदा के पचासों किसान हैं जिनसे आप वसूल करें। पहली और दूसरी किश्त तो दी ही नहीं। अब वो बेचारे रो रहे हैं कि साहब पहली और दूसरी किश्त हमको मिली ही नहीं, हमारे कुए पूरे हुए नहीं और आप जो कुछ पहली किश्त इनको दी थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक सवाल हो गया और आगे बोलिए दूसरा सवाल।

श्री हीरालाल आर्य : दूसरा मेरा सवाल है कि केवल इसी साल को मंत्री महोदय आप देखें, इसी साल के 33 लोग ऐसे हैं जिनको आपने दूसरी और तीसरी किश्त नहीं दी है वो किसान बराबर बैंकों के चक्कर काटते हैं हमारा काम देख लीजिए....

श्री अध्यक्ष : आप उसी सवाल पर घूम रहे हैं। यह सवाल हो गया अब जवाब देंगे। आगे चलिए।

श्री हीरालाल आर्य : आखिर वो समझें तब ना। उन्होंने तो जवाब दे दिया कि नहीं है जबकि किसान वहां आ रहे हैं बैंक में। वो कह रहे हैं कि हमको पैसा दो आपने कह दिया कि यूटिलिटि नहीं थी उस पैसा का उपयोग नहीं किया, इनके कहने से ही हम मान लेंगे?

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल एक पूछ लिया फिर दूसरी ओर आपने नाम बता दिए वो जवाब देंगे।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपने जो जवाब दिया....

श्री अध्यक्ष : वो तो हो गया। फिर पूछ लिया आपने।

श्री हीरालाल आर्य : मैं यह कह रहा हूं कि जब किसान ने उपयोग कर लिया उपयोग करने के बाद बैंक में बार-बार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनके कर्मचारी उनकी सुन नहीं रहे हैं एक भी। न कोई उन्हें वहां पर देखने वाला है और 33 इस साल के ही हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या एक ही सवाल है और कोई सवाल नहीं है?

श्री हीरालाल आर्य : यह मैं कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां तो करिए। इसको बन्द करिए, आगे करिए, यह तो हो गया, जवाब देंगे ये।

श्री हीरालाल आर्य : मंत्री महोदय,

18

(श्री हीरालाल आर्य)

इस बात को स्पष्ट करें कि ये किसान बार-बार वहां चक्कर लगा रहे हैं, पैसे का उपयोग करना चाहते हैं उसके अभाव में किसान बर्बाद हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : फिर उसी पर आ गए आप ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपका हो जाएगा । मुझे मालूम है ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हमारे सम्माननीय मेम्बर जो हैं वो योग्य हैं इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन कोआपरेटिव की सारी बातों को उनको समझना चाहिए । नाबार्ड के द्वारा सारी शर्तें पूर्ण होने के बाद ही कोई ऐसी ऋण राशि स्वीकृति की जाती है अगर पहली किश्त स्वीकृत होने के बाद दे भी दी गई तो किसान....(व्यवधान)

जैसे मान लो 250 मीटर दूरी का एक कुआ दूसरे कुए की दूरी में है और यदि इसमें एक 150 का भी है । बी. जान के अन्दर 250 का है और बाकी जान में 150 की दूरी का मामला आता है और किसान ने मान लो 50 फुट कम दूरी को कर दिया तो उसको पहली किश्त होने के बाद दूसरी किश्त नहीं मिलेगी । इसमें कोई शर्तें उनकी पालना होती है । निष्पादन डोकुमेंटस जो हो जाते हैं निष्पादन हो करके बाद में मिलती है । मेरे पास कुछ केसेज तो ऐसे हैं जिनमें डोकुमेंटस ही निष्पादित नहीं हुए । इन 33 मामलों की सूची आपको दे दी थी काम चाहे लोगों को नहीं मिला । कुछ फाइलें तो रिजेक्ट हो गई कि नाबार्ड की शर्तों की पूर्ति नहीं थी । कुछ फाइलों के अन्दर पहली किश्त दे दी कुछ फाइलों के अन्दर सेकिण्ड किश्त उठा दी गई और सेकिण्ड किश्त उठाने के बाद कुछ किसानों ने मना कर दिया कि पानी हो गया हमारे कुओं में, किश्त नहीं लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : असत्य बोल रहे हैं । काश्तकार मना ही नहीं करते हैं ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : ऐसा नहीं है आप जैसे सभी थोड़े ही हैं ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : आपके बैंक के कर्मचारी काम नहीं करते यह क्यों नहीं कहते ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : इन व्यक्तियों की राशि स्वीकृत कर रखी हैं किन्तु इन्होंने नहीं उठाई 2 मामले ऐसे हैं जिनका चैक जारी कर दिया गया । 7 मामलों में ऋण पत्र स्वीकृत कर दिया गया लेकिन वो प्रथम किश्त लेने नहीं आए । 21 मामले शेष बचे हैं तो 21 मामलों में कहीं न कहीं कमी है अगर वो कमियां पूर्ति कर दें हमारे पास कम से कम 2 लाख....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपको लिस्ट दे रहे हैं जहां पर पूरी फार्मेलिटीज हो गई हैं उनको आप किश्त दिलाने का आश्वासन दे दें ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : नाबार्ड की शर्तों के अनुरूप सारी शर्तों की पूर्ति करने पर पूरा पैसा दे दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : अब आप लिस्ट दे दीजिए। श्री मांगीलाल जी। (व्यवधान) आप दिलावर साहब, हरेक में क्यों खड़े हो जाते हैं। आप विराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग द्वारा जांच किस स्तर पर करवायी जाती है? नम्बर एक। दूसरा क्या सहकारी विभाग के तकनीकी अधिकारी ऐसे पक्के काम जो विभाग द्वारा करवाये गये हैं स्वयं मौके पर जाकर अपने सामने ऐसे कार्यों की जांच करवाते हैं? नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई काम हुआ या नहीं हुआ, पैसा यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, यह नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ? यह बतायें साहब।

श्री अध्यक्ष : हो गया सवाल। विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सम्माननीय सदस्य मेरे ख्याल से भूमि विकास बैंक के बारे में नहीं समझते हैं, सही बात यह है। क्योंकि इसमें नाबार्ड की शर्तों के अनुसार एल. बी. ओ. होता है, पहली किश्त अगर मान लो साहब, इसकी लोनिंग कमेटी होती है वह दे भी देती है, स्वीकृत कर देती है तो सैकण्ड किश्त बिना एल.बी.ओ. के नहीं होती है। लेकिन अगर पहली किश्त यूटिलाइज्ड हुई या नहीं हुई एल.बी.ओ. उसका प्रमाण-पत्र देता है। हुई है तो ठीक है नहीं तो उसमें कारण लगा देता है कि कुआ नहीं बना है, तो सैकण्ड किश्त नहीं मिलेगी, एल.बी.ओ. की शर्तें पूरी करने पर ही सैकण्ड किश्त मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री प्रकाश चन्द जी बैरवा। अब आप पूछिये, क्या पूछना है?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आपकी बैंकों में जो एल.बी.ओ. (लैण्ड वैल्यूएशन आफीसर) होता है वह क्या काम करता है? जब काश्तकार बैंक में एप्लिकेशन दे देता है तो लैण्ड वैल्यूएशन आफीसर की क्या ड्यूटी होती है? दूसरी बात यह है कि दूसरी किश्त दे देते हैं तो फिर तीसरी किश्त देने में कौनसी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, वहां पर कहां नाबार्ड की शर्तें आती हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दूसरी किस्त दे देते हैं तो तीसरी किश्त देने में क्या आपत्ति है? आप यह कह रहे हैं कि काश्तकार लेने से मनाकर देते है, काश्तकार तो 20-20 चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन बैंक कर्मचारी बिना पैसे के काम करते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है। इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : देखिये जबाव पूरा नहीं पढ़ा है इसमें लिखा है कि 2700 रुपये वोरिंग में पानी नहीं मिलने के कारण प्रार्थी अभी तीसरी किश्त नहीं लेना चाहता है, कई कारण होते हैं।

माननीय विश्नोईजी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी पूछा था कि किसी किसान को जब ऋण मंजूर होता है तो दूसरी किश्त से पहले उसकी वसूली शुरू हो जाती है, दूसरी किश्त आपने दी नहीं तो फिर वसूली वापस क्यों हो जाती है, क्योंकि लैण्ड वैल्यूएशन

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आफिसर मौके पर जाते नहीं हैं और नहीं जाने के कारण डिले हो जाती है और किश्ते टाइम पर बन जाती हैं तो दूसरी किश्त तो मिलती नहीं है और उससे पहले ही वसूली की कार्यवाही शुरू हो जाती है। यह इनका एतराज था, माननीय सदस्य का, इसके लिये आप कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं? जब तक आप किसान को पूरा ऋण नहीं दे देते हैं तब तक वसूली की कार्यवाही नहीं होगी, इस तरह का कोई प्रावधान निकाल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल जीआर्य।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के किसानों की जो समस्या है माननीय मन्त्री महोदय जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, वह शब्दों के जाल में फंसा करके उस समस्या को वैसे की वैसी छोड़ देना चाहते हैं, मेरा सीधा प्रश्न है, आप कह रहे है कि नाबार्ड की शर्तें पूरी करने के बाद, उसके बाद तो ऋण स्वीकृत हुआ है, मैं यह कह रहा हूं कि जब सारी शर्तें पूरी हैं और पूरी करने के बाद ऋण स्वीकृत हुआ है अब उसको बार-बार कहने से कोई मतलब नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि पहली किस्त दे दी और उसका उपयोग कर लिया, किसान बार-बार आ रहा है, बैंक में चक्कर लगा रहा है लेकिन उसको किश्त नहीं मिलने की वजह से उसका कुआ अधूरा पड़ा हुआ है इसका जवाब दे नहीं रहे हैं।

दूसरा मैंने स्पेसफिक प्रश्न किया था, आप कह रहे हैं कि 1989-90 के पूर्व का कोई भी पैसा बकाया नहीं है जो किसान को नहीं मिला हो, मैं कहता हूं कि ऐसे पचासों किसान हैं, मैंने एक-दो के नाम बताये हैं, आपको गांवों के नाम बताये हैं, उनको एक किश्त देकर किसान को फंसा दिया। अब वह तो बार-बार चक्कर लगा रहे हैं कि हमको पैसा दें आप उनको पैसा तो देते नहीं, किसानों के कुंए अधूरे पड़े हुये हैं और उनकी कुर्कियां करना चाहते हैं और पैसा वसूल करना चाहते है, किसान दुखी हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, आप यह जो बता रहे हैं उनकी जांच करा लीजिये, बात यह है कि फैक्चुअल सवाल है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे सम्माननीय सदस्य ठीक फरमा रहे हैं पहली किश्त दे देते हैं, अपने यहां चयन-शुदा सब जगह बोर्ड है वह ऋण शर्तों के साथ स्वीकृत करता है और पहली किश्त बिना किसी एतराज के दे देते हैं। मान लो पहली किश्त दे दी इनको और उसका कुआ ही नहीं बनाया तो दूसरी किश्त कैसे देंगे? मान लो जगह बदल ली हो, शर्तों के अनुसार नहीं खोदा, पहले मान लो खतरा नम्बर 95 दिया और उसके अन्दर नहीं खोदा और दूसरे के अन्दर खुदवा लेते हैं तो वहां पर एक किश्त के अलावा आपको न सैकण्ड किश्त मिलेगी और बल्कि वसूली की कार्यवाही भी निश्चित है। इसलिये कुछ मामले ऐसे हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुआ थोड़ा खुदवा देते हैं, पूरा पैसा ले लेते हैं और 4 हाथ खोदने के बाद कहते है कि साहब मुझे सैकण्ड किश्त दिलाओ तो कहां से दिलवायेंगे। बैंक की शर्तों को पूरा करने के बाद

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

ही सारा लोन दिया जाता है। फिर भी। ऐसे कोई मामले हों तो आप मुझे लिखित में दे दें तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह वसूली के बारे में क्या कह रहे हैं ? पहली किस्त देने के बाद दूसरी देने के पहले वसूली की जाती है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं लेकिन मेरे ख्याल से आपने भी अभी पूरी स्टेडी कोआपरेटिव और भूमि विकास बैंक को नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री रहे हैं वह तो। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : सही बात तो यह है। पहली किस्त मिलने के बाद में उन लोगों की वसूली होती है जिन्होंने अपना खसरा नम्बर बदल दिया हो, नाबार्ड की शर्तों के अनुसार 150-250 मीटर से कम दूरी पर कुआ खोदा हो उन लोगों को पहली किस्त देने के बाद सैकेण्ड किस्त नहीं देंगे जिन्होंने हमको धोखा दिया है बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही होता है, एक मुश्त वसूली की कार्यवाही की जाती है। इसलिये एक केस मुझे बता दीजिये जिसमें नियम से चलने वालों को लोन नहीं दिया गया हो तो यह मेरी जिम्मेदारी है, उनको मैं लोन दिलवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर। (व्यवधान)

अब आप बैठकर तय कर लीजिये वह दे देंगे।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल जी बहुत जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है........ (व्यवधान)

मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

माननीय श्री गोविन्दसिहजी गुर्जर। (व्यवधान)

कृपया आप विराजें। माननीय श्री हीरालालजी, विराजे, व्यवधान पैदा मत करिये : जवाब सुनिये आप। माननीय श्री हीरालालजी प्लीज। आप बैठिये।.... प्लीज सिट डाउन।

माननीय गोविन्दसिंह जी गुर्जर।

राजस्व कानूनों में संशोधन

250. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व सम्बन्धी कानूनों में संशोधन के कारण उलझे जमीन के मामलों को निपटाने व भूमि सम्बन्ध सम्बद्ध कानूनों को व्यावहारिक, युक्ति संगत और सरल बनाने के लिये माननीय मुख्यमन्त्री ने एक कमेटी के गठन की घोषणा की थी ?

(2) यदि हां तो, क्या उक्त समिति ने रिर्पोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) समिति ने मुख्यतया क्या सिफा-

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

रिशें की हैं ? यदि सिफारिशें अन्यथा हैं, तो सरकार अब आगे क्या काम करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री नत्थीसिंह) : (1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनु—3) की आज्ञा क्रमांक प. 5 (17) प्रसुवि/86 दिनांक 29-9-86 द्वारा कमेटी गठित की गयी । कमेटी को राजस्व सम्बन्धी कानूनों को और अधिक सरल किये जाने और राजस्व कोड बनाने का कार्य दिया गया था ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस कमेटी की 1986 से लेकर अब तक कितनी बैठकें हुई ? नम्बर एक दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि इस कमेटी के जो सदस्य हैं वह अभी वहीं हैं या बदल गये हैं ? तीसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि गत विधान सभा सत्र में माननीय मुख्यमन्त्री जी ने एक और कमेटी रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमैन की सदारत में गठित की थी, उसको भी लगभग सारा जो आशय था, वह करीब करीब यही था । तो उस कमेटी और इस कमेटी के अलग-अलग कार्य हैं या दोनों कमेटियों मिलकर इस काम को कर रही है ? इन तीनों बातों का जवाब दे दीजिये ।

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष होमदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितनी बैठकें हुई, कौन-कौन सदस्य थे इसके अध्यक्ष थे अध्यक्ष राजस्व मण्डल तथा श्री. टी. वी. रमणन सदस्य श्री. के बी. शंकरन, सेवा निवृत्त सदस्य, राजस्व मण्डल सदस्य थे । श्री सुरेश एच माथुर सेवा निवृत्त सदस्य, श्री गणपतराय सदस्य, अपील अधिकरण, सदस्य थे। पंजीयक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर सदस्य थे । उक्त समिति को 6 माह के अन्दर रिपार्ट देने को कहा गया था । समिति के गठन के बाद एक-दो बैठकें हुई लेकिन अन्त में कोई कार्य नहीं हुआ । श्री टी. बी. रमणन साहब अपने वित्त सचिव हो गये और उसमें व्यस्त हो गये, श्री गणपतराय जो की नियुक्ति स्थानीय निकाय संस्थान में हो गई वह भी नहीं कर पाये और इसकी कोई कमेटी नहीं हुई तो फिर सरकार ने 30 जून, 1987 को इस समिति को भंग कर दिया गया । उसके बाद जो दूसरी बात आपने कही है कि जो मुख्यमन्त्री जी ने घोषणा की थी वह रूपान्तरण के मामले में अलग कमेटी है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है कि····

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्नकर्त्ता पूछ रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय मै शायद गलती पर नहीं हूं तो मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर जिस समिति की घोषणा कि है उनके शब्द ही मैंने अपने प्रश्न में कोट किए हैं । वह शब्द थे कि जमीन संम्बन्धी मामलों को निपटाने व भूमि सम्बन्धी कानूनों को व्यावहारिक, युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए कमेटी के गठन की घोषणा की थी । मैं समझता हूं उसमें इन नियमों से सम्बन्धित सारे मामले आते हैं । आप उन

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सारे मामलों को ही लीजिए। जो कमेटी बनाई है जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए इस बात की कोशिश कीजिए। उसको भी तीन महीने हो गए।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं वह तो नहीं है। मुख्यमन्त्री जी ने जिस कमेटी की घोषणा की थी अध्यक्ष महोदय यहां पर शहरी जमीनों के मामलों का भी जिक्र किया गया। मैंने कल भी कहा 1981 के रूल्स के बाद राजस्थान में गृह निर्माण सहकारी समितियां एग्रीमेंट टू सेल इस प्रकार के नियमों में प्रावधान होने के कारण ऐसी उलझन पैदा हो गई जिससे आसानी से निकला नहीं जा सकता। आज सरकार कोई भी निर्णय किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, कोई भी आदमी सरकारी आदेशों को सूप्रीम कोर्ट में उसको चेलेन्ज करेगा, वहां से स्टे लेगा और कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसलिए इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए, सरल बनाने के लिए राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री तेजकुमार की अध्यक्षता में राजस्व सचिव को मैम्बर बनाया है यह इनका साफ था कि रूपान्तरण के मामले हैं। शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि के रूपान्तरण के मामले हैं। शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि के रूपान्तरण के मामले में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं उनका सरलीकरण करने के लिए निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया। यह बिल्कुल अलग बात है। शहरी मामलों के रूपान्तरण मामलों से है और वह जो आप कह रहे हैं, पूरे कानून में जो राजस्व कानून हैं, रेवेन्यू के कानून हैं, उनमें सरलीकरण किया जाए। उसमें क्या परिवर्तन किए जाए यह बिल्कुल दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दस मिनिट तो ओबिच्युअरी के रेफरेंस में गये....

श्री अध्यक्ष : आप जो सवाल उठा रहे वह प्रक्रिया के सारे नियमों में हैं प्रश्नकाल भी जा सकता है। आबिच्युअरी 11 नवम्बर 1978 को इसी हाउस में प्रश्नकाल के पहले ओबिच्युअरी दी गई। पूरा का पूरा प्रश्नकाल चला गया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं निवेदन करता हूं कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सप्लीमेंट्री अगर आप अलाऊ करना चाहें, यह पूरे राज्य के हित में है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह महसूस करती है कि आज इन राजस्व कानूनों के कारण से चाहे वह इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हो स्टेट का चाहे या आवासीय समस्या हो, इसके अन्दर यह कानून बहुत आड़े आ रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और बहुत दिनों से इन दोनों कानूनों के अन्दर वहां टीनेन्सी एक्ट है, लैण्ड रिफार्म्स एक्ट है। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जब तक कि कोई संशोधन नहीं होगा मेजर अमेण्डमेंट की आवश्यकता है। आज जितना कन्फ्यूजन आवासीय कालोनी का है वह इसी कारण से है और इण्डस्ट्रीज के अन्दर कन्वर्जन में जो आज रूकावट आ रही है। लोगों ने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आज इण्डस्ट्री लगा दी, कन्वर्जन किया नहीं कलक्टर ने, लाखों रुपये की पेनल्टी आपने ठोक दी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार दोनों एक्ट के अन्दर काम्प्रीहेन्सिव अमेण्डमेंट लाने की बात सोचती है या नहीं? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माननीय मुख्य-मंत्री जी से पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय राजस्व मन्त्री से पूछिए वह बता देंगे। हर एक बात मुख्य मन्त्री जी से पूछेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मन्त्री जी हर मामले में बोलते हैं। आज तो उनका मौन है।

श्री अध्यक्ष : आज दिन भर बोलेंगे। बिराजिए आप।

श्री नत्थी सिंह : (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वह सही है और उसको हम महसूस करते हैं। इसलिए रूपान्तरण के मामले में दूसरी कमेटी बनाई और जो जो पिछली बार घोषित किया गया सैटलमेंट का काम है उसकी किस तरह वैकल्पिक व्यवस्था करें विभाग की थोड़ी और उसके बाद पूरे कानूनों में क्या संशोधन किया जाए। यह मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है और उपयुक्त समय पर जरूर किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सर्किट हाउसेज में प्रबन्धक के पद

359. **श्रीमती उजला अरोड़ा** : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सर्किट हाउसेज में प्रबन्धकों के कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रबन्धकों के श्रेणीवार कितने स्वीकृत पद हैं तथा किन-किन स्थानों पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पद हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ स्थानों पर प्रथम श्रेणी के पदों के स्थान पर द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों को लगा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के क्या-क्या मानदण्ड नियत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्किट हाउसेज में प्रबन्धकों के कुल 25 पद स्वीकृत हैं।

(2) विश्राम भवन सेवा में प्रबन्धक ग्रेड (प्रथम) के 6 पद तथा प्रबन्धक ग्रेड (द्वितीय) के 19 पद स्वीकृत हैं। प्रबन्धक ग्रेड प्रथम के पद क्रमशः विश्राम भवन,

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं बीकानेर के लिये स्वीकृत हैं। प्रबन्धक ग्रेड (द्वितीय) के 19 पद निम्नानुसार स्वीकृत हैं:—

(1) विश्राम भवन अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, माउण्ट आबू, पाली, सिरोही।

(कुल 14 पद) 14 पद

(2) ट्रांजिट होस्टल जयपुर	1 पद	(कुल 1 पद)
(3) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली	3 पद	(कुल 3 पद)
(4) जोधपुर हाउस, नई दिल्ली	1 पद	(कुल 1 पद)
		कुल 19 पद

(3) जी हां। दिनांक 3-3-90 को आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक में अनुसूचित जाति के पद को कैरी फारवर्ड (Carry Forward) करने के मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। कार्मिक विभाग द्वारा समिति की सिफारिशों पर असहमति दिनांक 25-6-90 को व्यक्त करने के उपरान्त अब दुबारा दिनांक 28-6-90 को पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारित करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति की बैठक के बाद ही पदोन्नति पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(4) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के प्रबन्धकों के पदस्थापन हेतु मानदण्ड निम्नानुसार नियत किये गये हैं—

1. प्रथम श्रेणी प्रबन्धक केवल सम्भागीय मुख्यालय पर स्थित विश्राम भवनों में पद स्थापित किये जायेंगे, व

2. सम्भागीय मुख्यालयों पर स्थित विश्राम भवनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित विश्राम भवनों में द्वितीय श्रेणी के प्रबन्धक पदस्थापित किये जायेंगे।

टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वे

360. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भू-जल विभाग द्वारा टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कर पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु क्या-क्या योजनाएं कहां-कहां पर प्रस्तावित की हैं तथा किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है।

(2) इनकी क्रियान्विति हेतु क्या-क्या कदम उठाए गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग द्वारा पेयजल व सिंचाई हेतु योजनाएं नहीं बनाई जाती। भू-जल विभाग द्वारा किये गये भू-जल सर्वेक्षण की तकनीकी रिपोर्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (पेयजल) एवं विशिष्ट

(कृषि मंत्री)

योजना संगठन, जयपुर (सिंचाई) द्वारा प्रस्तावित की जाती है।

(2) भू-जल विभाग के पास इस संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

डीजल विक्रेताओं को लाइसेन्स मुक्ति

361. श्री अजयसिंह (दातारामगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने डीजल विक्रेताओं को रसद विभाग के लाइसेन्स से मुक्त किया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में सीमेन्ट डीलर्स को अविलम्ब रसद विभाग के लाइसेन्स से मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में डीजल की सुगमता से उपलब्धि होने के कारण राज्य सरकार द्वारा डीजल विक्रेताओं को रसद विभाग के लाइसेंस से दिनांक 25-10-1988 को मुक्त किया गया था किन्तु पेट्रोलियम उत्पादों की उपभोक्ताओं को उपलब्धि में कोई कठिनाई नहीं हो इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1979 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। जिसे केन्द्र सरकार की सहमति हेतु भेजा गया है जिसके प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा सीमेंट का मूल्य एवं वितरण दिनांक 1-3-89 पूर्णतः नियन्त्रण मुक्त कर दिया गया है। राजस्थान सीमेंट (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश, 1974 के अन्तर्गत लाइसेंस की शर्तों में मूल्य एवं स्टाक प्रदर्शन मासिक प्रतिवेदन कुछ मात्रा में सीमेंट का न्यूनतम स्टाक रखना एवं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना जैसी सामान्य बातें हैं जो उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक हैं।

सीमेंट डीलर्स को लाइसेंस से मुक्त करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर वर्तमान में, मूल्य उपभोक्ताओं को उपलब्धता आदि के दृष्टिगत शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्न सं. 362

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न सं. 363

(स्थगित)

ग्राम सिरोही (आमेर) में अतिक्रमण

364. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सिरोही पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर के ज्यादातर ग्राम रास्तों पर अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त रास्तों पर किस-किस के

(श्रीमती उजला अरोडा)

द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? सूची मय खातेदारों को उनके खातेदारों की भूमि के खसरा नम्बरों सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) ग्राम सिरोही के पटवार नक्शे की फोटोस्टेट प्रति मय उक्त ग्राम के समस्त रकबे यथा-ग्राम रास्ते, कृषि भूमि, गोचर, बंजड़, सिवाय चक, नदी, नाले इत्यादि खसरा नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें ?

(4) उपरोक्त ग्राम रास्तों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक तहसील/जिला स्तर पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक अतिक्रमण हटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम सिरोही पंचायत समिति और जिला जयपुर के ग्राम रास्तों पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

(2) ग्राम सिरोही के ग्राम रास्तों पर किसी भी खातेदार का अतिक्रमण नहीं है ।

(3) ग्राम सिरोही का नक्शा शीर्ष अवस्था में है, अतः उसकी प्रगति नहीं कराई जा सकती । ग्राम की समस्त प्रकार की भूमिका विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(4) ग्राम सिरोही के रास्तों पर अतिक्रमण ही नहीं है । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

टोडाभीम क्षेत्र के थानों में दर्ज प्रकरण

365. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के गढमोरा एवं टोडाभीम थानों में वर्ष 1987-88 व 1989-90 में कुल कितने अपराध दर्ज हैं ? कृपया थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि टोडाभीम थाने के अन्तर्गत दिनांक 27 फरवरी, 1990 को चुनाव के दौरान ग्राम मोरड़ा में मतपेटी कुऐ में डालने की वारदात हुई, जिसकी रिपोर्ट उक्त थाने में दर्ज की गई ? यदि हां, तो अब तक मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ा गया ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र 'टोड़ाभीम के गढमोरा एवं टोडाभीम थानों में वर्ष 1987-88 व 1989-90 में क्रमशः 526 एवं 835 (कुल 1361) अपराध दर्ज हुए हैं । थानेवार सूची संलग्न है ।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां, टोडाभीम थाने के अन्तर्गत मोरडा ग्राम में दिनांक 27 फरवरी, 1990 को मतपेटी कुए में डालने की वारदात पर अभियोग संख्या 35/90 अन्तर्गत धारा 394, 353, 201 आई पी सी व 135 (1) 136 (2) चुनाव अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। वर्तमान में यह प्रकरण अनुसंधानाधीन चल रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

तहसील मोहनगढ़ (जैसलमेर) में भू-आवंटन

366. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तहसील नम्बर एक व दो में जिले के किसानों को किस वर्ष में कितनी-कितनी, किस-किस किसान को भूमि आवंटित की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों तहसीलों में साधारण आवंटन के लिए कितने एकड़ भूमि रखी गयी है और विशेष आवंटन के लिये कितने एकड़ भूमि किस-किस मुरब्बा संख्या में कितनी उपलब्ध है ? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की दृष्टि में उक्त हजारों एकड़ उपलब्ध भूमि को व्यवस्थित कृषि उत्पादन के लिए विशेष छूट देकर पाली जिले की जैतारण, रायपुर, सोजत तहसीलों के किसानों को साधारण आवंटन पर भूमि आवंटन करना चाहेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ नं. 1 व 2 में जिन-जिन किसानों को जितनी-जितनी भूमि जब-जब आवंटन की गई है, उसकी उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 1 व 2 की आवंटियों की नागवार आवंटन भूमि के विवरण सहित सूची मय आवंटन तिथि के परिशिष्ट "क-1" व "क-2" संलग्न है। जैसलमेर जिले के किसानों के अलावा इन दोनों तहसीलों में भूतपूर्व सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को भी भूमि आवंटन की गयी है, उनकी भी सूची परिशिष्ट "ख-1 व ख-2" संलग्न है।

(2) तहसील उपनिवेशन मोहनगढ़ नं. 1 में साधारण आवंटन के लिए 51954 एकड़ तथा मोहनगढ़ नं. 2 में 81644 एकड़ इस प्रकार 133598 एकड़ भूमि सामान्य आवंटन के लिए रखी गई है तथा उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 1 में 156668 एकड़ एवं मोहनगढ़ नं. 2 में 172102 एकड़, इस प्रकार कुल 328770 एकड भूमि विशेष आवंटन के लिए/तहसील मोहनगढ़ नं. 1 की सूची मुरब्बेवार 3 परिशिष्ट "अ-1" में और मोहनगढ़ नं. 2 की परिशिष्ट (अ-2) में तथा विशेष आवंटन के लिए तहसील मोहनगढ़ नं. 1 की रखी गई भूमि की

(उपनिवेशन मंत्री)

मुरब्बेवार सूची परिशिष्ट "ख-1" व मोहनगढ़ नं. 2 की सूची परिशिष्ट "ख-2" में मुरब्बेवार क्षेत्रफल सहित संलग्न है।

(3) इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवंटन नियम, 1975 प्रचलित है भूमि का आवंटन इन नियमों के अधीन किया जाता है। इन नियमों में भूमिहीनों को भूमि आवंटन के संबंध में प्राथमिकता नियम 7 (1) में निर्धारित है। निर्धारित प्राथमिकता में पाली जिले की प्राथमिकता के आवंटन का क्रम अभी नहीं आया है, जो आने पर ही जिले के भूमिहीनों के आवेदन-पत्र आमंत्रित कर आवंटन की कार्यवाही के प्रश्न पर विचार किया जावेगा। वर्तमान में जैसलमेर जिले के भूमिहीनों को आवंटन का क्रम चल रहा है इस क्रम के बाद नियम 7 (1) की प्राथमिकता के अनुसार जोधपुर एवं बाड़मेर जिले के भूमिहीनों का क्रम आवेगा, तब उनके आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। इन दोनों जिले के प्राप्त आवेदन-पत्रों में जाँच कर आवंटन के पश्चात् ही यदि सामान्य आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध हुई तो भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर आगे की प्राथमिकता के आवेदन-पत्र मांगने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा। अभी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जोधपुर व बाडमेर जिले के कितने आवेदन पत्र प्राप्त होंगे और उनमें कितनी जमीन आवंटन होगी तथा कितनी भूमि शेष रहेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान-गुजरात सीमा विवाद

367. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या मंत्रीमंडल सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा व जिला पंचमहल (गुजरात) दोनों के बीच स्थित मानगढ़ पहाड़ पर राजस्थान व गुजरात प्रदेशों की सीमा विवाद का मामला काफी समय से चल रहा है।

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त मामले को शीघ्र निपटाने हेतु क्या प्रयास कर रही है? विवाद की वर्तमान में स्थिति क्या है? पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में नागरिकों द्वारा उक्त पहाड़ पर मन्दिर बनाये गये हैं? यदि हां, तो वहां पर बने मन्दिर किस राज्य की सीमा में हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला बांसवाड़ा व जिला पंचमहल (गुजरात) राज्य की सीमा मानगढ़ पर आदिवासियों का धार्मिक मेला भी लगता है? यदि हां, तो कब व उक्त मेला किसके नियंत्रण में संचालित होता है?

उत्तर

(1) जी, हां

(2) इस सम्बन्ध में पंचमहल (गुजरात) एवं जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

(मंत्री मण्डल सचिवालय मंत्री)

की मीटिंग हो चुकी है, जिसका कोई हल नहीं निकला है। मुख्य सचिव स्तर पर गुजरात के मुख्य सचिव को पत्र संख्या प. 19 (12) सा. प्र./ए/64, दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 को लिखा जाकर निवेदन किया गया है कि विवादग्रस्त क्षेत्र राजस्थान राज्य की सीमा का भाग है और गुजरात सरकार का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है। इसी बात को पुनः पत्र क्रमांक 19 (12) सा. प्र./ए/64 दिनांक 15 मई, 1990 द्वारा दोहराया गया है। जिसका उत्तर गुजरात सरकार से अपेक्षित है।

(3) जी नहीं। यहाँ केवल करीब 100 वर्ष पुरानी श्री गोविन्द गुरू की धूनी स्थापित है, जो कि राजस्थान सरकार की सीमा में आती है।

(4) श्री गोविन्द गुरू की धूनी पर माह मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मेला लगता है। इस मेले में शान्ति व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

सरपंच शामदा (अलवर) पर हमला

368. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत शामदा (अलवर) के सरपंच श्री सम्पतनाथ पर दिनांक 4 जून, 90 को प्राणघातक हमला किया गया और उनकी जेब से हमलावरों ने आठ हजार रुपये भी निकाल लिए ? यदि हां, तो पुलिस ने मुल्जिमों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने विकास कार्य में रुकावट व मारपीट के जुर्म में पहले भी पुलिस में उन बदमाशों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन एस. डी. एम. किशनगढ़वास ने दफा 107 के तहत कार्यवाही की थी ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासन की ढिलाई व पुलिस अफसरों की मिलीभगत से मुल्जिमों के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में श्री सम्पतनाथ सरपंच की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 74/90 धारा 341, 323, 379 भा. द. सं. दिनांक 4.6.90 को थाना मण्डावर जिला अलवर में पंजीबद्ध हुआ है। एक्सरे रिपोर्ट उपलब्ध होने पर धारा 325 आई. पी. सी. और जोड़ी गई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

(2) जी नहीं। एक प्राइवेट इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) द. प्र. सं. के न्यायालय एस. डी. एम. किशनगढ़ बास में पेश किया गया था जो विचाराधीन न्यायालय है।

(3 व 4) इस सम्बन्ध में तुरन्त अभि-

(गृह मंत्री)

योग पंजीबद्ध कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया एवं मुल्जिमान की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

नये पुलिस स्टेशन्स

369. **श्री अजय सिंह** (दातारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं अपराधिक प्रवृत्तियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य में पुलिस थानों की बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक, कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हाँ, दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं अपराधिक प्रवृत्तियों को मद्देनजर रखते हुए इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में नये पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया जाता है। नये पुलिस थाने खोलने के बारे में निर्णय लेते समय राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति एवं इन थानों को खोलने की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। संलग्न सूची "परिशिष्ट-क" के अनुसार राज्य में दस नये पुलिस थाने खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। नये पुलिस थाने खोलने की समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

थाना लाडनूं में बलात्कार का प्रकरण

370. **श्री मनोहर सिंह** (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना लाडनूं में बलात्कार से सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 24/90 धारा 376/511 के अन्तर्गत दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या मुलजिमान को गिरफ्तार कर कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस थाना जसवन्तगढ़ में मु. नं. 71/82 दर्ज हुआ था जिसमें भूतपूर्व सरपंच लिखमा राम द्वारा मुस्तगीस महावीर प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर प्रमाणित कर राशि का गबन कर लिया गया ? एफ. एस. एल. द्वारा हस्ताक्षर फर्जी पाये गये थे ?

(4) क्या राज्य सरकार इस तथ्य की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? मुलजिमान के खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना लाडनूं में मुकदमा नं. 24/90 धारा 376, 511, 457, 323 भा. द. सं. के अन्तर्गत दिनांक 12 3.90 को दर्ज हुआ था जिसका अनुसंधान चल रहा है।

(2) मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं। तलाश जारी है। मुकदमें

(गृह मंत्री)

की तफतीश एस. एच. ओ. थाना लाडनूं द्वारा की जा रही है।

(3) जी हां। श्री लिखमा राम द्वारा महावीर प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षरों के विषय में एफ. एस. एल. ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी है।

(4) वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के द्वारा किये जा रहे सत्यापन के आधार पर मुलजिम के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्य का चहुंमुखी विकास

371. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत तीन महीने में राज्य के चहुंमुखी विकास हेतु क्या-क्या नीतियां निर्धारित की गई ? सूची सदन की मेज पर ब्यौरे सहित रखें।

उत्तर

विगत 3 महीनों में राज्य सरकार द्वारा कृषि, जल निकास व औद्योगिक विकास तथा अकाल राहत कार्य–योजना कार्यों के समन्वय की नीतियां बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

उपनिवेशन क्षेत्र में भू-आवंटन

372. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को किस्तों के आधार पर एवं किन-किन व्यक्तियों को बाजार कीमत पर कितनी-कितनी भूमि आवंटित कहां-कहां की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपनिवेशन विभाग के बाजार कीमत पर किन-किन रकबों का विक्रय बकाया है ? उसकी सूची स्थान सहित मय नक्शों सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उपनिवेशन विभाग ने गत 5 वर्षों में कितना राजस्व दिया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपनिवेशन विभाग का किसानों पर कितना राजस्व बकाया है ?

उत्तर

(1) उपनिवेशन विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में बाजारी कीमत व आरक्षित कीमत पर जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है, उनकी नाम, चक, मुरब्बा, तहसीलवार सूची क्रमशः परिशिष्ट "क" व परिशिष्ट "ख" संलग्न हैं।

(2) उपनिवेशन विभाग में बाजार कीमत पर जिन रकबा का विक्रय बकाया है, उसकी सूची चकवार/मुरब्बावार/तहसीलवार एवं नक्शे क्रमशः परिशिष्ट "ग" एवं "ग-I" संलग्न है।

(3) उपनिवेशन विभाग में गत 5 वर्षों में प्राप्त राजस्व का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(4) उपनिवेशन विभाग में 31-3-90

(उपनिवेश मन्त्री)

तक किसानों पर 620·96 लाख रुपये बकाया थे, जो परिशिष्ठ "स" के कालम संख्या 5 में अंकित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

गैर योजनागत व्यय

373. श्री हजारीलाल (खेतड़ी)

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर (नसीराबाद) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक प्रतिवर्ष राजस्थान में नॉनप्लान एक्सपेन्डिचर कितना बढ़ा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) समेकित निधि के अन्तर्गत नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर निम्नांकित चार वर्गों में किया जाता है :—

1. राजस्व व्यय
2. पूंजीगत व्यय
3. लोक ऋण
4. उधार एवं अग्रिम

इन वर्गों का नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर वांछित वर्षों में निम्न प्रकार है :—

नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर (करोड़ रु. में)

	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	लोक ऋण	अग्रिम एवं उधार	योग	वृद्धि/कमी
1985-86	1237.18	(–) 0.16	291.40	5059	1579.01	
1986-87	1381.19	(–) 1.99	290.50	31.19	1700.89	+121.88
1987-88	1720.37	(–) 2.81	701.68	48.59	2467.83	+766.94
1988-89	1906.72	(–) 2.19	1452.27	48.00	3404.80	+936 97
1989-90	2242.23	0.16	941.96	48.82	3233.17	–171.63

(आर. ई.)

2. राज्य सरकार के आयोजना भिन्न मद में किये जाने वाले व्यय हेतु राज्य सरकार ने एक शीर्ष समिति का गठन किया है जिसने विभिन्न मुद्दों की जांच की है। समिति ने अभी अपनी कोई सिफारिश नहीं की है। समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् ही बचत के सम्बन्ध में किए गए उपायों की जानकारी संभव हो सकेगी।

बाड़मेर में बालक की हत्या

374. चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में वर्ष 1986 में महावीर गोलेच्छा नामक 9 वर्षीय बालक की हत्या हुई थी ?

(2) यदि हां, तो तत्संदर्भ में अब तक

(श्री चम्पालाल बांठिया)

क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस प्रकरण में अपराध संख्या 292 दिनांक 19-8-86 धारा 302 ता. हि. थाना नगर बाड़मेर पर दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया । जिला पुलिस व सी. आई. डी. द्वारा अनुसंधान करने पर अपराधियों का कोई पता नहीं चलने के फलस्वरूप दिनांक 30-10-87 को मुकदमें में एफ. आर. अदम पता मुलजिम में दी गई ।

डीग थाने की क्रमोन्नति

375. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य सीमा पर स्थित डीग कस्बे के थाने को अपग्रेड करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इस हेतु काफी समय से मांग की जाती रही है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने हेतु पुलिस बल बहुत कम है ? क्या सरकार और नये थाने अथवा पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां ? नहीं तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के अन्तर्गत कितने अपराध हुए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं, पुलिस थाना डीग को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(2) वर्तमान में पुलिस थाना डीग में नफरी निर्धारित मापदण्डों के आधार पर तैनात की हुई है । उक्त क्षेत्र में और पुलिस थाने/चौकी खोले जाने का अन्य कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

(3) पिछले तीन साल में थाना डीग में भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत जो अपराध पंजीबद्ध हुए एवं उन पर की गई कार्यवाही की विवरण तालिका परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

सिवाना क्षेत्र में छात्रावास

376. श्री हुकमाराम (सिवना) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने छात्रावास खोले गये हैं ? इन छात्रावासों में विद्यार्थियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में दो छात्रावासों के भवन बने हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक बनाये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में चार राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

है, जिनमें राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास नियम 1982 के अन्तर्गत निम्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है :—

1. छात्रावासों में भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन, तेल, जूते आदि के लिए 170/–रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं। ये राशि कक्षा 6 से 9 एवं 11 के लिए वर्ष में 9 माह 15 दिन के लिए एवं कक्षा 10 एवं 12 के छात्रों के लिए 9 माह की अवधि के लिए देय होती है।

2. इसके अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को एक दरी, दो कम्बल एक तकिया मय दो गिलाफ, दो चद्दर, एक गद्दा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

3. प्रत्येक छात्र को एक थाली, दो कटोरी और एक प्लास्टिक मग निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है।

(2) दो छात्रावासों में एक छात्रावास भवन का निर्माण शीघ्र पूर्ण होने वाला है। एवं दूसरे छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है एवं निकट भविष्य में निर्माण प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

सहकारी समितियों द्वारा चीनी वितरण

377. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्तमान में सहकारी विपणन समितियों से सिर्फ चीनी वितरण का अनार्थिक कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन समितियों को होने वाली हानि को रोकने के लिए इनसे चीनी वितरण अविलम्ब बन्द करवायेगी ? यदि हां तो, कब तक ?, यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार किसानों की सहकारी विपणन समितियों को राज्य के मुख्य मण्डी प्रांगणों में कृषि उत्पादनों की सरकारी खरीद का अधिकृत विक्रेता नियुक्त करके इनको आर्थिक लाभ प्राप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चीनी वितरण का कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। अतः इसे बन्द करवाने का विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। कृषि उत्पादनों की सरकारी खरीद केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेन्सियों के माध्यम से की जाती है, तथा उक्त एजेन्सियां ही सहकारी खरीद की अधिकृत विक्रेता हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, बूंदी द्वारा विज्ञापन पर व्यय

378. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री किशनलाल सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक, बूंदी ने वर्ष 1987-88, 1988-89 व 1989-90 में अखबारों को विज्ञापन दिये ?

(श्री किशनलाल सोनगरा)

(2) यदि हां, तो किस अखबार में कितनी-कितनी राशि के सजावटी एवं गैर-सजावटी विज्ञापन दिये गये ?

(3) वर्ष वार प्रत्येक अखबार को दिए गए विज्ञापनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2 व 3) विवरण परिशिष्ठ 'क' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 9 देखें।)

सहकारी शुगर मिल, केशवराय पाटन

379. **श्री रामनारायण वर्मा** (नेनवा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 31 मार्च, 1990 तक केशवरायपाटन शुगर मिल को कितना घाटा हो चुका है ? इसे घाटे की स्थिति से उबारने के लिए राज्य सरकार के पास क्या कोई योजना विचारधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि विगत क्रसिंग सीजन में मिल में दो बार तकनीकी खराबी के कारण लम्बे समय तक बन्द रही ? यदि हां, तो उसके लिए कौन दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? बन्द होने से अनुमानित क्षति का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मिल किस-किस श्रेणी की शक्कर का उत्पादन करती है ? क्या यह सही है कि विगत सीजन में मिल की ओर से बनाई गई शुगर भारत सरकार के अधिकृत मानक स्तर की शुगर से निम्न स्तर की पाई जाने पर उसका ग्रेड परिवर्तित किया गया था ? यदि हां, तो इससे मिल को कितना नुकसान हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) मिल के शुभारम्भ के बाद से अब तक सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से क्रसिंग सीजन में हुआ तथा इस सीजन में कितना उत्पादन हुआ ? उत्पादन इस वर्ष हुई कमी के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन दोषी है ?

(5) क्या मिल के चीफ इन्जीनियर एवं चीफ केमिस्ट के कार्य आदि के बारे में पूर्व प्रबन्धक वर्ग तथा वर्तमान प्रबन्धक वर्ग के आदेशों एवं आदेशों सम्बन्धी टिप्पणियों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिल की स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 31 मार्च 90 तक मिल को 9.72 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा हुआ है। घाटे से उबारने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(2) जी हाँ। मिल में तकनीकी खराबी के लिए किसी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। विगत क्रसिंग सीजन में मिल 24 दिन बन्द रही है। सफाई के लिए और तकनीकी कारणों से इस दौरान गन्ने की क्रसिंग नहीं हुई और इस काम में लगे

(सहकारिता मंत्री)

कर्मचारियों को वेतन देना पड़ा इस हद तक क्षति हुई है।

(3) मिल एस–30 एवं एम–30 ग्रेड की चीनी का उत्पादन करती है। यह सही नहीं है कि मिल के द्वारा उत्पादित चीनी का ग्रेड परिवर्तन भारत सरकार द्वारा इस कारण से परिवर्तित किया गया है।

(4) मिल के शुभारम्भ के बाद सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 77-78 में 1 लाख 97 हजार 215 बोरी का हुआ है। वर्ष 89-90 में उत्पादन 80,927 बोरी का हुआ है। इस वर्ष उत्पादन में कमी क्षेत्र में कम गन्ना उत्पन्न होने से हुई है।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 380 स्थगित)

तहसील शेरगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पद

381. **मनोहर सिंह** (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शेरगढ़ एवं बालेसर, जिला जोधपुर में मार्च व अप्रेल, 1985 में अप्रशिक्षित अध्यापकों को रुपये 400/– समेकित माहवार वेतन पर नियुक्ति दी गई थी, जो अब भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों की सेवाएं निरन्तर जारी रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) तहसील शेरगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या तहसील शेरगढ़ में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति शेरगढ़ एवं बालेसर में मार्च व अप्रेल 1985 में किसी भी अप्रशिक्षित अध्यापक को नियुक्ति नहीं दी गई थी। पंचायत समिति शेरगढ़ में दिनांक 1-12-85 से 5-1-87 तक कुल 28 अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति दी गई है, जो अभी तक कार्यरत है। उन्हें सेवा में निरन्तर रखा जाना है अथवा नहीं यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) पंचायत समिति शेरगढ़ में वर्तमान में अध्यापक का एक ही पद रिक्त है जो प्रतिबन्ध हटते ही भर दिया जावेगा।

(3) जी नहीं।

टाकरा योजना में गबन की जांच

382. श्री **नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

(1) क्या पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में ट्राकरा योजना के अन्तर्गत लगभग 4·50 लाख का गबन का मामला प्रकाश में आया है ? क्या इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना खमेरा में दर्ज हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गबन की तफतीश से सम्बन्धित अधिकारी बार-बार बदले जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? वर्तमान में तफतीश किनके पास है ?

(3) क्या राज्य सरकार अन्य एजेन्सी से जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों से गबन की राशि वसूल करेगी ? यदि हां, तो कब और कैसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति घाटोल में द्वारका योजना के अन्तर्गत गबन का मामला प्रकाश में 2·54 लाख का आया है । जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना खमेरा, जिला बांसवाड़ा में मुकदमा सं. 4/89 अधीन धारा 408, 409, 467, 468 व 471 आई. पी. सी. के अन्तर्गत दर्ज कराया गया है ।

(2) प्रकरण सं. 4/89 अधीन धारा 408, 409, 467, 468 व 471 से थाना खमेरा का अनुसन्धान श्री गणपत सिंह, थानाधिकारी खमेरा, श्री कन्हैयालाल, उप निरीक्षक, श्री नाथूसिंह, उप निरीक्षक द्वारा किया गया है । वर्तमान में श्री कन्हैयालाल, थानाधिकारी दानपुर द्वारा किया जा रहा है । राज्य कार्य की अधिकता एवं कानून व्यवस्था की ड्यूटी की वजह से अनुसन्धान-कर्ता अधिकारी बदले गये हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) मामला जेर तफतीश है, अतः अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

पंचायत समिति खण्डार में आवासीय भवनों का निर्माण

383. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति खंडार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में, कितने-कितने इन्दिरा आवास भवनों का निर्माण कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त आवास के निर्माण में मजदूर किस-किस स्थान के लगाये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत पाचालोस के भवन अधूरे पड़े हैं एवं पंचायत समिति दूमोदा के उक्त आवासीय भवन आवण्टन से पूर्व ही जीर्णशीर्ण हो गये ?

(4) क्या विभाग द्वारा इनकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो

(श्री चुन्नीलाल)

अब राज्य सरकार इस विषय में क्या करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति खण्डार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किसी भी ग्राम पंचायत में इन्दिरा आवास भवनों का निर्माण नहीं करवाया गया परन्तु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 ग्राम पंचायतों में 242 इन्दिरा आवास भवनों का निर्माण कराया गया। ग्राम पंचायत अनुसार सूची परिशिष्ट, "क" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त आवासों के निर्माण में मजदूर उन्हीं ग्रामों के लगाये गये जिन ग्रामों में इन्दिरा आवास भवनों का निर्माण कराया गया।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत पांचोलास में कोई इन्दिरा आवास भवन स्वीकृत नहीं थे अतः अधूरे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता पंचायत दूमोदा के आवासीय भवन आवंटन से पूर्व जीर्ण-शीर्ण नहीं हुए।

(4) ग्राम पंचायत पांचोलास में इन्दिरा आवास भवन स्वीकृत ही नहीं थे एवं पंचायत दूमोदा में आवासीय भवन आवंटन से पूर्व जीर्ण-शीर्ण नहीं हुए, इसलिए विभागीय जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए परिशिष्ट–10 देखें।)

पंचायत समिति बामनवास क्षेत्र के अपूर्ण निर्माण कार्य

384. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1984-85 से अब तक ग्राम पंचायत पट्टी खुर्द, बामनवास, पंचायत समिति, बामनवास द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में से कितने पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण रहे कार्यों के लिए कितनी राशि अग्रिम स्वरूप दी गई एवं उस राशि में कितनी राशि का अब तक समायोजन हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पट्टी खुर्द, बामनवास में तालाब की मस्टरोल में दोहरे भुगतान का आडिट रिपोर्ट में आक्षेप लगाया गया है ? यदि हां, तो सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 से अब तक ग्राम पंचायत पट्टी खुर्द बामनवास में 12 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे जो सभी पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों के लिये रु. 3,89,589 स्वीकृत किये गये थे और स्वीकृत की गई समस्त राशि का समायोजन हो चुका है।

(2) जी हां, आडिट रिपोर्ट के आक्षेप के आधार पर पंचायत समिति द्वारा दिनांक 22-1-90 को अतिरिक्त कलक्टर (विकास)

(पंचायत राज्य मंत्री)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई-माधोपुर की जाँच हेतु निवेदन किया गया है, इससे पूर्व भी बामनवास खुर्द में हुए अकाल राहत कार्यों के भुगतान शुदा मस्ट्रोल जांच हेतु सहायक अभियन्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर को उपलब्ध कराये गये हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से जांच रिपोर्ट शीघ्र मंगवाई जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

शाहबाद एवं छीपा बड़ौद पंचायत समिति क्षेत्र में कुओं का निर्माण

385. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शाहबाद एवं छीपाबड़ोद पंचायत समिति क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों में अकाल राहत के अन्तर्गत तथा जीवन धारा योजना के प्रारम्भ होने से अब तक पंचायत समिति के माध्यम से कितने कुओं के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किन-किन स्थानों पर कितने कुओं का निर्माण किया गया है और इनसे कितनी-कितनी भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निर्मित कुओं के लिए शाहबाद एवं छीपा बड़ोद पंचायत समिति के माध्यम से किन-किन गांवों के, किन-किन किसानों को किस-किस समय, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, शाहबाद एवं छीपा बड़ोद को गत पांच वर्षों में अकाल राहत के अन्तर्गत कुओं के निमित्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। पंचायत समिति शाहबाद में जीवनधारा के तहत 7·00 लाख रुपये एवं छीपाबड़ोद में 31·69 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

(2) पंचायत समिति शाहबाद क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में (सूची संलग्न) 78 कुओं का निर्माण किया गया है। सभी कूप अपूर्ण हैं, अभी भूमि सिंचित नहीं हो रही है।

पंचायत समिति छीपा बड़ोद क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में (सूची संलग्न) 179 कुओं का कार्य चलाया गया तथा 130 कूप पूर्ण हो गये हैं। निर्माण कार्य इस वर्ष में होने से आगे आने वाली रवी फसल में सिंचाई हो सकेगी।

(3) पंचायत समिति शाहबाद एवं छीपा बड़ोद के माध्यम से किसानों को भुगतान की गई राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री डूंगरगढ़ में मण्डी यार्ड का निर्माण

386. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री किशनाराम)

(1) कृषि उपज मंडी समिति श्री डूंगरगढ़ की मण्डी यार्ड निर्माण हेतु परियोजना कब स्वीकृत की गई और निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ?

(2) उक्त परियोजना पर कितनी लागत व्यय होने का अनुमान था और अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) उक्त परियोजना अब किस स्तर पर है एवं इसके विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

(4) परियोजना में यदि अनुमान से अधिक धन खर्च किया गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) परियोजना वर्ष 1985-86 में स्वीकृत हुई तथा इसी वर्ष निर्माण कार्य शुरू किये गये थे ।

(2) परियोजना पर 27·61 लाख रु. व्यय का अनुमान था । अब तक 28·23 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

(3) परियोजना कार्यों में दुकान मय प्लेट फार्म एवं दुकान मय गोदाम का कार्य अधूरा है तथा जल व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है । शेष सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं । विलम्ब का कारण मण्डी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होना रहा है ।

(4) श्रम व सामग्री की दरों के बढ़ने के कारण अनुमान से अधिक व्यय हुआ है ।

किशनगंज तहसील में भू-संरक्षण कार्य

387. श्री हेमराज - (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की किशनगंज तहसील में राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भू-संरक्षण विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय करके क्या-क्या कार्य, कितने क्षेत्रफल में सम्पादित किया जाना प्रस्तावित था ?

(2) उक्त योजना कब शुरू की गयी थी और वर्षवार अब तक कितने क्षेत्रफल में क्या-क्या कार्य कराये गये और इनमें कितनी कितनी राशि व्यय की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) शेष कार्य कब तक पूरा होना संभावित है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के किशनगंज तहसील में राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत रानी बड़ौद जल ग्रहण क्षेत्र लिया गया था । वर्ष 1987-88 से वर्ष 1989-90 तक इस जल ग्रहण क्षेत्र में 13·54 लाख रुपये व्यय किये गये हैं और 1176 हैक्टर में भू-संरक्षण के कार्य कन्टूर बंडिंग, डाईवर्शन चैनल व फील्ड स्ट्रक्चर—इत्यादि किये गये । इस जल ग्रहण का क्षेत्रफल 7365 है. प्रस्तावित था । कृषि अयोग्य भूमि में कार्य कराने हेतु राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) उक्त योजना वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ की गई । वर्षवार राष्ट्रीय जल

(कृषि मंत्री)

ग्रहण क्षेत्रों में कराये गये भू-संरक्षण कार्यों और व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्रफल (है.)	खर्चा (लाखों में)
1.	1986-87	1443	15·565
2.	1887-88	12004	89·521
3.	1988-89	9645	90·201
4.	1989-90	11763	120·99

जल ग्रहण क्षेत्रों की सूची जिलेवार संलग्न है।

(3) शेष कार्य 1. सियाखो) (अलवर) 2. खानसूरजापुर (भरतपुर) 3. कलसाडा 4. बारोली 5. अन्तरहेड़ा 6. घाटोड 7. श्योपुरी जल ग्रहण क्षेत्रों में हो रहे हैं। इनको वर्ष 1990-91 में लिया गया है, और इसी वर्ष पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजनान्तर्गत वाटर कोर्स का सर्वे

388. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्र स्टेज II में फरवरी, 1989 के पूर्व राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के तकनीकी अधिकारी वाटर कोर्स बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य करते थे और खालों का निर्माण कार्य भी करते थे जिससे कार्य त्वरित गति से चलता था लेकिन अब उक्त अवधि के बाद सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता सिंचित क्षेत्र विकास इन्दिरा गांधी नहर परियोजना श्री ओ. पी. माथुर ने बदल कर सर्वेक्षण कराने हेतु वेपकोज को अधिकृत कर दिया है?

(2) वेपकोज को ठेका देने का सरकार का क्या उद्देश्य था?

(3) क्या ऐसा करने से सिंचित क्षेत्र विकास में सिंचाई विभाग के तकनीकी अधिकारी अधिक संख्या में बेकार बैठे हैं?

(4) क्या उक्त वेपकोज द्वारा सर्वेक्षण करने में विलम्ब के कारण वाटर कोर्स बनने में रुकावट पैदा हुई है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर पुनः विचार कर रही है?

(5) क्या वेपकोज को कार्य देने से करोड़ों रुपयों का इस कम्पनी को लाभ पहुंचा है जबकि सिंचाई विभाग का सिंचित विभाग का सिंचित क्षेत्र विकास में संलग्न सर्वेक्षण स्टाफ अच्छी संख्या में उपलब्ध है?

(6) अब तक राज्य सरकार द्वारा वेपकोज को सर्वेक्षण कार्य हेतु कितना भुगतान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सही है कि इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र परियोजना के स्टेज–2 में फरवरी, 89

(सिंचाई मंत्री)

के पूर्व राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारी पक्के खालों के बनाने हेतु सर्वेक्षण व खालों के निर्माण का कार्य भी करते थे। सर्वेक्षण व निर्माण के कार्यों को एक साथ करवाने से पक्के खालों के निर्माण का कार्य त्वरित गति से नहीं चल रहा था। पक्के खालों के निर्माण के कार्य को त्वरित गति देने के लिये राज्य सरकार ने खालों के सर्वेक्षण एवं प्लानिंग का कार्य वेपकोस को, जो कि एक भारत सरकार की संस्था है, के द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) राज्य सरकार का उद्देश्य पक्के खालों के निर्माण के कार्य को त्वरित गति देना था।

(3) नहीं।

(4) सर्वेक्षण व प्लानिंग के कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ। राज्य सरकार इस निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर रही है।

(5) वेपकोस हुए लाभ की जानकारी इस विभाग को नहीं है। पूर्व में जो भी सर्वेक्षण में स्टाफ था उसका समायोजन किया जा चुका है।

(6) सर्वेक्षण एवं प्लानिंग के कार्य हेतु वेपकोस के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वेपकोस को 358·5 लाख का भुगतान किया गया है।

खंडार क्षेत्र के ग्रामों में सड़क निर्माण

389. **श्री चुन्नी लाल** (खण्डार): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खंडार के ग्राम ईसरदा से ढाणी शोलपुर एवं सीताराम तक सड़क निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव कृषि मंडी से मई, 1989 में कृषि मंत्रालय द्वारा मांगा गया था? यदि हाँ, तो तब तक उक्त कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है, अब कब तक राज्य सरकार इन कार्यों को चालू करवाने का विचार रखती है?

(2) उक्त क्षेत्र के ग्राम मूरी पहाड़ी से बरवाड़ा से भगवतगढ़, छाण से वेरना, हिन्दवाड़ से दुभेदा, आदि सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्यों में क्या प्रगति हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) यदि सड़क मरम्मत कार्य को चालू किया गया है तो उस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सड़कों की स्वीकृति नहीं होने के कारण इन सड़कों के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये। वर्तमान में इन कार्यों को चालू करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(2) मूरी पहाड़ी से बरवाड़ा, छाण से वेरना, हिंन्दवाड़ से दुभेदा के कार्य स्वीकृत नहीं है। अतः निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता।

५५

कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन

390. **श्री दिलसुख राय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भूमि विकास बैंकों एवं व्यापारिक बैंकों द्वारा किसानों को कुएं खुदवाने के लिए दिये गये ऋण से निर्मित कुओं को बिजली के कनेक्शन्स में काफी समय लग जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के कुओं पर लिये गये ऋणों पर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज को विद्युत कनेक्शन्स होने तक रद्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किसानों को विद्युत कनेक्शन, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं । विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिये राज्य विद्युत मण्डल, बैंक ऋण से निर्मित कुओं और निजी साधनों से निर्मित कुओं के लिये समानता के आधार पर वरीयता निर्धारित करके विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाता है ।

(2) कृषकों को नवकूप निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण नाबार्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत वितरित किये जाते हैं । नवकूप एवं विद्युत पम्पसेट के संयुक्त ऋणों के मामलों में जब तक विद्युतीकरण नहीं हो जाता, तब तक ऋणी कृषक से ऋण अदायगी की किश्तें प्रारम्भ नहीं होती । इस प्रकार के मामलों में ऋणी कृषक को वितरित ऋण पर केवल ब्याज ही देना होता है ।

हिण्डौन एवं टोडाभीम में न्यायालय स्थापना

391. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितने न्यायालय हैं ? कृपया नाम न्यायालय व स्थान की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के हिण्डौन कस्बे में स्थाई ए. डी. जे. कोर्ट खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार टोडाभीम तहसील हैडक्वार्टर पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कोर्ट खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल 16 न्यायालय हैं । नाम व न्यायालय-स्थान की सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । वर्ष 1984 से हिण्डौन में स्थायी ए. डी. जे. न्यायालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं । धनाभाव के कारण टोडाभीम तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट खोलना सम्भव नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें ।)

दांतारामगढ़ (सीकर) की अनुपयोगी भूमि

392. **श्री अजय सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या भेड़ एवं ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जीणवास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में हजारों बीघा सरकारी जमीन बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर भेड़ एवं बकरी नस्ल सुधार योजना स्वीकृत करके किसानों को राहत प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के ग्राम जीणवास के पास राजस्व ग्राम नीमेड़ा में जीणमाता का ओरण है, जिसके कई खसरों में 1254·11 बीघा (317·31 हैक्टर) भूमि है, जो वन विभाग के पास है । वहां पर भेड़ और बकरी नस्ल सुधार योजना स्वीकृत नहीं है, और न ही विचाराधीन है ।

जयपुर जिले में जीवनधारा योजनान्तर्गत निर्मित कुए

393. **श्री गोपीराम** (अजमेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर जिले में जीवनधारा योजनान्तर्गत कितने कुएं निर्माण करने की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा जारी की गई उनमें से कितने कुए बने, कितने अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन स्वीकृत कुओं के निर्माण उपरान्त कितने व्यक्तियों को पूरा भुगतान अब तक किया जा चुका है, कितने व्यक्तियों को भुगतान किया जाना शेष है एवं क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नियुक्त सहायक अभियन्ता माप पुस्तिका में प्रति हस्ताक्षर करने हेतु अनावश्यक रूप से देरी करते हैं ? जयपुर जिले की किन-किन पंचायत समितियों से प्रति हस्ताक्षर हेतु कब-कब माप पुस्तिका जिला ग्रामीण अभिकरण को प्राप्त हुई एवं कब-कब अभियन्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये ? नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार इस योजना को भविष्य में भी जारी रखेगी ? यदि हां, तो प्रति कुआ कितनी राशि स्वीकृति का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जीवनधारा योजनान्तर्गत 1779 कुए निर्माण करने की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी की गई । इनमें से 1256 कुए निर्माण हुये एवं 523 कुए अधूरे हैं । सूची संलग्न है ।

(2) इन स्वीकृत कुओं के निर्माण के उपरान्त 1246 व्यक्तियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं 10 पूर्ण कुओं का आंशिक भुगतान किया गया जिसके पूर्ण भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । 523

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

व्यक्तियों को कार्य अपूर्ण होने के कारण आंशिक भुगतान किया गया है। शेष भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जावेगा।

(3) जी नहीं। सामान्यतः एक से दो सप्ताह में माप पुस्तिका पर प्रतिहस्ताक्षरित कर दिये जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में माप पुस्तिका के आने व लौटाने का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता।

(4) जी हां। जीवनधारा योजना वर्ष 90-91 में भी जारी रहेगी। प्रति कुआ नाबार्ड द्वारा निर्धारित लागत दिये जाने का प्रावधान है। जिला जयपुर के लिए प्रति कुआ यह राशि रु. 23100/– नरम धरती एवं रु. 24200 /– चट्टानी क्षेत्र के लिये निर्धारित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न सं. 394 (स्थगित)

बीकानेर लिफ्ट नहर पर खालों का निर्माण

395. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत तीन वर्षों में कंवर सैन लूणकरणसर बीकानेर लिफ्ट नहर पर कुल कितने पक्के खालों का निर्माण हुआ, कितने प्रस्तावित थे, कितने पूर्ण किये गये, कितने अधूरे हैं कितने खराब बने व उन खराब बने खालों का सुधार किया गया अथवा नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन्हें पूर्ण कराने एवं खराब खालों को ठीक करवाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में कंवरसेन लिफ्ट नहर पर 4 खालों का निर्माण पूर्ण किया गया है और एक खाल का कार्य आंशिक रूप से किया गया जो वर्ष 1990-91 में पूर्ण कर लिया गया है इस प्रकार पांच खालें पूर्ण हो गये है जबकि 6 खालों का निर्माण कार्य प्रस्तावित था एक खाला (4 बी. के. एम.) की आवश्यकता नहीं होने के कारण नहीं बनाया गया है। इस प्रकार कंवर सेन लिफ्ट नहर प्रणाली में मूल प्रस्ताव अनुसार कोई खाला अधूरा नहीं है।

वर्तमान में करीब करीब सभी खालों में निरन्तर उपयोग के कारण मरम्मत की आवश्यकता है, इन खालों में कोई सुधार नहीं किया गया है।

(2) मूल प्रस्ताव के अनुसार सभी खाले पूर्ण कर लिये गये हैं और शेष की आवश्यकता नहीं हैं। इन खराब खालों के सुधार हेतु विभाग द्वारा कोई प्रावधान नहीं लिया गया हैं।

नागौर में धारा 91 के प्रकरण

396. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसीलदार नागौर द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत वर्ष 1988 से 1990 के बीच कुल

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

कितने प्रकरणों में बेदखली के आदेश दिये गये ?

(2) तहसीलदार नागौर द्वारा कुल कितने प्रकरण में जेल की सजा दी गयी ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा कोई माप दण्ड उक्त सम्बन्ध में निर्धारित किया गया है ? यदि निर्धारित है तो उसकी पालना तहसीलदार नागौर द्वारा की गयी है या नहीं ?

(4) यदि नहीं की गयी तो उसके विरुद्ध अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) तहसीलदार नागौर द्वारा वर्ष 1988 से 1990 के बीच कुल 6710 प्रकरणों में बेदखली के आदेश दिए गए ।

(2) तहसीलदार नागौर द्वारा एक प्रकरण में सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किए ।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रथम अतिक्रमण के बाद प्रत्येक तत्पश्चात् अतिक्रमण के लिए 3 माह तक सिविल कारावास की सजा का प्रावधान है । प्रकरण में अपील होने तथा अपील न्यायालय से स्थगन होने के कारण इसकी पालना पूर्ण रूप में नहीं हुई है ।

(4) प्रकरण अपील के तहत न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

तहसील छीपा बड़ोद (कोटा) की अधिगृहित भूमि

397. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बांरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की, छीपाबड़ोद तहसील में कृषि भूमि सीलिंग के अन्तर्गत कितनी भूमि अधिगृहित की गई है ?

(2) क्या यह भूमि आवंटित कर दी गई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को किस-किस ग्राम में ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) आवंटित की गई भूमि कितने परिगणित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या आवंटित भूमि पर सभी आवंटियों का कब्जा है ? यदि नहीं, तो उनको कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील छीपाबडोद में कृषि भूमि सीलिंग के अन्तर्गत 1937 एकड़ भूमि अधिगृहित की गई है ।

(2) जी हां, अधिगृहित सीलिंग भूमि 1937 एकड़ में से 697 एकड़ भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी गई । 807 एकड़ भूमि पर भूमि आवंटन नहीं किए जाने बाबत वरिष्ठ न्यायालय का स्थगन आदेश है । 180 एकड़ भूमि न्यायालय के

(राजस्व मंत्री)

आदेश से अधिगृहण से मुक्त हो गई है, तथा शेष 253 एकड़ भूमि 136 व्यक्तियों को आवंटन की जा चुकी है। सूची (परि. "ख") सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) आवंटित की गई भूमि में से 56 परिगणित जाति (अनु. जाति) के व्यक्तियों एवं 23 जन जाति के व्यक्तियों को आवंटन की गई है। सूची (परि. "ग") सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। सीलिंग भूमि के समस्त आवंटियों का ही आवंटित भूमि पर कब्जा है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आमेर व झोटवाड़ा (जयपुर) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

398. श्री गोपीराम (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति आमेर एवं झोटवाड़ा क्षेत्र में कितनी चरागाह जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है? अतिक्रमण हुये भूमि का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) भविष्य में अतिक्रमण न हो क्या इस हेतु सरकार सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करेगी?

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेर क्षेत्र में 2211 बीघा 15 बिस्वा एवं पंचायत समिति झोटवाड़ा क्षेत्र में 880 बीघा 01 बिस्वा चारागाह भूमि अतिक्रमण है। अतिक्रमित भूमि का ब्योरा परिशिष्ठ "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अतिक्रमणों को हटाने के बारे में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ठ "क" में अंकित कर दिया गया।

(3) अतिक्रमण को हटाने के लिए धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(4) सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में अतिक्रमण होने पर तुरन्त कार्यवाही करें अन्यथा उनका दायित्व होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

केशवराय पाटन में राजस्व अभियान

399. श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने मई, 1990 में विभागीय स्तर पर राजस्व अभियान चलाया था? यदि हां, तो तहसील केशवराय

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

पाटन (बूंदी) में किये गये कार्यों का विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें :—

(1) नाम पटवार सर्किल (2 खातेदारी अधिकार जमाबन्दी में दर्ज, (1) मृत्यु प्रमाण-पत्र पर (2) एवं गैर खातेदारी 10 वर्षों वाले, (3) काश्तकार को आवंटित भूमि पर कब्जा एवं (4) अतिक्रमणियों की बेदखली ?

उत्तर

1. जी नहीं । राजस्व अभियान नहीं चलाया परन्तु सभी जिला अधिकारियों से राजस्व का बकाया कार्य तथा वर्तमान में होने वाले समस्त कार्य 31 जुलाई, 90 तक पूरा करने के निर्देश अवश्य दिये गये जिसके अन्तर्गत जिला अधिकारी ने कार्यवाही की जो निम्नांकित है :—

(1) खातेदारी व फोतीदगी के नामान्तरकरण की स्वीकृति 1420

(2) आवंटियों को भूमि का कब्जा दिया गया । 141

सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें),

पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर द्वारा भू-खण्ड आवंटन में अनियमितताएं

400. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर ने सूरजपुरा की घाटी, टौंक रोड स्थित स्कीम नं. 15 में वर्ष 1982 से अब तक किन-किन व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये हैं और प्रत्येक भू-खण्ड के कितनी-कितनी बार पट्टे जारी किये गये ? भू-खण्ड आवटियों के नाम, पते, भू-खण्ड का क्षेत्र, समिति द्वारा अब तक जारी किये गये ब्ल्यू प्रिन्ट्स एवं जारी पट्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त समिति द्वारा बार-बार पट्टे जारी करने, योजना पुनरीक्षण के बहाने भू-खण्डों को छोटा कर भू-खण्डों का पुनः आवंटन करने को राज्य सरकार उचित मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त समिति द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ।

उत्तर

1. पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की सूरजपुरा की घाटी, टौंक रोड, जयपुर स्थित स्कीम नं. 15 नहीं है, बल्कि इस स्कीम का नम्बर 15 "ए" है । इस स्कीम के अन्तर्गत जिन-जिन व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये गये उनकी सूची परिशिष्ट (ए) पर संलग्न है । समिति के रिकार्ड के अनुसार एक भू-खण्ड का पट्टा एक बार ही जारी किया गया है । भू-खण्ड आवंटियों के नाम, पते, भूखण्ड संख्या एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल परिशिष्ठ (ए) पर संलग्न है । समिति द्वारा आवंटित भू-खण्डों का सदस्यवार ब्ल्यू प्रिन्ट सम्बन्धित आवंटी के आवंटन पत्र के साथ

(सहकारिता मंत्री)

ही दिया गया है, उसकी प्रति समिति में नहीं है । आवंटन पत्र की काउण्टर फाईल ही समिति में रखी जाती है, जिससे उक्त परिशिष्ठ (ए) के अनुसार विवरण अंकित है ।

2. जी नहीं । उक्त समिति की अनियमित कार्यवाहियों की राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच कराये जाने के आदेश दिनांक 8-5-90 को जारी हो चुके हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई)

सीकर नगर परिषद् के वार्डों का परिसीमन

401. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या चुनाव राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आगामी नगर परिषद् के चुनावों को मद्दे नजर रखते हुए, सीकर नगर परिषद के वार्डों का परिसीमन किया गया है ?' यदि हां तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि परिसीमन गलत तरीके से किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीकर शहर की जनता को न्याय प्रदान करने के लिए पुनः निष्पक्ष परिसीमन करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) सीकर नगर परिषद् वार्डों के परिसीमन की प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 25-4-90 को प्रकाशित की गई थी परन्तु उन पर प्राप्त आपत्तियों के संदर्भ में पुनः परीक्षण के लिए जिलाधीश से प्रस्ताव मांगे गए हैं ।

अजमेर जिले में पशुधन का विकास

402. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में पशुधन विकास हेतु सरकार की क्या योजना है ?

(2) गत 10 वर्षों में जिले में गायों व भैंसों की संख्या में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है ?

(3) यदि कमी हुई है, तो उसके क्या कारण रहे हैं एवं सरकार ने पशुधन बचाने के क्या प्रयास किए ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में पशुधन विकास हेतु गीर नस्ल के संवर्धन एवं सुधार हेतु देशी गौवंश विकास परियोजना, कुक्कुट विकास एवं विदेशी सहायता से बकरी विकास परियोजना चलाई जा रही है ।

(2) गत दो वर्षों के दौरान अजमेर जिले में गायों की संख्या में 54,144 एवं भैंसों की संख्या में 12,301 तथा कुल गौवंश में 1.74 लाख एवम् भैंस वंश में 30,000 की कमी हुई है ।

(पशुपालन राज्य मंत्री)

(3) विगत वर्षों में जिले में अकाल के कारण पशुओं के लिये पर्याप्त मात्रा में चारा एवं पानी की कमी के कारण पशु पालक उच्च कोटि के पशुओं को ही अपने पास रख सके।

पशुओं की वृद्धि, नस्ल सुधार एवं संवर्धन के लिए अजमेर जिले की समस्त संस्थाओं पर प्रजनन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

अकाल के समय विभाग के पास चारा उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

कृषि उपज मण्डी शिवगंज

403. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिछले दिनों कृषि उपज मंडी शिवगंज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत करने हेतु चयन समिति द्वारा चयन किया गया था।

(2) क्या उक्त चयन नियमसम्मत था? यदि नहीं, तो क्या कोई शिकायतें नियम विरुद्ध कार्यवाही करने बावत प्राप्त हुई?

(3) क्या उक्त चयन के विरुद्ध श्री कृष्ण कुमार जो कि विकलांग हैं, ने कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर, कोई जांच की गई? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

1. जी नहीं। नियमानुसार पाली खण्ड की वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति हेतु चयन मंडल का गठन किया गया था।

(2) जी हां। चयन नियमानुसार किया गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में अंकित बिन्दुओं को निराधार पाये जाने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. जी हां। आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार उसका नाम वरिष्ठता सूची में नीचे है।

(स्थगित अतारांकित प्रश्न सं. 109 स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24-6-90)

बाड़मेर–जैसलमेर में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम

114. श्री अमीन खाँ (शिव) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1989 में प्रशासन ग्रामों की ओर अभियान जिला बाड़मेर और जैसलमेर में बंटवारे के कुल कितने केस निष्पादित किए गए? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के कितने प्रस्ताव आए? उनमें से कितनों पर निर्णय हुआ? दोनों जिलों की तहसीलवार सूची मेज पर रखें।

(श्री अमीन खां)

(3) कितने प्रस्ताव गोचर भूमि की आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु प्राप्त हुए ? इनमें से कितने स्वीकृत किए गए एवं कितने निरस्त किए गये तथा कितने विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989 में प्रशासन गावों की ओर अभियान में जिला बाडमेर के 42 व जैसलमेर के 21 कुल 63 केस बंटवारे के निष्पादित किए गए। तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी है।

(2) कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के 88 प्रस्ताव आये। उनमें से 35 पर निर्णय हुआ। जिला व तहसीलवार सूची (परिशिष्ट "ख") सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जिला बाड़मेर के 70 व जिला जैसलमेर के 2 कुल 72 प्रस्ताव गोचर भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु प्राप्त हुए, जिसमें से 5 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा 37 विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—14 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री ईश्वरलाल सैनी एवं श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर के श्री सीताराम जी महाराज सिद्धिपुरा के मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की सम्पत्ति के नाजायज़ बेचान के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

2. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले के थाना झिन्झिनीयाली के ग्राम मर्जसिह के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बकरियां चुराने की रिपोर्ट के बावजूद भी पुलिस द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार न किए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्य को आज रखी गई पुलिस विभाग की मांग पर बोलने की अनुमति होगी। अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, श्री हेतराम बेनीवाल, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री बी. डी. कल्ला, श्री किशनाराम, श्री रामनारायण वर्मा एवं सुश्री सूर्यकान्ता व्यास माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों के अन्तर्गत राज्य में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में आज दिनांक 10-7-90 को राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा रहा है। माननीय सदस्यों को इस पर स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी। अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री हीरा सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से रायपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई साधनों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

2. श्री रामस्वरूप मीना, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में।

3. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गृह निर्माण सहकारी समितियों के कारण शहरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पनपने के सम्बन्ध में।

4. श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील अटरू में जून, 1989 में प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान के दौरान भूमि आवंटन में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

5. श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना में तहसीलदार द्वारा बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में।

6. श्री शिव किशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुश्री किरण जाम्बानी हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में।

7. श्री किशनाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री डूंगरगढ़ कस्बे में वर्षा के कारण बन्द हुए व्यापार के सम्बन्ध में।

8. श्री मनिराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर उरमूल डेयरी की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिति बिगड़ने एवं दुग्ध उत्पादकों को हो रही हानि के सम्बन्ध में।

9. श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरिजन की भूमि पर पटवारी से मिलकर सवर्ण द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम टोडा–ठेकला में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त करने एवं ग्राम रास्तों पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।

11. श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर में नये ट्रेंचिग ग्राउण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गोटा उद्योग को लघु उद्योग के स्थान पर कुटीर उद्योग मानने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा किये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अमृतलाल परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अस्वीकृत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : 1. राम नारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि भूमि के आखरी छोर को पानी पहुंचाने के लिए

(श्री अध्यक्ष)

बूंदी ब्रांच कैनाल का आधुनिकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर परियोजना से टोडारायसिंह व देवली तहसील क्षेत्र को सिंचाई व पेयजल के लिए पानी दिलवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के भीमसागर बांध सिंचाई परियोजना में डूब में आये ग्राम के निवासियों को मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त तीनों प्रस्तावों पर सिंचाई की मांग पर बहस हो चुकी है अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान सुखाड़िया व जोधपुर विश्वविद्यालय के अस्थाई व्याख्याताओं के सम्बन्ध में।

2. श्री शिव किशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग की मांग पर बहस हो चुकी है अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुक्रवार को मेरा 295 का प्रस्ताव दिया था, कल तो यह कहा था कल लेंगे और आज भी नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से चैम्बर में बात कर लें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास और भी हैं। जिनका आज नहीं है उनका कल है। जिन पर व्यवस्था दे दी है वह मैंने सुना दी है और जिन पर व्यवस्थाएं नहीं दी है उन पर कल है। माननीय अमृतजी क्या है आपका प्वाईन्ट ऑफ ऑर्डर ?

श्री अमृतलाल परमार : मेरे पाली क्षेत्र में बाढ़ से पांच हजार मकान गिर गये। उसके बावजूद भी वहां इलैक्ट्रिसिटी वाले चार-चार हजार रुपये लेते हैं मीटर लगाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है आपका ?

श्री अमृतलाल परमार : यह है कि वहां की हालत गम्भीर है। वहां तालाब टूटने वाले हैं। बांध टूटने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, नोटिस दीजिए, कायदे से होना चाहिए। ऐसे हर-एक पर बोलना शुरू कर देंगे। बैठिये आप। प्लीज सिट डाउन। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष जी मेरा जो 295 में था वह डी.बी.सी. का था इस पर एक शब्द भी डिस्कशन नहीं हुआ है।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। मैंने 295 में एक प्रस्ताव दिया था। आपने यह कहकर

(श्री अनंगकुमार जैन) :

डिस्अलाऊ कर दिया कि सिंचाई की मांग पर बहस हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, कई बार क्या होता है, कई मांगों पर सारे सदस्यों को बोलने का नम्बर नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट कर देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा भी एक प्रस्ताव है। 27 के तहत विशेष महत्व का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक इम्पार्टेन्स का मसला है।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : आपको व्यवस्था नहीं दी है। माननीय श्री हीरासिंहजी।

रायपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई साधनों में वृद्धि

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव का मैं यहां उल्लेख करने जा रहा हूं उसके लिए सबसे पहले बहुत ही प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूं इस बार राज्य सरकार ने राज्य में छोटे-छोटे सिंचाई के एनीकट और लघु सिंचाई योजना के ऊपर काफी अच्छी धन राशि रखी है। मैं आशा करता हूं इसकी वजह से हमारे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे और बहुत सारी भूमि जो बिना सिंचाई के कारण अनउपजाऊ पड़ी है वहां पर उत्पादन होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मेरे निर्वाचन क्षेत्र किसी अन्तर्जिला एवं अन्तर्राज्यीय नदियों से जुड़ा हुआ नहीं है तालाब एवं छोटे-छोटे बांधों में पानी छोटी-छोटी नदियों एवं नालों में जमा होता है। उन्हीं से कुओं में पानी की वृद्धि होती है तथा कुओं की सिंचाई से हजारों किसान लाखों मन पैदावार कृषि कार्य से उत्पादन करते हैं। लेकिन पिछले वर्षों में वर्षा की कमी से अधूरे एनीकट झिलमिल बांध से पानी का वितरण सही ढंग से किसानों को नहीं करते तथा गजनाई बांध का निर्माण न करके और रायपुर दीपावास बांध का पानी नदी में न छोड़कर मेरे क्षेत्र के किसानों को असहनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। अतः मैं निम्नलिखित कार्य सिंचाई विभाग से तत्काल करने की अपेक्षा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों के अकाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आपने पढ़ लिया है।

श्री हीरासिंह चौहान : महोदय, मैं उसी को पढ़ रहा हूं गत वर्षों में मेरे क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये गये ग्रामीण क्षेत्रों के एनीकट अधूरे रह गये हैं, जिनमें गुन्दा बाला एनीकट बलुपुरा पंचायत टीयावास, गुड़िया एनीकट विस्तार सबलपुरा, कवलसिया एनीकट रामावास पंचायत बूटीवास, गोलिया एनीकट, सनबोर एनीकट कानूजा, लिकली एनीकट ग्राम पंचायत कानूजा, भोपाधा एनीकट विस्तार कानूजा, कोटडी एनीकट सादड़ा, कलाली फीडर ग्राम पंचायत चांग, कालीकांकर एनीकट कलालिया, सरीछीधा एनीकट कलासिया, बरड एनीकट मरमद ग्राम पंचायत बगड़ी, मनयट एनीकट ग्राम पंचायत कोट किराना, सांवलातों की एनीकट जगमालपुरा ग्राम

56

(श्री हीरा सिंह चौहान)

पंचायत अमरपुरा, भड़का नाका एनीकट कालब खुर्द, हाजीवास एनीकट, बिधूड़ी नाड़ी, एनीकट सोडपुरा, नायना बड़ा तालाब मरम्मत कालबकला, पचानपुरा एनीकट-ग्राम पंचायत पचानपुरा, अखाड़िया एनीकट विस्तार ग्राम पंचायत पचानपुरा नीमड़ी नाका एनीकट भीतड़ा बिराटिया खुर्द, लाडपुरा एनीकट बीजागुड़ा इत्यादि अधूरे पड़े हैं जिनको सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने से पूरे नहीं करवाये जा सके जबकि जवाहर योजना के अन्तर्गत इनको पूर्ण करने का आश्वासन दिया जाता रहा है। अगर उपरोक्त एनीकट पूर्ण बन जाते हैं तो सिंचाई के साधनों में काफी वृद्धि होने की आशा है। अगर इन एनीकटों को पूरा किया जाता है तो इससे जल भराव और सिंचाई के साधनों की वृद्धि होगी। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में नाहरपुरा एनीकट गिरी, डेढरिया बाला चांग, बूटीवास एनीकट, मोरिया जांगर एनीकट बगडी, जरखों वाला एनीकट बेलपना, बांधों का बाला एनीकट कलालिया, कानूजा गांव एनीकट, रामगढ़ सेडोवल एनीकट बर, सर का बाला एनीकट बर, फतेहगढ़ एनीकट बर, मोतिया एनीकट कानूजा, निलाम्बा एनीकट ग्राम पंचायत निलाम्बा, देवली एनीकट केसरपुरा ग्राम पंचायत चिताड़ा, खोछिया एनीकट, गजनाई एनीकट, खेजड़ी बाला एनीकट बहुत महत्वपूर्ण है जिनका निर्माण इस वर्ष सिंचाई के लिए करना आवश्यक है।

रायपुर दियावास बांध बनने से हजारों कुए सूख चुके हैं तथा जनता की लगातार मांग रही है कि इस बांध से पानी नदी में छोड़ा जाये जिनका रेवेन्यू ग्राम पंचायतें भूठा, मोहरा कला, निम्बोडा, रामपुरा, कुशालपुरा तथा वासियां और चावंडिया देने को तैयार है....(व्यवधान)....इसका पंच वर्षीय योजना में उल्लेख कर दिया जाये। मंत्री जी भी ध्यान में रखें और सिंचाई विभाग भी इसमें काम करे। बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े इसलिये सबका लेखा-जोखा एक साथ दे दिया।

एक माननीय सदस्य : कोई गांव बीच में नहीं छोड़ा सबकी मांग रख ली।

श्री हीरा सिंह चौहान : कुछ नये बनाने हैं, कुछ अधूरे पड़े हैं। सरकार के चाहते हुए भी नदी में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। अविलम्ब उच्च स्तरीय निर्णय को क्रियान्वित किया जाये।

इसी प्रकार झिलमिल बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी जल क्षमता का बांध है। नहर का निर्माण तात्कालीन समय में गलत बन जाने के कारण एक मात्र परिवार को ही सिंचाई साधन उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपयों से निर्मित बांध से हजारों बीघा भूमि की सिंचाई होना सम्भव है। अगर विराटिया खुर्द गांव से विभाग के पूर्व सर्वे के अनुसार पुनः सर्वे कर तत्काल नयी नहर का निर्माण कर उक्त बांध से छोटे-छोटे काश्तकारों, अनुसूचित जाति के लोगों के सूखे खेतों में सिंचाई सुविधा बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस बांध का जल भराव भी बहुत अच्छा है। इसका पानी हमेशा हर वक्त रहता है और केवल मात्र नहर इतनी छोटी बनी

(श्री हीरासिंह चौहान)

हुई है कि केवल एक परिवार की पांच सौ बीघा जमीन में ही खेती होती है ।

श्री अध्यक्ष : यह क्या लगा रहे हैं बीच में ।

श्री हीरासिंह चौहान : नहर का निर्माण किया जाये । अध्यक्ष महोदय, लास्ट आपरेटिव पैराग्राफ है मेरा ।

सोजत क्षेत्र में गजनाई बांध के निर्माण की मांग सन् 1983 के अतिवृष्टि में टूटने के बाद लगातार जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा रही है । सरकार इस बांध को बनाने की रिपोर्ट पूर्ण तौर से बना चुकी है । अगर वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध करवा कर अतिशीघ्र महत्त्वपूर्ण बांध को इसी वर्ष पूर्ण प्रारम्भ करवाया जावे ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के सिंचाई विभाग से अधूरे एनीकट, नये एनीकट रायपुर दीपावास बांध से नदी में पानी छोड़ना, झिलमिल बांध से नई नहर निकालना तथा गजनाई बांध के निर्माण का कार्य सरकार शीघ्र प्रारम्भ करावें ताकि नई सरकार की घोषित नीतियों को पूर्ण करने में सहयोग मिले । जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा ।

सवाई माधोपुर जिले की चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम रामस्वरूप है । राम किशोर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय के ऊपर । यह सवाल सीधा मरीज की जिन्दगी से है । हमारी चिकित्सा सुविधा जिला सवाई माधोपुर के अन्दर अस्पतालों की हालत बहुत खराब है ।

श्री अध्यक्ष : पढ़िये ना आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं, नर्सों की व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं आपसे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । महोदय, जिला सवाई माधोपुर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत खराब है वहां पर मरीजों के लिए न तो दवाइयां मिलती हैं न ही वहां बैड (पलंगों) की व्यवस्था है । ऑक्सीजन गैस जैसी आवश्यक चीज मरीजों के लिए मौत के समय नहीं मिल पाती है ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं । उदाहरण के तौर पर गुढ़ाचन्द्राजी सरकारी अस्पताल, नादौती सोप, टोडाभीम, बालघाट पर व्यवस्था बहुत खराब हो गई है । जो दवाइयां दी जाती हैं वह बहुत अपर्याप्त और घटिया किस्म की हैं । लोगों की आस्था अस्पतालों की दवाइयों से उठती जा रही है । इसी के कारण लोग बाहर जाकर अपना इलाज करवाते हैं और प्राइवेट डाक्टर बढ़ते जा रहे हैं । मरीज दवाई लेकर जाता है तो लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं करेगी इस प्रकार की धारणा लोगों की अस्पतालों के प्रति बन गई है । इसके साथ-साथ मरहम पर पट्टी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बाँधने का सामान भी पर्याप्त नहीं है। डाक्टर लोग बाजार में मरीज को भेज देते हैं और कई बार मरीज की हालत खराब हो जाती है। जब मरीज बाजार से पट्टी लेकर आता है तब जाकर उसकी पट्टी की जाती है। इसी प्रकार इन्जेक्शन तक अस्पताल में नहीं मिलते हैं। इन्जेक्शन अस्पताल में इमरजेन्सी में भी नहीं मिलते हैं और बाहर जाकर इन्जेक्शन लाना पड़ता है। कई बार तो इन्जेक्शन के अभाव में जिन्दगी चली जाती है। इसलिए इन्जेक्शन के रख-रखाव के लिए न वहां पर कोई फ्रीज वगैरह की व्यवस्था है जिसके कारण अगर कोई इन्जेक्शन मिल भी जाता है तो वह खराब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे गुढाचन्द्रजी का अस्पताल जहां पर फ्रीज रखा हुआ हैं लेकिन उस फ्रीज के अन्दर मैंने स्वयं ने देखा है कि डाक्टर साहब के कपड़े और जूते रखे हुए हैं। इस काम में वह फ्रीज आ रहा था। यह हालत फ्रीज की है। जो फ्रीज है वह खराब पड़ा हुआ है। मरीजों के लिए न तो सही बिस्तरों की व्यवस्था है। न वहां पर औजार है जो कि काम में आते हैं। इस प्रकार ज्यादातर साधन एवं सामग्री के अभाव में डाक्टर साहबान केसों को दूसरी जगह भेज देते हैं। इसी के कारण बहुतों की जिन्दगी रास्ते में ही खत्म हो जाती है। अन्य जगह पर पहुंचने से पहले ही बहुत से लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। अतः मैं श्रीमान् मंत्री महोदय से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था फैल रही है, अस्पतालों के अन्दर दवाइयां दी जाये, बिस्तर आदि की व्यवस्था की जाये एवं इमरजेन्सी के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हैं। उनकी व्यवस्था की जाये। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में तुरन्त ध्यान देंगे और दवाई वगैरह की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने की मेहरबानी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के कारण शहरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष उल्लेख का जो प्रस्ताव है वह उस भ्रष्टाचार के सिलसिले में है जो राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष तौर से जमीनों के घोटाले में कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा जो भूमि बेची जा रही है उस सिलसिले में जो बड़े-बड़े अधिकारी उसमें लिप्त हैं। मैं जिस जांच की उम्मीद करता हूं वह राजस्थान में उन अधिकारियों में से है जिसका दबदबा दोनों सरकारों पर रहा है। पिछली सरकार में भी वह बड़े प्रमुख थे और आज की सरकार में भी वह प्रमुख हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं तथ्य पेश कर रहा हूं, मेरे पास वह आर्डर्स भी हैं जो उन अधिकारियों ने भिन्न-भिन्न वक्त पर दिये हैं जिसका मैंने इसमें जिक्र किया है।

राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पनपने का बहुत बड़ा कारण गृह निर्माण समितिया हैं। कोड़ियों के भाव जो शहरों के आस-पास गरीब साधारण किसानों की जमीनें हैं उनको यह लोग खरीदते हैं और राजस्थान के उच्च अधिकारियों से सांट-गांठ करके सहकारिता विभाग उनका रजिस्ट्रेशन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

करता है । रजिस्ट्रेशन करके उनको प्लाट बनाकर बेचा जाता है । पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़े असरदार व्यक्ति हैं जो यह धन्धा करते हैं । उनका नाम कुन्दनलाल जैन है । जालौर के हैं । उन्होंने एक कल्याण गृह निर्माण समिति, जालौर में बनाई और सायला रोड पर कृषि भूमि खरीद ली और कृषि भूमि खरीदकर एक-एक हजार गज के प्लाट काटे और अपने ही परिवार के नाम से उनका रूपान्तरण करवा लिया । रूपान्तरण करवाने के पश्चात् परिवार के सारे सदस्यों से वापिस उस सोसायटी से खरीद ली है । इसके पश्चात् राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी को बेचने का प्रस्ताव किया । इस मामले में मेरे पास उनकी तरफ से जो प्रबन्धक है सोसायटी का राजस्थान का मिस्टर तुगाड़िया, उनका एक लेटर उनके नाम है कि यह सोसायटी हम खरीदना चाहते हैं । उसका 89/18/305/90 यह उनका पत्र है और इस पत्र में उन्होंने उनको लिखा है कि आप यह सारी जमीन हमें बेच दीजिये । अपने ही परिवार को देकर सदस्यों ने वापिस सोसायटी से ले ली । उसके पश्चात् राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव फाइनेन्स सोसायटी ने इन्हें बेचने का प्रस्ताव किया और सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों ने यह सौदा 24 बीघा भूमि का 51 लाख रुपये में किया । 51 लाख रुपये में यह राजस्थान की जो फाइनेन्सिग सोसायटी है उसने उसे खरीद लिया और जालौर के जिलाधीश ने क्रमांक 12/3/राजस्थान के जो जालौर के कलक्टर हैं उनको एक लेटर लिखा 16/4 को और उस 16/4 के लेटर में उन्होंने जवाब दिया है कि जो 1305 खसरा नम्बर है, जो भूमि इस सोसायटी ने खरीदी है उसकी कीमत बाजार में 11 हजार और 13 हजार के बीच है । अगर उसका रूपान्तरण शुल्क जमा करा दिया जाय तो यह लगभग तीस हजार रुपये पड़ती है । यानि तीस हजार रुपये बीघा की जमीन एक लाख पिचहत्तर हजार रुपये बीघा के हिसाब से राजस्थान सरकार ने खरीद ली और इसकी स्वीकृति हमारे यहां से जो जालौर उस सोसायटी को भेजी गई इसका प्रबन्ध संचालक ने 16/4 को जो लेटर लिखा यह स्वीकृति 2-1-90 को क्रमांक 21/कृषि/4/90 को दी गई और यह स्वीकृति यहां के उप शासन सचिव जो उप सचिव हैं उनके द्वारा दी गई । इस मामले से 16 लाख रुपये का एडवान्स चैक उनको पेमेन्ट हो गया । ज्यादा से ज्यादा यह दस–ग्यारह लाख की जमीन है । 51 लाख रुपये में सौदा हुआ, 16 लाख रुपया उस जैन परिवार को मिल गया । राज्य के सहकारिता विभाग ने यह सौदा किया । इसमें सहकारिता सचिव ने यह स्वीकृति दी या किसी अन्य अधिकारी ने । यद्यपि यह जांच का विषय है और जहां तक मैं समझता हूं यह सारा काम क्योंकि 51 लाख का सौदा हुआ, इस सौदे में सहकारी सचिव + + + थे उन्होंने अपना मुख्य रोल अदा किया और उन्होंने यह 51 लाख में सौदा करवाया । इसका पेमेन्ट 16 लाख उनको दिलवाया । जिलाधीश की रिपोर्ट में इस भूमि की कीमत का ब्यौरा है । जो तथ्य सामने आ गये । इस प्रकार हाउसिंग

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(60)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बोर्ड की आड़ भी एक दूसरा काम उन्होंने जो किया वह इस हाउसिंग बोर्ड में आर. जी. कम्प्यूटर्स हैं जिनको दस लाख में सारे हाउसिंग बोर्ड के अकाउण्ट को कम्प्यूटराइज करने का ठेका दिया गया। दस लाख का पेमेन्ट भी सचिव ने अपने तौर पर करवाया जबकि उनको सिर्फ दस हजार रुपये की स्वीकृति का अधिकार था। उस वक्त जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने स्वीकृति दी बिना संचालक मण्डल की राय के और यह दस लाख का जो ठेका दिया गया इसका कम्प्यूटराइजेशन नहीं हुआ। पता नहीं किन कारणों से यह कम्प्यूटराइजेशन नहीं हो सका। कोई काम नहीं हुआ, रिकार्ड में कोई काम इस तरह का कम्प्यूटराइजेशन का दर्ज नहीं है। कोआपरेटिव सोसायटीज के भ्रष्टाचार का इस प्रकार का आधार हमारे राज्य के उच्च अधिकारियों के बीच में है। इसलिए इसकी जांच अपेक्षित है। यह तभी संभव है जब ऐसे अधिकारी जिनकी जांच की जाय जो असर डालने की स्थिति में न रहे। उम्मीद है कि इसकी जांच राज्य प्रशासन और मैं विशेष तौर से राज्य के उन नेताओं को जो इस सरकार में बैठे हैं जिन्होंने—

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा एक शब्द। आज के लिए जिन्होंने विशेष तौर से बहुत बड़ा आह्वान किया है—इसकी जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं की चर्चा की है उसमें से एक के सम्बन्ध में कुछ दिनों पहले समाचार-पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुए थे। मैंने उसी आधार पर पत्रावलियां मंगाई हैं। यह सही है कि वह पत्रावलियां समयाभाव के कारण से अभी तक देख नहीं पाया। आपने दूसरी बात कम्प्यूटर की बात कही मैं उसकी भी जांच कराऊंगा। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि बिना किसी जांच के किसी अधिकारी का जिसकी ईमानदारी के बारे में किसी को किसी प्रकार का सन्देह नहीं है, नाम नहीं लिया जाय तो उचित होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी अधिकारी यदि किसी ने व्यक्तिगत लाभ से या अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कोई भी काम किया है तो निश्चित रूप से बचेगा नहीं। जहां तक आपने + + + नाम लिया आज तक मेरी जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हार्डेस्ट ईमानदार जिसे कहना चाहिए, जिसकी इन्टिग्रिटी किसी भी प्रकार से चैलेन्ज नहीं की जा सकती। आपने जानकारी दी है मैं उसकी जानकारी करूंगा। मेरी केवल रिक्वेस्ट इतनी सी है कि ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका नाम यदि लिया जायगा—

श्री हेतराम बेनीवाल : यह गलती से हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, तो हम ईमानदार और बेइमान में किसी प्रकार का अन्तर नहीं कर पायेंगे और नतीजा यह होगा कि ईमानदार रहते हुए भी यदि कोई

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) बेईमान कहलाया जाता है तो उसके दिमाग में भी यही प्रेरणा होगी कि इस प्रकार की ईमानदारी से लेना देना क्या है । दोनों बातें आपने बताई हैं । मैं दोनों की जांच निश्चित रूप से कराऊंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो लिखित में दिया है उसमें नाम नहीं हैं इसलिये नाम अंकित भी नहीं होंगे । आपने जो लिखित में दिया है वही है और उसमें नाम है नहीं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे पास जो आदेश है वह दोनों के हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे भी कागज ले लूंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : और आदेश के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि उनके आदेश कैसे निकल गये.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे कागज ले लूंगा आपसे जानकारी कर लूंगा । मैं आपको इतना ही विश्वास देता हूं किसी के साथ और पक्षपात नहीं होगा जिसने बेईमानी की है वह भोगेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर ।

तहसील अटरू में राजस्व अभियान के दौरान हुई अनियमितता

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू विधान सभा क्षेत्र में अटरू तहसील में जून 1989 में प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान के दौरान तत्कालीन तहसीलदार तथा तत्काल आर. ए. एस. अधिकारी जो आवंटन कमेटी के प्रभारी थे, द्वारा गलत तरीके से निम्न व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया है : खसरा नं. 245 ग्राम खेडली बासला तहसील अटरू की गई है । उदाहरण के तौर पर एक करोड़पति के पुत्रों के नाम बता रहा हूं :

1. श्री विनोदकुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र इसको दस बीघा जमीन आवंटित की है ।

2. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र इसको दस बीघा जमीन आवंटित की है ।

यह दोनों ही रमेश चन्द्र के पुत्र हैं तथा यह आवंटन कमेटी का सदस्य है इसका एक पैट्रोल पम्प है, मारुति वेन है तथा एक प्रभावशाली कांग्रेस के नेता हैं । श्री रमेश चन्द्र पंजाबी आवंटन कमेटी का सदस्य तथा क्षेत्र का प्रभावशाली नेता है और आय करदाता है । देवेन्द्र कुमार और विनोदकुमार स्वयं रमेश चन्द्र के पुत्र हैं । यह जमीन अटरू सालपुरा रोड पर नवोदय विद्यालय के पास ही उत्तर दिशा में बंजड़ पथरीली है तथा मौके पर करोड़ों रुपये की जमीन है । इन अधिकारियों ने हजारों रुपये खाकर यह जमीन गलत तरीके से आवंटित की है तथा स्वयं रमेश चन्द्र के खाते में 50 बीघा नहरी जमीन है । श्री रमेशजी के स्वयं का मेडिकल स्टोर व पैट्रोल पम्प है । यह भूमि सामाजिक वानिकी योजना के तहत वन विकास के नाम पर दी गई है परन्तु इस व्यक्ति ने न तो किसी प्रकार के पेड़ लगाये और न

(62)

(श्री मदनलाल दिलावर)

ही आबंटन शर्तों का पालन किया है। जब यह जो आवंटित हुई है वह दूसरी जगह पर हुई हैं और यह उसने अपने प्रभाव के कारण किया है। अतः यह आबंटन शीघ्र ही निरस्त किया जावे। इन्हें 20 बीघा जमीन आबंटित हुई है और इन्होंने 87 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है और इन्होंने अभी एक ट्यूबवैल भी खुदवा लिया है। इसमें स्थानीय पटवारी कानूनगो, तहसीलदार एवं एस. डी. ओ. की सामूहिक साजिश है। इसमें पूरी चट्टानें हैं जिसमें बाउंडरी खींचने के लिये भी ब्लास्टिंग करना पड़ रहा है। वहां किसी भी कीमत पर एक भी पेड़ नहीं उग सकता है। इसके अलावा तत्कालीन थानेदार तहसीलदार के लड़कों व रिश्तेदारों को भी जमीन आबंटित की है। अतः मेरा निवेदन है कि इन्हें शीघ्र निरस्त कर दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचंद गूर्जर।

नीम का थाना में तहसीलदार द्वारा बरती गई अनियमितता

श्री फूलचंद गूर्जर (नीमका थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नीमका थाना में तहसीलदार द्वारा अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि नीमका थाना में कार्यरत तहसीलदार श्री आनन्दी लाल बैराठी गत दो वर्ष से भी अधिक समय से जमे हुए हैं। श्रीमान बैराठी के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की काफी जांच चल रही है, जिनकी संख्या 12, 13 से भी ज्यादा है फिर भी श्री बैराठी उच्च अधिकारियों से मिलीभगत करके खुले आम गंभीर अनियमितताएं नीमका थाना में करते आ रहे हैं इनके विरुद्ध पहले चल रही गंभीर मामलों की विभागीय जांचों को बचाया जा रहा है।

नीमका थाना में दस्तावेजात पंजीकृत करने के प्रत्येक मामले में रीडर के माध्यम से दस्तावेज के मूल्य के तीन रुपये प्रतिशत की रिश्वत मिलने पर ही उक्त दस्तावेज को पंजीकृत करते हैं अन्यथा नहीं करते हैं। उक्त कार्य से होने वाली भारी आमदनी से ही श्री बैराठी ने अपार धन सम्पत्ति बेनामी तौर पर जयपुर में एकत्रित कर ली है। नीमका थाना सब डिवीजन में बनने वाले मूल निवास प्रमाण-पत्र के लिये भी तहसील नीमका थाना में 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से तय कर रखा है। भूमि नियमन के प्रत्येक प्रकरण में रिश्वत मिलने पर नियमन की सिफारिश श्री बैराठी करते हैं। काश्तकार रुपये देने में असमर्थ रहे उनकी नियमन की सिफारिश वर्षों तक भी नहीं की जाती है तथा उस बेदखली का आदेश पारित करने पर उसे श्री बैराठी की शरण में जाना ही पड़ता है। तब रिश्वत देकर वह काश्तकार नियमन करा पाता है। आम तौर पर जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं खसरा गिरदावरी के अभाव में दस्तावेजात आदि पंजीकृत नहीं किये जाते हैं। लेकिन वहां पर रिश्वत की प्रतिशत बढ़ जाती है। उन मामलों में बेनामी बिना खसरा गिरदावरी के भी तसदीक कर दिया जाता है।

श्री बैराठी ने पाटन ग्राम के भूतपूर्व जागीरदार से रिश्वत की भारी राशि लेकर न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी

(श्री फूलचन्द गूर्जर) सिवाय चक भूमि का नामान्तरण राव विक्रम सिंह के नाम के तसदीक करके राव विक्रम सिंह की गरीब जाति के मेहरा परिवार के कब्जे काश्त की भूमि को उस विक्रम सिंह के खाते में डाल दिया । जो व्यक्ति रिश्वत दे दें उसका नामान्तरण रातों रात श्री बैराठी तसदीक कर देते हैं जिनमें रिश्वत नहीं मिले वह नामान्तरण पटवारी लेकर घूमते रखते हैं लेकिन नामान्तरण तसदीक नहीं किये जाते हैं । पहले से श्री बैराठी के खिलाफ काफी शिकायतें क्षेत्र की जनता ने की थी । कांग्रेस राज में उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह सारी कूड़े के ढेर में डाल दी गई ।

अध्यक्ष महोदय, श्री बैराठी आज के युग के कई प्रभावशाली धनी आदमी हैं उनकी एप्रोच की पकड़ भी बहुत मजबूत है । इसका उदाहरण उनके स्थानान्तरण निरस्त से लग सकता है । अभी कुछ समय पहले इनकी बार-बार शिकायत होने से उनका स्थानान्तरण हुआ परन्तु जिस लिफाफे में उनका स्थानान्तरण आदेश गया, आश्चर्य है कि उसी लिफाफे में दूसरा आदेश उस स्थानान्तरण को निरस्त करने का था । इस प्रकार क्षेत्र में भयंकर असन्तोष है । ईमानदार लोगों का सर शर्म से झुक गया है तथा भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल बढ़ गया है । अतः मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उक्त तहसीलदार के सारे प्रकरण की जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद उनका स्थानान्तरण करें । जांच होने तक ऐसे अधिकारी को जनहित के जिम्मेदारी वाले पद पर आसीन नहीं करें । यह अति लोक महत्व का सवाल है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो साल से ज्यादा समय से वहां जमा बैठा है । इस पर कार्यवाही करवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिव किशोर सनाढ्य । (अनुपस्थित)

श्री किशनाराम ।

डूंगरगढ़ कस्बे में वर्षा के कारण बन्द हुए व्यापार के सम्बन्ध में ।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में श्री डूंगरगढ़ के जिले में 295 का मोशन लाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य शासन मंत्री जी का ध्यान श्री डूंगरगढ़ कस्बे की नगरपालिका क्षेत्र की मुख्य सड़कों व मार्गों के अवरूद्ध होने से उत्पन्न बीमारियों व अन्य व्यापार ठप्प होने जैसी समस्या के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 9-10 दिनों डूंगरगढ़ कस्बे में भारी वर्षा होने के कारण तीन चार फुट पानी सड़कों पर भरा हुआ है । बाजार में दुकानें बन्द हो रही हैं । ऐसी समस्या का यदि तुरन्त उपाय नहीं किया गया तो कस्बा बड़े खतरे में पड़ जायेगा । पानी तीन-तीन, चार-चार फुट भरा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम सियाग ।

बीकानेर उरमूल डेयरी में अनियमितताएं

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 के अन्तर्गत

(श्री मनीराम सियाग)

बीकानेर उरमूल डेयरी की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिति बिगड़ने से दूध उत्पादकों को हो रही हानि के सम्बन्ध में।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में उरमूल डेयरी, बीकानेर राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है इससे बीकानेर जिले में जो श्वेत क्रान्ति का एक युग आया और दुग्ध उत्पादकों की स्थिति मे जो सुधार आ रहा था वह पहले दो वर्षों से निरन्तर गिर रहा है। दुग्ध उत्पादकों को जहां दूध के भाव 3 रुपये 75 पैसे से चार रुपये तक मिल रहे थे और डेयरी संघ द्वारा उत्पादित चारा पशु आहार 1 से 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलो बिक रहा था उसकी स्थिति वर्तमान में बिल्कुल उल्टी हो गई है। दुग्ध के भाव घटा कर तीन रुपये 75 पैसे से 3 रुपये 30 पैसे कर दिये गये हैं। चारा (पशुआहार) के भाव बढ़ाकर दो रुपये 25 पैसे कर दिये गये हैं। इस स्थिति से बीकानेर जिले के दुग्ध उत्पादकों की स्थिति दयनीय हो गई है........ किसान अपने दुधारू पशु राठी नस्ल की गायें बचाने में असमर्थ हैं और बीकानेर जिले में श्वेत क्रान्ति का सपना लोगों ने देखा था, धूमिल हो रहा जिसके लिये उरमूल डेयरी प्रशासन जिम्मेदार है। उरमूल प्रशासन की कार गुजारियों की वजह से जो दूध गांवों से डेयरी में आने के बाद दिल्ली डेयरी भेजा जाता है उसमें भ्रष्ट तरीकों से दूध की गुणवत्ता गिराई गई है जिसकी वजह से बीसियों दुग्ध टैंकर दिल्ली से बीकानेर लौटाये गये। दिल्ली डेयरी ने दूध की क्वालिटी गिर जाने की वजह से दूध बीकानेर वापिस भेजा उसका घाटा दुग्ध उत्पादकों भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली दुग्ध डेयरी (मदर डेयरी) ने उरमूल डेयरी बीकानेर से दुग्ध लेना कम कर दिया और दूध के भाव घटा दिये। ऐसी स्थिति पैदा होने के बाद उरमूल डेयरी बीकानेर के प्रबन्धक निदेशक एवं डेयरी प्रशासन ने अपनी भ्रष्ट कारगुजारियों को छुपाने के लिए दिल्ली दुग्ध डेयरी से दूध के सस्ते भावों से सौदा (कान्ट्रक्ट) किया जिसका परिणाम है कि बीकानेर जिले के दुग्ध उत्पादकों को प्रति माह लाखों रुपयों का घाटा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की इस दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार ने एक तरफ किसानों और गांवों पर बजट का 60 प्रतिशत खर्च करने की घोषणा की है दूसरी तरफ हमारा किसान कड़ी मेहनत और विकट परिस्थितियों में अपने पशुओं को बचाकर दुग्ध उत्पादन करता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को निर्देशित करायें और दुग्ध उत्पादकों को दूध के लाभकारी मूल्य दिलायें एवं सस्ता चारा व राठी नस्ल की गायों को बचाने की व्यवस्था कायम करावें तथा डेयरी के प्रबन्ध संचालन में दुग्ध उत्पादकों की सीधी भागीदारी कायम की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल बारुपाल।

(65)

हरिजन की भूमि पर संवर्ण का कब्जा ।

श्री मोहनलाल बारुपाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते हुए कि श्री मंगला राम हरिजन के कब्जे की भूमि, श्री अर्जुन राम डाकोत के बेटों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

ग्राम डेह तहसील जायल में 14 बीघा भूमि वर्षों से श्री मंगलाराम एवं गुलाबराम हरिजन के कब्जे में है, जो बिगोड़ी की रसीदों एवं वसूली से प्रमाणित है, किन्तु पटवारी श्री नानूराम ने मिलकर इस जमीन का नामान्तरण श्री अर्जुनराम डाकोत के बेटों के नाम से कर लिया । इस कार्य में पटवारी ने 1000/–रुपये की रिश्वत ली है जिसे अब तक एक माह पूरा हो चुका है । यह जमीन पहले श्री मंगलाराम हरिजन एवं अर्जुन राम डाकोत के नाम से रिकार्ड में थी किन्तु अर्जुन राम डाकोत ने अपने जीवन समय में 500/–रुपये में यह भूमि श्री मंगलाराम हरिजन से ले ली और उसकी लिखा पढ़ी मौजूद है । यह भूमि पहले से ही मंगलाराम के, गुलाब हरिजन के कब्जे में चली आ रही थी और श्री मंगलाराम ने पटवारी से बार-बार उसके खातों में पूरी जमीन उसके नाम कराने को कहता रहा किन्तु रिश्वत नहीं देने से यह नाराज होकर तथा अर्जुन राम के लड़कों को रिश्वत के लालच में आकर उस पूरी 14 बीघा जमीन को पूरी तौर पर से अर्जुन राम के लड़कों के नाम नामान्तरण कर दिया और अब चूंकि बरसात का समय है । इस भूमि की बुवाई कर कब्जा कर लिया गया है । हरिजन गरीब व्यक्ति है उसकी जमीन पर हुए कब्जे की कहीं सुनवाई नहीं होती है ।

अतः इस प्रस्ताव के जरिये सरकार से अनुरोध है कि इस गरीब हरिजन की जमीन पर हुए अनाधिकृत कब्जे को हटवाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा ।

लालसोट तहसील के ग्राम टोडा-देवला में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम टोडा ठेकला में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण पर काश्त करने एवं ग्राम रास्तों पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम टोडा-ठेकला में अभी 3-4 दिन पहले एक समाज विशेष के लोगों ने जबरन लाठियों के बल पर ग्राम टोडा-ठेकला के समस्त चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त ली है तथा गांव के मवेशियों को जबरन खदेड़कर भगा दिया गया है । साथ ही पहाड़ की तरफ जाने वाले सभी ग्राम रास्ते बन्द कर दिये गये हैं जिसके कारण आस-पास के सभी गांवों के मवेशियों को चारागाह में चराने की भयंकर परेशानी पैदा हो गई है । ग्रामवासियों द्वारा स्थानीय तहसीलदार, जिलाधीश एवं उपखण्ड

(श्री परसादी लाल मीणा)

अधिकारी को उक्त मामले की जानकारी दे दी गई परन्तु राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अब तक भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है जिसके कारण प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास उठता जा रहा है।

श्रीमान जी, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण प्रशासन की शह से ही किया जाता है जिसके कारण तुरन्त कार्यवाही नहीं हो पाती है। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर काश्त करके धारा 91 में कायम की गई पेनैल्टी देता रहता है जिसके कारण चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि चारागाह भूमि में की जाने वाली काश्त को राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर नष्ट करें एवं अतिक्रमियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जावे जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो सके।

इसी प्रकार आम रास्ते रोकने की प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ रही है। जयपुर जिले की लालसोट तहसील में पीपली, पातलवास के पास सड़क के किनारे आम रास्ते को रोक दिया गया है जिसके कारण ग्राम कोलीवाड़ा, हरिपुरा, व्यासों का नोहरा, ढोलावास, खेव, लाडली का बास, अलीपुरा आदि गांवों के लोगों को आने जाने में परेशानी पैदा हो जाने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

अतः अविलम्ब उक्त रास्ते को खुलवाकर जनता को राहत प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

अलवर शहर में नये ट्रेन्चिग ग्राउन्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा न्यास की निर्माणाधीन योजना से बिल्कुल लगते हुए स्थान का चयन नए ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु किया गया है। उक्त स्थान का कब्जा नगर परिषद को दे दिया गया है एवं शहर का समस्त कूड़ा-करकट लगभग गत आठ माह से इसी स्थान पर डाला जा रहा है। इस नये ट्रेंचिग ग्राउण्ड में कचरा गिरने से शिवाजी पार्क व स्कीम नम्बर 10 में निवास करने वाले नागरिकों में गहरा असन्तोष व्याप्त है। इसके साथ ही न्यास की "हसन खां मेवाती नगर" योजना जो नए ट्रेंचिग ग्राउण्ड के बिल्कुल समीप है, के 800 के लगभग भूखण्डों के मालिकों में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है। बुद्ध विहार योजना के समस्त 2000 भूखण्डों की बिक्री न्यास द्वारा शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है। इस प्रकार आगामी 3-4 वर्षों में नये ट्रेंचिग ग्राउण्ड के आस-पास लगभग 15 हजार की आबादी बस जायेगी। इस प्रकार यह नया ट्रेंचिग ग्राउण्ड ऊपर वर्णित योजनाओं के निवासियों के लिए स्थाई सिरदर्द बन जायेगा एवं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। उक्त नये ट्रेंचिग ग्राउण्ड के व्यापक क्षेत्र में वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा जिससे इस क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होने की आशंका बनी रहेगी। सच तो यह है कि न्यास का उक्त निर्णय अविवेक एवं अदूरदर्शितापूर्ण है, और जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला सिद्ध होगा।

गत एक वर्ष में न्यास के नागरिकों से ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए नए स्थान का चयन

(श्री जीतमल जैन)

करने का आग्रह करता रहा हूं। न्यास के अधिकारी मेरे तर्क से सहमत होते हुए भी आज तक कोई निर्णय नहीं ले सके हैं। अतः समस्या दिन पर दिन विकट होती जा रही है। अतः समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए नए ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के स्थान में शीघ्र परिवर्तन करने का निर्णय लेकर जन जीवन पर होने वाले विपरीत प्रभाव को रोकें। इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि नए स्थान ऐसा हो जहां आने वाले 20-25 वर्षों में स्थान परिवर्तन की आवश्यकता न हो। (धन्यवाद)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

गोटा उद्योग को लघु के स्थान पर कुटीर उद्योग मानने के सम्बन्ध में

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत गोटा उद्योग को लघु उद्योग की जगह कुटीर उद्योग माना जाता है, के कर मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की विशेष तवोज्जह चाहूंगा कि गोटा उद्योग से जो माल निर्मित होता है वह मुख्य रूप से गरीब तबके के लोगों के काम आता है, इसलिए विशेष तवोज्जह चाहूंगा। इस सम्बन्ध में गोटा उद्योग के दो प्रमुख केन्द्र अजमेर व खण्डेला हैं जो पूरे भारत में अपने माल की आपूर्ति करते हैं। खण्डेला की औद्योगिक एवं व्यावसायिक धुरी ही गोटा है। यदि गोटा यहां से हट जावे तो 30000 की आबादी का यह क्षेत्र बेरोजगारी का एक केन्द्र बन जावेगा। इसकी व्यापकता निम्न आधार पर सहज ही समझी जा सकती है :

1. यहां करीब 4000 गोटा मशीनें हैं जिसमें 8000 करीब व्यक्ति कामगार के रूप में रोजगार पा रहे हैं।

2. इन मशीनों का माल करीब 200 दुकानों पर बिकता है जिससे करीब 200 परिवार लाभान्वित होते हैं।

3. इन दुकानों से करीब 2000 महिलाएं पेशे के रूप में जुड़ी हुई हैं जो फाल, बीजिया, चटाई आदि विविध प्रकार के कार्यों को पूरा कर अच्छी आय अर्जित करती हैं। उल्लेखनीय तो यह है कि वे अनाश्रित महिलाएं जिनके पास रोजी-रोटी का कोई अन्य आधार नहीं है वे भी इस उद्योग से सुगमता से अपना जीवन निर्वाह कर लेती हैं।

निकटवर्ती 25 कि. मी. की परिधि में आने वाले गांवों की महिलाएं इस कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई हैं जो मुख्य तौर से अपनी खेतीबाड़ी की रखवाली करती हुई भी अच्छी मजदूरी प्राप्त कर अतिरिक्त आय उपार्जित कर लेती हैं।

इस उद्योग के विकास में एकमात्र बाधा इस पर लगा हुआ विक्रय कर है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि इससे आम आदमी सीधा जुड़ा हुआ है और व्यापार में भी इन्हीं की सीधी भागीदारी है जो पूरा हिसाब-किताब भी आधुनिक तरीके से नहीं रख पाते। नतीजा यह होता है कि वाणिज्यिक कर वाले खुले आम जानकारी नहीं होने से इन्हें तंग करते रहते हैं जिससे

(श्री राजेन्द्र पारीक)

न सरकार को लाभ मिल पाता है और न उद्योग का ही विकास हो पाता है।

उल्लेखनीय है कि इस उद्योग में काम आने वाले सभी प्रकार के कच्चे माल पर तो अलग से कर लगता ही है और फिर निर्मित माल पर विक्रय कर लगने से इस कुटीर उद्योग का कचूमर निकल जाता है।

यहां सर्वाधिक विचारणीय तथ्य यह है कि हिन्दुस्तान में प्रत्येक राज्य में वहां का प्रमुख कुटीर उद्योग विक्रय कर से मुक्त है। उत्तर प्रदेश में बनारस का जरी उद्योग, पश्चिम बंगाल में होजरी उद्योग, गुजरात में आर्ट सिल्क, रिबन। इसके साथ-साथ जवाहरात, हीरे आदि का प्रमुख उत्पादन है, सभी कर मुक्त हैं। अतः हमारा अनु रो है कि इस उद्योग को लघु उद्योग की जगह कुटीर उद्योग माना जावे तथा इसे कर मुक्त किया जावे। राज्य के राजस्व में कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा अपितु एक विकट बेरोजगारी की समस्या से उजड़ता यह कस्बा अपना अस्तित्व कायम रख सकेगा। अध्यक्ष महोदय, पूर्ण विश्वास है कि इन सारे तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर यथा शीघ्र इस उद्योग को कुटीर उद्योग मान कर विक्रय कर से पूर्णतः मुक्त करने के लिये सरकार से कहेंगे। आशा है इस कुटीर उद्योग की उन्नति के लिये इस व्यापार को कर मुक्त कर पीड़ित जनता को राहत पहुंचायेंगे। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री हेतराम।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का है........

श्री अध्यक्ष : दुबारा 295 रिपीट कर दीजिये आप।

श्री अनंग कुमार जैन : अच्छा, दुबारा दूं ?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गंगानगर जिले की गंग नहर में उनकी क्षमता से कम पानी छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री हेतराम (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, गंगानगर जिले में जो वहां की सबसे पुरानी नहर गंग कैनाल है उसकी जर्जर अवस्था में यह स्थिति पहुंच चुकी है कि वह अपनी क्षमता 700 क्यूसेक से कम पानी ले पाती है। उस वजह से उस इलाके की सात लाख एकड़ भूमि, जिसमें सिंचाई की सुविधाएं वह उपलब्ध करवाती है, के किसानों की फसलें तबाही के कगार पर पहुंच चुकी हैं। पिछले 10-15 सालों से उस क्षेत्र के किसानों द्वारा यह मांग उठाई जाती रही है। पिछले चार साल से इस समस्या का निराकरण करने के लिये एक लिंक कैनाल बनाने की योजना चल रही है। राजस्थान कैनाल से इसका जो पानी है, जो यह फिरोजपुर हैड से पानी लेती है, उसका पानी राजस्थान कैनाल द्वारा इस नहर में लाया जायगा। इस योजना पर अब तक जो खर्चा हो चुका है, पूरी तरह से इस पर साढ़े बारह या 13 करोड़ रुपया खर्च होना था अब तक लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है 20 करोड़ रुपया खर्च होने

(श्री हेतराम)

पर भी इसके जहां तक निर्माण का सवाल है, अभी अधरभूल में लटका हुआ है। इससे पहले की सरकार ने जब चुनाव आया 1985 का, बहुत जोर शोर से इसका प्रचार किया, वायदा किया। गंगानगर जिले में कुल पांच तहसीलों में जिनमें यह पानी देती है उसके पूरे निवासियों को इस बात का आश्वासन दिया, इस चुनाव के समाप्त होते ही हम इस नहर को पूरा करवा लेंगे और जो क्षमता इस इलाके को 700 क्यूसेक पानी का नुकसान होता है उसको हम पूरा कर देंगे। अब पुनः वही सवाल चुनाव के बाद उठा। जो अभी चुनाव 1990 का हुआ उसमे भी उस क्षेत्र के किसानों के सामने मुख्य मुद्दा यही था। क्योंकि इस नहर के इस तरह जर्जर अवस्था में होने के कारण उस इलाके के किसानों की लगभग 25-30 करोड़ रुपये की फसलों का नुकसान होता है उस 25-30 करोड़ रुपये का नुकसान सिर्फ किसानों का नहीं, मैं यह कहूंगा, राजस्थान का है, विशेष तौर से वहां कपास, सरसों ऐसी तेल वाली फसलें होती हैं जिसकी हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमारे सारे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस बार 1990 के चुनाव में जो हमारी नई सरकार अभी बनी है उसके मंत्रियों और उस सरकार के प्रमुख लोगों का भी यह आश्वासन था, हम 1990 में इस कैनाल को पूरा कर देंगे। सितम्बर महीने में जो कि अब दो महीने ढाई महीने बाद आने वाला है उसमें इसका पानी चालू करने की व्यवस्था थी। आज जो उस कैनाल की स्थिति है, मैं आज सदन के सामने यह कह सकता हूं पिछले चार महीने से उसमें कोई भी ईंट रखी नहीं गई, कोई काम नहीं हुआ। जो अभी यहां माननीय सिंचाई मंत्री बैठे हैं, सिंचाई मंत्रीजी ने तो शायद वह नहर देखी नहीं या देखी हो तो पता नहीं किस रूप में देखी है। वह लिंक कैनाल, हमारी लिंक कैनाल का जो हिस्सा हरियाणा में बनना है उस सिलसिले में जो उन्होंने पैसे की मांग की है वह पांच करोड़ के लगभग रुपये की मांग की है। जबकि यह पहले सिर्फ ढाई करोड़ रुपया था आज से एक साल पहले। ढाई करोड़ से पांच करोड़ होने का कारण यह है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, ईंटों के भाव 800 रुपये हो गये, लोहे का भाव दुगुना हो गया, सीमेन्ट का भाव बढ़ गया और मजदूरी बढ़ गई। इसलिये हरियाणा की सरकार ने हमसे यह मांग की है कि पांच करोड़ रुपया हमको दिया जाय। हमने, उसमें से शायद काफी पैसा दे भी दिया है। पांच करोड़ पूरा तो नहीं दिया पर पैसा दे दिया है। देने के बाद भी हरियाणा सरकार ने वहां काम शुरू नहीं किया। हरियाणा का एक ओवरसियर रहता है। जबकि उन्होंने यह तय कर रखा है, वहां एस. ई. का हैडक्वार्टर होगा, एस. ई. रहेगा, एक्स. ई एन रहेगा। हरियाणा का एकमात्र ओवरसियर वहां रहता है उस पूरी कैनाल को देखने के लिये और उसकी वजह से साढ़े तीन महीने-तीन महीने से उस कैनाल पर कोई भी काम उस क्षेत्र में शुरू नहीं हुआ। जो पहले हुआ था वह अधूरा पड़ा है। मुझे चिंता इस बात की है कि उस क्षेत्र में वर्षा काफी हुई है। अब भी जो हालात बता रहे हैं, सिरसा के क्षेत्र के सांगरिया के परली तरफ कि उस क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण शायद वह काम दो तीन महीने, डेढ़ महीने, दो महीने न हो सके। ऐसी स्थिति में गंभीरता से हमारे सिंचाई विभाग को इस बात को लेना चाहिये। केन्द्र के नेताओं से बात करके उस प्रदेश की सरकार पर दबाव

(श्री हेतराम)

डाला जाय कि वह जो हिस्सा है हरियाणा में वह पूरा हो। क्योंकि हरियाणा के अन्दर हिस्सा पूरा नहीं होता तो यह कैनाल हम रेगूलेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। इसमें सिंचाई मंत्रीजी ने जो कुछ सूचना मुझे दी है व्यक्तिगत, वह यह दी है कि चार करोड़ नब्बे लाख रुपये उनको दे दिये। मैं समझता हूं, बहुत ही गंभीर हालत है कि जिससे हमें काम करवाना है उनको हमने पूरे पैसे दिये उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दस–पन्द्रह लाख रुपये उनके बचे हैं, एक तो यह स्थिति है।

दूसरी सबसे गंभीर स्थिति जो है वह है कि हमारा जो विभाग है, जो राजस्थान में इस कैनाल को पूरा करता है, जिसका पूरी तरह से हमने एक एस. ई. लगा रखा है, उसका एक्स. ई. एन. है। पूरा लिंक, सकिल हमने बना रखा है। लिंक सकिल ने अपना काम अधूरा छोड़ रखा है। माननीय सिंचाई मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चिन्ता की बात हमको यह है, हम गंगानगर जिले के लोग जानते हैं कि यह कैनाल साधुवाली के पास जायगी। यह कैनाल जहां से शुरू होती है वह शुरू होती है श्योपुर हैड से। जो पहले की कैनाल बनी हुई है, गंग कैनाल, वह पंजाब से हमारे इलाके में श्योपुर हैड के पास जाकर होती है खक्खा हैड के पास। वहां से 13 किलोमीटर दूर जाकर साधुवाली में हम यह नई लिंग मिला रहे हैं। तो 11 किलोमीटर आगे डाउन स्ट्रीम की तरफ यह कैनाल मिलेगी। इसलिये इसका अपवर्ड जो पानी है वह नहीं जायगा। जो अभी सिंचाई विभाग ने और अधिकारियों ने वहां की भूमि का जिस तरह से सर्वेक्षण किया है उससे यह पता चलता है कि यह पानी उस अपस्ट्रीम की तरफ नहीं जा सकता है। जो गंगानगर जिले का विशेष तौर से बोर्डर का इलाका है, जिसमें 100–150 क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ेगी, जहां लगभग 40–50 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिस जमीन में हम पानी नहीं ले जा सकेंगे। उस पानी की व्यवस्था के लिये मैं यह तो मान सकता हूं कि हरियाणा की सरकार नहीं करती, हरियाणा में सरकारों की स्थिति यह है कि वह हमारा कहना नहीं मानती पर हमारा खुद का जो प्रदेश है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने इस 40 हजार एकड़ की भूमि के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। इसके लिये एक कैनाल जो अपवर्ड की तरफ जाय 100 क्यूसेक की, वह कैनाल बनानी जरूरी है। उसका जो पुराना डिजाइन है, मैं नहीं समझता अब कोई नया डिजाइन क्या बनाया है। पुराने डिजाइन के मुताबिक यह 6 फीट ऊंची उठकर जानी चाहिये, यानी 6 फीट पानी लिफ्ट होगा और लिफ्ट होने के बाद यह कैनाल उस क्षेत्र में पानी देगी। तो क्या आप समझते हैं कि एक हैड बनाना 6 फीट पानी को लिफ्ट करना और उसके लिए बिजली की व्यवस्था करना यह सारा काम और 6 फीट ऊंची कैनाल को बनाना क्या एक साल से पहले सम्भव है? वह जब तक नहीं बने तब तक हम पानी का उपयोग कैसे करेंगे? अध्यक्ष महोदय, यदि यह कैनाल बन भी गई हरियाणा की तरफ से तो 40 हजार एकड़ हमारा इलाका है उसमें एक दाना नहीं होगा क्योंकि इस

(श्री हेतराम)

प्रकार की सेचुरेटेड लैण्ड है जहां बिना पानी के कोई फसल पैदा नहीं हो सकती और पानी हम दे नहीं सकते। क्योंकि जो बड़ी कैनाल है जिसको हम बन्द करने जा रहे हैं उसमें 100 क्यूसेक पानी नहीं चल सकता। जिसमें 3000 क्यूसेक पानी हम लाते हैं उसमें अगर 100 क्यूसेक पानी लायेंगे तो निश्चित तौर पर सारा पानी समाप्त हो जाएगा। पानी आ नहीं सकता, फिरोजपुर हैड से 80 कि. मी. दूर पड़ता है। इस कैनाल से हमने योजना बनाई नहीं। हमने लिफ्ट करके उस पानी को ले जाने का प्रोग्राम बनाया नहीं इसलिए निश्चित तौर पर हम हरियाणा सरकार पर आरोप करें, उनको दोष देने की बात करें जबकि हमारी खुद की सरकार ने भी इस 40 हजार एकड़ भूमि के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं की। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एलान तो हमारी सरकार ने बहुत कर दिये। हमारे एक एलान मंत्री हैं माननीय कुन्दन-लाल मिगलानी उनका विभाग तो पता नहीं क्या है परन्तु उनको ऐलान करने का प्रोग्राम दे रखा है। गंगानगर में तीन बार ऐलान कर आये और बड़ी गति से ऐलान कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे, ऐलान कर रहे हैं। उन मंत्रीजी ने बहुत दफे ऐलान कर दिया कि सितम्बर में आ जाएगी। तो मैं सिंचाई मंत्रीजी से चाहूंगा कि यह चिन्ता का विषय है। इस पर कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री डूंगरराम पंवार : सिंचाई मंत्रीजी, खिंचाई करो उन अफसरों की जो काम नहीं कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हमारे विभाग की सूचना के अनुसार 540 क्यूसेक से कम पानी अभी आ रहा है 700 की जगह लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, चाहे कितना ही कम पानी आये, नुकसान हमें हो रहा है क्योंकि 540 भी कम आये तो भी 2 लाख एकड़ भूमि में जितनी सिंचाई हो उतना पानी हमारे पास अभी कम आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस नहर का जो लिंक चैनल है उसका जल्दी से जल्दी निर्माण होना चाहिए।

जहां तक इसके खर्चे का प्रश्न है, 1980 में जब इसका तखमीना हुआ था उस वक्त इस पर खर्चा 12.50 करोड़ आंका गया था लेकिन 89 की लागत के आधार पर इस बार 21.90 करोड़ रुपये का खर्चा होगा इसमें राजस्थान का खर्चा करीबन 17 करोड़ से ऊपर है तथा हरियाणा को 490 लाख देने हैं। जिसमें से हमने आज दिन तक 319 लाख हरियाणा को दे चुके हैं और 156 लाख रुपये 10–15 दिन में पहुंचा देंगे उसके बाद में हमको केवल 15 लाख देने रह जाएंगे। चार महीने जो हरियाणा में काम की गति धीमी रही उसका कारण सीमेंट उनके पास नहीं था। हमने सीमेंट की व्यवस्था करके ब्यावर से हरियाणा सरकार को सीमेंट दे दी है और सीमेंट जाने के बाद कार्य में शीघ्रता आई है और मैं आशा करता हूं कि जून, 91 तक हम इसमें पानी छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे।

(श्री विजयसिंह झाला)

जहां तक एम. एल. सिस्टम से पानी लिफ्ट करने के निर्माण का प्रश्न है उसका दो साल पहले निर्माण नहीं हो सकता। उस पर 180 लाख रुपये खर्च होंगे और दो साल अब इस पर लगेंगे लेकिन इसमें जो 100 क्यूसेक पानी है वह इन्दिरा गांधी कैनाल जो बीकानेर आती है उसके पैरेलल में एक स्ट्रेन्थ कैनाल आती है उसमें 100 क्यूसेक पानी वाइ फ्लो हम उस क्षेत्र में सिचाई करने के लिए ले लेंगे तो पानी प्राप्त करने में और सिचाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तक दो साल में एन. एल. सिस्टम से लिफ्ट करके जो आप एरिया बता रहे हैं जहां पर लिफ्ट 6 फीट करनी पड़ेगी उसका हम निर्माण कर लेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पानी का लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक राजस्थान कैनाल से पानी लेंगे इससे यह लॉस होगा कि 100 क्यूसेक ही पानी आ नहीं सकता। अगर लेने जाएंगे तो कम से कम 300-250 क्यूसेक पानी देना होगा तब वहां 100 क्यूसेक पानी पहुंचेगा। इसका नुकसान किसको होगा?

श्री विजयसिंह झाला : 100 क्यूसेक तो हम रिसीव कर लेंगे। डिस्चार्ज पाइन्ट पर ज्यादा होगा लेकिन रिसीव बाई फ्लो 100 क्यूसेक कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय इन्दौरा जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे तीन सवाल करना चाहूंगा। पहला तो यह कि 1 नवम्बर, 79 को हरियाणा में लौहगढ़ रेगुलेटर का काम शुरू किया गया था वह अब बन्द कर दिया गया उसका क्या कारण है? दूसरा, जैसा संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि लिंक चैनल की जो शुरूआत है और वह लौहगढ़ से होकर साधुवाली हैड तक रहेगी और उसके बाद अब-स्ट्रीम की तरफ जो 20 गांव बच जाएंगे उनकी जमीन की सिचाई के लिए कोई योजना है? जैसा कि पिछली बार माननीया कमला जी गई थी तो एक लिफ्ट कि योजना बनाई गई थी जैसा कि माननीय हेतराम जी ने कहा क्या उसकी कोई योजना आपके विचाराधीन है? क्योंकि यह सारा क्षेत्र मेरा निर्वाचन क्षेत्र का है और अप-स्ट्रीम की तरफ पानी वहां पहुंचेगा या नहीं इसका हमें डाउट है इसलिए इसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर दें।

तीसरा मेरा निवेदन है कि मार्च में हरियाणा सरकार को हरियाणा का 6 कि. मी. हिस्सा बनाने के लिए और हरियाणा क्षेत्र में लौहगढ़ राजस्थान कैनाल पर रेगुलेटर सिस्टम बनाने के किए कितना रुपया मार्च के बाद हरियाणा सरकार को दिया गया और कितना रुपया गंग कैनाल जो अधूरी है उसको बनाने के लिए दिया गया है। यह तीन मेरे प्रश्न हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एम. एल. सिस्टम को लिफ्ट करके पानी देने का प्रश्न है मैं पहले ही बता चुका हूं कि 180 लाख रुपये हमने रखे हैं और दो साल में उसका निर्माण होगा और जब तक उसका निर्माण नहीं होगा तब तक स्ट्रेन्थ कैनाल से पानी 100 क्यूसेक लाया जाएगा और बराबर सिचाई होती रहेगी। किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा सरकार को जहां

(श्री विजयसिंह भाला)

तक पैसा देने का प्रश्न है, अभी हमने 3 महीने में 206 लाख रुपये रखे थे उनमें से 50 लाख हमने दे दिये 156 लाख हम 15 दिन में भेज रहे हैं उसके बाद में केवल 15 लाख रुपये देने बाकी रह जाएंगे, वह भी हम शीघ्रातिशीघ्र भेज देंगे। इसके सिवाय जो एक्सक्लेशन कोस्ट के 48 लाख और मांग रहे हैं तो हमने सभी प्रकार के धन का प्रबन्ध कर रखा है हरियाणा सरकार को जब कभी पैसे की जरूरत होगी पैसा भेज कर शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्माण कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। मंत्री द्वारा वक्तव्य। सुश्री पुष्पा जैन।

शासकीय वक्तव्य

राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

सुश्री पुष्पा जैन : (बाढ़ राहत मंत्री) अध्यक्ष महोदय, जहां प्रदेश के अकाल से जनता को राहत मिली वहीं कुछ इलाकों में, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में अधिक बरसात से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जोधपुर, बाड़मेर, गुढ़ामालानी, पचपदरा, जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीबाड़ा, सांचोर, पाली, देसूरी व सिरोही जिले की तहसीलों में 3–4 दिन में अभूतपूर्व वर्षा हुई उसके फलस्वरूप जन व धन की क्षति हुई है। जो लोग अकाल मृत्यु के ग्रास बन गये हैं, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली अर्पित करते हुए मैं उनके परिवारजनों के प्रति भी मैं प्रार्थना करती हूं कि उनको यह दुःख सहने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का बलिदान हुआ है निश्चित रूप से वे राजस्थान और खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की हरियाली का सपना सजोए हुए काल का ग्रास बन गये। आने वाले समय में आज हुई बरसात का जब लोगों को फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूं कि इस बलिदान को कोई भूल नहीं सकेगा। हर दिन में यह याद रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई। जोधपुर, गुढ़ामालानी, पचपदरा, जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचोर, बाली, पाली, देसूरी, सिराही जिले की सभी तहसीलों में अभूतपूर्व वर्षा के कारण राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली जिले में बाढ़ की अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई है। एक जून से 15 जुलाई की अवधि की औसत वर्षा जोधपुर 73 मिलीमीटर जालोर 75, बाड़मेर 65, पाली 97, सिरोही 118 मिलीमीटर के मुकाबले इस वर्ष एक जुलाई से नौ जुलाई तक जोधपुर में 582, बाड़मेर में 219, जालोर में 549, सांचोर में 611, रानीवाड़ा में 428, आहोर में 474, पाली में 437, जवाईडेम में 663 मिलीमीटर, सिरोही में 529 मिलीमीटर, रेवदर में 657, शिवगंज में 592 एवं माउण्ट आबू में 1619 मिलीमीटर वर्षा हुई। जिसके फलस्वरूप बाण्डी, सूकरी, जोजरी, लूणी व जवाई नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे इन नदियों के किनारे के पास वाले कई क्षेत्रों में जलप्लावन की स्थिति बन गई। जोजरी व लूणी

(सुश्री पुष्पा जैन)

नदियों के ऊपर के क्षेत्र में इतना पानी आया कि कई जगहों पर नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। उससे व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पानी बहने की स्थिति बनी। एक ओर जहां सिरोही एवं जालौर जिले के सभी बांध भर गये तथा जवाई बांध की कुल क्षमता 61.25 फीट के विपरीत 48 फीट पानी आ गया। दो जुलाई से छः जुलाई तक होने वाली वर्षा को सर्वाधिक जो जोधपुर, पाली, सिरोही और माउण्ट आबू के पश्चिमी की ओर था, जो इन सभी नदियों का जल गहन क्षेत्र है।

(1.15 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

इस भारी वर्षा के कारण 16 सिंचाई के बांध क्षतिग्रस्त हुए और इनके अतिरिक्त तीन बांध पंचायत समितियों के टूटने की सूचना है, जो 16 सिंचाई के तालाब क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनमें दो लघु सिंचाई के बांध अपेक्षाकृत बड़े थे। इनमें से एक सिंदरी बांध है जो मिठड़ी की सहायक नदी पर सांदेराव के पास बना हुआ है, इसकी क्षमता 241 एम. सी. एफ. टी. है। दूसरी कवेरी बांध था, जो सिरोही के पहाड़ों से निकलने वाली कृष्णावती नदी की सहायक नदी पर सिरोही से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बनाया गया था। इसकी क्षमता 167 एम. सी. एफ. टी. है। इनके अतिरिक्त जो बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं, वे हैं गुण्डूर, वायद, पाली जिले में है। जालौर जिले के दांतीवाड़ा, तोरवाड़ा, सतूरवा, जलेरा, लेखाबास, सिकल, पूरण, बंकलोर, धानजी, बकला, जगन्नाथजी, दूसरी ओर बेटाला बांध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके अतिरिक्त करवाड़ा, दूत एवं भीमपुरा बांध पंचायत समितियों के तालाब जालौर जिले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाली और सिरोही जिले के तालाबों की सुरक्षा व्यवस्था अधीक्षण अभियंता, पाली कर रहे हैं और जोधपुर, जालौर एवं बाड़मेर जिलों के बाद सर्वेक्षण कार्य को संचालित करने के लिए मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग को भेजा गया है। इन सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के सब पदों पर अधिकारी एवं कर्मचारी लगे हुए हैं और सब बाढ़ का जायजा लेकर एवं सिंचाई तालाबों की देख-रेख कर रहे हैं, इस समय में कोई पद रिक्त नहीं है। मानसून राजस्थान में 28 जून को आया था तब से दो जुलाई से भारी वर्षा की कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई थी। भारी वर्षा की पहली चेतावनी पश्चिमी राजस्थान को तीन जुलाई को दी गई जो 6 जुलाई तक दी जाती रही। सात जुलाई को भी भारी वर्षा की चेतावनी थी। परन्तु तब तक वर्षा लगभग बन्द हो चुकी थी। इस अभूतपूर्व वर्षा के कारण तहसील सांचोर के 34 गांव, तहसील भीनमाल के 11, आहौर के 16, पंचायत समिति रोहित के करीब 7 पानी से घिर गये हैं। बाढ़ से घिरे व्यक्तियों का सहायतार्थ वायु सेना के हैलीकॉप्टर के द्वारा खाद्य पैकेट डलवाए गये तथा स्वयसेवी संस्थाओं द्वारा जालौर, सांचोर, भीनमाल, में खाद्य पैकेट वितरित किए गए। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में लूणी एव जौजरी नदियों का पानी बालोतरा सिटी में, वनसैल्व यार्ड व तलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आ गया। जालौर जिले की आहौर तहसील की सिलवी गांव वर्षा के पानी से

(सुश्री पुष्पा जैन)

घिर जाने से करीब एक हजार ग्रामवासियों को सिलवी पहाड़ी पर शरण लेनी पड़ी। जोधपुर जिले में अधिक वर्षा से 15 व्यक्तियों के मरने का अनुमान है। प्राथमिक सर्वे के अनुसार करीब तेरह सौ मकान गिर गये। जिले में जोधपुर शहर के निचले हिस्से में मथरानी तथा लूणी स्टेशन के पास दूदारा का क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय जनता ने खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने में सराहनीय योगदान दिया। थल सेना की सहायता से जोधपुर के बाहरी निचली हिस्से में से पम्प लगाकर पानी निकालने का कार्य भी किया गया। इन क्षेत्रों में पानी उतर गया है, निचले क्षेत्रों में थोड़ा पानी अभी तक भरा हुआ है। जिला जालौर में तहसील रानीवाड़ा में दासीवाड़ा व करवाड़ा बांधों के टूटने के कारण चार व्यक्ति बह गये। पन्द्रह तालाब टूट गये हैं। जिले में बाढ़ से 39 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 335 लापता हैं। जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय जनता ने बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है तथा वायु सेना की सहायता से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाने के पैकेट दिए गए। बाढ़ से विद्युत एवं पेयजल सेवा प्रभावित हुई। जिनको शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया गया। बाड़मेर जिले में लूणी नदी में, जोजरी नदियों में ऊपर के क्षेत्र से विशेष पानी आने के फलस्वरूप जिले के बालोतरा शहर, पचपदरा व सिवाना तहसील में बाढ़ की स्थिति बन गयी। शहर के नीचे के क्षेत्र में करीब सात फिट पानी भर गया। जिसके कारण नीचे के क्षेत्र के लगभग पांच हजार व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर ले जाया गया और उनके खाने की व्यवस्था की गयी। पेयजल व्यवस्था में बाधा आने पर सेना की मदद से पेयजल व्यवस्था पुनः चालू करवाई गयी। इस जिले में पांच व्यक्तियों के मरने व ग्यारह व्यक्तियों के लापता होने की सम्भावना है। पाली जिले में वर्षा से छः तालाब टूट गए। जिले में मिदरू बांध में दरार आने के कारण सान्डेराव व तखतगढ़ क्षेत्र में बाढ़ का पानी भर गया। रोहित पंचायत समिति के 6-7 गांव सूकरी नदी में ज्यादा पानी आ जाने व बोयद तालाब के टूट जाने के कारण पानी से घिर गए हैं। सिरोही में अभूतपूर्व वर्षा से जिले के सभी बांध भर गये हैं एवं आमेरी बांध में दरार पड़ गई है। रेवदर में 35 मकान, सिरोही कस्बे में 42, शिवगंज तहसील में 29 मकानों को नुकसान हुआ है। आबू रोड में कुछ कच्चे मकान व कच्ची प्राईमरी स्कूल गिर गई है। खारी नदी के पुल तथा पुरादम व पोसिलिया नदी के किनारों को क्षति पहुंची है। 5.7.90 से 9.7.90 की अवधि में वायु सेना द्वारा 62 उड़ानें भर कर 48.627 किलो ग्राम खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।

अध्यक्ष महोदय, वायु सेना ने जो सेवायें इस दौरान दी हैं उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूं। जिला चूरू में 159, राजगढ़ में 250, तारानगर में 171, तथा सुजानगढ़ में 113 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप राजगढ़ में 76 मकान सिद्धमुख में 85 मकानों को क्षति हुई, जिसके लिए प्रति व्यक्ति दो सौ रुपये आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा तहसील तारानगर व राजगढ़ के 72 मकानों

(सुश्री पुष्पा जैन)

व चूरू शहर 60 मकानों को क्षति पहुंची। उनके लिए सहायता वितरित की जा रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसी प्रकार की माहमारी नहीं फैले इसके लिए जोधपुर संभाग में 50 चल चिकित्सा दल गठित किये गये हैं। तथा 20 चिकित्सक दल जयपुर से भी भेजे गए हैं। तथा पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भेजी गई हैं व भेजी जा रही हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जोधपुर में 15, जालौर में 39, बाड़मेर में 5, सिरोही में 6, पाली में 6 व चूरू में एक, कुल 72 व्यक्ति बाढ़ से मरे हैं तथा जालौर में 30-35 तथा बाड़मेर में 11 व्यक्ति लापता हैं। अब इन मृतक व्यक्तियों के परिवारजनों को पांच हजार रुपये तक की सहायता मुख्य मंत्री कोष से दी गई है तथा क्षतिग्रस्त मकानों को, औद्योगिक क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। प्रभावी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं हो। इसके लिए विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा 17 लाख लीटर डीजल व दो लाख सत्तरह हजार लीटर मिटटी का तेल सात व आठ जुलाई, 90 को भेज दिया गया है। 9 जुलाई को आठ लाख लीटर डीजल व दो लाख लीटर मिट्टी का तेल भेजा गया है। बाद के फलस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में रेल व सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए है। जोधपुर के आगे के सभी रेल मार्ग अवरुद्ध हैं, जालौर मुख्यालय रेल व सड़क मार्ग से कटा हुआ है। जिले के अन्य सभी तहसीलों का भी एक-दूसरे से सम्पर्क कटा हुआ है। अहमदाबाद, जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, फलौदी, ओसियां, पाली, जोधपुर रेलमार्ग उपलब्ध हुए हैं। तथा पाली से सिरोही, उदयपुर, देसूरी, जोधपुर, सुमेरपुर के सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। राज्य में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति से फलस्वरूप गांवों में पीने का पानी दूषित हुआ है, वहां बीमारियों की रोकथाम व माहमारी रोकने के लिए चिकित्सा दल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। बाढ़ का पानी उतरने पर पशुओं में रोग की सम्भावना के कारण पशुओं के लिए टीके लगाने व अनुदानित दरों पर पशुओं के लिए फीड उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। क्षति का सर्वेक्षण करवाया जाकर सहायता देने तथा नालों, सड़कों, नदियों के पेटे बने मकान मालिकों को सुरक्षित स्थानों पर बसने को तैयार होने पर सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी क्षति का सर्वे किया जा रहा है। जहां कुओं में मिट्टी भर गयी है वहां मिट्टी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। सड़क मार्ग अविलम्ब ठीक करवाने व विद्युत सप्लाई दुरुस्त करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों—पैट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के भाव न बढ़ें, इसके लिए कठोर कदम भी उठाये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में निस्सहाय व्यक्तियों को चार रुपते प्रति दिन, अवयस्क को दो रुपये प्रतिदिन पन्द्रह दिन तक सहायता देने का निर्णय लिया है। जो पहले प्रति व्यक्ति दो रुपये और एक रुपये था उसको बढ़ाया गया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त फूस की छत वाले मकानों को पांच सौ रुपये प्रति मकान, टीन व पुवालों की छत वाले मकानों को एक हजार रुपये प्रति मकान, व पक्के क्षतिग्रस्त मकानों को

(सुश्री पुष्पा जैन)

1750/–प्रति मकान की सहायता दी। पहले की सहायत राशि से बढ़ाकर देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार का अनुमान है कि व्यापक वर्षा के फलस्वरूप खरीफ व आगामी रवी की फसलें अच्छी होंगी। राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में डब्लू. सी. सी.—75 किस्म के बाजरे के बीज 70,000 मिनि किट्स निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने बचाव कार्यों में गति देने हेतु सचिव स्तर के निम्न अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित जिलों में नियुक्त किया है, वे सम्बन्धित जिलों में पहुंच चुके हैं।

सभापति महोदय, यद्यपि मरने वाले और प्रभावित लोगों की वेदना को पैसे से नहीं तोला जा सकता फिर भी सरकार अपनी तरफ से उनकी व्यवस्था करने में कोई कोताही नहीं बरतेगी और माननीय सदस्य किसी भी तरह का सुझाव देंगे, उनके हर उपयुक्त सुझाव का स्वागत करते हुए सरकार राहत प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ेंगे।

श्री सभापति : माननीय मदेरणाजी।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका कितना डेमेज हुआ है उसकी तीन कैटेगरीज बनाई। तीन कैटेगरीज में टोटली डेमेज्ड, पार्शियली डेमेज्ड और एक अन्य कटेगरी है, उसमें उन्होंने पहले जो अनुदान दिया जाता था उसकी मात्रा में भी वृद्धि की है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मकानों के अलावा किसानों की जो रबी की उपज गेहूं, सरसों, लहसुन और प्याज बहुत बड़ी मात्रा के अन्दर जोधपुर जिले में तिवरी, मथानियां और उम्मेद नगर का जो क्षेत्र है, वह मिर्च और प्याज का राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसमें लाखों रुपये की क्षति हुई है। क्या इस क्षति के सम्बन्ध में भी कोई मुआवजा देने का राज्य सरकार का विचार है? नम्बर वन।

दूसरा बाढ़ से प्रभावित जो पशु हैं, अभी तक भी कई गांव महरूम हैं। सूखा चारा एक किलोग्राम भी नहीं बचा है। लोगों ने कुछ मवेशी बचाने की बात की है। मैं तिवरी, मथानियां, हेवड़ा, उम्मेद नगर स्वयं जाकर आया था। उनके मवेशी भूखे खड़े हैं। जिस तरह से आप प्रभावित जनसंख्या को राशन देते हैं उसी तरह सूखा चारा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का कोई विचार है या नहीं?

सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो मृतकों की संख्या 72 दी है और इसमें कुछ लोगों को आपने लापता बताया है, जो मुझे जानकारी मिली है–भीनमाल तहसील के एक चैनपुरा गाँव में 19 मौतें हुई हैं, उसके आस-पास के कुछ गांवों में और भी मौतें हुई हैं, अभी तक महरूम हैं और जो गांव अभी तक बाढ़ से घिरे हुए हैं। उनमें लापता की संख्या ज्यादा है। क्योंकि आपने 72 दी है, कल राजस्थान पत्रिका अखबार, जिसकी विश्वसनीयता के बारे में आपको कतई संशय नहीं है, 83 की संख्या दी, आज 90 की

(श्री परसराम मदेरणा)

संख्या दी है और लापता अलग हैं । मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि मेडिकल एड की कितनी टीमें अभी तक आपने गठित कर दी हैं, क्योंकि महामारी और बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास करना बहुत ही जरूरी है और हमेशा जब-जब बाढ़ आती है, इमिजियेट उसके बाद महामारी जबरदस्त फैलती है । हर घर में लोगों को बुखार हो जाता है, दस्त लग रहे हैं और आज भी हो रहे हैं । डिसेनटरी हो गई है लोगों को । अन्त में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जितने भी महरूम गांव थे उनमें से कितने गांवों में अब पहुंचे हैं या असेसेबिलिटी हो गई है अभी तक विभिन्न जिलों में कितने ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक प्रशासन पहुंच नहीं सका है ? जो महरूम गांव थे उन गांवों के अन्दर आपने हैलीकॉप्टर से पेकेट्स गिराये हैं या नहीं गिराये हैं ? मंत्री महोदय, मेरी ऐसी जानकारी है कि जालौर जिले के बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज भी महरूम है लेकिन या तो वहां की सूचना नहीं पहुंची है और सूचना नहीं पहुंचने के कारण आपने एयरफोर्स को डाइरेक्ट नहीं किया है । बहुत से गांव ऐसे पड़े हुए हैं जहां पर एक भी पैकेट गिराया नहीं गया है ।

मैं अन्त में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं । जब भी बाढ़ आती है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जहां पर क्षति हुई है—मकानों की क्षति हुई है, और सब सामान कपड़े-लत्ते वगैरह, अनाज, आटा, मिर्च-मसाले सभी बरबाद हो जाते हैं । राशन देने की जो बात है, वह कितने रोज के लिए है और कितनी मात्रा में है ? जो चार रुपये और दो रुपये की आपने बात कही है, मेरी जानकारी में चारों ही जिलों के अन्दर जहां सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, जोधपुर की करीबन 65 कच्ची बस्तियां हैं और जो मौहल्ले प्रभावित हैं तथा सरकार हमेशा ही बाढ़ के वक्त में फ्री राशन देती है एक फोर्टनाइट के लिए, अभी तक आपने राशन वितरण की व्यवस्था बिल्कुल नहीं की है और न राशन वितरित किया है....(व्यवधान)

राजेन्द्रजी मैं कल की तो माननीय सदस्य को नहीं कह सकता, कल 9 तारीख को तो वितरण शायद कर दिया हो तो मुझे पता नहीं । लेकिन 8 तारीख की रात को बारह बजे तक राशन कहीं भी जोधपुर शहर में और गांवों में वितरित नहीं हुआ है । अन्त में, मैं यह भी पूछना चाहता हूं—जैसा मुख्य मन्त्री स्वयं जानते हैं, 79 के अन्दर भी इसी तरह की एक विनाश लीला हुई थी, जिस वक्त आप मुख्यमन्त्री थे मैं भी आपके साथ ...

श्री महावीर जैन : 1981 में भी ।

श्री परसराम मदेरणा : 1981 में तो आपके यहां क्षति हुई थी 400 के आस-पास लोगों की मृत्यु हो गई थी । उस वक्त भी 421 या 427 की मृत्यु हुई थी—जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली को लेकर, 1979 में जब वर्तमान मुख्य मंत्री राजस्थान के मुख्य मंत्री थे । माननीय मंत्रीजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो कुछ

श्री परसराम मदेरणा)

वनाश हुआ है, आप वनास के बेसिन को छोड़ दीजिए, यह विनाश केवल लूणी के बेसिन में हुआ है। आपको आश्चर्य यह होगा कि लूणी नदी अभी तक आई ही नहीं है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर में है। वह लूणी नदी बिलाड़ा में आती है जो कालू केकिन के पास और हियसा के पास होकर के जसवन्त सागर बांध में मेन रिवर में अभी तक न तो बाढ़ है और न कोई बात है। यह ट्रिब्यूटरीज में आई है। ट्रिब्यूटरीज में इतना पानी इसलिए आया कि परसी पीटेशन पानी का इतना ज्यादा हो गया है, एक तो रेवेलेट्स, नाले और सहायक नदियां और उसके ऊपर पांच-पांच सौ मिलीमीटर की बरसात, इसने यह तबाही की है। यह जोजरी की और बात करते हैं, यह लूणी की सहायक नदी नहीं है। वह इनडिपेन्डेन्ट रिवर है जो बिराई से निकलती है और माननीय मुख्यमंत्रीजी की स्मृति को मैं ताजा करना चाहता हूं, उस वक्त भी 79 में यह जोजरी पहली दफा आई है, 108 साल के बाद नहीं तो बालू के आस-पास, टीबों में ही वह जाती है। इसलिए यह जो नदी आई है जिसको आप जोजरी कहते हैं, दूसरी जाजरी, जो पिपाड़ सिटी के पास आती है उसी का जाजरी और मीठड़ी दोनों ही नाम है सर्वे ऑफ इण्डिया के अन्दर उसमें भी पानी नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें 1979 में आयी थी।

श्री परसराम मदेरणा 1979 में तो आपको मालूम है वहां पीपाड़ सिटी में भी 40 आदमी मरे थे और लूणी में भी बीलाड़ा और उसके आस-पास के गांवों में 39 आदमी मारे गये थे लेकिन पानी न लूणी में तब आया और न अब आया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहायक नदियों के आने से और इन नदियों में बांडी, जेतारण की, जवाई नदी की कौशलिका नदी है और अभी आपने 48 कुछ का गेज कहा लेकिन जवाई का उदगम है और डेम अभी तक ओवर फ्लो नहीं हुआ है। उसकी हाइट तो 62 फुट है। यह जवाई मेन नदी नहीं आयी है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज आयी है और कुल मिलाकर पानी बहुत जगह फैला है, पूर्व में 79 में जो स्थिति थी करीब-करीब इन सहायक नदियों का पानी रेल पेल हो गया। एक दूसरे में मिल गया। नतीजा यह हुआ कि इरिगेशन के कुछ और लोगों के नोन इरिगेशन के खेत हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हुए हैं और रेत आकर पड़ गयी है। क्या सरकार कुओं का कम्पनसेशन देने की, अनुदान देने की बात सोचती है? जैसा 79 में एक निर्णय लिया था। क्या सरकार जो जमीन उबड़-खाबड़ हो गयी है, खेती के लायक नहीं रही है उसके रिक्लेमेशन के सम्बन्ध में विचार रखती है? जो आपने अभी आंकड़े दिये—माननीय मंत्रीजी आपके बारे में मेरी यह धारणा थी कि आप बहुत जोश खरोश से बोलती हैं मैंने एक दफा आपसे कहा था, आपको याद होगा गैलेरी में, पांच-सात साल पहले कि जितना आप शांति से बोलती हैं उतनी

(श्री परसराम मदेरणा)

आप ज्यादा गम्भीर और डिगनीफाइड भी दिखती हैं। लेकिन आप आज इतनी शांति से बोली कि मैं सुन भी नहीं सका कि जिला वाइज और किन-किन गांवों में मौतें हुई हैं आज आप इतनी शान्त थीं यह सही है कि कुछ जिम्मेदारी भी है मन्त्री बनने पर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका असर हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले विपक्षी पक्ष की भूमिका थी, उसमें अब अन्तर भी है। बाढ़ से तो उनका खुद का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है पर कितना हुआ मुझे मालूम नहीं है। जो 72 मौतें हुई हैं–वह किन–किन गांवों के अन्दर, किन–किन जिलों के अन्दर हुई हैं यह सूचना नहीं दी है। इसलिए सभापति महोदय, यह ब्रेक अब मैं जानना चाहूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राज- में काफी भयंकर विनाशलीला हुई। मेरे पूर्व में काफी ज्यादा माननीय मदेरणा साहब ने बता दिया मैं तो एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि कच्ची बस्तियां सरकार जिनको अनअथोराइज बस्तियां मानती हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सवाल पूछ लीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : एक तो ऐसी बस्तियों को भी पूरा मुआवजा दिया जाय। दूसरी बात पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की स्थिति अलग है। कई जगह पानी भर गया है जैसे बूंदी में माजी के कुण्ड के पास बदाड़ में पानी भर गया है और चालीस पचास मकानों को नुकसान हुआ है। दुबारा फिर बारिश हुई तो नुकसान फिर होगा। उनको कितना मुआवजा दिया जायेगा और ऐसी जगह आने वाली बारिश में नुकसान न हो इसके लिए भी सरकार कोई एक्शन लेने जा रही है, या या नहीं ?

श्री सभापति : माननीय हेतरामजी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरे क्षेत्र की समस्या है। जालौर जिले की ही बात हो रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आपका भी नम्बर आ रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : यह मामला राजस्थान का है, जहां भी किसी व्यक्ति की, किसी परिवार में मौत हुई है मैं समझता हूं कि हमारे सारे राजस्थान का नुकसान है। एक जिले का नहीं एक सदस्य का नहीं है।

मुझे सबसे पहले तो मंत्री महोदय से यह पूछना है कि यह जो हमारे क्षेत्र हैं जहां एक बार पहले भी नुकसान हुआ था बिलाड़ा और नागौर में बाढ़ का भयंकर प्रकोप हुआ और जनहानि हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि मौसम विभाग जिस पर हम कुछ खर्चा भी करते हैं जिसमें कुछ अधिकारी भी रखे हुए हैं और डेढ़ दो

श्री हेतराम बेनीवाल) [illegible] साल पहले भारत सरकार ने उत्तर भारत के लिए एक कम्प्यूटर भी खरीदा है जिससे मौसम की सूचना मिल सकती है। इसने क्या सूचना दी क्योंकि मंत्री महोदय, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वह यह है कि बहुत से परिवारों को पता ही नहीं लगा कि इतनी बरसात आने वाली है और कच्चे मकानों की छत के नीचे दबकर मर गये; बहुत से परिवार अपना सामान नहीं निकाल सके। इस स्थिति में इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि मौसम विभाग ने क्या सूचना दी कि पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की बारिश आ सकती है या नहीं आ सकती है और मानसून का दबाव किस तरफ बढ़ रहा है? अगर यह सूचना दी गयी तो हमारे अधिकारियों ने क्या किया? क्या दोनों जिलों के जिलाधीशों ने वहां की जनता को आगाह किया? एस. डी. एम. और एस. डी. ओ. को इत्तला दी? अगर दी तो हमारे अधिकारियों ने क्या किया? यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अगर यदि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है; किसी भी जगह हो सकती है। इससे उसमें मदद हो सकेगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि जो स्थानीय अखबार हैं जो जोधपुर और जिलों से निकलते हैं उसमें कुछ इस तरह के समाचार छपे हैं और प्रान्त के अखबारों में भी छपा है कि एक व्यापारी ने, सारे व्यापारियों ने इस परिस्थिति का फायदा उठाकर जो जीवन उपयोगी वस्तुएं थीं उनके दाम बहुत बढ़ा दिये और ऐसे इन्टीरियर क्षेत्रों में जहां छोटी मण्डियां हैं और चारों तरफ से पानी से घिर गयी वहां दूसरा सामान पहुंच नहीं सकता था; जोधपुर से नहीं पहुंच सकता था, वहां बहुत महंगा कर दिया और वहां बहुत लूट खसोट हुई है। मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इसके लिए क्या प्रबन्ध किया? क्या राज्य सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था की है कि कोई व्यापारी या संस्थान जो मूल्य उस वक्त थे, बाढ़ आने के वक्त में थे, उनको उसी स्तर पर स्थिर रखेगा और बढ़ायेगा नहीं, उसी रूप में चीजें उपलब्ध रहेंगी। [illegible] क्या आप दिलायेंगे और क्या नहीं वह अलग बात है और यह सवा 50 लाख की जनसंख्या को दिला पायेंगे या नहीं, वह बात है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के समाचारों से बड़ी चिन्ता होती है। यह न हो कि व्यापारी जीवन उपयोगी वस्तुओं के चार पांच गुना दाम वसूल करके वहां की जनता को लूट लें। इसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी की है कि जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे केरोसीन आयल या कुछ दवाइयां या कुछ अनाज के लिए आपने ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसी दुकानें खोली जायें? क्या राज्य सरकार इन क्षेत्रों में कुछ अस्थायी तौर पर अपनी दुकानें चलाकर सस्ती वस्तुएं, अनाज आदि की व्यवस्था करना चाहती है?

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एक सवाल यह करना है कि जिन प्राणियों के जीवन का नुकसान हुआ है उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं और जिस परिवारों में तबाही हुई है उनको भी पूरा मुआवजा नहीं दे सकते हैं। पर मैं निश्चित तौर पर राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा कि पुरानी परिपाटी को छोड़कर पंजाब हरियाणा की तरह से क्योंकि हमारे पड़ौसी इन दो प्रान्तों में भी बाढ़ आयी है वहां उन्होंने कानून बना रखा है सरकार की तरफ से कि जिसका भी नुकसान होगा उसको मुआवजा दिया जायेगा। विशेष रूप से फसलों, ट्यूब वैलों और उन किसानों के जो उपकरण बरबाद हो जाते हैं उनको देते हैं। क्या आप भी ऐसा विचार रखते हैं ? मैं यह सवाल आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक तो मंत्री महोदय से कहूं कि 3 तारीख को वार्निंग आयी, कौनसे डिस्ट्रिक्ट के लिए आई, वह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि 3 तारीख को ही जोधपुर में बरसात हुई, जालौर में 5 तारीख को बरसात हुई है और 5 तारीख तक तो कोई यह सरकार विशेष हरकत में आई नहीं। 5 तारीख की शाम को हरकत में आयी है और सिरोही के अन्दर, पाली के अन्दर भी बाद में आई है। किस-किस डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या वेदर फोरकास्टिंग, क्या वार्निंग थी, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इस सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों के अन्दर जिला प्रशासन के माध्यम से लिये गये, इसकी भी जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

दूसरी बात, सभापति महोदय, पहले जब इस पर स्टेटमेण्ट हुआ था, कुछ अनाधिकृत कब्जों के विषय में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मैं इससे असहमत नहीं हूं कि जो अनाधिकृत कब्जे करके लोग रह जाते हैं, उसको हम मदद नहीं करेंगे। परन्तु सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि अनाधिकृत कब्जे, जो कच्ची बस्तियों, स्लमड्वेलर्स लोग करते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं और वह भी ऐसी विपत्ति में हैं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि उनको बसाने के लिए किया जाये। लेकिन खाने को भी जिसके पास नहीं रहा है, बरबादी की कगार पर पहुंच गया है, आपके प्रशासन के अन्दर यह भावना पैदा हो गई है कि भई अब यह तो ठीक है अब गवर्नमेण्ट ही नहीं चाहती है, इनको तो हटाओ यहां से, इनको माइनस करो। दूसरे, यह उपेक्षा के भाव से बिलकुल नहीं देखें। उनको भी देखें या उनके विषय में आप क्या रखते हैं, यह स्पष्ट करें।

तीसरा, जो एपिडेमिक फैलने वाला है, जिसका अन्देशा है, पशुओं पर और आदमियों पर, उसमें क्या आपने मेजर्स लिये हैं, इसको भी स्पष्ट करें और सभापति महोदय, चौथा मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली भी गये हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं और वह निश्चित रूप से धन्यवाद के भी पात्र भी हैं अगर वह जाकर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के मिले हैं, राजस्थान के लिए क्या सहायता लाते हैं, लेकिन क्या तो आपने इंटरिम रिलीफ सीक किया है। कम से कम हाउस को तो आप कोन्फीडेन्स में लें और क्या आपने ब्रोडली, ठीक है, आप एस्टीमेट तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसका क्या लाभ है, हो सकता है, संभवतः प्रधानमंत्री जी को भी आप लायें। लेकिन क्या इंटरिम रिलीफ आपने रिक्वीजीशिन किया है गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया से किया है और क्या आपकी बात हुई प्रधानमंत्री जी से, सदन को अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय राहत मंत्री जी ने अभी अपने स्टेटमेण्ट में जो भी जिक्र किया है,

(समय 1.45 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान सरकार ने 5 तारीख तक तो बिल्कुल ही कहीं ध्यान देने के लिए पहल नहीं की। जब जोधपुर के अन्दर बरसात हुई और इण्डीकेशन मौसम विभाग और अन्य दृष्टियों से राजस्थान सरकार की जानकारी में आ गये थे और इसके बाद जिस प्रकार की यह घटना राजस्थान में घटी है, यह तो प्रकृति की देन है, सरकार के हाथ में नहीं है, यह मैं मानता हूं। लेकिन राजस्थान सरकार को जिस ढंग से इस के लिए गतिशील होनी चाहिये वह नहीं लगता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण करा। अखबारों में यह भी छपा कि वे सर्वेक्षण के लिए वहां पहुंचे और अपने हवाई जहाज को भी उन्होंने जोधपुर में बड़े खतरे में उतारा जबकि सेना नहीं उतारी, इसके लिए तो हम बधाई देना चाहते हैं, मुख्यमंत्रीजी को कि उन्होंने पहल की और जान की जोखिम पर खेलकर भी जोधपुर पहुंचे। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि केवलमात्र हवाई सर्वेक्षण के बाद जिला एडमिनिस्ट्रेशन....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है, प्रश्न क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां घूमने नहीं गये थे।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेण्ट के बाद एक प्रक्रिया है। आप सवाल पूछिये। यह डिबेट का सवाल नहीं है। आपकी जो भी धारणा है, उसको आप और ठीक तरीके से कह सकते हैं, बाहर भी कह सकते हैं यहां भी कह सकते हैं। यहां पर सवाल पूछिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरा अध्यक्षजी पूछना है कि खास तौर से राजस्थान के कई जिले, जहां सिरोही और जालौर, जिसके अन्दर खास तौर से आपका एडमिनिस्ट्रेशन काफी देर तक नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा है तो उसके अन्दर आपने कौन-कौन से अधिकारी किन-किन स्थानों पर, जैसे कि पहले भी परम्परा रही है कि

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आपने किन-किन अधिकारियों को इन कामों को देखने के लिए और उनको राहत पहुंचाने के लिए लगाया है, एक तो आप यह बतायें। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि स्वयं सेवी शिक्षण संस्थाएं खाना उपलब्ध कराने के लिए पैकेट्स का इन्तजाम कर रही हैं, माननीय मंत्री महोदय यह भी बतायें कि राजस्थान सरकार की कोई व्यवस्था कर रही है या स्वयं सेवी शिक्षण संस्थाएं हैं, इन पर ही आधारित है।

श्री नत्थीसिंह : शिक्षण नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय स्वयं सेवी संस्थाओं की बात कह रहा हूं। स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से ही व्यवस्था कर रहे हैं, या राजस्थान सरकार भी कुछ कर रही है? मुझे जैसा कि जानकारी है, माननीय अकाल राहत मंत्री जी जिस क्षेत्र से आती हैं, जिस पाली क्षेत्र से आती हैं, उस जिले के अन्दर भी 9 लोगों की हत्याएं हुई।

श्री नत्थीसिंह : हत्या नहीं, मृत्यु।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 9 लोग वहां भूख से मारे गये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : असत्य बोल रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : असत्य बात है। वह प्राकृतिक प्रकोप से मारे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विषयान्तर क्यों हो रहे हैं। आप बाढ़ के बारे में पूछें अकाल कहां से आ गया?

श्री महावीरप्रसाद जैन : आज ऐसा लग रहा है कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य का दिमाग कहीं और है।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है। अभी यहां

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ का मामला नहीं है। पाली का जिक्र कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, पाली में बाढ़ का मामला है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं कह रहा हूं, पाली क्षेत्र में बाढ़ के अन्दर घिरे हुए लोगों को...

श्री अमृतलाल : मेरे एरिये में है। मुझे मालूम है, आपको क्या मालूम है?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आज वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं।

श्री अमृतलाल : भूख से नहीं मर रहे हैं, बाढ़ से मर रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन : कोई नहीं मर रहा है।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। बोलिये आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं यह कह रहा हूं कि बाढ़ से जो लोग भूखे मर रहे हैं।

श्री अमृतलाल : असत्य बात है यह, नहीं तो साहब । बाढ़ के कारण कोई भूख से नहीं मरा है। बहुत फर्क है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह महावरा है । कोई मरे थोड़ी है । भूखे हैं । वह महावरा है । हां, बोलिये आप ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले इन्हें मौका दें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं मैं सबको अवसर दूंगा । आप बिराजिये । मगर आप संक्षेप में बोलें ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : व्यवधान मंत्री जी को बंद करवाइये, साहब । इनका नाम ही व्यवधान मंत्री रख रखा है । उनको आप कुछ कहें तो मैं बोलूं ।

श्री अध्यक्ष : कई हैं व्यवधान मंत्री, एक नहीं है । यह ऐसा पोर्टफोलियो है, जो अपने आप भी ले लेते हैं, बिना दिये ही (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुझे इस बात को कहना है कि पाली के अन्दर भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर लोग भूख से मर रहे हैं । वहां पर लाठियां चली, पैकेट प्राप्त करने के लिए । लड़ाइयां हो रही हैं । इस प्रकार की हालत....

श्री हीरासिंह चौहान : कहां हो रही है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पाली में ।

(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप अनहोनी बातें कह रहे हैं । आप सही स्टेटमेण्ट दीजिए, असत्य स्टेटमेण्ट क्यों दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । प्रश्न कीजिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : बोलने दीजिए । बीच में क्यों रोके रखा है ?

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, यह वातावरण पैदा हो गया है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि बाढ़ का विषय है और बाढ़ जैसे विषय को राजनैतिक कारणों से और सदन में इस प्रकार पेश किया जाये, वह मैं समझता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । (ठीक है।)

श्री महावीरप्रसाद जैन : तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, यह व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं बिगाड़ रहा है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सदस्यों को नाराजगी नहीं होनी चाहिये । अकाल राहत मंत्री....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य भी इस बात को ध्यान में रखें कि जो मसला अभी, संकट पूरे प्रदेश के सामने है । सरकार जो कुछ कर रही है, आपको बताया है। आप उसमें क्या सुझाव दे सकते हैं,

(श्री अध्यक्ष)

कंस्ट्रक्टिव सुझाव क्या देते हैं। आलोचना करने के लिए तो बाहर भी बहुत हैं और मौकें मिलेंगे....(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुद्दा उठाया है, हमारे अकाल राहत मंत्री जी के जिले में, निश्चित तौर से आज वहां पर भूख से लोग मर रहे हैं। उनको पैकेट मिलने के अन्दर हाथापाई हो रही है, लाठियां चल रही हैं।

श्री अमृतलाल : आप असत्य कह रहे हो, गहलोत साहब। भूख से कोई नहीं मर रहा है, पाली जिले में। यह अनहोनी बात कह रहे हैं, असत्य बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, इनको सवाल करने दीजिए। देखिये, फिर पूरा टाइम हो जायेगा। आप सवाल करिये प्लीज अब सवाल करिए आप। आप जो पूछना चाहते। हैं, पूछिये आपने अपना पाइण्ट बता दिया कि वहां पर लोगों को पूरे पैकेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वह भूखे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हां भूखे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक हो गया। अब मंत्री महोदया साहब जवाब देंगी। नैक्स्ट, आगे चलिये, आगे क्या सवाल है। सवाल बताइये आगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैंने स्पेसिफिक क्वश्चन एक तो यह किया था कि आपने जिले में राहत कार्यों के लिए किन-किन अधिकारियों को कहां लगाया ? क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं ? आपने संस्थाओं के माध्यम से पैकेट्स के डिस्ट्रीब्यूट किये। राजस्थान सरकार भी उसके लिए कुछ व्यवस्था कर रही है या नहीं कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री राजेन्द्र राठौड़। आप बिराजिये, मैं सबका नाम बोल रहा हूं। आपका भी नाम है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सबसे ज्यादा मेरा इलाका प्रभावित हुआ है, बोलने का मौका अभी नहीं तो फिर कब देंगे ? सबसे ज़्यादा मेरे यहां नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है, आपका नाम पुकारूंगा, आपको सवाल पूछने की इजाजत दूंगा। आप बैठिये। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़,

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने संकट की इस घड़ी में पश्चिमी राजस्थान का व्यापक दौरा किया और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोगों को ढाढस बंधाया, लोगों की हिम्मत बढ़ायी। मेरा आपके माध्यम से....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मेरे लिए, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था यह थी और यह क्वश्चन है ?

श्री अध्यक्ष : आप सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल ही पूछिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू शहर के अन्दर अत्यधिक वर्षा होने से जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जैसा आपने अपने जवाब में बताया, 60 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि वास्तविक रूप से 160 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिन लोगों को अभी तक राहत राशि नहीं मिली, सरकार क्या उनको भी राशि उपलब्ध करायेगी? शहर चूरू में जो नुकसान हुआ उसका मुख्य कारण शहर में गन्दे पानी की निकासी की कोई योजना न होना था। शहर के मध्य में जो पानी इकट्ठा रहता था उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होकर आने से मकानों में घुसा तो शहर में 160 मकान धराशायी हुए। इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या सरकार गन्दे पानी की निकासी की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? अब तक चूरू जिले में राज्य सरकार द्वारा कोई राहत कैम्प शुरू नहीं किये गये। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की यह मंशा है कि पश्चिमी राजस्थान के अलावा जहां भी बाढ़ से नुकसान हुआ है या अत्यधिक वर्षा से नुकसान हुआ है वहां राहत कैम्प नहीं खोले जायें?

श्री अध्यक्ष : हो गया। विराजिये। श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमैण्ट दिया है वह बहुत पुराना है, तीन-चार दिन पहले का स्टेटमैण्ट है। दो दिन से जालोर के सब रास्ते खुल गये, बसें जा रही हैं और वह बता रही हैं कि रास्ते बन्द हैं। जहां तक जालोर जिले का सवाल है, माननीय मंत्री जी को वस्तुस्थिति की बिलकुल जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे जालोर जिले में भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 50 से ज्यादा व्यक्ति मर गये और दो सौ से ज्यादा लापता हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह दहिया : पांच तारीख को एक साथ 20 इंच से 24 इंच पानी बरसा।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, यह तो इन्होंने बता दिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, यह वह जानकारी है जो मंत्री जी को भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सारे सेण्टिमीटर, मिलीमीटर बताये हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मिलीमीटर का सवाल....

श्री अध्यक्ष : वही हो गया जो आप कह रहे हैं। चार सौ से ज्यादा मिलीमीटर हो गया तो आप जो बता रहे हैं वही हो गया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : काण्डी नदी, सूकड़ी नदी, जवाई नदी और सागी नदी में एक साथ उफान से जो पानी बाहर आया उससे चार गांव पूरे बह गये। सरकार की जानकारी में नहीं है कि वह कौन-से गांव हैं।

श्री अध्यक्ष : वह बता दीजिए आप।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरकार की जानकारी में सिर्फ एक गांव चैनपुरा है जहां पर 19 आदमी मर गये और 32 लापता हैं। यह जो चार गांव हैं....

श्री अध्यक्ष : हां, उनके नाम बता दीजिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : जो चार गांव बह गये हैं वह हैं : जूना चेनपुरा, वाली जिसकी आबादी 9 हजार की है, लाखणी जो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है और दामण, जिसकी आबादी तीन हजार की है। इन चार गांवों का पता नहीं है। इसी तरह प्रशासन अभी तक 15 गांवों में नहीं पहुंचा है, जहां प्रशासन को पता नहीं है कि कितना नुकसान हुआ। उन गांवों की स्थिति मैं बता देता हूं। वे हैं : देता, कोमता, जो बिल्कुल नदी के बैल्ट पर आये हुए हैं धूरवदिया, मोरसिम, गोलिया, वाली, राउता, दाटेरा, नयापुरा, पाता की ढाणी, गुर्जरवाड़ा, नरवा, नयापुरा चंपाकराम, लूणावास और गोदरा। इनमें से कई गांव तो बहुत बड़े-बड़े गांव हैं। यहां अभी तक प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। यहां तक कि हेलीकॉप्टर....

श्री अध्यक्ष : आगे सवाल पूछिये, यह हो तो गया। ठीक इन्फार्मेशन दे रहे हैं आप।

श्री प्रेम सिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, अभी तक वहां सिर्फ एक दफा भैरोंसिंह जी हैलीकाप्टर लेकर गये थे और ऊपर से उड़कर आ गये। उसके बाद कोई हैलीकाप्टर सहायता के लिए नहीं पहुंचा, उन गांवों के अन्दर कोई पैकेट नहीं गिराये। आज दिन तक वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। एक ही गांव चैनपुरा के अन्दर 19 आदमी मारे गये, एक साथ 18 आदमियों का दाह-संस्कार किया गया और 32 आदमी लापता हैं। अध्यक्ष महोदय, यह लापता भी नहीं हैं बल्कि 7-7, 8-8 फीट नदी में मिट्टी आ गयी और आज यह मिट्टी के अन्दर दब गये। खोद-खोदकर उनको निकाला जा रहा है। उन पर कौए और गिद्द मंडरा रहे हैं। जानवरों-मनुष्यों की लाशों के साथ क्या हो रहा होगा, प्रशासन को यह जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो गांव फ्लड से वह गये वहां किसी तरह का कोई सामान नहीं बचा पहनने के कपड़े, बिस्तर, बर्तन और यहां तक कि खाने-पीने की चीजें और अनाज तक ओट के अन्दर चला गया। नमक भी नहीं है वहां। मैं दावा करता हूं कि उन गांवों के अन्दर आज 10 रुपये किलो भी नमक नहीं मिलेगा। प्रशासन क्या करने जा रहा है? गेहूं कब दोगे लाकर। अध्यक्ष महोदय, मैं और एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक लाख भेड़ें मरी हैं जालौर जिले में जिसमें से ज्यादातर भीनमाल क्षेत्र में मरी हैं। आठ से दस हजार तक जानवर मरे हैं। जानवर रात को बंधे हुए रह गये। रात को फ्लड आया तो कई जानवर बह गये। वहां पर सड़ रहा है सब, मरे हुए जानवरों की लाशें सड़ रही हैं, जिससे बीमारी का बहुत खतरा है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

मैं आपको जानकारी दूं कि 35 गांव ऐसे हैं जहां फ्लड से मिट्टी ऊपर आ गयी, लाखों रुपये की उपजाऊ भूमि के ऊपर 4-4, 5-5 फीट की मिट्टी आ गयी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सब कुएं मिट्टी से बुर गये। गांवों की जितनी बिजली की लाइन थी, सब गिर गयीं। आज किसी भी स्कीम पर पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन उनके लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पायेगा। वह अभी तक वहां गया नहीं है। इतना ज्यादा विकराल रूप है वहां पर। जहां तक चारे का सवाल है, जो जानवर बचे हैं उनके लिए न तो गीला चारा है न सूखा चारा है। जानवर पहले तो मर गये पानी से, अब वह मर जायेंगे भूख से। माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि हम उनको कैटलफीड सस्ती दर पर देंगे। उनके पास तो, अध्यक्ष महोदय एक पैसा भी नहीं है, कहां से खरीदेंगे? जो जानवर बचे हुए हैं वह भी मर जायेंगे, इसलिए सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया आपका।

श्री प्रेम सिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने राहत सचिव एम. डी. कोरानी साहब से 2-3 दफा सम्पर्क किया। उनसे मैंने पूछा कि मेरे इन गांवों की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि आज दिन तक हमें कुछ मालूम नहीं। मैंने आज कॉन्टेक्ट किया तब उन्होंने बताया कि हमने एक हेलीकाप्टर भेजा था, उसने सामग्री गिरायी। कहां गिरायी, कोई पता नहीं। जूना चैनपुरा की यह जो रिपोर्ट आयी है, पुलिस का थाना (बागोड़ा का) नजदीक होने के कारण आयी है, बाकी इस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। प्रेमसिंह जी वहां दुबारा आकर गये......

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया आपका। अब अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे? हो गया, आपने सारी बात कह दी। श्री राजेन्द्र गहलोत। बैठिये अब आप।

श्री प्रेमसिं दहिया : अध्यक्ष महोदय, जानकारी तो दूं।

श्री अध्यक्ष : हो गयी जानकारी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : प्रशासन को जानकारी है नहीं, सरकार को जानकारी है नहीं....

श्री अध्यक्ष : There must be an end to it. और लोग पूछने वाले हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका बहुत अफैक्टेड है।

श्री अध्यक्ष : सब अफैक्टेड है, आप अकेले नहीं हैं। आप बिराजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, 200 आदमी लापता हैं, आज दिन तक प्रशासन....

श्री अध्यक्ष : जो पूछ रहे हैं वह सब अफैक्टेड हैं। बिराजिये।

(2.00 बजे म. प.)

श्री राजेन्द्र गहलोत : (सरदारपुरा) माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ के कारण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बालोतरा में बहुत नुकसान हुआ है। में 4 तारीख को ही जोधपुर पहुंच गया था। जोधपुर पहुँचने के साथ-साथ ही प्रशासन ने जोधपुर नगर में कच्ची बस्तियों को बचाने के लिए व्यापक तौर पर राहत कार्य चालू कर दिए थे। जोधपुर शहर....

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिए आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर शहर में नगर के अन्दर बरसात के कारण पहाड़ों से जो पानी आ रहा था उसकी निकासी के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। पिछली सरकार और यू. आई. टी. की अनियमितताओं के कारण....

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सवाल पूछिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत : क्या यह सही है कि जोधपुर में पानी निकासी के लिए जो अतिक्रमण किए गए थे उसके कारण पानी रुक गया था। इसके कारण जोधपुर की कच्ची बस्तियों में नुकसान हुआ, बहुत सारे मकान धराशाही हो गए। साथ ही जोधपुर शहर के अन्दर भी लोग बसे हुए थे।

श्री अध्यक्ष : तो आप सवाल पूछ रहे हैं ना।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर के बाहर अवैधानिक....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे सुनने तो दोगे आप, पता ही नहीं चलता है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं उनको अलग भूमि देकर जो पानी का निकासी का रास्ता है उनको दूर हटा करके बसाया जाय। दूसरा जोधपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ है विशेषकर मथानिया में जो कुओं के अंदर मिट्टी आ गई है मथानिया के अन्दर मोटरें पानी के अन्दर डूब गई हैं जो मिर्ची की फसल की पौध लगी हुई थी वो समाप्त हो गई है। इसके लिए सरकार मुआवजा देने के लिए....

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी आप पूछ रहे हैं। नहीं पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरी मांग तो पूरी हो जाये। एक मांग और है मेरी। कुओं की जो मोजें ले ली हैं, उन सब को मुआवजा दिया जाये। कृषि भूमि जो खराब है उसका भी मुआवजा दिया जावे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री पूनिया।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्री से कुछ जानकारी जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने जो चूरू जिले के आंकड़े, क्षतिग्रस्त मकानों के आंकड़े दिए क्या वो प्रशासन के द्वारा सही उपलब्ध कराए गए ? मेरी जानकारी में यह है मैं जाकर के आया हूँ। तारानगर और राजगढ़ तहसील के ग्राम टकड़ेबा, राजगढ़ कस्बा, सिपमोब संगोई में हजारों मकान गिरे हैं मैं खुद देखकर आया हूँ। इसलिए मैं आपके

(श्री इन्द्र सिंह पूनिया)

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि जो ये आंकड़े दिए जो बिल्कुल सही हैं क्या ।

दूसरा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी गई है क्या ? तीसरी बात मैं एक और जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि जो चूरू जिले में हरिजन परिवारों के मकान गिरे हैं उनको क्या सरकार अनुग्रह राशि बढ़ाकर देगी या नहीं देगी ? चौथी बात मैं आपके माध्यम से और जानना चाहूंगा कि क्या जो मकान गिरे हैं उनमें राजनैतिक भेदभाव हो रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सही बात कह रहा हूं आपको । मेरे पास हरिजन होते हुए आए, पटवारी गांवों में जा रहे हैं, आप इसकी जांच करवा कीजिए । अमुक-अमुक परिवारों को छोड़ रहे हैं, हरिजन परिवारों को अनुग्रह राशि नहीं दे रहे हैं उनके नाम नहीं आए । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मत्री जी, जिलाधीश चूरू को निर्देश दें कि किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाये ।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए । श्री विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उसके सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूं । क्या यह सही है कि यह बाढ़ ज्यादा बरसात जोधपुर जिले में और जालोर जिले में हुई है वो 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में हुई जबकि आप वहां से 7 तारीख को गए हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन (बाढ़ एव अकाल सहायता मंत्री) : 6 को ।

श्री रामसिंह विश्नोई : 6 को रात को गई होगी, 7 को पहुंची सुबह आपको यह मालूम कब पड़ा कि वहां पर ज्यादा अतिवृष्टि हुई है और ज्यादा नुकसान हुआ है यह जानकारी कब हुई है ? दूसरा, क्या यह सही है कि ये जो नुकसान हुआ है वह जोधपुर से 50 किलोमीटर की परिधि में हुआ है मतलब 20 से 30 मील या 50 किलोमीटर के एरिया में हुआ है केवल । और ऐसे का ऐसा नुकसान जालौर, सांचोर भीनमाल एरिया में भी ज्यादा हुआ है । कहने का तात्पर्य यह है कि यह नुकसान पूरे जोधपुर संभाग न में हो करके केवल कुछ पोरशन के अन्दर हुआ है । जैसे बिलाड़ा है भूपालगढ़ है, ओसिडया है, फलौदी है वहां पर केवल 150 या 200 मिलीमीटर बरसात हुई है, लेकिन जोधपुर के आस-पास में करीब 350 से 600 मिमी बरसात हुई है और यह पर्टिकुल एरिया के अन्दर हुई है । क्या यह सही है कि जब 3 तारीख को इस तरह का बाढ़ का प्रकोप हुआ उस समय प्रशासन शहर को छोड़कर गांव की तरफ नहीं गया ? ये 7 तारीख को, 8 तारीख को जब मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी और पुष्पा जी पधार रहे हैं तब जाकर सक्रिय हुए और जो भी मेरे ख्याल से चुंगी चौकी से बाहर नहीं गए हैं क्योंकि मैं वहां जाकर आया हूं क्योंकि मेरा पंचायत समिति लूणी और पंचायत समिति मण्डोर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

है, फूलसागर जिसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यह जोधपुर से सटे हुए गांव हैं। एक भी गांव के अन्दर कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं गया और गए हैं जो कर्मचारी जो थे ही नहीं, वे शाम को आ जाते हैं जाकर मैं बता रहा हूं मैं गया हूं कई गांवों में एक डाक्टर किसी भी हास्पिटल के अन्दर नहीं था। चाहे आप डूंडाला ले, चाहे सेतुरावा ले, चाहे लूणी ले, चाहे देवा ले, चाहे जिवार ले और सालावास जहां से 10 किलोमीटर है वहां पर 4-5 डाक्टर लगे हुए हैं एक डाक्टर वहां पर मौजूद नहीं था जहां पर भयंकर यह ताण्डव नृत्य हुआ था तीसरी यह है कि कूडी के अन्दर जो जोधपुर से केवल 10-15 किमी. की दूरी पर है और वहां पर जो जीप आई थी पाली से वो गाड़ी वहां पर फंस गई थी और फंसने के बाद वहां पर हालांकि ट्रक वालों ने मना किया था कि पानी बहुत ज्यादा है आप इसमें मत घुसिए। लेकिन उनको जरूरी काम था इसी काम से वो गए थे उनको जोधपुर जाकर जरूरी था जो अन्दर एन्टर हो गए उसके बाद वो गाड़ी उल्टी हो गई। मेरे ख्याल से 2 घण्टे, 3 घंटे तक जो चिल्लाए वहां पर। जोधपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है वो जहां पर यह हादसा हुआ। और करीब 2-3 घण्टे तक वो रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे हालांकि ट्रक वालों ने बहुत कोशिश की. उन्होंने रस्सा भी फेंका, सब किया लेकिन जब 2-3 घण्टे तक जब कोई उपचार नहीं हुआ उसके बाद वो वहां से गिर गए और उनकी लाशें भी गई 15-20 किलोमीटर दूर लेकिन कोई भी अधिकारी चांहे पी.डब्ल्यू.डी. का हो, चाहे कलक्टर हो, चाहे एस.पी. हो किसी भी तरह की कोई इमदाद देने वाला वहां पर मौजूद नहीं था। क्या यह सही है कि जब 400-600 मिलीमीटर बरसात किसी क्षेत्र में हो और यह बरसात वाले हमेशा इतला करते हैं भविष्यवाणी करने वाले कि बरसात कितनी होगी उनको जानकारी में था या नहीं था। अगर था तो उन्होंने कलक्टर है, एस.पी. है जो भी अधिकारी है उनको यह इतला थी या नहीं। थी तो उन्होंने क्या व्यवस्था की ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय सही जानकारी यह है कि मैं और 8 तारीख को इस क्षेत्र में गया था एक दिन मुख्यमंत्री जी वहां पर पधारे थे और उन्होंने हेलिकॉप्टर से सर्वे किया था और पुष्पा जी भी वहां जोधपुर में ठहरी थीं फिर बाद में वे पाली पधार गयीं व एक भी गांव के अन्दर ऊपर से तो देखने से मालूम पड़ता नहीं आप ऊपर से 200 फिट ऊपर कोई आदमी देखे तो मालूम पड़ता नहीं है हेलिकॉप्टर जब उनके पास था तो कम से कम ऐसे प्रभावित जो गांव हैं वहां पर कोई भी ऐसा स्थान तो हो सकता है जहां पर वो हेलिकॉप्टर आराम से उतर सकता है। स्कूल के मैदान भी हैं, कहीं पहाड़ी भी है, कहीं भाकर भी है कहीं पर भी उतर कर इनको देखना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : अब यह टेक्निकल मामले हैं इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते

(श्री अध्यक्ष) :

...पर निर्भर कर सकता हूँ। संभवतः उतरें या न उतरें।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोशिश करनी चाहिए। आपका कलक्टर वहां गया नहीं।

श्री अध्यक्ष : You have made your point.

श्री गोपाल सिंह जी : सारे पाइन्ट आपने बता दिये अब बाकी क्या बचा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : बाढ़ के अलावा कुछ हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : क्या बाकी बचा है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : बचा यह है कि जहां पर जिनके मकान गिरे हैं, शत प्रतिशत जो कच्चे मकान हैं वो प्रभावित हुए हैं। जोधपुर में 200-300 वर्ष पुराने बहुत बड़े-बड़े किले, बहुत बड़े-बड़े मकान वो भी नहीं बच पाये तो गांव में जो ढाणियां थीं, कच्चे घर थे, मकान थे उनकी क्या स्थिति हुई और आप अंदाज लगा सकते हो, उनको आप क्या मदद देने जा रहे हो एक तो यह मामला है जिनके कुएं नष्ट हो गये, कुओं में रेत धंस गई पूरे एरिया के अन्दर आज 2 तारीख...

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, क्या दे रहे हैं हो गयी बात...

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपको जल्दी क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मुझे जल्दी इसलिये है कि हाउस चलाना मेरी जिम्मेदारी है, एक घण्टा हो गया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक घण्टा हो गया तो...

श्री अध्यक्ष : इसलिये क्षमा करिये। I am bound by the time and I will regulate.

मुझे करना पड़ेगा, यह मेरा है ... हो या किसी भी हो, करना पड़ेगा। I have to do it. This is my responsibility.

श्री प्रद्युम्नसिंह : हाउस चलाना आपकी जिम्मेदारी है, यह बात सही है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक है, you may be little liberal to-day.

श्री प्रद्युम्नसिंह : लेकिन मानवीय दृष्टि-कोण से...

श्री अध्यक्ष : जब आप मानवीय दृष्टि-कोण बार-बार उसको रिपीट करेंगे तो, आपका पाइन्ट आ रहा है। आप विराजें, वह तो अपने आप में सक्षम हैं, मेरी तरह उनकी वकालत की जरूरत नहीं है.... (व्यवधान) तो उनको बोलने दीजिये ना। आप उनको कम्पलीट करने दीजिये ना। आप बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय इस गवर्नमेण्ट ने डेमोक्रेटिक आधार जो प्रश्न नया दिया है, जो डाइमेन्शन है राइट टू इनफर्मेशन गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया श्री वी. पी. सिंह ने कहा है कि यह सरकार खुली सरकार है और जब इस तरह की विनाश-लीला हुई है, इस तरह की जबरदस्त लोगों की जानें गई, पशु मरे है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अनेकों हाथ उठ रहे हैं सबको मौका मिलता है कि नहीं ? आप सब को मौका मिले या नहीं, हर आदमी हाथ उठा रहा है, जितना संक्षेप में कहेंगे उतना औरों को मौका मिलेगा और अब यदि एक ही एक आदमी बोलता रहेगा तो औरों को मौका नहीं मिलेगा और यह तो देखना मेरा काम है कि सबको मौका मिले ।

श्री परसराम मदेरणा : Kindly be little liberal to-day.

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैंने प्रक्रिया के नियम 50 के तहत यह दिया है और उसमें लिखा है कि पूरे दिन की इस पर चर्चा होनी चाहिये, आपने सिर्फ स्टेटमेण्ट दिलवाया है । आप पूरे दिन चर्चा नहीं करा सकते हैं तो कम से कम समय तो पूरा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । आप बिराजें ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय पूरे क्षेत्र के अन्दर, कम से कम पंचायत समिति लूणी, मण्डोर और ओसिया के पोर्शन में अभी प्रशासन गांवों में नहीं जा सका है । वहां नहीं जाने से हकीकत में क्या नुकसान हुआ है, यह जानकारी नहीं हुई है । इसलिये जल्दी से जल्दी गांवों में जाकर के, पूरा सर्वे करवाकर कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है आया उनको खाद है, बीज है, खाने का सामान सामग्री है, कितना क्या नुकसान हुआ है इस तरह की उनकी यह जानकारी होनी चाहिये थी । एक तो यह है ।

दूसरा यह है कि जहां पूरे एरिया के अन्दर जो बिजली के खम्भे थे वह गिर गये हैं वह अब कब तो वापस लगेंगे, सड़क थी सड़क टूट गयी, कहीं पुलिया है वह टूट गई, स्कूल भवन है गिर गये इस तरह का सरकारी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति आप कब तक कर देंगे ? क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, केन्द्र की टीम आई या नहीं आई, कोई इमदाद आई या नहीं आई, कैसे मदद देंगे ? इस तरह के सवालात हैं जिनका सही ढंग से जवाब दीजिये ।

दूसरा, मंत्री महोदया जो पाली जाकर आई हैं मेरे ख्याल से इनको भी गांवों में जहां पर नुकसान ज्यादा हुआ है वहां पर लोगों के पास जाकर के, केवल पाली की विधायिका हैं वैसे मैं मानता हूं लेकिन इसके अलावा आप तिवरी है, मथानिया है, रामपुरा है, जिन गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है । मेरे लूणी के झुण्डाला, सतलाना गांव है जहां पर अभी तक गांव में जा नहीं सके हैं, मैं खुद नहीं जा सका । हमारे पास तो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कोई साधन था नहीं, हैलीकाप्टर हमारे पास था नहीं जो वहां से जाकर कूद जायें लेकिन कम से कम जहां पर इफेक्ट हुआ है गांव में, वहां पूरे जिले में तो हुआ नहीं है तो कलेक्टर को भी जाना चाहिये, मौके पर कोई अधिकारी आज तक वहां गया नहीं, कलेक्टर की ट्रांसफर हो गयी, ए. डी. एम. नया आदमी है, उसको रास्ते का मालूम नहीं है मतलब यह है कि कोई भी प्रशासन वहां पर सक्रिय नहीं है। वह जोधपुर में लगे हुये हैं। जोधपुर में जरूर आस-पास घूमते होंगे और मैं उनकी कोई गलती भी नहीं समझता लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनको गांवों की ओर जाना चाहिये जहां आम आदमी जा नहीं सका है, वहां से शहरों में नहीं आ सके हैं वहां पर आने-जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। यही मेरे सवालात हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह जी।

श्री गोपालसिंह (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि मेरे आहौर क्षेत्र के 16 गांव वहां पर प्रभावित हुये हैं बाढ़ से, 16 में से करीब 5 या 6 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हुये हैं, जिनमें सैंदड़ा है, शंखवाली है, हरियाली है, भवरानी है, नौसरा है, कबराड़ा आदि गांव हैं। साफ तौर से मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर राज्य सरकार की तरफ से क्या मदद पहुंच चुकी है और क्या-क्या आप और पहुंचायेगी, इन दिनों जब कि अब रास्ते शायद खुलने लग गये हैं?

दूसरा प्रश्न यह है कि इन 16 गांवों में से कितने ऐसे गांव हैं जहां पर अपनी सरकार की तरफ से जिले से या तहसील से या एस. डी. ओ. से या बी. डी. ओ. से इस तरह के कोई अधिकारी इन 16 गांवों में से हर गांव में कोई पहुंचा है या नहीं, जो प्रभावित गांव हैं, जिनके चारों तरफ पानी है हेलीकॉप्टर से वहां के लोगों को खाने के रूप में पैकिट्स हैं या कोई अन्य तरह की खाने-पीने की सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था हुई या नहीं हुई?

तीसरा मेरा सवाल यह है कि गांवों के अन्दर हमारा एक ऐसा समाज है जिनको राइका समाज या रैवारी समाज कहते हैं उनकी कुल मिलाकर सम्पत्ति या प्रापर्टी भेड़-बकरी ही है। अगर भेड़-बकरी नहीं है तो वह कंगाल हैं और अगर भेड़-बकरी उनके पास हैं तो अमीर हैं। यह भेड़ें बकरियां इस तरह की जलवायु को सहन करने की आदी नहीं हैं। इनमें बहुत ज्यादा मौत होती हैं। क्या आपने इनको भी किसी तरह का मुआवजा देने या किसी तरह की राहत पहुंचाने की व्यवस्था की या नहीं की है, इसके बारे में कोई प्रावधान रखा है?

16 गांव जो हैं उनके कृपया नाम बताने की कृपा करें जो मेरे आहौर क्षेत्र के हैं और इन 16 गांवों के नाम बताकर मुझे ग्रामवाइज यह भी बतलाने की कृपा करें कि कहां-कहां पर इनमें किस तरह की राहत आपके जिला लेबल मे पहुंचाई गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपका ही नाम ले रहा हूं। अब आप सुनते हैं नहीं।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, शिव तहसील में कुल 165 गांव हैं जिनमें से 135 गांवों में आज तक बरसात की एक भी बूंद नहीं गिरी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह मजाक की बात नहीं है, बड़ी गम्भीर समस्या की बात है। इसी तहसील से लगते हुए जैसलमेर तहसील के सम तहसील....

श्री अध्यक्ष : मजाक यह हो रही है कि यहां बाढ़ की चर्चा हो रही है और आप बरसात की ?

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, उसी से जुड़ा हुआ है अकाल से जुड़ा हुआ मामला है। मैं कोई अनजाने में नहीं कह रहा हूं बड़ी गम्भीर बात है। सम तहसील के 105 गांवों में एक बूंद भी बरसात नहीं है, टोटल ढाई सौ गांवों में लगातार 6 साल से अकाल है, माननीय श्री मदेरणा साहब जानते हैं। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना, चौहटन, बायतु के इलाके में गोचर की एक इंच भी जमीन गांव में नहीं है। इन गांवों के मवेशी हमेशा जैसलमेर और शिव तहसील में चौमासे के दिनों में चरने जाते हैं। जहां, जहां बरसात नहीं हुई वहां मवेशी जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सेवण घास वाले इलाके में अभी तक बुआई नहीं हुई है और न बरसात हुई है तो वहां की गायें, भेड़ बकरी के मरने का खतरा पैदा हो गया है। राहत कार्य पहले भी यहां खुले नहीं हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में जो लोग मजदूरी करने गये थे वह वापस आ गये हैं। इनके लिए भी राहत की तुरन्त कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि मेरे चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बा तगारीनुमा बसा हुआ है उसमें बरसात से बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। इतने दिन व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उस पानी को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, क्या मंत्री महोदया उस पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आपके सीकर में भी काफी बरसात हुई है, यह तो सौभाग्य है सीकर का कि एकाध मकान तो गिरे हैं लेकिन विनाश नहीं हुआ। सीकर के मुचारी, मोचीवाड़ी, कुम्हारों का मोहल्ला, इस्लामिया स्कूल, बजाज रोड यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पिछली जो बरसात आई उसमें भयंकर बाढ़ की स्थिति हो गई थी। नगर परिषद के अधिकारियों से काफी कोशिश के बाद जब सम्पर्क हुआ तो एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई कि वहां पर पम्प सेट लगाकर पानी बाहर निकालना पड़ा था। यह स्थिति बराबर बनी रहती है। आज भी मुचारी, मोचीवाड़ी और जो कुम्हारों का मोहल्ला है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वहां काफी पानी आज भी इकट्ठा है । मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उस पानी के निकालने के लिये कोई नाले की व्यवस्था कराने का प्रावधान करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले का जो बस्सी विधान सभा क्षेत्र है उसके बारे में अवगत कराऊंगा कि अतिवृष्टि से मैं स्वयं वहां जाकर आया हूं अतिरिक्त जिलाधीश विकास और तहसीलदार के साथ में जहां पर ढाई सौ कच्चे घर गिर गये हैं और 17 पक्के घर गिर गये हैं, 17 कुए ऐसे हैं जो ज्यादा पानी आने से मिट्टी से भर गये हैं । मैंने अवगत कराया उसके बाद में राज्य सरकार की तरफ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं गया। मेरे साथ 2 गांवों में जाने के अलावा मैं अकेला जाकर आया हूं, यह जो अनुदान राशि जिनके कच्चे घर गिर गये हैं उनको 500 रुपये और 200 रुपये दिये जा रहे हैं वह बहुत कम है, क्योंकि जो उनका सारा अनाज था या दूसरी जो चीजें थीं वह नष्ट हो गयी है ।

ग्राम पंचायत पालावालाजाटान है, वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कच्चे घर थे वह सारे गिरकर ढेर हो गए हैं । अकेले एक चपड़िया गांव है उसमें 60 कच्चे घर एक साथ बैठ गए हैं । मैं देखकर आया हूं मेरे साथ दो पंचायतों में पालावालाजाटान में अतिरिक्त जिलाधीश विकास गए हैं, सामरा में गए हैं । जहां सड़क टूट गई और बांध भी सिंचाई विभाग की तरफ से बना हुआ था वह भी टूट गया है । पंचायतों के माध्यम से जो बने हुए थे 17 बांध वह भी टूट गए हैं । चार गांव ऐसे हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं । खेड़ली खुर्द जहां सिंचाई विभाग की तरफ से बंधा बना हुआ है उसका पानी गांव के चारों तरफ भर गया है । गांव वालों के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है । ग्राम पंचायत रलावता के ग्राम रलावता के अन्दर भी जो एनिकट सिंचाई विभाग की तरफ से बना हुआ है, उसमें भी चारों तरफ पानी भर गया है । क्या मंत्री महोदय इसके अन्दर कोई राहत कार्य चालू करके नहर बनाकर के पानी को निकालने की कोई व्यवस्था करें जिससे गांव वाले आ जा सकें ।

इसके साथ ही कुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है । कुओं के अन्दर मिट्टी भर गई है । पम्प सैट भी उसके अन्दर डूब गए हैं । सरकार की तरफ से जिलाधीश महोदय से इस बारे में सम्पर्क किया मैंने तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । लोगों ने बरसात से एक महीने पहले जो मूंगफली बोई थी वह सारी मूंगफली नष्ट हो गई है किसानों की । पांच-पांच, छः-छः फीट रेतीली मिट्टी उसके ऊपर आ गई है और कटाव लगकर के काफी खेती नष्ट हो गई है । इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका बैठिए । श्री माहिर आजाद ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मन्त्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं और एक सुझाव देना चाहता हूं कि पूर्व में मौसम विभाग द्वारा यह सूचना दे दिए जाने के पश्चात् भी फलां-फलां स्थानों पर बाढ़ का खतरा है, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन स्थानों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम क्यों नहीं किया ? जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? या की गई हो तो उससे मुझे अवगत कराया जाए।

दूसरा सवाल, जयपुर में 1981 की बाढ़ से हम भी प्रभावित रहे हैं, भुक्त भोगी हैं। क्या भविष्य में कहां-कहां बाढ़ आने का खतरा है ? पहले से ही अवगत करा दिया जाए ताकि उस हिसाब से वहां पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किए जा सकें।

तीसरा सुझाव यह देना चाहूंगा कि यह सही है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं पूरे तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टर भी रास्ते बन्द होने और कई कारणों से वहां नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए वहां विशेष चिकित्सा टोली भेजी जानी चाहिए। कुछ डॉक्टर जयपुर में स्थानान्तरण के लिए घूम रहे हैं उनको अगर एक-एक महीने के लिए बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा करने के लिए भेज दिया जाए तो मैं समझता हूं ज्यादा उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अचला राम।

श्री अचला राम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, देसूरी क्षेत्र में बहुत से तालाब, एनिकट, दुकानें, सड़कें, पुलियाएं डेमेज हो गई हैं। करीब 20 तालाब टूट गए हैं जिसके कारण काफी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो चुका था। अब स्थिति काफी सामान्य है। क्या उन तालाबों को वापस सरकार ठीक कराने की मंशा रखती है ? किसानों का अनाज बहकर के चला गया। प्रतापगढ़ में और वीरमपुरा माताजी में काफी मकान बहकर के चले गए हैं। रानी नगरपालिका और सादड़ी नगरपालिका के कुछ वार्डों में काफी मकान ढह गए हैं। उनको भी क्या सरकार विशेष राहत देने की मंशा रखती है ? देसूरी में मुकेश नाम का एक बालक बहकर चला गया और वीरमपुरा माताजी में हंजा नाम की एक महिला बीमार थी, घर में पानी घुस जाने से वह डूबकर के मर गई। उन्हें विशेष सहायता दी जाकर के उन्हें राहत पहुँचाने की क्या सरकार मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर में भी इसी प्रकार की बाढ़ के बारे में बहुत भयंकर स्थिति कई जगह पैदा हुई है। सवाई माधोपुर के अन्दर अभी एक बच्चे की मौत बरसात में छज्जा गिरने की वजह से हो गई। क्या सरकार इसके बारे में विचार कर रही है ? क्या अन्य जिलों का भी कोई इस प्रकार का ध्यान सरकार रख रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विनोद कुमार। कृपया जानकारी दें।

श्री विनोद कुमार (अनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में जो विनाश लीला हुई है उसकी पुनरावृत्ति पूर्वी राजस्थान में न हो जाए। मेरे क्षेत्र हनुमानगढ़ में जो एक लाख की आबादी का शहर है, जंक्शन और टाउन के बीच में से घग्घर नदी बहती है। हर साल अमूमन जो बरसात होती है, बाढ़ आती है तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है तो उसका पहले ही इन्तजाम कर लिया जाए ताकि हमें सदन में इसकी दुबारा से चर्चा नहीं करनी पड़े और लोगों की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी। (व्यवधान)

माननीय दहिया जी, आप बैठिए। मैं आपको अब दुबारा मौका नहीं दूंगा। आप पहले जवाब सुनिए। प्लीज बैठिए आप। (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप समय खराब मत कीजिए। बैठिए आप।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले में सारी सड़कें बरबाद हो गई।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। हाउस की व्यवस्था को बनाए रखिए। इनको बोलने दीजिए।

श्री प्रेमसिंह दहिया : जालोर जिले में फ्लड प्रोटेक्शन की एक स्कीम बनी हुई है साढ़े बारह करोड़ रुपए की। सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : हां हो गई। फ्लड प्रोटेक्शन की हो गई। विराजिये आप। माननीय मन्त्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन (बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं कि जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव भी दिए और अपने क्षेत्र के बारे में चिन्ता भी जाहिर की। जैसा कि मैंने सारा बयान जो अपना पढ़ा उसमें इन प्रश्नों का जवाब करीब-करीब आ चुका था। फिर भी माननीय सदस्यों का आदर रखते हुए मैं माननीय सदस्य जो करौली से आते हैं, उन्होंने कहा कि कौन-कौन से अफसर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में डेप्युट किए गए उनका मैंने नाम नहीं बताया। मैं बताना चाहती हूं पाली में श्री पी. डी. ठाकुर, आयुक्त वाणिज्य कर जोधपुर में उद्योग सचिव श्री पी. वी. माथुर, जालोर में खान सचिव श्री एन. के. बैरवा, बाड़मेर में वन सचिव श्री महेन्द्रसिंह, सिरोही में सचिव विशिष्ट योजना श्री बी. एस. मिन्हास को इन जिलों का प्रभारी बनाया गया है। जो बाढ़ पीड़ित जिलों का सर्वे करेंगे और वहां की व्यवस्था को भी देखेंगे। इसके साथ ही माननीय सदस्यों का ऐसा सुझाव था, पहले भी उन्होंने दिया था....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो आपने पहले ही अपाइन्टमेंट कर दिया था। अखबार में आ गया था।

सुश्री पुष्पा जैन : पर करौली से आने

(सुश्री पुष्पा जैन)

वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा था। माननीय सदस्य ने एक बात और भी कही कि पाली में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं उनको दुरुस्त करते हुए कहना चाहती हूं कि पूरे पाली जिले में 6 मौतें हुई हैं जो बहुत ही दुःख दर्ण हैं। लेकिन पाली में जिस तरह का उन्होंने विवरण दिया कि लाठी चार्ज हो रहा है, लाठियां चल रही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहती हूं पाली ही नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान में जहां-जहां बाढ़ आई है इस तरह की स्थिति कहीं भी पैदा नहीं हुई है। इस तरह की स्थिति पैदा होने से पहले सरकार स्वयं वहां पहुंच गई। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी वहां पहुंच गए। उन्होंने चिन्ता जाहिर की कि मुख्य मन्त्रीजी ने हवाई सर्वे किया। मैं बताना चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री जी जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बालोतरा इन सारी जगहों पर स्वयं हैलीकाप्टर से उतरे और उन्होंने वहां के बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और सभी लोगों से, अधिकारियों से भी कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है। वहां की जो प्रभावित जनता थी उनसे स्वयं से भी....(व्यवधान)

आप बीच में न बोलें। आप बोल रहे थे तब मैं बीच में नहीं बोली थी। आप बैठ जायें जनता से भी उन्होंने दुःख-सुख पूछा और जो भी उन्होंने कहा उस तरह की अनुकूल व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को तुरन्त निर्देश दिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की अपील पर इन सारे जिलों में पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही के जितने भी प्रवासी लोग हैं वह सारे लोग अपने-अपने देशों से, अपने-अपने क्षेत्रों से आ गए हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से उनको भरपूर मदद मिल रही है। इन सबकी सरकार ने उनसे अपील की है और वह मदद कर रहे हैं। हम उनके हार्दिक आभारी हैं। इसलिए कहीं भी ऐसी अव्यवस्था नहीं हुई है और कहीं इस तरह के दंगे, लड़ाई झगड़े और चोरियां लूट कुछ भी ऐसा नहीं है उसे बिल्कुल दिलो दिमाग से निकाल दें। वहां पर व्यवस्था बिल्कुल सही है। और भी आपके सुझाव हो मैंने पहले ही कहा मैं स्वागत करूंगी। आदरणीय मदेरणा साहब ने कुछ सुझाव दिये हैं उन्होंने कहा कि फसलों का मुआवजा देने पर सरकार क्या विचार रखती है, सूखे चारे पर क्या विचार रखती है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर आपके साथ मिलकर विचार कर लेगी। जैसा आपका सुझाव होगा सब मिलकर इसको भी लागू करने के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। आपने मरने वालों की संख्या भी मुझसे पूछी। मैं मरने वालों की संख्या आपको बता देती हूं। मैंने पहले ही कहा अध्यक्ष महोदय, कुछ रास्ते तो अभी चालू कर दिये गये हैं और कुछ रास्ते चालू नहीं हैं। जितने भी मरने वालों के नाम उपलब्ध हो सके हैं मैं उनको आपके सामने पढ़ देती हूं। संख्या मैंने पहले कही 72 है। कुछ लापताओं की संख्या भी मैंने आपको बताई। आपने यह भी जानना चाहा है कि हैलीकाप्टर से मदद सब जगह

(सुश्री पुष्पा जैन)

पर नहीं दी गयी मैं आपको बताना चाहती हूं इसमें वायु सेना द्वारा जो खाद्य पैकेट के वितरण किये गये दिनांक 5-7-90 से सोरडी की जो संख्या थी वह है चार। मथानियां। मथानियां के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की और कहा कि आप सब जगह गयीं, पाली गयीं। पाली नहीं गयी मैं सब जगह गयीं हूं। मैंने आपसे भी कहा था आप रात को सो गये। मैंने टेलीफोन किया अर्धरात्रि में आपको चलने के लिए....

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय मन्त्री महोदय, मेरी बात सुनें, आपने क्या गलती की वह तो मैं कहता नहीं हूं। मुझे आप नहीं कहतीं कि मैं लेकर जाऊंगी तो मैं कभी का पहुंच गया होता। शेम आपको आनी चाहिए। मन्त्री महोदय, आप मुझे नहीं कहतीं तो मैं मेरे तरीके से चला जाता लेकिन आपने, मुझे कहा कोई आदमी आपका आया नहीं, आपने आदमी भेजा नहीं। मैं रोता रहा पूरी रात भर और मैंने बात नहीं की कि आपकी गाड़ी है आप मुझे ले जाना नहीं चाहती हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने यह बात कही नहीं लेकिन आप इस तरह असत्य बयान देकर हाउस को गुमराह करती हो। आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं पूरी रात खड़ा रहा हूं और सारी रात रोता रहा हूं। मुझे आप नहीं कहतीं तो मैं मेरे तरीके से चला जाता। लेकिन आप मुझे ले नहीं गयीं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं क्षमा चाहती हूं। मेरा मन्तव्य कतई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था लेकिन....

श्री अध्यक्ष : आपको रोते हुये किसी ने नहीं देखा।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इस सदन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुये कहना चाहती हूं कि मैं आपको नहीं ले जा सकी, मैंने पूरे प्रयास किये। अपनी त्रुटि मानती हूं इसको मैं स्वीकार करती हूं। मेरे प्रयासों के बावजूद मैं नहीं ले जा सकी कोई बात नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने आपको जिक्र नहीं किया लेकिन आप इस तरह की बात करती हो।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने क्षमा मांगी है आपसे। आपने कहा कि मथानिया नहीं गये। मथानिया आदरणीय मुख्य मन्त्रीजी गये हैं मैं भी स्वयं साथ में गयी हूं और जो कुछ पाली, सिरोही, जालौर, बालोतरा, मथानिया, इन सब जगह पर मैं स्वयं गयी हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मथानिया में किसलिए गये थे? कोई पूजा करने गये थे क्या? मथानिया में तो कुछ है भी नहीं। (व्यवधान)....मथानिया में प्याज लेने गए थे क्या आप?

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए है यह तर्क। दूसरा अध्यक्ष महोदय, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जालौर तो कोई पहुंचा नहीं। मैं बड़े अदब के साथ

(सुश्री पुष्पा जैन)

कहना चाहती हूं आप पहुंचे या नहीं पहुंचे जालौर मुख्य मन्त्री गये, मैं गयी और भीनमाल, जालौर में सरकार अभी भी बैठी हुई है। जोगेश्वर गर्ग वहां बैठे हैं और पूरे जालौर जिले का दौरा किया है। उनका टेलीफोन भी मेरे पास आया है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल असत्य बोल रही है। अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी दूसरी दफा पहुंचे नहीं, वहां से सीधे चले गये।....

श्री अध्यक्ष : आप बैठये। आप सुनिये पहले।

सुश्री पुष्पा जैन : श्री जोगेश्वर गर्ग जिन्होंने पूरे जालौर जिले का दौरा किया है वह पूरी रिपोर्ट के साथ कल तक शायद सदन में आ जायेंगे और आप चाहेंगे तो आपको पूरे जिले की....

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, यह फिर बोल रही हैं, यह असत्य बात है कोई नहीं गया। यह जालौर जिले का दौरा करके आये भैरोंसिंहजी एक पैसा नहीं दिया जोगेश्वर गर्ग को।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

सुश्री पुष्पा जैन : आप जो कहें वह सत्य है और मैं जो कहूं वह असत्य है कम से कम इस तरह ना करें। अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल पूछा गया है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा टीमें भेजने का क्या इन्तजाम किया गया ? मैं यह बताना चाहती हूं कि जोधपुर में डॉ. आर.एस. गौड, अतिरिक्त निदेशक, जालौर में डॉ. के.सी.बाफना अतिरिक्त निदेशक, बाड़मेर में डॉ. के. एस. मेहता अतिरिक्त निदेशक पाली में डॉक्टर जी. एम. सक्सेना अतिरिक्त निदेशक सिरोही मेंडा. जी.एस. गहलोत संयुक्त निदेशक डेप्युट किये गये हैं और उनके नेतृत्व में वहां पर मेडिकल टीम सब जगह जायेगी। इसके अलावा भी मैंने पहले भी अपने बयान में कहा कि इस बयान को कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर नहीं दे रही। बाढ़ आई, लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की जान माल उसमें गयी है। उस क्षति के प्रति पूरे सदन को संवेदना है और दुःख है। हम चाहते हैं कि भरसक जितना भी हमसे हो सके उनकी मदद की जाये और उनको उस परिस्थिति से उबार कर अच्छी स्थिति में लाया जाये। जो भी सरकार कर रही है उसमें जिसके लिए आपको लगता है कोई कमी है तो आप सुझाव देंगे उनका स्वागत करूंगी और उनके एंड करके उनको अच्छी तरह से मदद दी जायेगी और निश्चित रूप आप जाना भी चाहेंगे तो जो भी माननीय सदस्य जाना चाहते हैं, जिस इलाके में मुझे बतायें मैं समुचित कोशिश करूंगी उनकी व्यवस्था की जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा जी। चार सवाल पूछ सकते हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जोधपुर की कच्ची बस्तियों में जो बाढ़ का पानी आया उसका मुख्य कारण रेन ड्रेन्स थी उनकी सफाई प्रशासन ने कतई नहीं की सब की सब रेन ड्रेन्स भरी हुई हैं। मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

खुद देखकर आया हूं। अगर रेन ड्रेन की सफाई होती अगर बरसात की ड्रेन्स साफ होती तो, आज जयपुर में ज्योति नगर में रहा हूं। मैंने रेत निकाली बरसात का पानी आया वापस भर गया। इसलिए आपका प्रशासन दोषी है और उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न में यह पूछना चाहता हूं कि जोधपुर में नेशनल हाई वे सब रुक गये, यात्री रुक गये और तरफ सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थीं चाहे वह नागौर का रूट था, चाहे वह पाली का जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने किया और चाहे बिलाड़ा वाला रूट था। क्या प्रशासन ने किसी भी अधिकारी को भेजकर लोगों को यह कहा कि अपनी गाड़ियां न हीं डालें, कोई ऐसी व्यवस्था की थी ? मेरे सामने 6 तारीख को बस गिरी है। वहां से 24 कि. मी. की दूरी पर नागौर रोड पर वहां के लोगों ने औरतों को उठाया, 2 औरतें बेहोश हो गयी थीं। बच्चों को उन्होंने उठाया, टेलीफोन के तार तोड़े। एक पुलिस का कांस्टेबल नहीं कोई राज्य का कर्मचारी नहीं, किसी रूट पर कोई व्यवस्था नहीं की आपने क्या यह प्रशासन ही क्रिमिनल नैग्लिजेन्स नहीं है ?

तीसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि क्या सरकार ने जब सैकड़ों गांव महरूम हैं, जो आज यह बात कर रहे हैं। शायद हेलिकाप्टर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर उतारने की बात को बहुत डाइल्यूट कर रहे हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जिन 14 गांवों के नाम लिये हैं आज भी महरूम हैं, लापता आदमियों की संख्या 50 से ज्यादा है। मैं सदन में कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से और एक पैकेट वहां ड्राप नहीं किया गया है सिवाय एक ग्राम चयनपुरा के जो पुलिस हैड क्वार्टर के पास में है। आज भी सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया अब जो बचा हुआ है वह भीनमाल तहसील का है। क्या यह सही है कि आपने हेलीकाप्टर से या नावें डेप्लाय करने की जो बहुत लाल सुर्खियों में आपने अखबारों में छपाई है, एक भी व्यक्ति को जिसकी जान जोखिम में थी आपने हेलीकाप्टर से उठाया है क्या ? क्या यह बात सही है कि है जो महरूम गांव थे वहां पर 4-5 के बाद में मैं उम्मेद नगर गया था क्योंकि वहां से एक-एक आदमी पहाड़ियों से चढ़कर इधर आ गये थे। आपने उसके बाद में कहीं पर भी पैकेट्स नहीं डाले हैं। क्या यह सही है कि जब पाली की न्यूज पर जो लट्ठ चल हैं इसका मुख्य कारण यह है कि हैड लोड के ऊपर जिस प्रकार 1973 में पाली से 20 पार्टियां है, मैंने खुद ने चार घंटे बैठकर चार फीट पानी में रवाना की थी। आपने फ्री राशन नहीं दिया है। गांव में 400 घर हैं, आप पचास पैकेट डालते हैं, तो लाठियां नहीं चलेंगी तो क्या बन्दूकें चलेंगी ? और इसलिये प्रशासन ने आज दिन तक भी फ्री-राशन नहीं दिया है, आप क्रिमिनली नेगालिजेन्ट हैं।

क्या यह सही है कि हवा चली है 8 तारीख को और ज्योंही हवा चलेगी पक्के मकानों में दरारें पड़ जायेंगी। क्या सर-

(श्री परसराम मदेरणा)

कार इन लोगों को सीमेन्ट उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

क्या यह सही है कि काश्तकारों के पास बीज और खाद कतई नहीं है। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में अब वह सावणों की बुवाई करेंगे। राज्य सरकार खाद और बीज का प्रबन्ध करने के बारे में कोई प्रयास या प्रयत्न करने का इरादा रखती है ?

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, एक बात पुनः सूचना देना चाहता हूं कि मैंने चार के क्वश्चन स्थगित कर दिये थे, यह ए और बी है। (व्यवधान)

क्या सरकार भीनमाल के गाँवों में और आपके उम्मेदनगर के गांवों में जहां पर 70 घर आज भी सात फीट पानी में हैं, पांच-पांच सात-सात दस-दस ट्रेक्टर वहां पर महरून्ड हैं और वह मशीनरी खराब हो रही हैं डेढ़-डेढ़ लाख की। क्या उन ट्रेक्टर्स के साल्वेज करने की आपकी कोई योजना है ?

अन्त में मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि महरून्ड गांव में अगले 24 घण्टों में मैं 73 में 10-10 किलो हैडलोड पर एस. डी. ओ. को रवाना किया था। सन् 81 के अन्दर खुद ने हैलिकॉप्टर के ऊपर एडिनल कलेक्टर और कलेक्टर्स के महरून्ड विलेजेज के दूसरी जगह उनको नीचे उतारकर ऊपर से बोरियाँ डाली थीं। क्या सरकार महरून्ड गांव में राशन उपलब्ध कराने का और जहाँ पानी कम है, हैडलोक पर राशन भेजने की व्यवस्था कर रही है या करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी,।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की चिन्ता व्यक्त की है मैं भी अपने आप को उस चिन्ता में शामिल करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बाढ़ का इतिहास बहुत ही कम है। मुझे याद है पहली बार बाढ़ सम्भवतः 1964 में जैसलमेर जिले में आयी थी उसके बाद 1979 में आयी थी और फिर 1981 में।

श्री परसराम मदेरणा : 1974 में भरतपुर में आयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : 1973 में पूरे एरिया में जोधपुर डिवीजन में आयी थी वैसी नहीं थी जो 1979 में थी लेकिन वैसी ही थी जो अब आयी है। 1973 की वही स्थिति थी जो आज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही बता रहा हूं। इसके अलावा घग्घर में कई बार बाढ़ आयी है। भरतपुर जिले में कई बार बाढ़ आयी है, कोटा में भी कई बार बाढ़ आयी है, लेकिन जिस प्रकार की बाढ़ का विकराल स्वरूप सन् 1964, 1979 और सन् 1981 में था उस प्रकार का विकराल स्वरूप बाकी के समय में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, यहाँ प्रश्न किया गया कि मौसम विभाग की सूचना मिलने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की। यह बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत))

बिल्कुल सही है कि मौसम विभाग की सूचना निरन्तर दो बार रेडियो पर आयी। लोग रेडियो पर सुनते हैं। सरकार यदि उनके पास समाचार भेजना चाहे तो इतना जल्दी समाचार नहीं पहुंच सकता जितना जल्दी रेडियो के द्वारा समाचार पहुंचता है लेकिन दुर्भाग्य है, मैं नहीं कह सकता कि यह स्थिति क्यों बनी। मौसम विभाग यदि यह सूचना देता है कि बरसात होगी तो लोग यह मानकर बैठ जाते है कि आज बरसात नहीं होगी, अब यह स्थिति क्यों बनी है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है।

श्री परसराम मदेरणा : सुपर कम्प्यूटर आने के बाद चाहे साइक्लोन का है चाहें का है, काफी सच्चाई के नजदीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसको चुनौती नहीं देता, लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, मैं केवल उसका ही उल्लेख कर रहा हूं, यो तो अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः 6 तारीख को सायंकाल मुझे जोधपुर में इतिला मिली, मौसम विभाग ने कहा है कि 7 तारीख को साढ़े दस बजे से लेकर 4 बजे तक भारी वर्षा होगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थान पत्रिका ने कहा होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं। राजस्थान पत्रिका में आपकी हो सकती है कोई नाराजगी हो, लेकिन राजस्थान पत्रिका में भी वही छपता है जो मौसम विभाग सूचना देता है, राजस्थान पत्रिका अपने आप में कोई विभाग नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप बताते हो वही छपता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि अखबारों के बारे में इस प्रकार की धारणा लेकर चलना कहां तक उचित है आप ही विचार करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में मौसम विभाग के सम्बन्ध में जब इस प्रकार की धारणा मिल जायें तो कोई भी आदमी यह कह सकता है कि सूचना तो रेडियो पर सुनी लेकिन सुनने के बाद विश्वास नही हुआ और हमने इस प्रकार की वर्षा से बचने का कोई प्रयत्न अपनी ओर से नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, अबकी बार बाढ़ जिस प्रकार से आयी यह निश्चित है, 1979 में बाढ़ आयी थी लूणी नदी के कारण से, लेकिन अबकी लूणी में तो पानी नहीं आया जहां से पानी शुरू होता है वहां से पानी नहीं आया। पिछली बार जब लूणी में बाढ़ आयी तो सबसे बड़ी चिन्ता यह हुई कि अजमेर के क्षेत्र में उसके कैचमेन्ट एरिया में जो वर्षा हुई है उसकी सूचना जोधपुर को मिल जाती तो शायद जोधपुर के लोग उसका उपाय कर लेते अबकी यह जानकारी थी कि पिच्याक के पहले थोड़ा बहुत पानी आया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : 11 फीट

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 11 फीट, लेकिन पानी नहीं । बाकी जोधपुर डिवीज़न में कोई नदी ऐसी नहीं होगी जिस नदी का नाम भूल गये लोगों के दिमाग में नदी नहीं रही, नदी का मार्ग कौनसा है यह लोग भूल गये । पुराने लोग अवश्य जानते होंगे कि यहां अमुक प्रकार की नदी थी । उन सारी नदियों में उफान आया । अब उफान आने के कारण और तो कुछ हो या नहीं हों लेकिन यह कारण निश्चित रूप से है कि तीन दिन में इतनी अधिक वर्षा हुई जिस वर्षा के कारण नदियों में उफान आना तो स्वाभाविक है ही, खेतों में पानी भर गया । खेतों में पानी इतना भर गया कि कोई अंदाज नहीं लगा सकता । अध्यक्ष महोदय, मैं 6 तारीख की सुबह जब इन क्षेत्रों का सर्वे करने गया, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पानी को देखकर मुझे भी घबराहट हो गई, हे भगवान, यह जनता बचेगी कैसे, किस प्रकार से इस जनता को बचाया जाय । शाम को पहुंचते ही जब उन्होंने कहा कि कल और वर्षा होगी तो मैं तो ऐसा सोचने लगा कि प्रलय जो कुछ भी होना है, इस वर्षा के साथ ही इस क्षेत्र में हो जायगा । मैंने उसी दिन आर्मी के लोगों से, एयर फोर्स के लोगों से सम्पर्क किया और मैं कह सकता हूँ उन्होंने पूरा सहयोग दिया । मैंने कहा आपके पास जितनी शक्ति और साधन हैं और जो हम कल सुबह साढ़े दस बजे तक एकत्रित कर सकते हैं, कहीं से भी मंगवाये जा सकते हैं वह आप मंगवाइये और हर जगह हम हेलीकोप्टर के ऐसे स्टेशन बना लें कि जहाँ जरूरत पड़े उसी जगह से हम हेलिकोप्टर रवाना करके लोगों को किसी न किसी प्रकार से राहत दे सकें । सुबह सात बजे, पहले-पहले अध्यक्ष महोदय, बालोतरा में हेलिकोप्टर स्टेशन बनाया, वहाँ सारी सामग्री इकट्ठी की गई । हेलिकोप्टर के लिए फ्यूल इकट्ठा करना, वहां हेलिकोप्टर आध घण्टे से जाय, और हर आध घण्टे बाद दूसरा हेलीकोप्टर वहां पहुंचे उस प्रकार की व्यवस्था की । लेकिन दूसरे ही दिन बरसात नहीं हुई । मैं दूसरे दिन बालोतरा से जब जालोर गया तो जिन क्षेत्रों में मैंने पहले दिन भयंकर पानी देखा था उन क्षेत्रों में लोग खेती कर रहे थे, हल जोत रहे थे । पानी की एकदम गिरावट आ गई । लूणी नदी में दूसरे दिन जब मैं शाम को गया उस समय तक 6 फीट पानी नीचे चला गया । अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नुकसान किया जोजरी नदी ने । यह जोजरी नदी भगवान जाने डूण्डाला के पास किस तरह से हटकर सड़क को पार करके और सारी सड़क को रेल्वे लाईन पर सरपण्टाईल मार्ग की तरह निकलती-निकलती बालोतरा और पचपदरा के बीच से निकल । अगर वह दृश्य आप देख लेते परसरामजी मैं आपसे कहना चाहता हूँ—

श्री रामसिंह विश्नोई : जोजरी डूण्डाला से नहीं जाती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गई है । जाती नहीं, इस बार गई है ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह नदी सिर्फ दो दफे आई है और वह आई है जब आप मुख्य मन्त्री थे, 1979 में आई थी। और यह पचपदरा गई थी और या यह आई है 1990 में। जहां जहां पांव पड़े सन्तों के ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तें तें बंटा-ढार। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, परसराम जी बड़े व्यंग्य से कह गये जहां जहां पांव पड़े सन्तन के तें तें बंटा-ढार लेकिन 1981 में आप ही मंत्री थे।

श्री परसराम मदेरणा : वह मेरा मतलब नहीं था वह लाइट में मैंने कह दिया लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा था। मेम्बर आफ पालियामेंट ने भी कहा है कि यह नदी पहली दफा में आई है। यह पहली दफा नहीं आई है उस वक्त भी आपके जितने भी पुल बने हैं बालोतरा और जोधपुर के बीच में उस नदी के बाद में 1979 के बाद में बने हैं। नदी तो हमेशा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुन लीजिये मैं यह नहीं कहता कि आपको नदियों के बारे में, नालों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपका बहुत है, मैं उस ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन 1981 में आपको भी ज्ञान था और शिवचरणजी को भी ज्ञान था और मुझे भी ज्ञान था। जब अचानक वर्षा आती है, उस समय क्या प्रबन्ध हो सकता है। कभी इस बात का तो विचार किया होता। जयपुर जिले में जयपुर के पास टोंक जिले में और जयपुर की तहसीलों में अचानक वर्षा आ गई। एक साथ मूसलाधार वर्षा पड़ी। आपने भी कहा 500 के करीब लोग मर गये। सरकार ने इन्तजाम किया लेकिन जहां पानी में सरकार जा ही नहीं सकती उस जगह सरकार पहुंच कैसे सकती है। यह तो हमने प्रत्यक्ष में देखा है। 1981 में देखा है, 1979 में देखा है देखने के बाद सरकार आखिर कोई मन्तर तो है नहीं। सरकार भी जहां पहुंच सकती है पहुंचती है। आज मैं कहूं कि हिंगोनिया गांव में सरकार क्यों नहीं पहुंची। अब सरकार पहुंची उससे पहले 25 या 26 आदमी 81 की बाढ़ में मर गये। सरकार को जब सूचना मिली कि हिंगोनिया में बाढ़ आ रही है; हिंगोनिया के अन्दर तबाही हो रही है....

श्री परसराम मदेरणा : रामनिवास और हिंगोनिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां यह दो गांव हैं। कोई भी गांव हो। लेकिन गांवों में पहुंचने का साधन हो तभी तो पहुंचें। जिस समय हिंगोनिया में साधन पहुंचे आप भी पहुंच गये, हम भी पहुंच गये और सरकार भी पहुंच गई जो राहत दी जा सकती थी वह राहत दी लेकिन आज आप यह सोचो कि अचानक अब आबू में एक हजार मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हुई है, जालौर में लगभग 441 या 541 इतनी मिलीमीटर एक साथ वर्षा हुई और उस एक साथ वर्षा होने के रीपरकेशन्स क्या होंगे उसके बारे में तो आप ही चिन्तन कर लें। अचानक कोई स्थिति पैदा हो जाय। इसलिये मैंने कहा कि हमारे यहां बाढ़ की संस्कृति नहीं है, हमारे यहां सूखे की संस्कृति है लगातार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पिछले दस वर्षों से सूखा पड़ रहा है हम उससे जूझ रहे हैं इसलिये बाढ़ की संस्कृति नहीं, न लोगों को बाढ़ से किस प्रकार से बचाया जाये उनकी आदत है और मैं यह कह सकता हूं कि न सरकार की इस प्रकार की मानसिक स्थिति रहती है कि यहां पर बाढ़ आयेगी उसका इलाज करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैंने एहतियात के तौर पर यहां के चीफ सैक्रेट्री को कहा कि बाढ़ के संबंध में, बार-बार लोग कहते हैं कि अब की बार वर्षा बहुत होगी, तो कहीं हो जाय तो बाढ़ के संबंध में अपने को पूरी तैयारी करनी चाहिये । उन्होंने सम्भव है 12 या 13 जून को, मैं डैफिनेट तो नहीं कह सकता एक मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद में सारे जिला कलक्टर्स को आदेश दिये कि बाढ़ के संबंध में पूरी तैयारियां कर ली जायें । सारे जिलों में इस प्रकार की बैठकें हुईं । लेकिन मैं फिर यह बात मानने को तैयार हूं कि अपने लोगों का मानस बाढ़ का नहीं है । बाढ़ की बात जब करते हैं तो लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं कि यहां तो सूखे की स्थिति है, पीने का पानी पीने को नहीं मिल रहा है और यह सरकार बाढ़ के प्रिवेन्टिव एक्शन लेने के लिये पैसा खर्च कर रही है आखिर सरकार की स्थिति तो आपने भी अनुभव की है और हमने भी अनुभव की है । इसलिये उस स्थिति में ज्यादा अन्तर नहीं है ।

अब अध्यक्ष महोदय, भीनमाल के माननीय सदस्य ने कहा कि मैं गया । यह बिल्कुल सही है कि मैं भीनमाल गया । मैंने कोशिश की भीनमाल और सांचोर में उतरने की तीन-तीन राऊंड लिये । आर्मी का हैलिकाप्टर चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी की एक बीमारी और है । जहां भी हैलिकाप्टर में बैठायेंगे वहां से पहले पूछेंगे कि चीफ मिनिस्टर यहां उतरना चाहते हैं यहां का एस. डी. ओ. मना कर रहा है, यहां कोई हैलिपैड नहीं है । यहां पानी भरा हुआ है । आप परमिशन दें या नहीं दें, वहां से कहते हैं परमिशन नहीं । अब उसमें मेरा भी जोर नहीं चल सकता । मैंने सांचोर और भीनमाल में देखा है, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, भीनमाल में इस प्रकार की स्थिति लग रही थी कि कहीं न कहीं मैं उतरूं मैंने एक बार कोशिश की कि बाजार में सड़क के ऊपर इस हैलिकोप्टर को उतार दूं ताकि लोगों को मालूम हो । उसने मना कर दिया मैं तो नहीं उतारूंगा । आपको उतरना है तो वापिस मेरे साथ जोधपुर चलिये और जोधपुर से परमिशन लेकर आइये । अब ऐसी स्थिति में आप अन्दाज लगा लें कि मन में इच्छा होते हुए भी दुःख भी होते हुए कि लोगों के बीच में खड़ा रह कर यदि मैं भीनमाल उतर जाऊंगा तो आस-पास के पूरे गांवों की जानकारी हो जावेगी । मैंने गांवों को मैरुण्ड भी देखा है आप जो अभी कह रहे थे कि खाना पटकने से लड़ाई झगड़ा । मैंने स्वयं ने जिन गांवों में खाना पटका है । मैंने प्रत्यक्ष में देखा है कि ऊपर से पहले मैंने एक थैली डाली तो मुझे ऐसा लगा कि यह एक थैली कहीं पानी में न जाये तो बचा-बचा कर मकानों के ऊपर फैंकूं । लोग अचानक मकान पर चढ़ गये मुझे अचानक डर लगा कि इतने लोग मकान पर चढ़ गये मकान पक्का है ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बरसात से भीगा हुआ है वह टूट नहीं जावे। दूसरी जगह मैंने एक नीम के ऊपर डाली। इस नीम पर ज्यादा डालियां नहीं थीं इसमें से जायेगी तो नीचे लोग लेंगे। तो लोग झपट रहे थे....

एक माननीय सदस्य : बालोतरा की बात कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी नहीं कह रहा हूं, आपके भीनमाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो एक गांव की बात कह रहा हूं। जगह-जगह आर्मी वालों ने कहा है जितनी जानकारी सरकार को मिली कि गांव मैरुण्ड है अब इसमें मैं समझता हूं चाहे मदेरणा साहब हो, चाहे माथुर साहब हों, चाहे देवपुरा साहब हों, राजस्थान के दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप भी राजस्थान के मंत्री रहे हैं। आप पश्चिमी राजस्थान के बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है लेकिन अगर भरतपुर में कहीं बाढ़ आ जाये और भरतपुर में आप हैलिकोप्टर से यूं तो क्या आप अन्दाज लगा सकते हैं कि यह अमुक गांव है। क्या आप यह अन्दाज लगा सकते हैं कि गांव मैरुंड हैं और इसमें कोई रास्ता नहीं है? क्या आप यह अन्दाज लगा सकते हैं कि इस गांव में इस समय इतना पानी चढ़ा हुआ है? जो जानते हैं वह लोग कह सकते हैं। आज माननीय सदस्य जो भीनमाल से आये हैं उनकी जानकारी हैं इसलिये वह कह सकते हैं कि अमुक-अमुक गांव मैरुंड हैं, अमुक-अमुक गांवों में सामान नहीं पहुंचा। मैं उनकी जानकारी को कोई चुनौती नहीं दे रहा। उनकी जानकारी मेरे से अधिक हो सकती है। मैं उस क्षेत्र के में उतना नहीं जानता। सरकारी अधिकारी भी उस क्षेत्र के बारे में इतना नहीं जानते हैं जितना गांव में रहने वाला व्यक्ति जान सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं आप लोग यह कहें कि उस गांव में पटकी और उस गांव में नहीं पटकी। जो भी गांव मैरुंड दिखे हैं हैलिकाप्टर को रास्ता दे दिया कि आप भीनमाल के आस-पास जाओ जितने भी गांव मैरुंड दिखाई दें उसके अन्दर आप भोजन डालो और सांचौर के इलाके में जितने गांव आपको मैरुंड दिखते हैं उनमें डालो। बालोतरा के आस-पास दिखते हैं उनमें डालो। अध्यक्ष महोदय, माननीय परसरामजी जानते होंगे कि बालोतरा के बाद लूनी नदी में जो दोनों तरफ से पानी शामिल हुआ और वहां से गान्डव ब्रिज तक का यदि आप दृश्य देखें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि होगा क्या? सारा पानी ही पानी। 10-12 गांव तो सुरक्षित थे। उन गांवों में कोई आदमी मुझे मकान की छत पर खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन वानसेन रेल्वे स्टेशन की छत पर खड़े हुए लोग देखे। उसी समय मैंने वापिस जोधपुर जाकर उनके लिये फूड ड्रापिंग करवाया। मैंने कहा यह गांव रुके हुए हैं। अब प्रश्न आया जो रुके हुए हैं उनको निकाला कैसे जाय। आर्मी वाले कहने लगे कि हमारे पास रास्ता तो सिर्फ एक ही है कि यहां के इन्जीनियरिंग यूनिट के लिये आप परमिशन मांगो। उस इन्जीनियरिंग यूनिट के लिये परमिशन मांगी। जो उनके पास सबमर्सिबल वोट्स थे वह लिये। सबमर्सिबल वोट्स लेकर उनको बालोतरा भेजकर कहा कि जहां-जहां भी सबमर्सिबल वोट्स की जरूरत हो वहां पर ड्राप कर दिये जायें। उनका भी सिस्टम एक ऐसा है जिसको बारे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

न तो हम समझते हैं न गांव वाले समझते हैं। पहले इसको ड्राप करेंगे ड्राप करने के बाद एसेम्बल करेंगे और एसेम्बल करने के बाद उसको चलायेंगे उसके लिये वह कहते हैं कि कहीं न कहीं हमें सुरक्षित स्थान ऐसा मिलना चाहिये जहां हम लैण्ड कर सकें और सारी व्यवस्था कर सके। जहां-जहां भी उनको लैण्डिग फैसेलटीज मिली सब जगह उन्होने लैण्ड किया। इसके बावजूद भी मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रकोप के समय भूल रह सकती है सारे गांवों को एप्रोच नहीं किया जा सकता। कई गांवों में खाने की समस्या हो सकती हैं कई गांवों में रहने की समस्या हो सकती है आपने जैसे कहा पूरी सूचना नहीं है। वहां से आते ही परसों सुबह, मैंने सारे अधिकारियों की मीटिंग ली मंत्रिमण्डल के सब साथियों को इकट्ठा किया, सारी स्थिति बताई और बताने के बाद में मैंने यह विचार किया कि एक-एक सीनियर आफिसर इन जिलों में किसी भी आधार पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो कुछ स्थिति है, उस स्थिति का फीड बैक सरकार को देते रहे और उस फीड बैक के आधार पर सरकार निर्णय लेकर के सब प्रकार के काम कराती रही। वे काम चालू हैं।

डाक्टर्स की टीम के बारे में अकाल राहत मंत्री जी बता देंगे। मैंने आज ही यहां के डाक्टर्स की व्यवस्था की और बड़े-बड़े अस्पतालों के जो डाक्टर्स हैं, वे कोई ड्यूटी के हिसाब से नहीं हैं, लेकिन मनुष्य की सेवा करने का मौका उनको मिला है, इस बात को ध्यान में रख कर एक-एक टीम बनाकर वहां जायें. बैठें और बैठकर लोगों को जैसे इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े, इंजेक्शन लगायें, और किसी भी प्रकार से उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस बात का प्रबन्ध करें। कुछ डाक्टर्स गए, कुछ और जायेंगे।

जहां तक आपने पशुओं की बीमारियों के बारे में बात कही है, मैं भी यह चिन्ता रखता हूं कि जो पशु मर गये वो तो मर गए लेकिन अब जो बचे हुए हैं, उनको किस प्रकार से········

श्री परसराम मदेरणा : अगर गाड़ोगे तो महामारी हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पशुओं को गाड़ने के लिए मैंने कल ही सारे कलेक्टर्स को कहा कि मिट्टी का तेल और पेट्रोल जितना खरीदना हो खरीदें और उसको जैसे भी जल्दी जलाया जा सके जलायें। अन्यथा बदबू फैलेगी तो दुनिया भर में महामारी फैलेगी। अगर जमीन में गड़े हुए पड़े हैं तो उन गड़े हुए को यदि ऊपर ही निकले हुए हैं तो उनको भी निकालकर सबको जलाया जाये इस प्रकार की व्यवस्था की।

अब आपकी चार मोटे रूप से मांगे हैं। एक मांग तो आपने, सभी माननीय सदस्यों ने मुआवजे की बात कही। मैं समझता हूं कि आप सत्ता में रहे हैं और सत्ता में········ (व्यवधान)

मुआवजे की बात है, माथुर साहब भी बैठे हैं, बड़े अनुभवी हैं। कई वर्षों तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मंत्री रहे हैं। हिन्दुस्तान में कोई राज्य है क्या जहां प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि का कभी भी मुआवजा दिया हो.......

(व्यवधान)

मुआवजा नहीं है। मुआवजा नहीं दे रहे हैं। सहायता दे रहे हैं। हरियाणा के रूल्स भी मेरे पास पड़े हैं। गये साल बनाये, वह भी हैं। पुराने थे वे भी हैं। यह सहायता राशि है। उन्होंने सहायता राशि बढ़ाई है। खास तौर से ओलावृष्टि का प्रश्न जब उनके सामने उत्पन्न हुआ, उस समय सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि जिस क्षेत्र में ओलावृष्टि हो जाय वहां एक बीघा या एक एकड़ के हिसाब से सहायता दी जाय। वह प्रश्न बिल्कुल अलग है, लेकिन आज तक मुआवजा कभी नहीं दिया। बंगाल में तो जानते हैं, हर साल बाढ़ आती है, हर साल जबरदस्त तबाही होती है, बिहार में तबाही होती है, यू. पी. में तबाही होती है, लेकिन आज तक मुआवजे का प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि लोगों को सहायता किस प्रकार दी जाय। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय कि अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, आपने भारत सरकार से कितना मांगा, भारत सरकार ने कितना दिया, भारत सरकार की स्टडी टीम कब आएगी। मैं पहले भी सदन को जानकारी दे चुका हूं कि स्टडी टीम का सिस्टम खत्म हो गया। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन ने सारे सिस्टम दल दिये। और इस बदले हुए सिस्टम के आधार पर हमको केवल केलेमटीज फण्ड में 620 करोड़ रु. 5 वर्ष के लिए मिले हैं। एक वर्ष में 124 करोड़ रुपया मिला है। 93 करोड़ रुपया भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा और 31 करोड़ रुपयों का राज्य सरकार का कन्ट्रीब्यूशन होगा। प्रतिवर्ष 124 करोड़ रुपये इस केलेमटी फण्ड के अन्दर जमा होंगे और उसी में से चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो, यह राशि उसी काम में आएगी। इस राशि से अगर कोई राशि ज्यादा खर्च होती है तो राज्य सरकार अपने राजस्व खाते से उसमें खर्चा करेगी। भारत सरकार किसी प्रकार की सहायता नहीं देगी। लेकिन मैंने प्रधान मंत्री से कहा कि मुझे इस समय धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। धन की तो केवल इतनी ही आवश्यकता है कि भारत सरकार का जो शेयर है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज कर दें। आर्मी से आप कहिये कि हेलीकोप्टर्स किसी प्रकार से जुटाकर कहां-कहां पर वे पहुंच सकें, कहां-कहां पर लोगों को रिलीफ मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था में यदि आप सहयोगी बन सकते हैं तो मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करूंगा। मैंने केवल इसी सम्बन्ध में प्रधानमंत्री से बात की। अब आप अन्दाज लगा लीजिये 1986-87 और 1987-88, एक्जेक्ट फीगर्स तो मैं नहीं बता सकता लेकिन माथुर साहब को याद होगा लगभग 900 करोड़ रुपये दो वर्ष में अकालों पर खर्च हुए।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : 1987 और 1988 दो वर्षों में 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो सालों में 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब दो साल में 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 5 वर्षों के लिए 620 करोड़ रुपये मिले हैं तो इससे आज अन्दाज लगायें कि राशि कम हुई पर फाइनेन्स कमीशन की तारीफ तो कर रहे। तारीफ तो मैं भी करता हूं। लेकिन इस हिसाब से हमें थोड़ा घाटा हुआ है।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर) : इसका जवाब मैं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दे दीजिये, आप तो हमेशा ही जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। कोई इसमें चिन्ता नहीं है।

(व्यवधान)

नहीं बराबर नहीं, मेरे से ऊंचे हैं। बराबर आपको थोड़ा ही ला सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : और इस साल फेमिन में भी कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। यह फाइनेन्शियल ईयर होगा। आपके पास 248 करोड़ रुपया है मुख्य मंत्री जी आप इसको बचाकर रखना चाहते हैं, कोई जबरदस्त फेमिन पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। मैं बचाकर अपने लिए नहीं रख रहा।

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो एक पैसा किसी को बांटने का अधिकार नहीं है। वह फेमिन से जाता है। आपने मुझे कहा कि खजाना खाली मिला। तो कोई आलमारी थी उस जगह, आपने चाबी लगाई, घुसेड़ी और खाली पड़ा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कभी मौका आया तो वह भी बताऊंगा खजाना खाली कैसे मिला। अब यह मौका नहीं है। अब आया दूसरा प्रश्न। माननीय रामसिंहजी विश्नोई अच्छी तरह जानते हैं, परसरामजी भी जानते हैं, 1979 में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, कुओं में मिट्टी भर गई, आज भी कुओं में मिट्टी है।

(व्यवधान)

मैंने कहा न कि इस बार भी हुआ है। मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं इस बार भी हुआ है। आप जानते हैं, आप कई बार मुझे कह चुके कि 1979 में कुओं के नाम पर जितना पैसा आपने बांटा, कोई सरकार नहीं बांट सकती, यह आपने असेम्बली के अन्दर तो नहीं कहा होगा लेकिन बाहर मुझे कई बार कहा और मैं समझता हूं कि इससे इन्कार भी नहीं करें। बाहर तो आप कुछ भी कहते हैं, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो आदमी मर गये, उनकी संख्या का कोई विवाद नहीं है। आप कह रहे हैं इतने मर गये और इतने घायल हो गये और मैं कहूं कि इतने मरे और इतने घायल हुए। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। जो मर गए उनको कोई भी जिन्दा नहीं कर सकता। आज के जमाने में जो गुमशुदा हैं वे भगवान की कृपा से यदि वापस आ जायं तो कह नहीं सकता। गुमशुदा का मतलब नदी में कहीं न कहीं बह गए हैं, पानी में कहीं न कहीं बह गए हैं, लेकिन जो मर गए उनको, उनके परिवारों को सहायता मिले, जिनके घर टूट गए, उनको सहायता मिले, जैसे बीज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की आवश्यकता हो बीज मिले, कुए के अन्दर मिट्टी भर गई, कुओं को वापिस किस तरह रेस्टोर किया जाय इसमें सहायता मिले, जिनके खेतों में सिल्ट जमा हो गई और खेती के लायक जमीन नहीं रही, उस जमीन को किस प्रकार इम्प्रूव किया जावे उसकी सहायता मिले, लेकिन तत्काल सहायता, एक रिलीफ, देने की बात है कि रोटी पानी का प्रबन्ध करे, छान-छप्पर का कोई प्रबन्ध कर दें। उस दृष्टि के अलावा बाकी कितनी सहायता दी है, वह सहायता के सारे मापदण्ड उसी समय तय होंगे। जो अफसर गए हैं, सारा फीड बेक आएगा, कितने कुओं में मिट्टी भर गई, कितनी जमीनों के अन्दर सिल्ट जमा हो गई, कितनी सड़कें टूटीं, कितना वर्ष के अन्दर नुकसान हुआ, यह सारा असेसमेन्ट होने के बाद में कोई निर्णय किया जायेगा कि इस किटी में से कितना-कितना रुपया किस-किस काम के लिए दिया जा सकता है। आज मैं कहूं कि इतना रुपया दे दो, मैं समझता हूं मुझे पहले पता लगाना चाहिये कि कितने कुए इसमें मिट्टी से भर गए, कितने खेत मिट्टी से भर गए, किसके परिवार बिल्कुल नष्ट हो गये, कितने पास आगे कमाने के लिए कोई इन्सान बचा ही नहीं। उनकी किस प्रकार से सहायता होगी। मैं आपको कह सकता हूं कि मैं ह्यूमन मिजरीज को किस प्रकार से दूर किया जाय, हमारे पास जो धन है, वह तो लगेगा ही यदि आवश्यकता पड़ी तो मुझे खुद को जाकर कहीं चन्दा इकट्ठा करना पड़े तो चन्दा भी इकट्ठा करूंगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जोधपुर और भीनमाल में मैंने लोगों से कहा कि भई, इस समय संकट का मौका है, आप लोगों को आगे आना चाहिये और आगे आकर किसी न किसी प्रकार से लोगों की सहायता करनी चाहिये। आप ताज्जुब करेंगे बालोतरा अकेले कस्बे में 5000 आदमियों के लिए फुड पैकेट्स बांटे गए और जोधपुर में रोटरी क्लब और सारे क्लब्स को बुलाकर मैंने कहा कि सरकार के अफसर यहां लगे हुए हैं दूसरे धन्धों में, कम से कम पैकेट्स की तो आप व्यवस्था करें, पैकेट्स आर्मी के एयरपोर्ट पर ट्रक लोड उन्होंने इकट्ठे कर दिये। बाद में मैंने कहा मुझे कपड़ों की भी आवश्यकता है। लोग कपड़े लेकर आ गये। फिर मैंने दवाई वालों को बुलाया कि मुझे दवाइयों की भी आवश्यकता है। दवाई वाले भी आ गए। और अभी माननीय माथुर साहब सीमेन्ट की बात कर रहे थे। मैं आज खुशी से कहना चाहता हूं कि जितने भी मिनी सीमेन्ट प्लान्ट्स के लोगों ने मुझे आकर कहा कि आज जोधपुर शहर में जितनी सीमेन्ट की आवश्यकता होगी, उसमें 50 रुपये प्रति बैग के आधार पर सीमेन्ट के बैग देंगे।

मैंने उनसे कहा पूरे राजस्थान में जहां-जहां बाड़ आई है वहां आपको व्यवस्था करनी चाहिये। मैं मिनी सीमेन्ट प्लांट से बात कर रहा हूं और बाकी जितने भी सीमेन्ट प्लांट हैं उनके बारे में मैं भी बात करूंगा और आप लोगों को भी बात करनी चाहिए।

मैं इतना ही आपको आश्वासन दे सकता हूं, न तो यह आंकड़ों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आंकड़े आपके सही हो सकते हैं, हमारे आंकड़े गलत हो सकते हैं, हमारे आंकड़े सही हो सकते हैं आपके आंकड़े गलत हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकते हैं। आज मैं चाहूं कोई व्यक्ति मर गया उसको छिपा नहीं सकता। मैं आज उसको यह कहकर भी नहीं बचा सकता कि आंकड़ों में यह लिख दूं, मिसिंग। वह भी मैं कहकर नहीं चल सकता। आपको याद है, एक बार मिसिंग के ऊपर आपके और मेरे बीच यहीं पर झगड़ा हुआ था....

श्री परसराम मदेरणा : एक बार नहीं, कई बार हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : अब कौन से झगड़े की ना हो गई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ना है, बिल्कुल ना है। झगड़ा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : खुली सरकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहें ना, खुली सरकार है इसलिये मैं तो आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। उस समय मिसिंग का विवाद हुआ कि मिसिंग हो जाय तो सहायता कम दें। मैं समझता हूं मिसिंग या मर गया, नहीं मिलता दस दिन तक तो कोई आदमी पानी में कहां इन्तजार कर रहा होगा, बाड़मेर से ज्यादा से ज्यादा जालौर से लगा कर रनकच्छ तक भी कोई पहुंच जाय तो आदमी को आने में एक दिन का, दो दिन का, ज्यादा समय नहीं लग सकता। लेकिन 15-15 दिन तक मिसिंग रख कर हमें यह कहें कि यह मरा ही नहीं, मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मरे हैं उनके परिवारों को, जो मकान टूटे हैं, उनको, आज मैंने खुद सुबह पहले कहा लोगों को पैसे देने की बजाय यदि हम टीन शैड की व्यवस्था कर सकें तो उनका सदुपयोग होगा। टीन शैड की व्यवस्था करने में भी मैंने सरकार को लगाया कि यहां-यहां टीन शैड भेजें।

यहां पर एक चर्चा आई कि मैंने यह घोषणा कर दी अनधिकृत कच्चे मकानों को सहायता नहीं दी जाय। मैं ऐसा समझता हूं, माननीय मदेरणा साहब ने अभी जो बात कही, वह नाला साफ नहीं हुआ जोधपुर का इस कारण से हुई। आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि नाला साफ नहीं हुआ इसमें आपने सरकार को दोषी बता दिया। सरकार दोषी भी हुई। लेकिन नाला साफ क्यों नहीं हुआ ? नाला इसलिये साफ नहीं हुआ कि नाले में लोगों ने झोंपड़े बना लिये। आज इन झोंपड़ों को हटायें तो लोग कहेंगे कि गरीबों को हटा रहे हैं। आज उन झोंपड़ों के लिये मैंने कहा....

श्री परसराम मदेरणा : मैं ड्रेन की बात कह रहा था। ड्रेन्स बनाई हैं आपने और ड्रेन्स की सफाई बरसात से पहले नहीं करोगे तो चाहे जयपुर में जो ड्रेन्स बनी हुई हैं उसमें रेत भरी हुई है तो निश्चित तौर से पानी फैलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपने ड्रेन में देखा होगा कि मकान टूटे हुए हैं। वह तो देखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : रेत भरी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह रेत भरी हुई है लेकिन मकान भी टूटे हुए हैं। मैंने केवल यह कहा है कि ऐसे गरीब जो ड्रेन्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में, नालों पर, नालियों पर बसे हुए थे, जिनसे पानी के प्रवाह पर कोई रोक पैदा होती है उन लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए पैसा दिया जाय, नाले में नहीं बसें। मैं आज भी इस बात का हामी हूं, वहां पर जो गरीब हैं उनको जमीन चाहिये, जमीन देंगे, जमीन मकान बनाने के लिये चाहिये, मकान बनाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उस नाले में उनको बसाया जाय, इस प्रतिष्ठा के सामने झुकूंगा नहीं। नाले की सफाई के लिये उन लोगों को दूसरी जगह ले जाकर बसाने की व्यवस्था करेंगे।

यहां, अध्यक्ष महोदय, सिविल सप्लाई की बात आई। माननीय हेतरामजी ने कहा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 6 तारीख को जैसे रेडियो के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि फिर बाढ़ आ रही है, तो मैंने रेडियो वालों को बुलाया, मैंने कहा, आज तक मैंने रेडियो से कभी मेरा प्रसारण नहीं कराया, लेकिन यह जनहित का प्रसारण है, हाथ का हाथ लेओ और हाथ का हाथ आज का आज ही किसी तरह से ब्रोडकास्ट करो। उस प्रसारण में भी मैंने लोगों से अपील की थी, आप लोग यदि इस मौके पर चीजों के भाव बढ़ाकर जनता का शोषण करोगे, सरकार इसको टालरेट नहीं करेगी। यहां कई खामियां हैं, मैं नहीं कहता कि खामियां नहीं हैं। सिस्टम जिस प्रकार का है वह सिस्टम की खामियां हैं। सिस्टम की खामियां जब सिस्टम ब्रेक होता है उस समय पता लगता है, सिस्टम चालू रहता है तो उस समय कई चीजें मालूम नहीं होतीं। अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से लगातार राजस्थान की जियोग्राफी की किताब ढूंढ रहा हूं, मुझे जियोग्राफी की किताब नहीं मिली। आज यह पता नहीं लूणी कहां है। अब इरिगेशन इन्जीनियर से पता लग जाय वह दूसरी बात है। साधारण आदमी तो आप पूछो लूणी कहां से निकलती है तो कोई नहीं बता सकता। जोजरी कहां से निकल सकती है, कोई नहीं बता सकता।

एक माननीय सदस्य : यह बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो पहले पढ़े हुए हैं वह बता सकते हैं, अबकी बात है। पहले जियोग्राफी पढ़ाई जाती थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिये, आप जयपुर के ही रहने वाले हैं, बांडी नदी कहां से निकलती है? नक्शे की जरूरत नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बांडी नदियां दो हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई साहब, मैंने आपके लिए नहीं कहा। आप तो सब चीजों के जानकार हैं, मुझे मालूम है। मैं तो साधारण आदमी के ज्ञान की बात कहता हूं। आप और हम राजनैतिक आधार पर इन बातों की चिन्ता करते हैं, जानकारी रखते रहते हैं, लेकिन आदमी को यह पता नहीं है। आज एक विद्यार्थी को पूछा डूंडी नदी कहां है, नहीं बता सकता। किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी से आप पूछो, डूंडी नदी निकलती कहां से है, नहीं बता सकता। क्योंकि पिछले वर्षों में हमने जियोग्राफी नाम के विषय की छात्रों को जानकारी नहीं दी। आज बीचड़ी, सूकड़ी, जवाई, बांडी कहां से निकल रही हैं, उसका रास्ता कौनसा है, लोगों को कुछ पता नहीं, बरसात आती है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तव बांडी, सूकड़ी, जोजरी, मीठड़ी, यह सारी चीजें याद हो जाती हैं, उसके पहले सब इसको भूल जाते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा अभी, एक नक्शा बना कर मुझे देओ। इन नदियों के बारे में मैंने कहा है कि सारा नक्शा बना कर मुझे देओ। अब तक हमने जोधपुर की नदियों को नहीं देखा, परिणाम भोग लिया। बाकी नदियों के बारे में तो जानकारी कर लें। भदेरणा साहब, आपके पास तो सब चीजें हैं, यह लिस्ट मेरे पास भी है। जो आप बनाते हो वह मेरे पास भी बनती है, उस लिस्ट का टकराव नहीं करें।

अब एक परेशानी आई, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा। पिछले वर्षों में इतने एनीकट बने हैं, जिन एनीकट्स का टैक्नीकल सर्वे नहीं हुआ, वह सर्वे के बिना बने हैं। मैं समझता हूं जालौर जिले में माननीय सदस्य मेरे से ज्यादा जानते होंगे लेकिन मैंने जो ऊपर से देखा, एक एनीकट टूट रहा है उसका पानी दूसरे एनीकट को तोड़ रहा है, दूसरे एनीकट का पानी तीसरे एनीकट को तोड़ रहा है। सारा इनका जाकर बांध को तोड़ रहा है। यह कुछ इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हो गई। उन अव्यवस्थाओं को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाय। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। इसलिये मैं कहता हूं, सिरोही जिले का कमेरी बांध पहले ही भराव के अन्दर चला गया, पहली बरसात आई और पहली में ही साफ हो गया। कई बंधे हैं जिन्होंने काफी रेसिस्ट किया। लेकिन पीछे का एनीकट टूटने के कारण से उनकी क्षमता के बाहर ज्यों ही पानी हुआ, वह सारे के सारे बांध टूट गये। इसलिए मैं कहता हूं कि आज राजस्थान में इस पाइंट से सर्वे कराने की आवश्यकता है। सर्वे कराने में मैं चाहता हूं इस सदन का मुझे सहयोग मिलेगा कि किस प्रकार के एनीकट पानी में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूं इतनी वर्षा में जमवारामगढ़ का बांध पूरा भर जाता लेकिन जमवारामगढ़ में पानी नहीं आ रहा है। जमवारामगढ़ में लगभग 20 या 22 एनीकट बने हुए हैं। अब वह 20–22 एनीकट उसके कैचमेंट एरिया में बन गये जिसका परिणाम यह हुआ कि रामगढ़ के बंधे में पानी नहीं आ रहा है। अब वह कैचमेंट एरिया में बनने से कई लोगों को फायदा हो सकता है। आखिर वाटर लेवल ऊंचा होगा लोगों ने इस कारण से एनीकट बनाये होंगे, लेकिन आज जयपुर में उसके कारण से एक्यूट प्राब्लम हो गई। अब तक जयपुर में इस बरसा[illegible] रा 61 फीट तक पानी चला जाता [illegible]ढ़ की सी स्थिति बन जाती। पर वहां पर पानी पूरा पहुंचा नहीं। मैं चाहता हूं कि सरकारी स्तर पर इस बात का सर्वे कराया जाय जिस सर्वे से यह अन्दाज लग सके कि कितने एनीकट बने, कितने एनीकट से लाभ है, कितने एनीकट कैचमेंट एरिया में मूल बांध के पानी में रोक पैदा कर रहे हैं। इस बात की भी स्टडी कराने की आवश्यकता है। तो उसमें भी स्टडी करवाऊंगा।

आपने कहा कि लोगों को आप क्या देना चाहते हैं। माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने बता दिया कि पिछली वार जो धनराशि थी उसको हमने अभी बढ़ाया है। लेकिन मैं आपको फिर विश्वास देता हूं कि लोगों की मिसरीज दूर करने के लिये जितनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी धनराशि राज्य सरकार को खर्च करनी पड़ेगी उसमें खर्च करने में कोई संकोच नहीं होगा। किस तरह से उसको खर्च किया जाय उस सम्बन्ध में मैं आपका भी सहयोग चाहता हूं और उस सहयोग के आधार पर हम सब मिलकर लोगों के सामने इस प्रकार की जो परेशानी हुई है उस परेशानी का समाधान....

श्री प्रेमसिंह दहिया : सहायता राशि प्रति परिवार आप क्या देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता रहा हूं। आज तक जो सहायता राशि के मापदण्ड पिछली सरकार ने बनाये थे उसको मैंने ड्योढ़ा कर दिया। और उसमें और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो मुझे सकोच नहीं होगा अगर लोगों को सहायता देने के लिए थोड़ी-सी धनराशि खर्च करनी पड़े तो सरकार धनराशि कार्यके लिये इकट्ठा करती है।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी पिछली सरकार ?

अनेक माननीय सदस्य : आपकी सरकार।

श्री परसराम मदेरणा : पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, कल से जो है आप कर रहे हैं, वह भारत सरकार का क्राइटेरिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, ठीक है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आपकी सरकार थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं था कि भारत सरकार ने कोई क्राइटेरिया तय किया है। लेकिन आपने भारत सरकार की नकल की, कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन इतना तो आप मानकर चलें कि मुझे यह राशि बढ़ाने में भारत सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ी। मैंने अनुमति नहीं ली। मैं बिना अनुमति अपने अधिकार से कर रहा हूं। (व्यवधान)

लेकिन एक व्यवस्था है वह व्यवस्था कोई माथुर साहब ने बनायी....

श्री शिवचरण माथुर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह तो ठीक बात है, एक आधार है सहायता देने का, हम उससे इंकार नहीं करते। आपने बढ़ाया वह भी ठीक बात है लेकिन उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं आप। इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। 6–7 करोड़ रुपया जमा है, और क्लेमिटि के वक्त में लोग देते हैं वह रुपया भी जमा है और उसमें हर साल ब्याज के जरिये भी आता है। मुझे मालूम है, 1981 में टोंक में मकान गिरे थे। वहां 10–10 हजार रुपये मकानों के लिये दिये थे। उस वक्त में हमने मुख्यमन्त्री फण्ड से भी इसको सप्लीमेंट किया और जो लैण्ड रीक्लेमेशन के लिए और दूसरी बहुत सी योजनाए थीं उनको साथ में लिया। आज यह ठीक है कि आप असेसमेंट करेंगे। मुख्यमन्त्री जी, इसमें मैं दो बात आपसे कहता हूं। एक तो असेसमेंट में आप बहुत समय मत लीजिये। अगर आपने इस प्रश्न को बहुत लम्बा कर दिया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो बहुत भारी हो जाएगा।

श्री शिवचरण माथुर : तो बहुत दिक्कत होगी और लोगों की परेशानी होगी । इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर लीजिए । एक महीना भी मैं ज्यादा मानता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक महीना भी नहीं लगेगा ।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें जितना भी असेसमेंट हो, स्पेशल टीम लगा कर असेसमेंट करा करके जो भी सोर्सेज हों, आपके मुख्यमंत्री रिलीफ फण्ड है और भी बहुत-सी योजनाएं चलती हैं, इकट्ठी बना करके लोगों को राहत दीजिए यह मेरा निवेदन है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सुझाव के लिए धन्यवाद । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि धनराशि कोई बड़ी चीज नहीं है । लोगों को रिलीफ मिल जाय बड़ी चीज है । राज्य सरकार के खजाने से जाय या सी. एम. के फण्ड से । दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, नाम अलग-अलग है लेकिन किसी भी तरह से हो यह सहायता लोगों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा । 1979 की बाढ़ के समय मैंने लोगों को निराश नहीं होने दिया । मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को उसी तरीके से इस संकट के समय भी सन्तोष करा सकू जिसमें आपका मुझे सहयोग मिलेगा इसी आशा और विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन । माननीय अमीन खां ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय मेरे दो प्रश्नों का उत्तर मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न नहीं, आप सुझाव दे दीजिए । आपके प्रश्नों का जबाव नहीं मिलेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : एक तो ट्रैक्टर्स के साल्वेज की जो मैंने बात कही है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं । माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वह सब हमने नोट की हैं । उन पर तुरन्त एक्शन लूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप जो फ्री राशन दे रहे हैं यह केश दे रहे हैं या काइण्ड में दे रहे हैं, क्योंकि तिरपाल जो 10 रुपये में था वह 70 रुपये में देकर लोगों को लूटा गया.... (व्यवधान)

इसलिए आपको राशन काइण्ड में देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां ।

याचिका का उपस्थापन

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय मैं साउथ गिराब, शालारीय क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के ग्राम सूराली, नांगेकापार, मोहम्मदकापार, सगनकापार, मेकरनवाला व शालारीया में सुचारू रूप से पानी नहीं देने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी। मांग सं. 16.

आय-व्ययक 1990–91
मांगों का उपस्थापन

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,65,33,05,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :

1. पुलिस द्वारा जालौर जिला में एट्रोसीटी एक्ट के तहत काफी गलत मुकदमें दर्ज किये जाने पर चर्चा के लिये।

2. जालौर जिला के सांचौर पुलिस थाना में नकलींग के मन्दिर में हुई चोरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

3. उप अधीक्षक का कार्यालय सांचौर में खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

4. पुलिस विभाग को चुस्त करने तथा भ्रष्टाचार निवारण पर विचार करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

5. राज्य में पुलिस अधिकारियों की सहायता से अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीब लोगों की हत्या पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

6. उदयपुर में कानून और व्यवस्था की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) :

7. पुलिस हिरासत में नागरिकों की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

8. सीमा व जिलों में हो रही तस्करियों में गुप्तचर ऐजेन्सियों के कर्मचारी लिप्त होने पर चर्चा के लिये।

9. बाड़मेर जिले में बिना मुकदमें के 30 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने संबंधी मामलों पर चर्चा के लिये।

10. सीमा पर एक ही जाति के अधिक संख्या में अधिकारी व कर्मचारी रखने से गरीबों पर होने वाले अत्याचार पर चर्चा के लिये।

11. सीमा पर गुप्तचर शाखाओं में निष्पक्ष अधिकारी व कर्मचारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. सीमावर्ती जिलों में पुलिस में अल्पसंख्यकों की भर्ती नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

13. बाड़मेर जिले के बालोतरा सर्किल में माह अप्रेल में दो सगे अल्पसंख्यक भाईयों की घर में जाकर बन्दूक की गोलियों से हत्या करने के बाद अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग में व्याप्त भय पर चर्चा के लिये।

14. बाड़मेर जिले के बालोतरा सर्किल में 15 जून, 1990 को अनुसूचित जाति की एक छात्रा को लाठियों से पीट-पीट कर खत्म किया जाकर उसकी लाश को कुएं में डालने पर पिछड़े तबके में व्याप्त भारी भय पर चर्चा के लिये।

15. बाड़मेर जिले के थाना बिजडार में कान्सटेबल द्वारा की गई आत्महत्या की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. जैसलमेर जिले के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों पर चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर जिले में दिनांक 16-5-90 को 90 तोला सोना पकड़े जाने के बाद गाड़ी के मालिक व अन्य 400 तोला सोना व 5 क्विन्टल चांदी न पकड़ने व उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

18. सीमावर्ती क्षेत्रों में गुप्तचर शाखा में 20-20 साल से एक ही जगह रह रहे अधिकारियों से तस्करों को बढ़ावा मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

19. सीमा पर परिचय पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर):

20. पुलिस विभाग में आवश्यकता से अधिक महानिदेशक एवं उपमहानिरीक्षक के पदों के कारण होने वाला व्यय कम किया जाने बाबत चर्चा के लिये।

21. बाड़मेर जिले में संगीन मुकदमे में लिप्त फरार मुलजिमों की गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

22. यातायात पुलिस की वाहन स्वामियों से चौथ वसूली के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़):

23. राजस्थान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा अपराध वृत्ति की रोकथाम की समुचित व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कांत (रेवदर):

24. मण्डार पुलिस स्टेशन के लिये एक जीप की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

25. आबू रोड सदर थाने में टेलीफोन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. आबू औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी व गश्त की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

(श्री टीकमचन्द कांत)

27. जन आंदोलन में भागीदार निर्दोष व्यक्तियों पर किये मुकदमों को वापस लिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

28. प्रदेश में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने व पुलिस के पास आधुनिक वाहन व शस्त्र और ट्रेनिंग के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

29. राजस्थान में पुलिस के प्रति जनता में बढ़ते असन्तोष पर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा : (सवाई माधोपुर) :

30. राजस्थान पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों का जनता के साथ उचित व्यवहार नहीं होने पर चर्चा के लिये।

31. राजस्थान राज्य के पुलिस थानों में दूरभाष व वायरलेस उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. सवाई माधोपुर जिले के जंगल क्षेत्रों के पास के गांव, डूंगरी बसोव, भूरी पहाड़ी पर स्थाई आर. ए. सी. की चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

33. जिले सवाईमाधोपुर में वर्ष 1989-90 के दौरान पुलिस की निष्क्रियता कार्य के प्रति लापरवाही व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

34. राजस्थान के पुलिस के समस्त कर्मियों को जनता एवं स्वयं की सुरक्षा हेतु आवश्यक आधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. सवाईमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सूखाल व खिरनी में राजस्थान पुलिस की चौकी स्थापित करने बाबत चर्चा के लिये।

36. राजस्थान के समस्त थाने एवं पुलिस चौकी पर वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. सवाईमाधोपुर तहसील में दुब्बी व मांड़ोती के बीच बनास नदी पर आर.ए.सी. की चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

38. बाड़मेर जिले के सब इन्स्पेक्टर की तस्करों से सांठ-गांठ होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

39. तहसील खण्डार में बढ़ती हुई चोरियों, डकैतियों एवं हत्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिन्डौन) :

40. सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस की लापरवाही से चोरियों एवं डकैती लटमार में वृद्धि होने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

41. खटकड़ थाना क्षेत्र से धुंधलेश्वर

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

महादेव की मूर्ति पुलिस द्वारा बरामद नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

42. बूंदी जिले के कापरेन पुलिसथाना क्षेत्र में पुलिस की शह पर पनप रहे गुण्डा तत्वों एवं अराजकता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

43. केशवराय पाटन क्षेत्र की जैथल में पुलिस चौकी स्थापित की जाकर क्षेत्र में बढ़ रहे अत्याचारों पर रोक लगाने पर चर्चा के लिये ।

44. महिला पुलिस में व्याप्त नई भर्ती करवाई जाकर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयास करने पर चर्चा के लिये ।

45. पुलिस विभाग में व्यापक सुधार हेतु समय-समय पर विभागीय कर्मचारियों के कार्य का लेखा-जोखा लेने एवं थानों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. बूंदी जिले के मन्दिर के बहुमूल्य कलशों एवं पुरातत्व महत्व की प्राचीन वस्तुओं की हो रही व्यापक चोरियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

47. बून्दी ज़िले में फैल रही सट्टा बाजारी व जुआ खोरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

48. प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति पर बढ़ रहे अत्याचारों पर रोक लगाने में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

49. पुलिस के मैस भत्ते में वृद्धि की जाने पर चर्चा के लिये ।

50. प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात एवं बढ़ रहे अत्याचारों, अनाचारों एवं मुकदमों के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को भी बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये ।

51. प्रदेश में पुलिस विभाग में सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा तुरन्त प्रभाव से पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

52. विभाग में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच प्रति वर्ष करवाई जाने पर चर्चा के लिये ।

53. पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की पारिवारिक सुविधा को मध्य नजर रखते हुए बजट प्रावधान की कमी पर चर्चा के लिये ।

54. तहसील मुख्यालयों पर स्थित थानों में महिला पुलिस की नियुक्तियाँ करने पर चर्चा के लिये ।

55. बून्दी में मूर्ति चोरों के सक्रिय गिरोहों से जनता में व्याप्त भय, आतंक एवं आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

56. पुलिस विभाग में छोटे कर्मचारियों से ली जा रही बेगार से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

57. कापरेन पुलिस थानों में व्यापक फेर बदल किया जाकर क्षेत्र में फैलाये जा रहे आतंक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

58. पुलिस विभाग के कर्मचारियों का शिक्षित तथा प्रशिक्षित होने के साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

59. आदिवासी हरिजनों पर पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

60. पुलिस प्रशासन में वांछित सुधार न होने पर चर्चा के लिये ।

61. अनुसूचित जाति पर बढ़ते हुये अत्याचारों को रोकने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) :

62. राजस्थान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर) :

63. लूट, आगजनी, चोरी एवं असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने में पुलिस की मिलीभगत पर चर्चा के लिये ।

64. लूनकरणसर थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां होने तथा पुलिस द्वारा इनका पता लगाने में असफल रहने पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

65. पुलिस थानों में वाहनों के नहीं होने से बढ़ते अपराधों पर रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

66. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में पुलिस द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

67. समाज में अनुसूचित जाति के वर्गों को पुलिस में भर्ती किया जाकर उनका मनोबल बढ़ाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) :

68. पंचायत ग्राम शामदा पंचायत समिति मण्डावर जिला अलवर में दिनांक 4.6.90 को स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा प्राणघातक हमला करने एवं धनछीन लेने के मामले पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

69. पुलिस प्रशासन में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :

70. जून, 1990 में ग्राम वामन गांव थाना नैनवा में हुई हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

71. अनुसूचित जनजाति के डाक्टर के

(श्री परसादी लाल मीणा)

साथ बून्दी अस्पताल में की गई मारपीट के दोषी के खिलाफ न्यायालय में चालान न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

72. नैनवा क्षेत्र के गांव चांवडपुरा में अनुसूचित जाति के बैरवाओं के साथ किये गये । अत्याचार से सम्बन्धित मुलजिमों को बचाने पर चर्चा के लिये ।

73. माह अप्रेल, 1990 में कालेज छात्रावास बून्दी में मारपीट करने वाले मुलजिमों के खिलाफ चालान पेश करने में विभाग की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

74. दिनांक 7 व 8 अप्रेल, 1990 की रात्रि को बून्दी कालेज के प्रधानाचार्य को बंद कर मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

(1) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :
(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

75. पुलिस थानों में समुचित पानी, स्थान व सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

76. भरतपुर जिले में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, नकबजनी आदि से लोगों में व्यापक आक्रोश व आतंक पर चर्चा के लिये ।

77. डीग थाना को अपग्रेड करने हेतु चर्चा के लिये ।

78. डीग क्षेत्र में यू. पी. बार्डर के पास पुलिस चौकियां बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) :

79. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में सिरोली, नीमली, शाहबाद व जैयरोली में स्थाई पुलिस चौकियां कायम करने पर चर्चा के लिये ।

80. अलवर जिले में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने की आशंका से अलवर की पुलिस को आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित करने पर चर्चा के लिये ।

81. राजस्थान पुलिस कर्मियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने तथा हरियाणा व दिल्ली के समान वेतन-भत्ते दिए जाने पर चर्चा के लिये ।

82. राजस्थान के सिपाहियों के आवास के लिए सरकार द्वारा उचित प्रबन्ध न किए जाने पर चर्चा के लिये ।

83. थाना तिजारा, कोटकासिम, टपूकड़ा व भिवाड़ी जिला अलवर में जीपें न होने अथवा खराब होने पर चर्चा के लिये ।

84. पुलिस कर्मियों को मूलभूत आवश्यकता का सामान उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये ।

85. अलवर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर चर्चा के लिये ।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) :

86. अलवर में सामूहिक बलात्कार की

(श्री मिश्रीलाल चौधरी)

घटनाओं पर पुलिस द्वारा शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

87. झालावाड़ जिले के पुलिस थाना डग में फर्जी केस बनाकर परेशान करने पर आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

88. झालावाड़ पगमिया थाने में शराब पीकर जनता के साथ गाली-गलोच व अभद्र व्यवहार की जांच कर दोषी थानेदार को दंडित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

89. दिनांक 24-5-90 को झालावाड़ जिले के चीमेला कस्बे में दिन दहाड़े चाकू मारकर दो युवकों की हत्या कर दी गई इस मामले पर चर्चा के लिये ।

90. झालावाड़ जिले में थाने में भ्रष्टाचार तथा गुंडे बदमाशों को पुलिस द्वारा प्रोत्साहन देने से हो रही चोरियों की जांच कराने सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

91. झालावाड़-मिमोली का थानेदार फर्जी केश बनाकर ग्राम की जनता को परेशान करने पर चर्चा के लिये ।

92. **श्री जगतसिंह दायमा** (बानसूर)

पुलिस कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

93. पुलिस कर्मचारियों को आठ घण्टे से ज्यादा ड्यूटी देने पर चर्चा के लिये ।

94. जिला अलवर में हत्या, आत्महत्या, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं इस पर चर्चा के लिये ।

95. बानसूर में पिछले 5-वर्षों से चोरी की वारदातें बढ़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

96. भीलवाड़ा नगर के सुभाष नगर, शास्त्री नगर, राधा कृष्ण नगर, सांगानेर कालोनी में पुलिस चौकियां व थाने स्थापित करने पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

97. जयपुर जिले के थाना मानपुर द्वारा सिकन्दरा में निर्दोष लोगों को पुलिस द्वारा मारपीट करके झूठे मुकदमें दर्ज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

98. थाना लालसोट के अन्तर्गत मन्दिरों की मूर्तियों की चोरियां बरामद न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

99. थाना लालसोट के ग्रामवाड़ा (महारिया) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भूमि पर सवर्ण-वर्ग के लोगों द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

100. पंचायत समिति लालसोट में जीवन धारा के कुओं के निर्माण की जांच भ्रष्टाचार विभाग द्वारा जांच कर फसल नष्ट कर मारपीट करने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

101. जयपुर कोतवाली में पुलिस द्वारा एक युवक की मारपीट करने के कारण मृत्यु हो जाने के बाद भी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध के में चर्चा लिये ।

102. भरतपुर के सतवाड़ी ग्राम में

(श्री परसादीलाल मीणा)

पुलिस की गोली से मरने वाले युवक के परिवारजनों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. जयपुर थाना कोतवाली में मरने वाले युवक के परिवारजनों को एक लाख रुपया मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) :

104. ट्रेफिक पुलिस के द्वारा वाहन प्रवेश के मामलों में ट्रकों को रोक कर सरे आम रिश्वत लिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

श्री कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

105. पुलिस प्रशासन को जागरूक, सतर्क एवं जनता के प्रति संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. जयपुर जिले के थाना जमवा-रामगढ़ में टेलिफोन की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) :

107. रिजर्व पुलिस लाईन में आवास मैस की उचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

108. पुलिस लाईनों तथा थानों में तैनात पुलिस बल के जवानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली एक माह की ट्रेनिंग को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. जयपुर नगर पुलिस बैण्ड का साप्ताहिक अभ्यास बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

श्री कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

110. पुलिस थानों पर रिपोर्ट लिखने के लिये अलग से स्टॉफ का नियोजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशन-पोल)

(3) **श्री मदन दिलावर** (अटरू)

(4) **श्री राजपालसिंह** (बनीपार्क)

(5) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग)

111. समस्त पुलिस चौकियों पर पंखा, बिजली व टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** :
(किशनपोल) :

(3) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

112. जयपुर नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस के रोल में रही निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

113. महिला की दहेज या अन्य कारणों से हत्याओं को थानों में आत्म हत्या में बदले जाने से हत्यारों को जेल के बदले मिलने वाली छूट से राज्य में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

114. थानेदार द्वारा राजनीति में भाग लेने पर उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही न किये जाने से जयपुर में ब्रह्मपुरी व जोरावरसिंह गेट के बाहर क्षेत्र में बढ़ते आतंक पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

(2) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** :
(किशनपोल)

(3) **श्री राजपालसिंह शेखावत** (बनीपार्क)

115. भरतपुर क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता के कारण अपराध की वारदातें बढ़ने के क्रम से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) :

116. पुलिस में साहसिक व प्रशंसनीय सेवा के लिये नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री राजपालसिंह शेखावत** (बनीपार्क) :

(2) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) :

(3) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग)

117. सभी स्थानों पर जीप उपलब्ध कराये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री राजपालसिंह शेखावत** (बनीपार्क) :

(3) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) :

118. पुलिस दल के पास वर्षों पुराने हथियारों का आधुनिकीकरण नहीं करने से असुरक्षा की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. प्राय: पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज करने पर आनाकानी करना व रिपोर्ट दर्ज करने में रिश्वत मांगने व भ्रष्ट तरीके से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

120. यदि पुलिस कर्मी ओवर टाईम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

काम करे तो उन्हें ओवर टाईम भत्ता उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री राजपालसिह शेखावत** (बनीपार्क) :

121. आई. पी. एस. व आर. पी. एस. की एक समान ड्रेस होने पर भी एलाउन्स में भारी अन्तर होने पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशन पोल) :

122. पुलिस थानों में स्टाफ क्वार्टर्स बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. बेनामी वायरलैस सेटों को पकड़ने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

124. राज्य में शारीरिक व्यापार को रोकने में पुलिस द्वारा निष्क्रियता बरतने पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) :

125. राज्य में नशीले पदार्थों के सेवन से बढ़ते हुए अपराधों की प्रवृत्ति पर पुलिस द्वारा रोकथाम की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) **श्रीरामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) :

(3) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

126. राज्य में जयपुर व अन्य अनेकों स्थानों पर विस्फोटक सामग्री के कारखाने पकड़े जाने पर सरकार द्वारा नीतिगत रूप से कोई कदम उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. थानों में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शराब पीकर दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. पुलिस स्टेशनों पर स्टेशनरी, टाईप मशीन आदि के लिये अलग से आवश्यकतानुसार राशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

2. **श्री राजपालसिह शेखावत (बनीपार्क)**

3. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग) :

129. विभाग द्वारा एक्सीडेन्ट स्क्वेड दुर्घटना स्थल पर एम्बूलेंस के साथ डाक्टर को भेजे जाने के लिये व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

130. जयपुर के आदर्श नगर थाने में युवक को पूछताछ के बहाने बुलाकर मार-पीट करने पर भी इंचार्ज के खिलाफ कोई भी कदम न उठाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

131. महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस प्रशासन द्वारा शिथिलता व लापरवाही बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

132. केस दर्ज करने के बाद उनकी जांच में पुलिस द्वारा बहुत समय लगा देने पर चर्चा के लिये।

133. पुलिस द्वारा प्रागपुरा थाना तहसील कोटपूतली में धारा 186 के तहत एक इस्तगासा अदालत में 27 निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ पेश करने पर चर्चा के लिये।

134. कोटपूतली, प्रागपुरा थानों में पुलिस स्ट्रेन्थ को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. प्रागपुरा (कोटपूतली) में एक नौजवान की कत्ल का आज तक पता लगाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

136. पुलिस कर्मचारियों को 8 घन्टे ड्यूटी देने के बाद कार्य करने पर ओवर टाइम देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

137. पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात होने के समय भी शराब पीने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

138. पुलिस थानों का नगरों के मध्य स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर)

139. अवैध वाहन, पुराने वाहन, ज्यादा सवारी एवं सभी यातायात नियमों में पुलिस के मूकदर्शक रहने से बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये।

140. कस्बा नगर कृषि उपज मण्डी यार्ड के नजदीक असामाजिक तत्व के देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

141. उपखण्ड डीग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक न होने से कस्बे में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

142. सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

143. जयपुर जिले के थाना लालसोट में पेट्रोल पम्प पर हुई हत्या के अपराधियों का पुलिस द्वारा पता नहीं लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

(श्री हीरासिंह चौहान)

144. पुलिस थानों में दर्ज होने वाले मुकदमों को तफतीश अन्वेषण अधिकारी, फरियादी व गवाहान तथा अभियुक्तगण के बयान अरू-मरू लिये जाकर मन गढंत व झूठे मुकदमों के चालानों को कम करने पर चर्चा के लिये ।

145. राज्य में पुलिस विभाग की सेवाओं में सभी प्रकार के अधिकारियों का पुलिस थाने, पुलिस लाइन, सी. आई. डी. व अन्य शाखाओं में बराबर-बराबर रखने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

146. रायपुर (पाली) पुलिस थाना के अन्तर्गत रायपुर तहसील के राजस्व गांव देवली कलां, रामपुरा, निम्बेड़ा, सिंघला वासनी, नोख, कुशालपुरा, वाघियाड़ा, आंकेली तथा हाजीवास को जैतारण थाने से रायपुर थाने के अधीन किये जाने पर चर्चा के लिये ।

147. राज्य के अधिकतर पुलिस थानों को उपयोगी बनाने के लिए जीप आवंटित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

148. आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये

श्री सांवर लाल (भिनाय)

149. टांटोरी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में स्थायी पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. पुलिस कार्य प्रणाली में प्रभावी परिवर्तन कर समाज में विश्वसनीयता कायम करने पर चर्चा के लिये ।

151. पुलिस कर्मचारियों को विशेष वेतन एवं भत्ते देकर कार्य कुशलता बढ़ाने पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह)

152. पुलिस प्रशासन में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

153. पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट की अनुपालना कराने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा)

154. राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा केलिये ।

श्री सांवरलाल (भिनाय)

155. ग्रामीण क्षेत्र के थानों में कर्मचारियों के स्थानान्तरण पद्धति पर चर्चा के लिये ।

156. पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाने एवं उनकी कार्य पद्धति के सही निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

157. पुलिस भर्ती पद्धति में हुए भ्रष्टाचार एवं मनमानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

158. पुलिस की मौजूदगी में आये दिन होने वाले झगड़े एवं मारकाट पर चर्चा के लिये ।

(श्री सांवर लाल सैनी)

159. पुलिस थानों में भोले-भाले जन मानस के प्रति दुर्व्यवहार एवं थानों में बढ़ते अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गमीरलाल मीणा (सराड़ा)

160. पुलिस थाना सराड़ा जिला उदयपुर के सम्बन्धित गांव सेमारी में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

161. पुलिस थाना सराड़ा जिला उदयपुर के गांव जयसमन्द में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीतलाल नोनामा (घाटोल)

162. पुलिस थाना गढ़ी ज़िला बांसवाड़ा के सम्बन्धित गांव ईसरवाला, टाटिया, डेकला को थाना लोहारिया या बांसवाड़ा के क्षेत्रान्तर्गत किये जाने पर चर्चा के लिये ।

163. पुलिस थाना लोहारिया के गांव रूजीया, कुण्डली, ओड़वाल, गणेशपुरा, देलवाड़ा को थाना खपेरा क्षेत्रान्तर्गत करने पर चर्चा के लिये ।

164. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में गांव मोरड़ी नीचली में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

165. पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाड़ा में दिनांक 6.4.90 की रात को पुलिस की लापरवाही से रहस्यमय मौत की घटना के मुलजिमों का पता नहीं लगाने पर चर्चा के लिए ।

श्री नारायण लाल (लसाडिया)

166. पुलिस थाना धरियावद जिला उदयपुर से सम्बन्धित गांव खोता में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

167. कमलेश्वर (बूंदी) में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

168. पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

169. पीपल्दा कलां (कोटा) में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा लिए ।

170. अयाना (कोटा) में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

171. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार को तत्परता से रोकने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

172. थानों में कागज एवं कार्बन लाने पर ही रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

173. नोनेरा थाना इटावा (कोटा) में तीन भाइयों की नृशंस हत्या के हत्यारों को पुलिस द्वारा नहीं पकड़ने के संबंध में चर्चा के लिए ।

174. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

(श्री हीरालाल आर्य)

175. सिपाहियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

176. पुलिस कर्मियों के लिए काम के घण्टे तय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

177. थाना खातौली (कोटा) के मुकदमा नवम्बर 85/89 में चालान पेश करने में बरती जा रही अनियमितता, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार तथा फाइल गायब करने तथा अब अविलम्ब चालान पेश करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

178. थाना इटावा (कोटा) में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर मामले में भी पुलिस द्वारा एफ० आर० लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

179. थाना खातौली (कोटा) के उप सरपंचों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर झूठे केस में फंसाये जाने पर चर्चा के लिए ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

180. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में गांव घट्सली, मोटागांव, पीपलखूंट, केलु-मेला, घाटोल में हाट बाजार में नाजायज घूमने-फिरने वालों पर पुलिस की निगरानी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

181. मुकदमा इल्जाम नम्बर 213 सन् 1990, थाना करौली के मुल्जिमानों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करने में विभाग की शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

182. सीमावर्ती क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाने तथा प्रशिक्षण देने पर चर्चा के लिए ।

183. आधुनिकीकरण के लिए आवंटित राशि का दुरुपयोग करने अनियमितताएं बरतने पर चर्चा के लिए ।

184. पुलिस कर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाये जाने बाबत चर्चा के लिए ।

185. राज्य में बढ़ती चोरी एवं डकैतियों की घटनाओं को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिए ।

186. टौंक जिले में बढ़ती चोरियों में समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

187. कानून व्यवस्था एवं अपराधों को देखते हुए थानों में पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

188. राजस्थान पुलिस कर्मियों के मैस व अन्य भत्तों की बढ़ोतरी के संबंध में चर्चा के लिए ।

189. जिला नागौर में आरक्षित थाना डेगाना व पीलवा में अनुसूचित जाति के थानेदार नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिए ।

(श्री मोहन लाल)

190. जिला नागौर पुलिस थानों में जीप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. जिला नागौर में थाना पीलवा व मच्छीपुरा में सहायक निरीक्षक का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

192. पुलिस द्वारा अपराधों के अनुसंधान हेतु अत्याधुनिक तरीके अपनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

193. जिला नागौर में पुलिस थानों में दूरसंचार (टेलीफोन) सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

194. ग्राम मकरी जिला नागौर में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम पंवार (टीब्बी)

195. बिना मुकदमा दर्ज किये थानों में बुलाकर मारपीट करने तथा पैसा लेकर छोड़ देने पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)

196. पुलिस द्वारा जुआ और सट्टा की कुरीति को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं)

197. झुन्झुनूं जिले के पिलानी थाना क्षेत्र के मंडेला ग्राम पंचायत के सरपंच को विद्युत विभाग के अधिकारियों (सतर्कता) की मौजूदगी में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा बिजली की चोरी करते पकड़े जाने पर भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने के सम्बंध में चर्चा के लिए।

198. पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता के कारण उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

199. थाना झुंझुनूं में सरपंच समस्तपुर द्वारा बलात्कार करने के बाद भी पुलिस द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण बैरवा (निवाई)

200. पुलिस कल्याण हेतु दी गई राशि के अपर्याप्त होने पर चर्चा के लिए।

201. कानून एवं व्यवस्था के नियंत्रण में पुलिस बल के अपर्याप्त होने पर चर्चा के लिए।

202. पुलिस बल के कार्य पर सतर्कता के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

203. थानों में थानेदार की नियुक्तियां पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं की जाकर सरकार के आदेशों से ही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी)

204. पुलिस संरक्षण में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा के लिए।

205. माधोराजपुरा में थाना स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र कुमार (सीकर)

206. बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम में पुलिस द्वारा बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी)

207. ग्राम पंचायत डाबीच में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (महुआ)

208. बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में पुलिस की नकारात्मक भूमिका एवं असफलता पर चर्चा के लिए।

210. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

211. सलूम्बर डी.वाई. एस. पी. का मुख्यालय सराड़ा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. पुलिस कर्मियों को आचरण सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी)

213. पुलिस अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेश से नागरिकों को थानों में बुलाने पर हो रहे नागरिक अधिकारों के हनन पर चर्चा के लिये।

214. पुलिस हिरासत में अत्यधिक यातनाएं देने से हो रही मृत्यु पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

215. पुलिस कांस्टेबल से सब इन्सपेक्टर तक की भर्ती में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक को एक तस्कर को पकड़ने की कोशिश करने पर धमकी देकर वापस रवाना कर देने से तस्कर का आज तक न पकड़े जाने एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

217. सीमावर्ती जिलों में तस्करी पकड़ो अभियान में जिन-जिन कुख्यात तस्करों के घरों में चरस, शराब, अवैध हथियार निकले उन मुल्जिमों को न पकड़कर अन्य लोगों को पकड़ने से व्याप्त भय पर चर्चा के लिये।

218. पुलिस द्वारा किसी भी नागरिक को बिना मुकदमा दर्ज किये हिरासत में रखने से नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन होने पर चर्चा के लिये।

219. पांच सालों से ज्यादा एक रेन्ज में सब इन्सपेक्टरों को न रखने पर चर्चा के लिये।

220. सीमा पर अच्छे-अच्छे विद्वानों को गुप्तचर विभागों में रखे जाने व उनको अच्छी सुविधाएं दिलाने पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

221. पुलिस हिरासत में मृतकों के रिश्तेदारों व गवाहों को फांस कर केस नं. 35/88 के मुलजिमान द्वारा धमकियां देने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

222. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण और लाइने हाजिर करने में भ्रष्टाचार अव्यवस्था और उच्च अधिकारियों के मनमाने व्यवहार से फैले असंतोष पर चर्चा के लिये ।

223. पुलिस और जनता के बीच बढ़ती खाई और सरकार की उपेक्षापूर्ण प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये ।

224. थानों में पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा अपनाये जाने वाले अमानवीय रवैये से हो रही मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

225. पुलिस प्रशासन में सिपाहियों के रहने, खाने–पीने व उनके परिवार के भरण-पोषण हेतु समुचित व्यवस्था के प्रति सरकारी उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये ।

226. पुलिस द्वारा हरिजनों व गरीबों पर किये जा रहे अत्याचार और उसके रोक-थाम के लिये प्रशासनिक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोहा)

227. राज्य में हरिजन महिलाओं के साथ व अन्य महिलाओं के साथ आये दिन होने वाले बलात्कार की घटनाओं को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

228. राज्य में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की दिन प्रतिदिन होने वाली बढ़ोतरी को रोकने में विभागीय अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।

229. राज्य में आये दिन बलात्कार की घटनाओं में पुलिस के जवानों का लिप्त होने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

230. पुलिस थानों में आये दिन मुल्जिमों की नाजायज ढंग से पिटाई करने से मृत्यु हो जाने पर चर्चा के लिये ।

231. पुलिस लाइनों व थानों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

232. पुलिस के सिपाहियों, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये वेतन, दैनिक वेतन व अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

233. पाक सीमा पर लगने वाले थानों में रहने वाले पुलिस सिपाहियों को अच्छी किस्म के औजार व हथियार देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

234. पुलिस विभाग द्वारा सीमा सुरक्षा चौकियां नहीं बढ़ाने से उत्पन्न असुरक्षा पर चर्चा के लिये ।

235. पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधा मुहैया करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

236. नागौर जिले में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चम्पालाल बाठिया (पचपदरा)

237. बाड़मेर जिले के गिडे थाने में बालू रेत के जमाव से उत्पन्न बाधा एवं सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

238. बालोतरा के पुलिस थानों की दयनीय स्थिति एवं अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. बाड़मेर जिले की पाक सीमा पर पुलिस को और अधिक सशक्त करने एवं सुविधाएँ बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

240. बाड़मेर जिले में गत वर्षों में हुई जघन्य हत्याओं के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न जनअसंतोष पर चर्चा के लिये।

241. बाड़मेर जिले में बालोतरा उपखण्ड हेतु पृथक् से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में अलग से थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. बालोतरा थाने में इन्स्पेक्टर रेंक का थाना प्रभारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली)

244. थाना कोटपुतली में एक ही जाति विशेष के कुल 18 में से 15 सिपाही रख कर दिये जा रहे जातिवाद को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये।

245. प्रागपुरा ग्राम में हुई कत्ल की घटना के अभियुक्तों को पकड़ने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

246. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन में बढ़ते राजनैतिक दबाव पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

247. झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में पुलिस की निष्क्रियता से स्मेक का धन्धा व्यापक रूप से चलने से उत्पन्न जनआक्रोश पर चर्चा के लिये।

248. झालावाड़ जिले के गगधार थाने के थानेदार की मिलीभगत से दिनांक 20-5-90 को चीमेला कस्बे में दिन दहाड़े हुई दो युवकों की हत्या के अपराधियों को न पकड़े जाने से उत्पन्न जनअसंतोष पर चर्चा के लिये।

249. झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी में दिनांक 14 अक्टूबर, 1989 को बम बनाने के कारखाने में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न भय पर चर्चा के लिये।

250. झालावाड़ जिले में डग विधान सभा क्षेत्र के मिश्रोली थानेदार द्वारा 1989 में जनता से थाना भवन बनाने हेतु पन्द्रह हजार रुपये इकट्ठे कर दुरुपयोग करने से उत्पन्न जनआक्रोश पर चर्चा के लिये।

251. झालावाड़ डग के थानेदार द्वारा जनता पर झूठे केस बनाने तथा अनियमितता करने से उत्पन्न जनाक्रोष पर चर्चा के लिये।

(श्री बालचन्द)

252. पुलिस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन कर सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा)

253. पुलिस प्रशासन को चुस्त व दुरस्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

254. जयपुर एवं बड़े शहरों में विभागीय निष्क्रियता से बढ़ती यातायात समस्याओं पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग)

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

255. डीग थाने को अपग्रेड कर पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खांडा (सूरजगढ़)

256. पुलिस थानों को अधिक संवेदनशील व आधुनिक बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर)

257. जनता द्वारा भ्रष्टाचार की तरफ धकेले जाने पर भी पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

258. पुलिस सतर्कता की जांच के उपरान्त भी केस सं. 33/89 में कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये।

259. टोंक में पत्रावली संख्या 6/89 में पुलिस सतर्कता की जांच के बाद भी दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये।

260. लालसोट, बौंली, भिलाय एवं पीपलु के जैन मन्दिरों में चोरी की वस्तुओं की बरामदगी करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकांत जी।

श्री रमा कान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16, जो पुलिस के सम्बन्ध में है, उसका समर्थन करते हुए कुछ यातायात सम्बन्धी समस्याओं पर सुझाव देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पुलिस के सारे के सारे प्रतिवेदनों को देख करके आश्चर्य हुआ कि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो सारी ट्रैफिक पुलिस से सम्बन्धित हैं, इसके द्वारा कितने आदमी मारे जाते हैं इस बारे में प्रगति प्रतिवेदन में कोई जिक्र ही नहीं है। इसके बारे में कोई हैडिंग भी नहीं है। डकैती, लूट, बलवा, हत्या, नकबजनी आदि के बारे में तो बहुत सारी चर्चा की है, पर सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे मुल्कों में पुलिस की जो भी बात होती है तो वहां पर सीधी यातायात पुलिस पहले देखने को मिलती है। दूसरे देशों में

(श्री रमा कान्त शर्मा)

कहीं, किसी भी जगह पर जरा सी दुर्घटना हो जाय तो तत्क्षण पुलिस के अधिकारी, पुलिस की कार वहां पर पहुंच जाती है, परन्तु यहां पर जयपुर से दिल्ली तक चले जायं, सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं बस पड़ी हुई है, कहीं जीप टूट कर पड़ी हुई है, चार-चार घंटे तक यातायात अवरुद्ध हो जाता है परन्तु यातायात पुलिस से सम्बन्धित कोई आदमी वहां पर पहुंच जाय और उस चीज को देखले, ऐसा नहीं है।

(3.27 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

हत्या, लूट, डकैती से जन-धन की हानि होती है उसकी ओर ध्यान दिया जाता है परन्तु यह ध्यान नहीं देते कि कितनी हानि जन-धन की यातायात दुर्घटनाओं में होती है। इसमें बताया गया है कि 1135 हत्याएं हुईं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े तो मुझे देखने को नहीं मिले परन्तु भारत सरकार के, दिल्ली के आंकड़े जरूर देखने को मिले। वहां पर साधारण हत्याओं से दुगुनी यातायात दुर्घटनाओं से मौतें हो जाती हैं। जितनी बलवे, दंगे से लोगों को चोटें आती हैं उनसे पांच गुनी चोटें सड़क दुर्घटनाओं से आ जाती हैं। जितनी चोरी और डकैती से हानि राजस्थान में होती है उससे कम से कम दस गुनी हानि सड़क पर कारें टूट जाती हैं, ट्रक टूट जाते हैं और चीजों का नुकसान हो जाता है उससे होती है तो जहां इतनी जन-धन की हानि यातायात दुर्घटनाओं के द्वारा हो उसके लिए इतना भी नहीं कि हैडिंग दे दिया जाय। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि पुलिस में यातायात दुर्घटनाओं के बारे में मानसिकता नहीं है। इसके बारे में कोई विचार, कोई ओरिमेन्टेशन, कोई प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि ध्यान भी नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी देश में या किसी भी प्रान्त या शहर में क्या व्यवस्था है, सरकार किस प्रकार काम कर रही है, लोग व्यवहार कर रहे हैं इन सब का दिग्दर्शन करना हो, जानना, देखना हो तो उस देश, प्रान्त या शहर की सड़क पर पांच मिनट खड़े हो जाइये और सड़क पर सारा का सारा नजारा देखने से पता लग जाएगा कि वहां किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। तो हम यदि सड़क यातायात के बारे में ध्यान दें तो हम सारी की सारी व्यवस्था को अच्छी तरह पहचान सकेंगे और अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर भी सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पुलिस एक्ट के सेक्शन 31 की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। उसके तहत पुलिस की प्राइम ड्यूटी बतलाई हुई है कि सड़क पर जो भी यातायात है, पब्लिक रोड्स पर जो भी कुछ हो रहा है, स्ट्रीट्स पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी व्यवस्था करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सारा का सारा पुलिस पर है। जिस प्रकार से लूट, चोरी, आगजनी, बलवा, नकबजनी सब की रोक-थाम करने की जिम्मेदारी सड़क पर अव्यवस्था के प्रति, सड़क पर दुर्घटनाओं के प्रति पुलिस की होती है। इससे चार पक्ष संबंधित हैं। पहला सड़क, दूसरा-गाड़ी, वाहन, तीसरा-ड्राइवर और इसका चौथा पक्ष पुलिस है।

(श्री रमा कान्त शर्मा)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं इस समस्या के कारण होती हैं कि सड़क के दोनों ओर, चाहे हाई-वे हो, चाहे छोटा रास्ता हो, दोनों ओर होटल, दुकान, वर्कशॉप बन गये हैं पिछले 30–40 सालों में, और बाई-पास बन कर तैयार नहीं होता उससे पहले ही सड़क की सीमाओं पर दुकानें बन जाती हैं। इसके बारे में किसी ने कोई विचार नहीं किया। यह अत्यन्त आवश्यक है। इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए। दूसरे मुल्कों के अन्दर एक तौर तरीका है कि जहां कहीं पर भी बड़ा कस्बा आ जाता है तथा पन्द्रह किलोमीटर या बीस किलोमीटर के बाद में एक छोटा डाइवरसन दे देते हैं। जितनी दुकानें हैं या जितने होटल हैं, ढाबे हैं या इंजन ठीक करने के वर्कशॉप हैं, वे सब उस डाइवरसन में आ जाती हैं और मैन रोड पर कहीं पर भी किसी प्रकार की इस तरह की चीज नहीं आती।

माननीय सभापति महोदय, सड़क की सीमा के अन्दर पहले जो दुकानें बन जाती थीं, उनको हटाने का काम तहसीलदार या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैल हो गया तो उसके बाद में यह काम सड़क डिपार्टमेंट को दे दिया गया। सड़क डिपार्टमेंट में भी वह पूरी तरह से फैल हो गया है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में कोई न कोई विशेष कानून बनाना होगा। उस विशेष कानून के अन्दर भी पुलिस को विशेष अधिकार देने होंगे। यदि हमने ये अधिकार नहीं दिय तो जिस प्रकार से हजारों आदमी आज मर रहे हैं, वे बराबर आगे भी मरते रहेंगे। पुलिस ने जो आब्स्टैक्लिस बना रखे हैं जगह-जगह पर, इससे भी एक प्रकार की दुर्घटना तो नहीं होती है? एक-एक किलोमीटर लम्बी लाइन लग जाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि इतने ये आब्स्टैक्लिस पैदा कर रखे हैं, शायद आतंकवादियों को पकड़ने, पकड़वाने के सिलसिले के अन्दर। अभी तक तो पांच वर्ष के अन्दर एक भी आतंकवादी इन आब्स्टैक्लिस की वजह से पकड़ा नहीं गया है। इसी प्रकार से सड़क पर स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। वह स्पीड ब्रेकर नहीं हैं, वह कब्र ब्रेकर हैं। ट्रांसपोर्ट नगर है, उसके पास में एक किलोमीटर के अन्दर 6 स्पीड ब्रेकर हैं। नेशनल हाई वे पर इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर बनाने से जो दुर्घटना होती हैं, जिन आदमियों ने अपनी आंखों से देखी हैं, उन्हीं लोगों को पता है कि इन दुर्घटनाओं का क्या कारण है। इस प्रकार से हो जाती हैं कि उन पर कोई गहरा क्रोसिंग नहीं है, उन पर कोई कलर नहीं है। और उनका साइज एक सा नहीं है। कहीं पर दो फीट ऊंचे हैं तो कहीं पर चार फीट चौड़े हैं तो कहीं पर 6 इंच ही चौड़े हैं और डेढ़ फुट ऊंचे हैं।

इसके साथ-साथ दूसरा गम्भीर सुझाव दे रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। दूसरी बात स्ट्रेकेटल की है। जितने एक्सीडेंट होते हैं, उनके अन्दर कहीं पर गाय आ जाती है, कहीं पर बिल्ली आ जाती है, कहीं पर कुत्ता आ जाता है। अभी जौहरी बाजार में जाइएगा, वहां पर अभी कम से कम बीस गायें खड़ी होंगी। चौड़े रास्ते में जाइएगा बीस गायें खड़ी होंगी। इसी प्रकार से आप नेशनल हाईवे पर जाइएगा तो वहां पर गायें खड़ी होंगी। इस बारे में भी राज्य सरकार को, पुलिस

(श्री रमा कान्त शर्मा)

को, बहुत अच्छी तरह से गम्भीरता से सोचना होगा। अन्यथा वे कुत्ते को बचाते रहेंगे और आदमी को मारते रहेंगे।

दूसरी बात गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूं। गाड़ी के लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस फिटनेस सर्टिफिकेट में, कारों के लिए तो फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं, परन्तु जो दूसरी चीजों के लिए दिया जाता है, न जाने कौन देता है, और किस प्रकार का फिटनेस सर्टिफिकेट है। नित्य प्रति आप देखेंगे कि हर दूसरी गाड़ी में से जिस तरह से धुंआ निकल रहा है और हर पांच एक्सीडेंट के अन्दर दो एक्सीडेंट इसी कारण से होते हैं कि किसी ट्रक का टायर रास्ते में फूट जाता है, किसी का एक्सल टूट जाता है, किसी का इंजन बस्ट हो जाता है। इस प्रकार की जो फिटनेस है, इस बारे में ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है पुलिस के द्वारा।

जो अपने इण्डिया के मैन्यूफैक्चर्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। हमें कानून बनाना होगा, जिस कानून के अन्तर्गत जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जो दूसरे मुल्कों के अन्दर दी गई हैं वह रखने पड़ेंगे। दूसरे मुल्कों के अन्दर स्पीड के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और जो ओवर स्पीडिंग करता है, उसके ऊपर तत्काल चालान होता है, वह इस मुल्क के अन्दर नहीं है, अपने राज्य के अन्दर नहीं है। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां पर जो ड्राइवर हैं कहीं हत्या कर आया है, उसको लाइसेन्स मिल जाता है। पन्द्रह-पन्द्रह वॉइलेसन कर लेता है सड़क के ऊपर। यहां का लाइसेन्स कैंसिल हो गया तो दिल्ली का लाइसेन्स लेकर आ जाता है। जब तक हम सड़क पर जो ड्राइवर चला रहा है, उस ड्राइवर के ऊपर काबू नहीं पायेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी।

चौथी बात पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को हमको थोड़ी-सी सुविधाएं भी देनी होंगी। सुविधाएं ये हैं कि उसके पास में 20–20, 50–50 किलोमीटर पर कोई न कोई वायरलैस की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पता चल जावे कि वहां पर ऐसी बात हो गई है। उनके पास ऐसे क्रेन होने चाहिए जो सड़क पर गाड़ी टूट गई है तो उसको उठाकर साइड के अन्दर डाल दिया जावे और उनके पास में ज्यादा आदमी होने चाहिए। आज आदमी ही नहीं हैं इस पुलिस के अन्दर, इस ट्रैफिक पुलिस के अन्दर, तो उन सारी की सारी चीजों को कौन देखेगा? इन चीजों पर हमारा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है जन-जन की हानि हो रही है और यदि हम थोड़ा-सा रुपया इन बातों में नहीं दे सकेंगे तो लाभ नहीं होगा।

अन्तिम जो सुझाव है मेरा, वह अत्यन्त आवश्यक सुझाव है। पुलिस की जब तक मोबिलिटी नहीं होगी, तब तक यह यातायात के मामले में बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकेगी। इसलिए मेरा सुझाव है राज्य सरकार से कि जो भी पुलिस का आदमी कोई मोटर साइकिल खरीदे तो उसे इन्टरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए और सरकारी काम के अन्दर ले तो उसको 75 रुपया या 80 रुपये अलाउन्स

(श्री रमा कान्त शर्मा)

मिलना चाहिए। सरकार के पास इतने वाहन नहीं हैं जो हम उनको अलॉट कर सकें, तो यदि इस प्रकार की सुविधा उनको दे दी जावेंगी तो ज्यादा एफिसिएन्सी आएगी। सड़क पर जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन दुर्घटनाओं से हम बच सकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री **गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर)** : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और पुलिस विभाग को सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि अट्ठारह वर्ष मैं पुलिस विभाग में रहा हूं।

सबसे पहले पुलिस की छवि जो है वह राजस्थान के अन्दर ही नहीं पूरे भारत वर्ष के अन्दर गिरी हुई है। उसके कारण कई हैं, जिन्हें मैंने अपने सेवाकाल में देखा है। इसलिए एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 161 सी. आर. पी. सी. जो है उसका सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में दुरुपयोग होता है। उसका कारण यह है कि पुलिस अधिकारी कभी भी बयान को लिखता है, उस पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते। और समय-समय पर वे बयान बदलते रहते हैं। उसमें एक परिवर्तन मैं यह चाहता हूं कि जो बयान होते हैं उसकी एक प्रति 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जावे ताकि इसमें जो फेरबदल पुलिस के द्वारा किया जाता है वह फेरबदल कभी नहीं हो।

दूसरा सुझाव मेरा यह है पुलिस के अन्दर 109, 110 सी. आर. पी. सी. और आर्म्स एक्ट और कुछ और तरह के मुकदमों के बारे में अभियान चलाये जाते हैं पन्द्रह दिन बीस दिन के। उस अभियान के दौरान हमेशा आंकड़े बनाने के लिहाज से मुकदमे बनाये जाते हैं। इसलिए इन अभियानों के ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं किया जाता, उन अभियानों का हमेशा दुरुपयोग होता है जिससे जनता हमेशा दुःखी होती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस तरह के अभियान को हमेशा के लिए खत्म किया जावे।

तीसरा मेरा यह सुझाव है कि हमेशा प्रत्येक महीने के अन्त के अन्दर एस. पी. यह कहता है कि मुकदमें जो भी पेंण्डिग हैं आपके पास वे तीन पर्सेन्ट या चार पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी स्टेज पर वह केस हो, तीस या इकतीस तारीख को उसे समाप्त कर दिया जाता है। चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों न रह गई हों। इसका असर यह होता है कि कोर्ट में जो केसेज जाते हैं वे ज्यादातर फैल हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुण व दोषों के आधार पर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सिर्फ आंकड़ों के लिए केसेज खत्म नहीं करने चाहिए। इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस टेन्डेन्सी को मिटाने के लिए केसेज को डेस्ट्रोय नहीं करना चाहिए।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कुल 54631 अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसके अलावा एक अधिकारी और भी है, जिसको मुखबिर कहा जाता है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और सभी केसेज के अन्दर

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

सभी थानों के अन्दर जो मुखबिर है उसका ना तो पुलिस अधिकारी को पता होता है और ना उनके उच्च अधिकारियों को पता होता है और उसका हमेशा मिसयूज होता है। उस मिसयूज को मिटाने के लिए पुलिस ने आज तक कोई प्रोविजन नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस मुखबिर प्रथा को कम से कम किया जावे ताकि लोगों को राहत मिले।

एक मेरा निवेदन यह है कि थर्ड डिग्री मेथड को पुलिस द्वारा काम में लिया जाता है उसकी वजह से रात-दिन हमेशा कोई न कोई मौत थानों में होती रहती है। दूसरे राज्यों के अन्दर भी थाने हैं—जिस तरह महाराष्ट्र में बम्बई में है, वहां पर इस तरह की कोई मौत नहीं सुनी गई। लेकिन राजस्थान में हर दिन इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। उसको दूर करने के लिए एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि सम्बन्धित थाने का ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और विधायक कभी भी वहां का निरीक्षण कर सके, ऐसा कोई प्रावधान किया जाना चाहिए।

राजस्थान के अन्दर मैंने एक चीज और देखी है कि जो टाडा एक्ट बनाया गया है उससे पंजाब और कश्मीर के मुकाबले में राजस्थान को लाकर छोड़ दिया गया है। इसमें स्पेशली धारा 5 को एड करके जनता के साथ अन्याय किया गया है, इसका पुलिस हमेशा दुरुपयोग करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस एक्ट को वापिस लिया जाना चाहिए क्योंकि राजस्थान की परिस्थितियां वैसी नहीं हैं जैसी पंजाब और कश्मीर की हैं।

इसके अलावा राजस्थान के अन्दर जो भी केसेज कोर्ट के अन्दर कण्डक्ट किये जाते हैं, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्दर, उनमें जो भी पब्लिक प्रोसीक्यूटर वगैरह लगाये जाते हैं उनको राजनीतिक आधार पर नियुक्त किया जाता है और राजनीतिक नियुक्तियों के कारण ही केसेज फैल होते हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और सी. जे. एम. वगैरह की कोर्ट के अन्दर जो केसेज को कण्डक्ट करते हैं उनके ऊपर सर्विस कण्डक्ट रूल्स लागू होते हैं लेकिन अफसोस की बात है कि उससे भारी केसेज जो धारा 302 और एन. डी. पी. एस. एक्ट वगैरह के केसेज कण्डक्ट करते हैं उन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई सर्विस कण्डक्ट रूल लागू नहीं होता है, मनमाने ढंग से वह लोग उनकी पैरवी करते हैं और पिछले दो-तीन साल में जो भी एन. डी. पी. एस. एक्ट में केसेज पेश हुए उनमें अधिकतर मुलजिमान बरी हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पिछली सरकार ने जो राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां दी थीं उनको हटाया जाये और ऐसे अधिकारी वहां लगाये जायें जिन्हें 15–20 साल प्रोसीक्यूशन कार्य करने का अनुभव हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि सर्विस कण्डक्ट रूल्स के तहत ऐसे आदमी वहां लगाये जावें जो पैरवी कर सकें और वकीलों में से जो नियुक्तियां की जाती हैं उनको समाप्त किया जावे।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं वह हमारे समाज में जो औद्योगीकरण वगैरह हुआ है उससे बढ़ी हैं जबकि उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वह बहुत ही कम हैं। गांवों में जो सिपाही वगैरह जाते हैं उन्हें प्रापर अलाउन्स नहीं दिया जाता है। थानेदार

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

वगैरह जो जाते हैं उनको अलाउन्स नहीं दिया जाता है। यहां तक कि ए. एस. आई. पद तक के जो अधिकारी हैं उन्हें मैस अलाउन्स नहीं दिया जाता है, जबकि दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज में, राजस्थान के अन्दर आर.एस.ई. वगैरह हैं, उनमें ए.एस.आई. को मैस अलाउन्स दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाय और प्रत्येक थाने के अन्दर वायरलैस सैट होना चाहिए, प्रत्येक थानेदार को जीप दी जाय, प्रत्येक थानेदार को दूसरी अन्य सुविधाएं दी जायं। उनको अगर ईमानदार बनाना है तो उनकी तनख्वाह को भी बराबर बढ़ाना होगा क्योंकि वह भी एक ज्यूडिशियरी के पार्ट हैं। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा....(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदय, पुलिस की डिमाण्ड पर मैं अपनी बात एक उदाहरण—जो मैंने बेटेरन रसेल की एक किताब में पढ़ा है, उससे आरम्भ करना चाहता हूं। बेटेरन रसेल के पास एक आदमी आया और उनसे कहा कि आप पता नहीं कैसी-कैसी किताबें लिख देते हो, आपकी किताब का एक भी वाक्य मेरी समझ में नहीं आया। कल रात मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो बड़ी मुश्किल से एक वाक्य मेरी समझ में आया। रसेल ने पूछा कि आपके क्या समझ में आया तो उसने कहा कि सीजर अभी जीवित है, सीजर जिन्दा है। रसेल साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो आदमी मर चुका है और उसमें लिखा था कि सीजर मर चुका है, उसके लिए मैंने सही लिखा है, फिर यह शख्स किस तरह कह रहा है। यह ताज्जुब की बात है और समझ में नहीं आ रही है। आदमी ने कहा कि आपकी समझ में नहीं आने की कौनसी बात है, आप कह रहे हैं कि सीजर मर चुका है जबकि सीजर जिन्दा है। रसेल ने कहा कि कहां है सीजर? तो उस आदमी ने कहा कि श्रीमान्, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं सीजर हूं। सभापति महोदय, यह शख्स वह था जो सीजर का अभिनय नाटकों में करता रहता था, उसने अपने आपको इतना आत्मसात कर लिया था नाटकों में अभिनय करते-करते, कि वह अपने आपको यही समझने लगा कि मैं सीजर हूं और सीजर के अलावा कुछ नहीं हूं। यही हाल बहुत कुछ आजकल हमारी पुलिस का है। पुलिस के हमारे अधिकारी और कर्मचारी आम जनता से ही आते हैं। लेकिन कर्मचारी और अधिकारी बनने के बाद वह यह भूल जाते हैं कि हम उसी समाज से आये हुए हैं, उसी का एक अंग हैं और वह सीजर की तरह अपने आपको अलग ही हैसियत में समझने लगते हैं और अलग उनकी दुनिया हो जाती है। उसी का नतीजा है कि आज जो पुलिस की छवि है वह उज्ज्वल नहीं है। इसके ऊपर जो सर्वे कराये गये हैं, उन सर्वेज से जो नतीजे सामने आये हैं मेरे पास रिबेरो साहब का एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में अभद्रता

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

तथा जनता के प्रति अशिष्ट व्यवहार एक बड़ी शिकायत है। और इसी तरह, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण वेटेरन रसेल का दिया था, वह लोग अपने आपको यह समझते हैं कि समाज से बिल्कुल अलग अंग हैं और हमारी एक अलग दुनिया है।

सभापति महोदय, यूनाइटेड नेशन्स में एक कोड ऑफ कण्डक्ट पुलिस ऑफिसर्स और उन ऑफिसर्स के लिए, जो लॉ को एनफोर्स करते हैं के लिए है और भारत सरकार ने उस कोड ऑफ कण्डक्ट को, जो United Nations Code of Conduct for Law enforcement officers कहलाता है, 1979 में अडॉप्ट किया। उसमें जो आर्टिकल 6 है उसमें इस बात को कहा गया है, जिस बात को मैंने अपनी बात के आरम्भ में कहा था, कि पुलिस को यह बात माननी चाहिए कि वह आम जनता के लोगों में से आये हैं, अन्तर केवल इतना ही है कि समाज के हित में और समाज की ओर से उन कर्त्तव्यों को पूरा ध्यान देने के लिए उनको नियुक्त किया गया है जिनका पूरा करना सामान्य रूप से प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। सभापति महोदय, आज पुलिस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कानून और व्यवस्था की है, अपराधों को रोकने की है और जो निरन्तर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनैतिक परिवर्तन आ रहे हैं उन कारणों से जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनका निवारण करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन इसके साथ-साथ आजादी के बाद जो कुछ परिवर्तन आये हैं मौलिक अधिकारों के रूप में, उनकी रक्षा करने की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी पुलिस की है और मुझे यह उद्धृत करते हुए खेद है कि जो बात डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में दिनांक 5.11.48 को कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। अच्छे लोगों के हाथों में बुरे संविधान को भी अच्छा साबित करने की सम्भावना बनी रहती है। आज से करीब चालीस साल पहले यह बात कही गई और मैं अनुभव करता हूं कि जो कुछ हम पुलिस की गतिविधियों में देख रहे हैं, उसमें डॉ. अम्बेडकर ने जो बात कही है वह कई मायनों में सही है। मैं मानता हूं कि आज पुलिस के ऊपर दबाव है और जिस तरह का उनका दायरा है, करीब तीस हजार की शहरी आबादी पर एक सिपाही और गांवों में डेढ़ लाख की आबादी पर एक सिपाही, वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाय तो मैं समझता हूं यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारे अपराध, जो दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, उन अपराधों को हम रोक सकें।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूं, वह यह है कि पुलिस और जनता के बीच में जो सहयोग और सम्पर्क होना चाहिए, वह सम्पर्क नहीं है। और उस सम्पर्क के न होने के कारण, सहयोग के न होने के कारण, आज अपराधों में वृद्धि हो रही है अपराधियों को सजा नहीं मिल पा रही है और पुलिस

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

असफल हो रही है। इस सम्बन्ध में बहुत सारे सर्वे भी हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं और जो नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि पुलिस, जनता और अखबार के बीच में आपस में किसी प्रकार से वार्तालाप का जरिया होना चाहिए, ताकि पुलिस वाले जनता की क्या भावना है उससे अवगत होते रहें और जनता भी उनके अच्छे कामों से अवगत होती रहे। हालांकि पिलानिया साहब ने कोशिश की थी, कुछ एडवाइजरी कमेटियां बनायी थीं हर थाने के ऊपर, लेकिन वह काम नहीं कर रही हैं। ऊपर के लेवल पर भी इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं है, पत्रकारों से किसी प्रकार का कोई सामंजस्य हो इसका भी कोई प्रावधान नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करें और इस प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित करें कि पुलिस, जनता और पत्रकारों का आपस में सामंजस्य बैठ सके। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनको महीने में एक बार प्रेस से मीट करनी चाहिए, हमारे जिला लेवल पर जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको अपने स्तर पर इसी प्रकार की मीटिंग्स करनी चाहिए, बुलानी चाहिए और एडवाइजरी कमेटी, जिस रूप में भी आप चाहें, बनानी चाहिए ताकि यह जो कम्युनिकेशन गैप है वह दूर हो सके और बहुत सारे हमारे जो मुद्दे हैं, जो उलझे हुए हैं, उन मुद्दों में जो आज पुलिस को सहयोग नहीं मिल रहा है वह मिल सके।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो समस्या है उसका हमारे मंत्री महोदय को भी ज्ञान है, सरकार भी सजग है, पुलिस के अधिकारियों को भी ज्ञान है कि जब भी कोई घटना होती है उस पर हम ज्यूडिशियल इन्क्वायरी बैठाते हैं जो बड़े लम्बे समय के बाद अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार कार्यवाही करती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह बहुत दुखद विषय है कि इन बातों के ऊपर जो कमीशन की रिपोर्ट होती है, उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उन पर बहुत कम तवज्जोह दी जाती है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन साइड है उसको बिल्कुल नकारा जाता है। नतीजा यह है कि इस प्रकार की घटनाएं बराबर होती रहती हैं और कमीशन बराबर बैठते रहते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं तो एक ही बोलने वाला हूं। सभापति महोदय, थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा। बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज लोगों का पुलिस और न्याय से विश्वास उठ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई त्वरित कार्यवाही हमारे यहां पर नहीं है। चाहे पुलिस इन्वेस्टीगेशन का मामला हो चाहे ट्रायल का मामला हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा कोई न कोई समयबद्ध कार्यक्रम, इन चीजों में समयबद्ध व्यवस्था करनी

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है कि कुछ समय निश्चित किया हुआ है। जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे साथी कह रहे थे, आज भी उस समय की जो महत्ता है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। आज इंग्लैंड में व्यवस्था है कि चालान पेश करने के साथ-साथ उस केस के सारे गवाह एक निश्चित दिन के ऊपर उपस्थित होते हैं, पुलिस अधिकारी उनको लेकर आते हैं और एक दो दिन लगाकर ट्रायल करके उस केस का पूरा फैसला हो जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि अपराध न हों, उसके लिए जो प्रावधान, प्रिवेन्टिव एक्शन हैं, उनको करने वाली एजेन्सी हैं, उनको एक्टिव बनाना होगा। मुझे पता है कि हमारे यहां जो इण्टेलीजेंस डिपार्टमेंट है उनके पास न तो साधन हैं और न उनके पास स्टाफ है और उसको इस प्रकार से सुसज्जित किया गया है कि वह अपराध की पूर्व सूचना सरकार को दे सकें जिससे कि जो गम्भीर अपराध होते हैं उनको न होने दिया जाय और उसके पूर्व में ही कुछ कार्यवाही हो सके।

कुछ हमारे यहां इस प्रकार के व्यक्ति हैं, कुछ इस प्रकार की जातियां हैं जो अपराध करने में लिप्त रहती हैं, जिन्हें हम जरायमपेशा लोग या कौम कहते हैं, जैसे कि मण्डावरी में दुर्घटना हुई। ऐसे लोगों को बसाने और उनका पुनर्वास करने की कोई योजना जब तक नहीं बनायेंगे तब तक इस प्रकार के लोग, जो इन कामों में लिप्त हैं, वे उनको छोड़कर अच्छा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे अपराध जो इस केटेगरी के लोगों द्वारा हो रहे हैं उनसे हम मुक्त हो सकेंगे।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहूंगा कि मैं पुलिस का प्रगति विवरण पढ़ रहा था....

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। उसमें डकैती उन्मूलन का विवरण जो पृष्ठ 6 से चालू है उसका आप जरा अवलोकन करें। उसमें 11 उदाहरण दिये गये हैं कि हमने 11 डकैती उन्मूलन के कार्य किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया....

श्री सम्पतराम : आपके समय की बात है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरी आपकी एक बात है। न पुलिस मेरी है न आपकी है। आप और हम तो नायक की तरह से हैं। आप जितनी मुस्तैदी से कर सकते हैं करें। हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया है। 11 डकैती उन्मूलन की बात पढ़ी पर न तो कोई डकैत पकड़ा गया और आखिर में ऐसे लिखा हुआ है कि ऊबड़ खाबड़ बीहड़ का लाभ उठाकर डकैत भाग गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसको आप देखें और किस प्रकार आप ठीक कर सकते हैं उसको आप करने की कोशिश करें।

अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आज थानों में जो सुविधाएं हैं, कांस्टेबल को एमेनटीज हैं, वह बहुत कम हैं, न मनोरंजन का साधन है और न और सुविधाएं हैं न मैस का जो खाना मिलना चाहिए वह सुविधा है। इसलिए उसको बढ़ाने की कोशिश करें जितनी हो सकती है।

अन्त में मैं इस बात के लिए पुलिस के अधिकारियों को और पुलिस के कर्मचारी और दूसरे लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ काम ऐसे जरूर किये हैं जो 11 नं. पेज पर उन्होंने कहे हैं—खास तौर से जयपुर में बम काण्ड का पता लगाना, गंगानगर में हथियारों का जखीरा पकड़ना। इस सम्बन्ध में जो मुस्तैदी से काम किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल खाण्डा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो मिनट के लिए गयी थी। मुझे मालूम नहीं था यह अव्यवस्था है। पहले अगर नम्बर मालूम हो, तो ठीक है।

श्री सभापति : प्रतीक्षा कीजिये, आ जायेगा। आप शुरू कीजिये बाबूलालजी।

(4.00 म.प.)

श्री बाबूलाल खाण्डा (सूरतगढ़) : वह बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

माननीय सभापतिजी, पुलिस प्रशासन देखा जाय तो किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होता है। उस रीढ़ की हड्डी की बदौलत सरकार चलती है और चलने लायक रहती है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी कमजोर हो, विकृत हो, तो सरकार चलने लायक नहीं रहती है।

आर्थिक योजनाएं सिर्फ जनता को विकास की ओर ले जाती हैं जो एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, पर इसके साथ-साथ जनता की सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जनता व जनता के माल की सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है और उसी से पुलिस प्रशासन का मूल्यांकन होता है कि पुलिस प्रशासन कितना योग्य है।

पुलिस क्या है इसकी आम जनता में एक अलग तरह की धारणा है। आम आदमी पुलिस थानों को या पुलिस के थानेदार को ही मानता है। हमारे प्रान्त में पुलिस का काफी बड़ा ढांचा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यहां 634 थाने हैं और शायद इतनी ही 700 के आसपास चौकियां हैं। हमारे प्रान्त में 54631 अधिकारी और कर्मचारी हैं लेकिन जो हर आदमी को दिखाई देता है वह थाना है या थानेदार है। हमने भी चुनावों में यह कहा था कि हमारी सरकार आयेगी तो जनता की जानमाल की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए प्रथम गारण्टी देगी और हमारी सरकार बनने के बाद इस ओर कदम भी उठाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से मण्डावरी और सतवाड़ी की घटनाएं हुई उनमें भी थाना और थानेदार का चित्र उभरकर आता है। तो मैं कुछ शब्दों में हमारे थानेदार नाम का जो प्राणी है उनकी महिमा के बारे में कहना चाहूंगा,

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

सरकार को भी उनकी महिमा पहचाननी चाहिए और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, कुशल बनाना चाहिए।

थानेदारजी की महिमा के लिए एक पैरोडी है वह मैं अर्ज करूंगा। वह इस तरह से है "6 डाकुओं के बीच बैठे थानेदार, चित्र का शीर्षक उससे भी मजेदार, सात चेहरे एक आत्मा है परमात्मा" तो देखिये कि किसकी आत्मा किसमें समाई हुई है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

थानेदार की भर्ती में, सिपाहियों की भर्ती में, बड़ी धांधली है और खामियां रही हैं यह सब जानते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सिपाहियों की भर्ती में आज तक क्या होता रहा है। परन्तु एक महिना पहले ही सिपाहियों की जो भर्ती हुई उसमें मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सख्त निर्देश दिये थे कि सिपाहियों की भर्ती में पहले की तरह कोई गोलमाल नहीं होना चाहिए। मेरे भी कुछ मित्र हैं, पुलिस में अधिकारी हैं। हमने बात की तो वह सब डरे हुए लगे कि इस बार ऐसे सख्त निर्देश आये हैं कि रिक्रूटमेंट में, भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि अधिकतर अधिकारी, कर्मचारी और उम्मीदवार, जो फार्म लेते हैं, वह निराश लगते थे। आधे फार्म तो अनुसूचित जाति और जन जाति के रिजेक्ट कर दिये गये। कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस बार तो निर्देश बड़े सख्त आये हैं। जहां तक मेरी जानकारी है जितनी जगहें थी, रिक्तियां थीं वह आधी खाली रह गईं। तो यह एक दिशाबोध है कि हमने जो भर्ती की वह ठीक हुई। अच्छे कर्मी आये, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस सरकार ने यह पहल की है इसलिए यह सरकार साधुवाद की पात्र है।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरे क्षेत्र की बात बताऊं। मेरे यहां तीन थाने हैं उनकी महिमा अपरम्पार है। सूरजगढ़ के थानेदार जो हैं उनका नाम तुलसीराम है। मैंने डी.आई.जी. साहब को कहा कि यह मेरे क्षेत्र के लोगों को भयभीत करता है। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। और देखिये, नियम यह है कि जिस जिले का थानेदार निवासी होता है उसको उस जिले में नहीं लगाया जाता है। लेकिन हमारे तुलसीरामजी सूरजगढ़ में बैठे हुए हैं और चिड़ावा के निवासी हैं। पहले शिकायत हुई थी तो उनको बदल दिया गया था लेकिन फिर आ गये हैं। उनका मेरे पास चिड़ावा का राशन कार्ड है, पोस्टिंग उनकी सूरजगढ़ में है। वे चाहें तो सूरजगढ़ के नाम से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन चिड़ावा में दो मंजिल की कोठी है उनके पास, उनका राशनकार्ड है। फिर भी वह बैठा हुआ है। इतना ही नहीं सूरजगढ़ में उन्होंने 5 दुकानें कबाड़ रखी हैं और एक बड़ा नोहरा कबाड़ रखा है जिसमें 8 पक्के मकान हैं और जिसमें कोई डेयरी जैसी खोल रखी है। अड़ूपा एक गांव है, उस अड़ूपा गांव में गोचर भूमि को किसी ने कब्जे में कर लिया था लेकिन उसको उन्होंने खरीद ली कि मुझे दे दो, गांव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने 35 बीघा पर कब्जा कर रखा है।

एक आपको मजेदार बात बताऊं।

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

वह यह है कि हमारी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता है, उसमें जो धाराएं हैं उनकी अपने हिसाब से रेट तय कर रखी हैं । मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं जो आम जनता में प्रचलित है और सूरजगढ़ की जनता के लोगों ने मुझे नोट करायी है । थाने में घुसते हैं तो उससे दो हजार रुपये । 323 धारा में केस करता है तो उससे पांच हजार रुपये, 324 में केस करता है तो 7 हजार रुपये, 376 में करता है तो 65 हजार रुपये, 326 में 10 हजार रुपये और 302 में 1 लाख 60 हजार की रेट दर्ज है । यह तो रेट थी जो वह लोगों से प्राप्त करता रहता है । और दूसरा ये शपथ पत्र हैं जो ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहिये ।

श्री दिग्विजय सिंह : यह रेट पुरानी है या नई है ?

श्री बाबूलाल खांडा : तो मुझे पता नहीं, वह कांग्रेस का ही बैठाया हुआ है । उन्होंने मुझे शपथपत्र दिया है, अटेस्टेड है । कोई उनके घर में घुस आया । उसने लिखा है कि मैंने केस दर्ज कराया । केस दर्ज कराने से, उसको पकड़ लिया, दूसरे व्यक्ति को, लेकिन उससे कहा कि तुम भी केस दर्ज करा लो । तो उसने केस दर्ज कराया तो उसे पकड़ कर ले गये, रात को । तो उसने लिखा है कि इसे मैंने किसी से उधार लेकर 3,500 रुपये दिये हैं, श्रीमान जी को और अब मेरा पीछा छोड़ा है । अब जो केस एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाते हैं, उससे लेते हैं और दूसरा जो होता है, उससे कहते हैं तुम इसके खिलाफ दर्ज करो । दोनों से ले रहा है, वह । एक तो यह जुगलोत । दूसरा अद्दाराम है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसे सारे....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल खांडा : एक राम सिंह पुत्र मालाराम जाट है । उसका मेरे पास एक शपथ पत्र है । उसने लिखा है, 15 हजार रुपये लिये हैं, यह शपथ पत्र है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसे सारे मसले आप माननीय मंत्री महोदय को दे दें, वह इन्क्वायरी करा लेंगे, इस बारे में ।

श्री बाबूलाल खांडा : नहीं । इसमें पता चलेगा । मैंने डी.आई.जी. से बात कर रखी है, इनको लिखकर भी दे दिया है, हमारे शांतिलालजी को भी....

श्री सभापति : तो माननीय मंत्री महोदय उनकी इन्क्वायरी करा लेंगे ।

श्री बाबूलाल खांडा : एक सुरजाराम पुत्र श्री सुखराम उम्र 36 वर्ष है । यह लिखते हैं, शपथ पत्र । उन्होंने 5 हजार रुपये लिये हैं । तो एक तो हैं, हमारे सूरजगढ़ के थानेदार श्री तुलसीरामजी, जिसके लिए मैंने अभी एक काव्य में पैरोडी सुनाई थी । अब मेरे सिवाने के थानेदार हैं । मेरे घर के सामने स्रोत हैं, पहाड़ी जैसा बना हुआ है । उसकी परिसीसी उसमें से ट्रक भर-भर कर ला रहे हैं । मैंने खुद बात की,

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

यह जो हमारी सरकार की प्रोपरटी है, आज इसको कैसे जाने देते हैं। उन्होंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि 25 टन कॉपर की चोरी होती, सिवाना वहां से जाता है। मैंने इनसे कहा कि सरकार हमारी बन गई है। अब भी यही चल रहा है, बन्द करिये लेकिन बिल्कुल बन्द नहीं पर पाये। फिर किसी ने कहा कि हमारी सरकार है, इसको नहीं रहने देंगे। वह कहता है कि सरकार अगर राजस्थान की आपकी है तो दिल्ली की मेरी है, मैं वहां से ट्रांसफर कैंसल करा लाऊंगा। यह अजीब प्राणी है। जैसा मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि 54631 कर्मचारी 634 थानों का काम हाथ में लिए हैं, उन पर कन्ट्रोल हो। तभी सरकार की इज्जत बढ़ेगी, सरकार को लगेगा कि पहले जो होता था वैसा अब नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की जो प्राब्लम मैंने बतायी, दोनों थानेदार बैठे हुए हैं। मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इनकी तरफ ध्यान दें, हालांकि पैराडी तो मैं भी लिखूंगा इनके खिलाफ।

मेरा दूसरा कंस्ट्रक्टिव सुझाव भर्ती के बारे में है। भर्ती का हमारा जो तरीका है, हमारी व्यवस्था है उसमें कोई तब्दीली नहीं आयी है। मेरा यह सुझाव है कि सिपाहियों की भर्ती के लिए सिपाही चयन आयोग गठित किया जाना चाहिए, ताकि उसके लिए अलहदा रिक्रूटमैंट करने वाली टीम हो। एस. पी. और डी. आई. जी. पर जो भार पड़ता है, कहां-कहां रिक्रूट करते हैं उसकी बजाय अगर सिपाही चयन आयोग की स्थापना हो जाय तो इससे रिक्रूटमैंट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और इस तरह की उड़ती अफवाहें भी समाप्त होंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल खाण्डा : सभापति महोदय, एक मिनट।

दूसरी अर्ज करूं कि हरिजनों पर अत्याचार की बात हम बहुत कहते हैं, ढिंढोरा भी पीटते हैं, लेकिन उनकी रक्षा पूर्णतः पुलिस पर निर्भर करती है। मेरा सुझाव है कि पुलिस में दलित वर्ग के लोगों का आरक्षण बढ़ाया जाय। अनुसूचित जाति-जनजाति के उम्मीदवारों को सामान्य कैटेगरी के लोगों की तुलना में शारीरिक मापदण्डों में भी छूट दी जानी चाहिये, क्योंकि हमारे बहुत से लोग अगर सीना कम हो गया तो रिजैक्ट हो जाते हैं, वेट थोड़ा-सा कम हो गया तो रिजैक्ट कर दिये जाते हैं। उनके लिए परे हटकर कोई माप-दण्ड तय हो ताकि पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें आ सकें। पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ विश्वास हो कि पुलिस थानों में हमारे भी लोग बैठे हुए हैं, हमें रात को सोते हुए यूं ही कोई उठाकर नहीं ले जायेगा।

यह मेरे कुछ सुझाव हैं, मुझे उम्मीद है कि इन पर कार्यवाई होगी। मैंने कोई ज्यादा समय नहीं लिया, फिर भी मुझे समय दिया, मुझे सुना, मैं आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वर्तमान में जो पुलिस है वह अंग्रेजों के टाइम की पुलिस नहीं है। यह जनहित को सामने रखकर सेवा कार्य करने वाली पुलिस है। पुलिस शब्द से मेरा विरोध है, इसका नाम चेंज किया जाना चाहिये, क्योंकि जहां यह नाम है वहां एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे कोई जनता से दूरी हो। यह दूरी और यह सेवा कार्य, इसको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से कार्य करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से रात-दिन जगकर वह कार्य करते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान करना भी हमारा कार्य है। इनको थानों में ओवरटाइम कार्य करना पड़ता है, पर कोई स्टाफ क्वार्टर्स नहीं कि कोई बैठकर आराम कर ले। जयपुर नगर की मैं बात करूं, भैरोंसिंह जी की सरकार के समय में थानों में जो काम हुआ उसके अलावा पिछली सरकार ने स्टाफ क्वार्टर्स का, उनको मेण्टेन करने का या चौकियों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कोई कार्य नहीं किया। मेरा कहना यह है कि इन स्थानों पर पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं—पंखा, टेलीफोन होना चाहिए। अगर हम तत्परता से सेवा चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह चीजें हमें उनको उपलब्ध करानी पड़ेंगी।

मेरे थाना जमवारामगढ़ में एक फोन लगा एशियाड के समय, लेकिन उसको डायल सिस्टम से न करके ट्रंक काल के हिसाब से कर दिया। उस समय के पुलिस अधिकारियों ने इसको माना होगा या क्या व्यवस्था रही होगी कि उसका तीन लाख का बिल आया। वह थाना उसको चुका नहीं पाया, पुलिस उसको चुका नहीं पायी। मान्यवर, स्थिति यह हो गयी कि अगर जमवारामगढ़ में हमको कोई काम पड़े तो हम दौड़कर जायें। तब तो कोई काम हो सकता है। मैं निवेदन करूंगी मन्त्री महोदय से कि एक बार तो उस फोन का निपटारा पर्यटन से या आपके द्वारा, जैसे भी हो सकता हो, करें ताकि वहां कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न कर सकें।

पिछले दिनों यह बात सिद्धान्ततः मानी गयी थी कि ग्रामीण क्षेत्र के थानों में हम जीप उपलब्ध करायेंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चालीस किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव आना पड़ता है। मानपुर कलां से आदमी जमवा रामगढ़ जायेगा, सुनेल से आदमी बस्सी जायेगा, नायला का आदमी जमवारामगढ़ आयेगा। इन सबको असुविधा होती है। नायला आया हुआ मानपुर कलां नहीं जा सकता, मानपुर कलां आया हुआ जयसिंहपुरा नहीं जा सकता। इस तरह की दिक्कत होती है कि थानेदार को अगर वहां उपलब्ध करना चाहें तो टाइम पर पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं होता। मेरा कहना यह है कि जीप उपलब्ध करायी जानी चाहिए वायरलैस सैट फिट की हुई, जिससे वह अपनी सेवाओं को अंजाम दे सकें।

एक बहुत बड़ी बात है, सभापति महोदय, कि हम थानों में रिपोर्ट लिखने की बात तो कहते हैं, पर रिपोर्ट लिखने के लिए अलग से स्टाफ नहीं होता। एक थाने में 12 आदमियों का स्टाफ है, वही गश्त करेगा, वही रिपोर्ट लिख लेगा। और फिर रिपोर्ट लिखने के लिए कागज का सर्वथा अभाव। स्टेशनरी के नाम पर पुलिस कहां से कागज लाये ? उनको इतनी तनख्वाह तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हम नहीं देते कि वह अपनी तनख्वाह से लायें। फिर हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो आदमी आता है रिपोर्ट लिखाने, उसी से दस्ता-दो दस्ता कागज मंगा लिया, पैन मंगा लिया। मैं समझती हूं कि स्टेशनरी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इस छोटी-सी बात में भी पुलिस की क्यों बदनामी हो? फिर होता क्या है कि चूंकि पन्ने अलग-अलग होते हैं, दर्ज रिपोर्ट भी निकाली जा सकती है, उसको फाड़कर फेंका जा सकता है। अगर रजिस्टर में इन्द्राज हो, पूरी स्टेशनरी उनको उपलब्ध करायी जाय, तो इस तरह की कोई गलती नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जनहित के आन्दोलन हुए पिछले दिनों। उनके मुकदमें चल रहे हैं। पार्टियों ने जो आन्दोलन किये हैं उनमें बड़ी-बड़ी धाराएं लगा दी गयी हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करती लेकिन मैं मन्त्री महोदय से कहूंगी कि उन पर से वह मुकदमें हटाये जाने चाहिये। पार्टियां आन्दोलन करती हैं जनहित में।

सभापति महोदय, महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस की एक तरह से निष्क्रियता देखी जा सकती है। वह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। कहीं हत्या का मामला होगा तो उसको आत्महत्या में बदल देंगे। हत्या में केस दर्ज न हो, यह प्रयास किया जाता है। मेरा सीधा आरोप है। पुलिस को इस तरह की स्थितियों का अवलोकन कर मुकदमें न बदलने के लिए आप निश्चित रूप से बाध्य करेंगे, मन्त्री महोदय, यह मेरा आपसे निवेदन है। हमारे यहां कोटखावदा और अन्य जगहों में जिस तरह के कार्य होते हैं उनका मैं मेरे मुंह से उल्लेख नहीं करना चाहती। उनसे विरत रहने की बजाय पुलिस उसमें सहयोग करती है, यह उचित नहीं है। अब तो मुख्य मन्त्री जी ने धोलपुर से चुनाव लड़ा है। मैं समझती हूं कि वहां पर जो स्थिति थी वह सुधर गयी होगी, या सुधर जायेगी। मैं वहां के बारे में उल्लेख करना नहीं चाहती।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं दो-तीन बातें कहकर मेरी बात खत्म करूंगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो ओवरटाइम काम करते हैं उनको हम लोग ओवरटाइम भत्ता नहीं देते। मैस भत्ता आप देखें तो बी. एस. एफ और सी. आर. पी. के मुकाबले हमारे कांस्टेबल का मैस भत्ता कितना कम है–85 रुपये। बी. एस. एफ. का है 100 रुपये के आसपास और सी. आर. पी. का है 223 रुपये। जब महंगाई बढ़ी है, उनको इतना पे करना पड़ता है तो मैं समझती हूं कि उनको इतना दिया जाना चाहिए। अन्य वैलफेयर के लिए हमको एक वैलफेयर फण्ड क्रिएट करना चाहिए। जिनकी रुचि खेलकूद में है उनको अवसर देकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि डीग, भरतपुर की सीमा लगते इलाके में चोरी-डकैतियां बढ़ी हैं, पर वहां पर उपअधीक्षक ही नहीं है। यह पोस्ट कब से खाली पड़ी है, मन्त्री महोदय, इसको भरें।

मैं जयपुर के बारे में कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों साम्प्रदायिक दंगे हुए।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पुलिस के पास हथियार नहीं थे, आधुनिक हथियार तो थे ही नहीं, और कुछ शिथिलता भी रही। मैं दोनों ही बातें कहना चाहूंगी कि हथियारों के बगैर शिथिलता थी या हथियार होते हुए शिथिलता थी। दोनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब यह मालूम पड़ गया था कि आज कोई उपद्रव होने वाला है तो पुलिस ने तैनात होकर उन उपद्रवी लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? पूर्व में उनको रोक लिया जाता तो जयपुर में दंगा नहीं होता। साम्प्रदायिक दंगों के पीछे कुछ तो लोगों की मनोवांछा होती होगी, लेकिन अगर पुलिस की निष्क्रियता हो तो यह बर्दाश्त करने काबिल नहीं है।

एक बात और कहना चाहूं कि पुलिस वाले मोहल्ला पोलिटिक्स में भाग लेते हैं। मेरे यहां का एक थानेदार है रामजस। लोगों को इकट्ठा करता है, बरगलाता है, धमकाता है। ब्रह्मपुरी का पूरा इलाका उसके आतंक से भयभीत है लेकिन शिकायत करने के बाद भी कुछ काम नहीं होता वह खरीद-फरोख्त करता है जमीनों की। 10 महीने वो पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, उसको वेतन चुकाया जाता है। ऐसे लोगों को ऐसी पदवी से निकाल देना चाहिये और उसी के बारे में मैं कहना चाहूंगी। थाना आदर्श नगर में वो इंचार्ज थे, तो बाबूलाल तेली की हत्या की। कांग्रेस का राज था और हत्या की कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाया गया और यह कह दिया कि वह जीप से कूद पड़ा। उसको जान से मारा गया थाने में और बात कही गई इस तरह से, और आज भी वो अपराधी खुला जयपुर में घूम रहा है। मैं समझती हूं यह कोई अच्छी हरकत नहीं है किसी का भी राज हो। जो अपराध करे उसको सजा मिलनी चाहिए चाहे वो थानेदार हो या सामान्य नागरिक। कानून सबके लिए एक है। इस तरह की अवस्थाओं को आप देखें और अन्तिम बात यह कहना चाहूंगी कि थाने में बुलाना, यह किसी कानून के अन्तर्गत नहीं लिखा है। थाने में बुलाकर पूछें, पूछताछ करें, लेकिन सामान्य पूछताछ न करके 4–4, 8–8 दिन, 10–10 दिन बैठाकर लोगों को जो कुटाई की जाती है, यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। मन्त्री महोदय इस स्थिति को सुधारें। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि ट्रैफिक के बारे में हम सब इज्जत की बात करते थे, सोचते थे, लेकिन जिस तरह ट्रकों से, जिस तरह वाहनों से सरे आम वे पैसा लेते हैं, इसको रोका जाना चाहिए।

एक बात और थानों में शराब पीकर पड़े रहते हैं, वाहन चलाते हैं। इस प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग करके ड्यूटी पर आते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। और मन्त्री महोदय आप 2–4 थानों में सडन विजिट कीजिए जिससे उनको यह मालूम पड़े कि कभी भी कोई आ सकता है और भय हो और ठीक आचरण करें, यही बात कहते हुए मैं समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी।

श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के करप्शन और थर्ड डिग्री मैथड्स के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं पुलिस बल की कुछ कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आक-

(श्री रामनारायण बैरवा)

षित करना चाहूंगा जिससे उनके कार्य में सुधार होगा और समाज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। सबसे बड़ी जो कानूनी व्यवस्था की स्थिति है वो आज की तारीख में किसी भी माननीय सदस्य से छिपी हुई नहीं है। कोटा और जयपुर के जो दंगे हुए उसमें भी दो जगह थानेदार का काम मैंने किया डी. आई. जी. के होते हुए। जयपुर में माणक चौक थाने का इंचार्ज रहा और रामगंज थाने का। कोटा में भी मैंने स्थिति देखी और इसके बाद मैंने अनुभव किया कि जिस सरकार से हम बार-बार कहा करते थे कि पुलिस बेड़े की स्ट्रेन्थ को बढाइये, मेरे ख्याल से हमारे दोनों मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं, शिवचरण जी भी और जोशी जी भी। उनको बार-बार कहते रहे। मेरे ख्याल से 4–5 साल से यह डिमांड चल रही थी कि पुलिस बल के बेड़े की नफरी बढ़ाइये। ऐसा न करने का अंजाम तब देखा जब यहाँ की जो पुलिस फोर्स थी वो सीकर चली गई और इसके बाद ये दंगे-फंसाद हुए उसमें आर्मी को बुलाना पड़ा, बी. एस. एफ. को बुलाना पड़ा और सी. आर. पी.। इतनी फोर्स का खर्चा हमको करना पड़ता है। इसलिए अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति को सम्भालना है तो हमको कम से कम 4 आर. ए. सी. की बटालियनें और रेंज करनी चाहिए। मैं भी 28 साल तक पुलिस की सर्विस में रहा और मैं हमेशा इस बात पर बल देता रहा कि कम से कम जो सेंस्टिव एरियाज् है, सर्किल हैडक्वार्टर्स है जिन पर क्रिमिनल सिचुएशन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, उन पर एक प्लाटून कम से कम होना चाहिये। और जिन जिलों में स्थिति और भी बिगड़ी हुई है वहां कम से कम एक कम्पनी हमेशा रहनी चाहिए। होता यह है कि आज कोटा में दंगा हो गया तो जयपुर, टोंक, बूंदी की सारी फोर्स भेज दी गई, और अगर उसी तरह से उदयपुर में हो जायेगी तो कोटा से फोर्स उदयपुर भेज दी जायेगी। तो इस प्रकार फोर्स के पहुंचने में काफी समय लगता है। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि फोर्स की नफरी बढ़ाई जाय। अगर फोर्स की नफरी नहीं बढ़ाई गई और अगर इसी तरह के दंगे रिपीट हो गए तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे।

दूसरी पुलिस कल्याण की जो समस्या है यह भी बड़ी गम्भीर है। पुलिस कमीशन जितने बैठें और उन्होंने जो रिपोर्ट दी हैं उनके आधार पर मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार ने पुलिस कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि 30 पर्सेन्ट के लिए फैमिली एकोमोडेशन है और 70 पर्सेन्ट के लिए बैरक एकोमोडेशन हैं जबकि इसका उल्टा मामला होना चाहिए। दूसरे राज्यों में यू. पी. में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, तो बैरक एकोमोडेशन कम और फैमिली की सुविधा ज्यादा जगह पर होनी चाहिए। कहा जाता है कि पुलिस कर्मचारी कई दफा रेप में इवाल्व हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप ध्यान दीजिए कि जो आदमी बिना अपनी फैमिली के रहेगा उसकी क्या हालत हो सकती है। यह गलत काम करने के लिए कई बार जो मजबूर हो जाते है।

मैंने गुजरात का भी दौरा किया है, वहां पर स्थिति देखी है, वहां पर थाने में अगर 12 सिपाही हैं तो वहाँ पर 12 के लिए ही आवासीय सुविधा, फैमिली सुविधा

(श्री रामनारायण बैरवा)

उपलब्ध हैं। परन्तु हमारे यहां पर मैंने स्पेशल आई.जी. का कुछ काम किया था, 4 महीनों तक, तो मैंने यह देखा कि फिगर्स भी गलत भेज दिए। फाइनेन्स कमीशन को जो फिगर्स दिए गए हैं जो फिगर्स ही उल्टे भेज दिए और यह दिखा दिया कि हमारे पास इतने फेमिली एकोमोडेशन हैं। 70 पर्सेन्ट फेमिली एकोमोडेशन दिखा दिया जबकि मामला बिल्कुल उल्टा था। बैरक होना यह चाहिए कि फेमिली एकोमोडेशन 70 पर्सेन्ट आदमियों के पास हो और 30 पर्सेन्ट के लिए बैरक एकोमोडेशन हो। तब करके पुलिस के कंडक्ट में सुधार हो सकता है और वो फेमिली लाइफ भी व्यतीत कर सकते हैं। आज पुलिस वालों की कोई फेमिली लाइफ नहीं है और मुश्किल तो यह है कि हमारी जो सरकार है वो इसके लिए एक पैसा नहीं देती। जितना पैसा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए आता है जो भारत सरकार देती है। मैंने एक दफा अध्ययन किया तो पता लगा कि पिछले 16 साल में राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया दिया जबकि सरकार हर साल 1-1½ करोड़ रुपया इस फण्ड में देती है।

प्रशासकीय भवनों की भी बड़ी बुरी हालत है। वहां पर भी किराए के मकान लिए हुए हैं। आज भी थाना हमारा खुल जाता है परन्तु उसमें रहने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से इसको असेंसियल सर्विस माना गया है यह समाज पुलिस के बिना जीवित भी नहीं रह सकता, अतः इस ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

बी. एस. एफ. और सी. आर. पी. के स्केल हैं वो सेन्ट्रल गवर्मेंमेट के स्केल. राजस्थान में भी हमारी पुलिस के लिए सब जगह लागू कर दिए गए हैं परन्तु उसमें विडम्बना यह है कि जबकि बी.एस.एफ. और सी. आर. पी. के जवान को 236/– रुपये के करीब राशनमनी दी जाती है। हमारे यहां आर.एस.पी. को 100/– और दूसरे जो ए.पी. और सी.पी. के कांस्टेबल है उनको केवल 50/– दिया जाता है। मुझे याद है भवानीमल जी ने एक टी.बी. हास्पिटल यहां पर खोला करीब 15 पर्सेन्ट आदमियों को टी. बी. की शिकायत रहती हैं। इसका कारण यह है कि उनको संतुलित आहार नहीं मिलता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल और ए.एस.आई. को राशन मनी में भी इजाफा किया जाए। आज आर्मी में यह हालत है कि मेजर जनरल तक को राशन फ्री मिलता है। लेकिन पुलिस में ए.एस.आई. और सब इंस्पेक्टर तक को यह राशन वहां नहीं मिलता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा संक्षेप में बोलिए।

एक माननीय सदस्य : पुलिस के हैं.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप कृपया घण्टी इतनी न बजाएं, माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान) आधा घण्टा और ज्यादा लग जायेगा उसमें लेकिन....

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलें माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, समय का भी ध्यान रखें। काफी हमारे दल के बोलने वाले अभी ,हैं एक ही अभी बोले हैं। 10 आदमियों की लिस्ट है, श्रीमन् बड़ा अनर्थ हो जायेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंहजी में बिल्कुल लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी गुजारिश यह है कि या तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक चलाने की तैयारी रखें आप, साढ़े 3.00—4.00 बजे तक चलाने की तैयारी रखें। आराम से बोलें सब लोग।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : हमारी तो तैयारी है। आपकी है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम तो तैयार हैं। लेकिन जो नये गृह मंत्री होने वाले हैं श्री सम्पतरामजी, वह तैयार हैं या नहीं, यह पूछ लीजिये पहले।

श्री सम्पतराम (एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री) : मैं तो आपके साथ हूं, बैठा हूं 2 बजे तक।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण बैरवा : सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सैनिक स्कूल की स्थापना आर्मी ने कर रखी है उसी तरह से पुलिस के लिये भी एक सैण्ट्रल स्कूल की पद्धतिका स्कूल खोला जाय। उसमें सरकार सबसे बड़ी अड़चन यह लगायेगी कि फाइनेन्स कहां से आयेगा। इसके बारे में मैंने कई बार मीटिंग्स में यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिले में अगर 10 वेकेन्सीज खाली छोड़ दी जाय, 10 स्थान रिक्त छोड़ दिये जायें तो उससे लगभग 50 लाख रुपये सालाना की आमदनी होगी। उस 50 लाख रुपये से 8वीं क्लास से ऊपर 10+2 तक अगर 4 साल तक उन बच्चों की भर्ती करके पढ़ायी कराई जाय और उसके साथ-साथ उनमें जो पुलिस के गुण हैं, जो आचार हैं, जो विचार हैं और जो पुलिस ट्रेनिंग है, वह दी जाय तो यह भर्ती वाली प्राब्लम साल्व हो जाय। अब तो भर्ती में करप्शन कम हो गया है, मैं तो कहूंगा कि खत्म हो गया है, क्योंकि अब डी. आई. जी. को चैयरमैन बना दिया गया है। पहले एस. पी. के लेवल पर काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। तो इससे दोनों बातों का समाधान हो जायेगा एक तो पुलिस के बच्चों के लिए ऐजुकेशन की व्यवस्था हो जायेगी और दूसरी जो पुलिस रिक्रूटमेन्ट में परेशानी आती है उसके लिये अगर 8 वीं क्लास के बच्चे को लेकर 4 साल तक उस बच्चे की पुलिस की ट्रेनिंग हो जायेगी, उससे अच्छा पुलिस मैन या जन-सेवक जिसे कहना चाहिये, हम उसको बना सकते हैं।

सभापति महोदय, पुलिस में वैसे सतर्कता के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं तो इस बारे में निवेदन करूंगा कि सतर्कता के लिये जिस प्रकार से नागरिक समितियां जयपुर में अभी चालू की गयी थीं, उससे पुलिस और पब्लिक का को-आपरेशन आपस में होता रहा, हर महीने शायद यहां मीटिंग्स भी होती रही हैं, अपनी समस्याओं का

(श्री रामनारायण बैरवा)

समाधान एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान भी हुआ और पुलिस का जो भय था वह भी खत्म हुआ है। लेकिन मैं तो इससे आगे बढ़कर निवेदन करूंगा कि पुलिस के काम के लिये हर थाना स्तर पर डीवाई. एस.पी. के स्तर पर और जिला स्तर पर एक विजिलैन्स कमेटी बना दी जाय, जिनमें विधायक भी हों, प्रधान भी हो और अगर आवश्यकता हो तो अच्छे सरपंच हों, सभी पार्टीज़ के उनमें आदमी हों, इस तरह की सतर्कता समितियां पुलिस के कार्यों के लिये अगर थाना लेबल पर लगा दी जायं तो मेरे ख्याल से पुलिस के व्यवहार के बारे में, अभी जैसा हमारे झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, वह शिकायतें भी दूर हो जायेंगी। यह तो चन्दा बता रहे थे किसी में 50 हजार किसी में 60 हजार रुपये तक, यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इससे इनके काम पर काफी चैक रहेगा। इसमें पुलिस के आफिसर्स थोड़ा एतराज करेंगे कि हमारा सारा काम गड़बड़ हो जायेगा। अभी 3 माह से मैं भी देख रहा हूं कि मेरे पास में मेरे क्षेत्र से जो भी शिकायतें आती हैं उनमें पुलिस को लेकर आते हैं और कोशिश यह करते हैं कि हमारा समझौता करा दीजिये 307 में करा दीजिये, यह करा दे वह करा दे तो फिर मैं कहता हूं कि पुलिस जो कानून है उसके खिलाफ से कार्य करेगी। अभी मेरे निवाई में ट्रेप हुआ, बड़ी खुशी की बात है, थानेदार पता नहीं रिश्वत ले रहा था। हजार रुपये की, उसको ट्रेप किया लेकिन पहली दफा मेरे निवाई (टौंक जिले में ट्रेप हुआ है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सदस्य, हम तो समझते थे कि आपके प्रभाव के कारण पुलिस के यह जो सद्गुण हैं आपके यहां कम हो जायेंगे।

श्री रामनारायण बैरवा : यह तो पहले के कांग्रेस का लगाया हुआ थानेदार है।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आप भी कांग्रेस के जमाने के हैं।

श्री रामनारायण बैरवा तो यह विजिलेन्स कमेटी बना दी जाय........ (व्यवधान)

यह तो मैं आपको बाद में निवेदन करूंगा। और उनको लीगल रूप दे दिया जाय तो मेरे ख्याल से पुलिस के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जायेगा और उससे करप्शन में भी कमी होगी और जनता का आपस में सम्पर्क भी बढ़ेगा और पुलिस के ऊपर प्रापर चैक हो जायेगा।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आल इण्डिया पुलिस कमीशन बैठे हैं, उनकी जितनी सिफारिशें हैं वह खत्ते में पड़ी हैं, बिहार में, यू. पी में, कई अन्य स्टेट्स में पुलिस कमीशन बैठे हैं और उन्होंने पुलिस के कार्य सुधार के लिये कई सिफारिशें की हैं। चूंकि हमारा इकोनोमी पर ज्यादा जोर है, तो पुलिस कमीशन बैठाने जैसी चीज़ के लिये तो मैं सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें विधायकों की और कुछ सीनियर आफिसर्स की कमेटी बना दी जाय, वह रेंज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाय और वहां पर जो पुलिस की समस्याएं हैं और कठिनाइयां जनता को होती हैं उन पर विचार करे, अपनी सिफारिशें गृह मंत्रीजी

(श्री रामनारायण बैरवा)

को करें ताकि पुलिस के काम में सुधार हो सके। यह भी अर्जेन्ट नीड है। अगर इस प्रकार की कमेटी बनाते हैं तो एम. एल. एज. को खास भत्ता नहीं मिलेगा, सैक्रेट्रीज होंगे उनको भी भत्ता नहीं मिलेगा, सरकार का भी खर्चा नहीं होगा और एक बार सरकार के सामने यह समस्याएं आ जायेंगी। मैंने 28 साल में यह देखा है कि रात के 10 और 11 बजते हैं तो मुख्य मंत्रीजी, जो गृह मंत्री होते हैं, वह यह पूछते हैं कि ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन कैसी है? तो जवाब होता है साहब सब शान्ति है। तो केवल मात्र एक मिनट का टाइम वे देते हैं। इसलिये जितनी पुलिस की प्राब्लम्स हैं और जनता की डिफिकल्टीज है उनके बारे में यह कमेटी अपनी सिफारिश गृह मंत्रीजी को करेगी और उन पर कुछ निर्णय लिया जा सकेगा।

अन्वेषण के बारे में थर्ड डिग्री मैथड्स को हमेशा डिस्क्रेज करता रहा हूं। इन्ट्रोगेशन में टाइम जरूर लगता है। सनवाड़ में बैंक रोबरी हुई थी, उसमें बिना मार-पीट के इन्ट्रोगेशन करके 12 दिन में सब मुलजिमान को, जो यू. पी. के और देहली के थे, उनको गिरफ्तार करके लाया था। मेरे ख्याल से राजस्थान में वह सबसे बड़ी बैंक रोबरी हुई थी जिसमें 2 लाख 28 हजार रुपये की रोबरी हुई थी। बिना थर्ड डिग्री मैथड्स यूज किये, एक सरपंच ने 4 दिन बाद हमें सूचना दी, उस आदमी को हमने पकड़ा, बातचीत की, एक रात भर हमको लगी, दूसरे दिन सब कुछ बता दिया। इसलिये टाइम जरूर लगता है अन्वेषण में लेकिन थर्ड डिग्री मैथड्स को डिस्क्रेज किया जाना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में एस. एच. ओ. के पास इतना काम बढ़ गया है कि वह इन्वेस्टिगेशन में अपना टाइम डिवोट ही नहीं कर पाता है। मैंने कई बार इसके लिये निवेदन किया कि हमारी जो न्याय पंचायतें हैं उन न्याय पंचायतों को कुछ कानून के अख्तियार दे दिये जायं। न्याय पंचायतों की स्थापना इसी वजह से हुई थी कि जो गांव के झगड़े हैं वह आपस में निपटा दिये जायं, 147 के हैं, 323, 447 और 448 के जो जुर्म हैं, जिनके अन्दर मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को सजा हुई हो, 15 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद आपस में समझौता हो जाता है, इस प्रकार की धाराओं के जो मुकदमें हैं, वह अगर उनको दे दिये जायं तो पुलिस के एस. एच. ओ. भार कम होगा, और गांव में अमन-चैन बना रहेगा।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बहुत अच्छा बोल रहे हैं बोलने दीजिये....(व्यवधान)

श्री रामनारायण बैरवा : दूसरी समस्या जो है, सभापति महोदय, वह यह है कि गांव में इन्टरकास्ट कन्फिलिक्ट बहुत बढ़ गया है, जातीय दंगे, कल ही जैसे मेरे भिवाई में अहीर और गुर्जर समाज का दंगा हुआ उसमें एक आदमी मर गया। गांव की सूचना हमारे पास नहीं पहुंचती है। क्योंकि हमारे गांव के एक थाने का जो स्टाफ होता है वह विलेज पैट्रोलिंग बिल्कुल बन्द सी हो गयी है। क्योंकि आज की तारीख में कानून व्यवस्था में एक थानेदार को फंसा रहना पड़ता है, कोई सिपाही गांव में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिये इस

(श्री रामनारायण बैरवा)

सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि जिस तरह से होमगार्ड्स हैं इसी तरह से विलेज वालंटियर्स की फोर्स क्रियेट की जाय जो कि बिल्कुल अवैतनिक गठन होगा । पुराने जमाने में चौकीदारी सिस्टम था उस चौकीदारी सिस्टम से पुलिस को सूचना मिल जाती थी, आज की तारीख में जैसे कल मर्डर हुआ यह सूचना पुलिस को मिल जाती, उसके पास पहुंच जाती तो शान्ति कायम कर सकते थे । लेकिन इसकी समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती । उसका नतीजा यह होता है कि एस. पी. और डिप्टी साहबान पचास आदमी लेकर गांवों में पहुंचते हैं और फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं । तो विलेज वालेन्टियर फोर्स के बारे में मैं निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में सरकार विचार करे । वैसे कहना बड़ा अटपटा लगेगा, मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी के अफसर भी मुझ से नाराज होंगे । लेकिन वास्तविकता यह है कि आज गृह विभाग में और डाइरेक्टर जनरल के ऑफिस में कोई समन्वय नहीं है । समन्वय की स्थिति इतनी खराब है कि चार-पांच साल से मैंने स्वयं अनुभव किया कि जो भी पुलिस के प्रस्ताव गृह विभाग में जाते हैं वह बाबू लेवल पर ही टर्न डाउन हो जाते हैं । डाइरेक्टर जनरल रेंक का आफिसर जो चीफ सैक्रेट्री के समकक्ष है उसके प्रस्तावों पर बाबू तक भी विचार नहीं करता है । इससे क्या होता है कि डी. जी. में और होम कमिश्नर में कोआर्डिनेशन न होने से पुलिस के काम में बड़ी बाधा होती है । मैंने यह भी सुना है कि डी.जी. किसी डिप्टी सैक्रेट्री से बात कर आयेगा. लेकिन होम सैक्रेट्री के लेवल पर कोई डिस्कस नहीं कर सकता । गृह विभाग तो सोचता है कि मैं सरकार हूं और डी.जी. सोचता है कि मैं इसके बराबर बल्कि इससे बड़ा अफसर हूं । क्योंकि जो होम सैक्रेट्री है वह 7300 से 7600 की रेंक में है और डाइरेक्टर जनरल जो है 7600 से 8 हजार की पे रेंक में है ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : Payment is not a criteria, I think.

श्री रामनारायण बैरवा : लेकिन वह समझता है कि सरकार मेरी है । जो पुलिस का इतना बड़ा आफीसर है उसको अगर इग्नोर किया जाता है तो, माननीय सभापति महोदय, किस प्रकार से गृह विभाग का पुलिस विभाग का जो काम है वह सुचारु रूप से चल सकता है । मेरा स्वयं का अनुभव है । इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि साउथ में तो होम कमिश्नर पुलिस ऑफिसर्स को ही लगाया जाता है और हमारी सरकार मेरे ख्याल से इतना बड़ा कदम नहीं उठायेगी । लेकिन एक कदम जरूर उठा सकती है कि और भी नहीं तो स्पेशल सैक्रेट्री एक पुलिस आफिसर को लगाया जाये । प्रॉब्लम यह होती है कि जो भी प्रस्ताव यहां भेजे जाते हैं उनमें से 99 पर्सेण्ट टर्न डाउन होते हैं । जब 99 पर्सेण्ट टर्न डाउन कर देते हैं तो डी. जी. का क्या हाल होता होगा आप अन्दाज लगाइये । इसलिये एक आफिसर अगर वहां पुलिस का बैठ जाये तो पुलिस विभाग की जितनी भी समस्याएं जाती हैं वह गृह मंत्री लेवल तक जा सकें । गृह मंत्री तो ऐसे बैठे हैं जिनको, मेरे ख्याल से, साल-साल भर तक भी पड़ा हो तो उनको यह पता नहीं लगे कि वारलेक आर्गेनाइजे-

(श्री रामनारायण बैरवा)

शन क्या है । इस प्रकार के गृह मंत्री बनाने से तो कोई फायदा नहीं । इस तरह से गृह मंत्री का और डी.जी. का और होम कमिश्नर का एक ऐसा रैपर्ट होना चाहिए कि वह तीनों बैठकर के आपस में बात करके पुलिस की जो भी प्राब्लम्स हैं उनका सुलटारा करें । मैं यही निवेदन करना चाहता था । मैं उजला जी से बिल्कुल सहमत हूं कि यह जो पुलिस कांस्टेबल का शब्द है उसको बदल दिया जाये । मैं तो कहूंगा कि इसको जन सेवक आरक्षी कर दिया जाये ताकि पुलिस वाले को हमेशा यह पता रहे कि मैं पहले जन सेवक हूं । कांस्टेबल जो पुराना नाम चला आ रहा है उसको हटाकर के जन सेवक आरक्षी कर दिया जाये तो उसको हमेशा पुलिस का मतलब याद रहे कि जन सेवा मेरा पहला काम है । जनता की सेवा करना और वह बिल्ला लगा रहे उसको हमेशा दिखता रहे कि भई मैं तो जन सेवक हूं डण्डे वाला सिपाही नहीं हूं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप और हम क्या लगायेंगे फिर ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप स्वयं विचार करें ।

श्री रामनारायण बैरवा : दूसरी यह जो हमारी खाकी वर्दी है इसको भी कुछ न कुछ, थोड़ा ही चाहे, बदलिये । चाहे उनकी टोपी ही बदल दी जाये । इसके बजाय सिर पर कोई दूसरा साधन उपलब्ध करा दिया जाये । कम से कम टोपी बदलवा दी जाये । आज जो हमारी सरकार आई है उसमें पुलिस की वर्दी में भी कुछ बदलाव आया है ।

प्रशिक्षण में रिफ्रेशर कोर्सेज पहले हुआ करते थे, लेकिन पांच साल से मैं देख रहा हूं, हो सकता है दस साल हो गये होंगे, कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई. रैंक में रिफ्रेशर कोर्स बिल्कुल बन्द कर दिया । पहले उनको बुलाया जाता था दो महिने के लिए, पांच साल में या तीन साल में और बुलाकर के उनको प्रशिक्षण दिया जाता था । लेकिन अब फोर्स की कमी और काम की बढ़ोतरी, इन सब बातों को देखते हुए रिफ्रेशर कोर्स हम भूल गये हैं । जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया है इस रिफ्रेशर कोर्स में चार पांच बातों पर ध्यान देना चाहिए । पुलिस पब्लिक रिलेशन, पुलिस कंडक्ट के बारे में और रिलिजियस टीचिंग अगर दे दी जाये, तो उसका हृदय परिवर्तन हो । इन चीजों पर रिफ्रेशर कोर्सेज में ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये ।

अन्त में मैं कानून का किस तरह से पुलिस वाले उल्लंघन करते हैं उसका उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । सन् 1974 में सी.आर.पी.सी. में अमेंडमेंट हुआ था कि धारा 173, 174 के तहत में प्रत्येक नागरिक जो वहां पर जाकर मुकदमा दर्ज कराता है उसको एफ. आई. आर. की प्रतिलिपि दी जाती है । लेकिन मेरे ख्याल से मैंने भी कई बार इसका एक्सपेरीमेंट किया । कई बार मैंने निर्देश जारी किये । कई बार मैंने सी. ओज. को भी निर्देश दिये कि आप जा-जाकर चैक करिये । कम से कम पांच केसेज में फरियादियों से कि आपको एफ.आई.आर. की नकल दी गई है या नहीं । वैसे यह जुर्म है एफ. आई. आर.

(श्री रामनारायण बैरवा)

की कापी न देना। लेकिन यह जुर्म अभी तक भी पुलिस वाले करते आ रहे हैं। इस बारे में तो मैं, गृह मंत्रीजी से, मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाये ताकि हरेक नागरिक, जो रिपोर्ट लिखाने जाता है उसकी प्रतिलिपि उसको दी जाये। जैसा स्टेशनरी के बारे में कहा यह बिल्कुल सही बात है। स्टेशनरी बहुत कम होती है। तो मेरे ख्याल से सरकार जब करोड़ों का बजट सेंक्शन करती है तो पचास लाख स्टेशनरी के लिए और सेंक्शन कर दिया जाये तो कम से कम यह जो दस्ते लाने वाली बीमारी है वह तो दूर हो जाये।

मैं सभापति महोदय का बहुत आभारी हूं कि मुझे मौका दिया। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री भंवरलाल शर्मा (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सदन का या बैठक का?

श्री भंवरलाल शर्मा : बैठक का ही तो है, और समय किसलिये बढ़ाया है?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : स्पष्ट नहीं किया। विधान सभा में कानून बनाये जाते हैं। यहां पर प्रत्येक शब्द आप बोलते हैं उसका महत्व होता है, इसलिए निवेदन किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पारित होने तक बैठक का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि बैठक का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक बैठक का समय बढ़ाया जाता है।

माननीय सदन दिलावर।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : दो उधर के बोलने के बाद तीसरा चल रहा है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है माननीय उजलाजी बीच में अनुपस्थिति हो गई थी वह बीच में आ गई....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बात तो वही हो गई।

श्री सभापति : बिल्कुल क्रम से है। इसके बाद ही आपका नम्बर है। आप प्रारम्भ करिये....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हाउस की स्ट्रेन्थ 200 है कांग्रेस को 1/4 टाइम मिलना है डिबेट का। अब किस हिसाब से इसको रेग्युलेट करना है, सभापति महोदय, आप स्वयं समझते हैं। अगर तीन सदस्य उधर से पक्ष के बोल लेते हैं तो चौथा नम्बर निश्चित रूप से हमारा है। आलरेडी तीन बोल चुके

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हैं, चौथा नम्बर तो आना ही चाहिए। आगे रेग्युलेट कैसे करेंगे इसको ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह जो चर्चा हो रही है सभापति महोदय, यह वाद विवाद है। एक बात कही जाये उसके जबाव में दूसरा कहे तो यह तो वाद विवाद है (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह निश्चित है कि इस डिबेट को रेग्यूलेट करना पड़ेगा। टाइम के हिसाब से तीन उधर के बोलें। 1/4 तो हिसाब में हमारा एनटाइटलमेंट श्रीमान् है कि नहीं ? यह तो आप स्वीकार करेंगे 1/4 के हिसाब से हमारा एनटाइटलमेंट है, तो फिर किस हिसाब से, आपने यह लिस्ट बनाई है।

श्री सभापति : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, जो सूची बनी हुई है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं उसी तरह से तीन सत्ता पक्ष के और चौथा कांग्रेस का है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तीन बोल चुके हैं सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बीच के अन्दर श्रीमती उजला अरोड़ा चली गयी थीं, इसलिए उस समय दो बोले थे।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, इनको समय दे दिया जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सूची आसन के द्वारा बननी चाहिए और आसन द्वारा ही सूची बनानी चाहिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय जी, आज पुलिस थानों की जो स्थिति हम देखते हैं बड़ी दयनीय है। पुलिस थानों में 10 या 12 का स्टॉफ होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें होता है। जो 12 कर्मचारी होते हैं वह पूरे क्षेत्र को ठीक तरह से सम्भाल नहीं सकते। यदि एक साथ दो जगह झगड़ा हो जाये या कोई वारदात हो जाये, तो मैं समझता हूँ थाने के कर्मचारी दोनों जगहों पर जा नहीं पायेंगे और वह समय पर नहीं पहुँचेंगे तो बड़ी भारी घटना घटित हो जाती है। दो तीन लोग पहरे पर रहते हैं, एक मुंशी रहता है, दो तीन लोग पेशी पर रहते हैं, इससे काफी परेशानी होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि थानों में जनसंख्या के हिसाब से पुलिस बल बढ़ाना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव कुंडी पर पुलिस ने दो छोटे-छोटे बालकों को चोरी के आरोप में उल्टा लटका दिया और वहां के सरपंच ने उनके मलद्वार में नमक मिर्च भर दिया और घण्टों तक उनको लटकाये रखा। एक बालक तो राजपूत था उसके घर वाले थोड़े पैसे वाले थे या दम वाले थे, या शक्ति वाले थे, उन्होंने तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी लेकिन एक अनुसूचित जाति का बालक था उसके मां बाप गरीब थे और उस थानेदार ने उसको इतनी दहशत मारी कि आज तक भी वह बालक रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अनुसूचित जाति के लोगों पर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से उसको दबाता जा रहा है इस पर पाबन्दी लगाई जाये। कुछ पुलिस कर्मी गुण्डा तत्वों के साथ मिलकर जनता के ऊपर अत्याचार करते

(श्री मदन दिलावर)

हैं। छोटे-छोटे केसों को बड़ा केस बना देते हैं। 302 को 323 में बदल देते हैं।....

श्री राजेन्द्र राठोड़ : 302 का अर्थ होता है हत्या और 323 का मतलब होता है बिल्कुल छोटी मार पीट।

श्री मदन दिलावर : मैं क्षमा चाहता हूँ 307 की जगह 302 बोल गया। 307 को 323 में बदल देते हैं। मेरा एक निवेदन है कि हम पुलिस से काफी अपेक्षायें करते हैं परन्तु कोई पुलिस कर्मी घुटते रहते हैं 24–24 घण्टे ड्यूटी देते हैं और मात्र आठ घण्टे का उनको वेतन दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि जो अन्य कर्मचारियों की हम सेवायें आठ घण्टे लेते हैं उसी प्रकार से उनकी सेवायें ली जाये और जितने ओवर टाइम वह काम करते हैं उनको उसका भुगतान किया जाये।

पुलिस थानों में टेलीफोन व्यवस्था नहीं होने से दूर-दराज के समाचार नहीं पहुँच पाते हैं। थानों तक समाचार नहीं पहुंचने से अन्तराल में बहुत बड़ी-बड़ी घटनायें घट जाती हैं। इससे मेरा निवेदन है कि तुरन्त समाचार पहुचाने के लिए प्रत्येक थाने में टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं यातायात पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। यातायात पुलिस नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं करती है और कई वाहन बिना कवर के चलते हैं, बिना लाइट के चलते हैं, विदाउट ब्रेक चलते हैं। उन पर पाबन्दी लगायी जानी चाहिए और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की इस पर ड्यूटी लगायी जाती है उनको पाबन्द किया जाना चाहिए और जो आदेश की पालना नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

जेल के बारे में मेरा थोड़ा सा निवेदन है। मैं कोटा की जेल से परिचित हूँ। मैं स्वयं कोटा की जेल में रहकर आया हूँ, इसलिए मैंने वहां सब कुछ देखा है। धनाढ्य लोग वहां चरस गांजा और सारी की सारी चीजें होती हैं वहाँ पैसे के बल पर पहुंचाते हैं और गरीब आदमी निर्दोष वहां फंस जाता है।

एक माननीय सदस्य : आप क्यों गये थे जेल में।

श्री मदन दिलावर : कुछ भी सुविधायें मुहैया नहीं होती हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्वतन्त्रता सेनानी हैं, इसलिए गये थे।

श्री मदन दिलावर : बल्कि पैसा नहीं देने पर अत्याचार करते हैं। एक माननीय सदस्य मेरे से पूछ रहे थे कि मैं जेल क्यों गया था। इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, भारत माता की जय बोलने पर मैं जेल गया था। कांग्रेस + + + की सरकार ने मेरे को भारत माता की जय बोलने पर पाबन्दी लगायी, वन्दे मातरम् का नारा बोलने पर पाबन्दी लगायी और ऐसी + + + सरकार अब चली गयी अब नहीं आयेगी कभी। सभापति महोदय, भारत माता की

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

164

(श्री मदन दिलावर)

जय बोलने पर पाबन्दी लगाती है सरकार, वह ऐसे जाती है। मेरे भाई, गिरी हुई सरकार के सदस्य यहां बैठे हैं, कभी नहीं आने वाले यहां पर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : बीकानेर में भी यही हुआ था। भारत माता की जय बोलने पर पाबन्दी लगायी थी आपके कलेक्टर ने....

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ आप भारत माता की जय बोलते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पर बड़ा गम्भीर आरोप लगाया गया है। आपने कहा कि +++सदन में बैठ कर इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। यह हमारे सम्माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य ने मेरा अपमान किया है।

श्री मदन लाल सैनी : आप जनता की 40 बरस तक+++फिर भी यहां बैठे हो। +++चालीस बरस तक जनता की+++वह लोग किस मुंह से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप बिराजिये। आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लोगों की तरह+++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये। (व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। अगर किसी प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वह मिनिट्स में से निकलवा दिये जायेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : दोनों तरफ से।

श्री सभापति : हां (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, जब कोई भी बड़ी भारी घटना हो जाती है तो छोटे से सिपाही को जिम्मेदार ठहराकर उसको निलम्बित कर देते हैं।

(5.00 सायं)

श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, (पदासीन)

मैं समझता हूं यह छोटे कर्मचारियों के साथ ज्यादती है। कभी-कभी बड़ी भारी घटना होती है सो सबसे बड़े अधिकारी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उस बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करके, छोटे कर्मचारी को निलम्बित नहीं करके, बड़े अधिकारी को निलम्बित करना चाहिए।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मेरा ऐसा निवेदन है और यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : (करौली) माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक आज गृह विभाग की डिमाण्ड्स का मामला है, राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है कि राजस्थान के अन्दर पिछले दिनों जिस प्रकार की घटनायें घट रही हैं चाहे वह मण्डावरी की हत्याओं का मामला हो, चाहे पानी की मांग को लेकर सतवाड़ी के अन्दर हुई मौत का कारण हो चाहे आज चित्तौड़ में थाने में हुई हत्याओं का मामला हो, चाहे जयपुर के थाने के अन्दर पुलिस द्वारा हत्या का मामला हो माननीय सभापति महोदय पिछले दिनों राजस्थान की जनता को यह तो महसूस होने लगा है कि पुलिस प्रशासन में जिस प्रकार की मुस्तैदी होनी चाहिए और जिस प्रकार से राजस्थान में भैरोंसिहजी के मुख्यमन्त्रित्व में प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वह कमजोर नजर आने लगी है । इससे यह साबित होने लगा है कि राजस्थान के अन्दर आज गरीब लोगों की या पुलिस हिरासत में जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं यह इस बात का द्योतक है । माननीय सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान के अन्दर पुलिस का जो स्तर है, मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज नीचे के स्तर पर काफी भ्रष्टाचार पनप रहा है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि ऊपर के स्तर पर काफी भ्रष्टाचार कहीं पनप रहा हो लेकिन नीचे के स्तर के ऊपर थानों के अन्दर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचने लग गया है ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपके समय में ही हुआ है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सदस्य फिर बात कीजिये । + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बोलते समय व्यवधान पैदा नहीं करें

श्री बालचन्द आर्यवीर : आपके समय में हुआ है । मेड़ता काण्ड आपके समय में हुआ है । + + + मेड़ता काण्ड के लिए । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक महीना भी नहीं हुआ कि कोतवाली में मर्डर हो गया ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं इस तरह की उत्तेजना की बात न करें तो अच्छा है । क्योंकि मुद्दों की बात करना चाहें तो अच्छा है । मैं भी कहूं कि + + + आप लोग बैठे हो, यह तो गलत बात होगी । आपने कितनी हत्यायें करा दीं । मण्डावरी में जिस तरह नरसंहार हुआ है यह आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है । आपकी सरकार के लिए एक कलंक है ।....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

यह इतिहास के पन्नों पर लिखा रहेगा।....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय सदस्य आप तो बोखला गये हो, न जाने + + + करवा दी। आपने साम्प्रदायिक दंगे करवाये।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। बैठिये आप।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आज एक पानी की बूंद के लिए राजस्थान के अन्दर पुलिस की गोली से मार दिये जाये, यह आपकी सरकार में हुआ है। हमारी सरकार में कभी शताब्दी में यह नहीं हुआ क्या बात कर रहे हैं आप।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर, मेरा कहना है कि ऊपर के स्तर पर तो शायद यह भ्रष्टाचार उस लेवल तक नहीं पहुंचा है लेकिन आज नीचे के स्तर पर थानों के अन्दर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार राजस्थान में फैलता जा रहा है, आज किसी गरीब व्यक्ति को न्याय की आशा रह नहीं गई। आज हालात यह हो गये कि दोनों तरफ मुकदमों दर्ज होते हैं, दोनों सरल के मुकदमों के अन्दर पुलिस के लोग दोनों तरफ से रिश्वत खा जाते हैं और उसके बाद उसको न्याय नहीं मिलता। कई मामले, माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हैं, उनके सामने आते होंगे कि वहां पर एक साधारण गरीब आदमी को न्याय मिलने की आशा नहीं रही। और थानों के अन्दर, अभी-अभी माननीय निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस का नाम बदलकर जनसेवक कर दिया जाय। आज राजस्थान के थानों में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा हो और पुलिस को अगर हम जनसेवक कह देंगे तो मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इससे बड़ा कलंक नहीं होगा। अगर राजस्थान सरकार पर कोई कलंक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो सबसे गरीब आदमी हैं, सही मायने में अगर भ्रष्टाचार है, दोनों पार्टियों से मिलकर लिया जा रहा है, यहां तक कि पुलिस ने दलाल भी पाल रखे हैं कि दोनों पार्टियों से पैसे लिये जाते हैं और किसी का भी भला नहीं होता। दोनों का ही चालान धारायें बदल बदलवा कर और कुछ कर दिया जाता है। यह जनरल बात है। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में, राजस्थान के प्रशासन को और खास तौर से जो डाइरेक्टर जनरल होम कमिश्नर साहब और शायद इतनी बड़ी फौज राजस्थान के अन्दर है। राजस्थान सरकार ने आई. जी. की फौज तो बहुत बढ़ा दी। इतने आई. जी. बने हुए हैं। मैं सोचता हूं अगर उनके अनुपात में उनके काम का सही मूल्यांकन किया जाय तो इसमें फायदा हो सकता है और मानिटरिंग के सिस्टम के द्वारा उसको तेज करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि राजस्थान के आई. पी. एस. अधिकारियों का स्तर हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों से अग्रणी है। राजस्थान में अच्छे अधिकारी हैं अगर उनकी सेवाओं का सही उपयोग लिया जाय तो मैं सोचता हूं कि हम इस मामले में सफलता प्राप्त कर सकते है। आज मध्य प्रदेश की पुलिस का मामला देखो, चाहे उत्तर प्रदेश का देखो, चाहे बिहार का देखो, चाहे बंगाल का देखो,

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उन प्रान्तों के मुकाबले में हमारे प्रान्त का कैडर और यहां के अधिकारी ज्यादा सक्षम और ज्यादा ईमानदार लोग हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चहता हूं कि राजस्थान सरकार को उन अधिकारियों को उनकी क्षमता के अनुकूल सही काम लेने के लिए, ढंग से काम लेने के लिए, उनसे मुस्तेदी से काम लेने के लिए जिम्मेदारी उन पर सौंपनी चाहिए। मैं सोचता हूं इसकी मानिटरिंग समय-समय पर हो तो इसके अन्दर कुछ फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर दस्यु समस्या से घिरा हुआ क्षेत्र है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि राजस्थान के मुख्यमन्त्री बनने वाले भैरोंसिंह जी शेखावत जब धौलपुर पहुंचे, वहां से चुनाव लड़ा और राजस्थान के मुख्यमन्त्री बने, तो मुझे इस बात की आशा थी कि राजस्थान के अन्दर क्योंकि छबड़ा की जनता के अन्दर भैरोंसिहजी ने कहा कि मैं डाकुओं को समाप्त करने के लिए धौलपुर जा रहा हूं, छबड़ा इसलिए छोड़कर जा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि भैरोंसिहजी डाकुओं की समस्या समाप्त करने के लिए धौलपुर चले गये तो मेरे पड़ौसी होने के नाते शायद मुझे भी कुछ फायदा होगा। करौली होकर रास्ता नहीं है, आगरा होकर भी जाना पड़ता है, करौली होकर भी जाया जा सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि एक डकैत प्लाजा नाम का पिछले दिनों मारा। भैरोंसिहजी स्वयं वहां पहुंचे तो मैंने सोचा शायद बड़ा कीर्तिमान होगा, भैरोंसिहजी ने मार दिया या उनकी पुलिस ने मार दिया। पर माननीय सभापति महोदय, जिस घर में घटना हुई थी वहां के माली समाज के लोगों ने उस डकैत को मारा था, न तो पुलिस ने मारा, न भैरोंसिहजी ने मारा। वाह-वाही लूटने के लिए भैरोंसिहजी जरूर चले गये। उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के गृह मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि करौली इलाके के अन्दर रोज नये डकैत पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि करौली क्षेत्र के अन्दर डकैत नहीं मारे गये, पुलिस के अच्छे अधिकारी जब-जब गये हैं उन्होंने सही मायने में डकैतों का सफाया करने में काफी काम किया है। सभी अधिकारियों को मैं एक लाइन के अन्दर गलत नहीं बता सकता। अच्छे अधिकारी जब-जब गये हैं उन्होंने वहां पर अभियान के रूप में डकैतों को साफ किया है और उसके अन्दर मारे भी गये हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि डकैत तो आप रोज कितने ही मारो, रोज नये डकैत पैदा होते हैं हमारे इलाके में।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 1980 के पहले या 1980 के बाद।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सदस्य, 1980 से पहले हो रहे हैं या 1980 के बाद हो रहे हैं या अब हो रहे हैं, यह तो क्रम चला आ रहा है। उन डकैतों का न तो किसी ने साथ दिया, यह जरूर है डकैत हमेशा पैदा जरूर होते रहे और आज भी मुझे दुःख इस बात का है कि राजस्थान सरकार के अन्दर चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार हो, दोनों

श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

ही पार्टियों की सरकारें जब भी रही हो किसी भी राजनीति की ग्राड़ के अन्दर इन डकैतों को संरक्षण दे रहे हों, उन डकैतों को पैदा कर रहे हैं उन डकैतों पर किसी सरकार ने हाथ नहीं डाला, न कांग्रेस की सरकार ने डाला न आपकी सरकार ने डाला। सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार को खुला न्योता देना चाहता हूं अगर मेरे बाबत कोई बात सही नजर आये तो आप मुझे हथकड़ी लगायें और अगर मेरे जैसे कोई और भी राजनीति में हैं जो इन डकैतों को संरक्षण देते हैं, हथियार पहुंचाते हैं, कार्तूस पहुंचाते हैं, रोटी पहुंचाते हैं, कपड़ा पहुंचाते है ऐसे राजनीतिज्ञ लोगों को जब तक आप पैट्रोनाइज करना बन्द नहीं करेंगे जब तक डाकू समस्या कभी समाप्त नहीं हो सकती·······

श्री अमृतलाल (बाली) : आपने यही काम किया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सदस्य आपको कुछ जानकारी तो है नहीं इसलिये ग्राननेसेसरी बोल रहे हैं। आपकी जानकारी हो तो आप बोलिये मैंने किया है तो मुझे फांसी दीजिये, बोलिये, है आप में क्षमता ? बैठे-बैठे आप फालतू की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज करौली क्षेत्र के अन्दर रामसिंह भगवान सिंह की गेंग जिस प्रकार से सारे क्षेत्र में सक्रिय रूप से सारे खनिजों को बन्द कर रखा है। आज रोज हमारे हरिजनों के ऊपर दबाव डालकर उनको डराया जाता है, कहीं मारा जाता है। पिछले दिनों मालियों के कुछ लोगों को वहां पर मारा गया। रोज नई-नई घटनायें होती हैं और सबसे ज्यादा कोई आदमी मरता है तो हमारा गरीब आदमी मरता है। उसकी मौत दोनों तरफ से है अगर पुलिस को कहे तो मौत होती है, अगर पुलिस को बता दे तो वैसे मौत होती है। इस प्रकार के हालात वहां पर होते हैं। उसके बाद राजनीतिक संरक्षण की वजह से हमेशा यह बच जाते है। करौली इलाके में एकमात्र खनिज का व्यवसाय है, आज वहां खनिज के काम बन्द पड़े हैं। चारों तरफ उनको वहां पर रोजाना चिट्ठियां मिलती हैं और उनको खान के एरिया का काम बन्द करना पड़ता है। आज हालत इस तरह से हो गई है कि एक तरफ लोगों का धन्धा चौपट हो रहा है और डकैतों को किसी प्रकार से रोका नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार खास तौर से पुलिस विभाग को एक अलग से कैम्प लगाकर वहां पर इस सारी समस्या के डिटेल में जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का इसलिए जिक्र करना चाहता हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पुलिस के रिकॉर्ड में भी इस बात का सबूत है कि किस व्यक्ति ने कार्तूस पहुंचायें, किस व्यक्ति ने खाना पहुंचाया और कौन उनको इन्फर्मेशन देता है। यह सारी बातें पुलिस की नालेज में है। पुलिस को केवल एक ही बात की शंका है कि साहब कुछ करें तो हमारा ट्रांसफर नहीं हो जाये। पुलिस इस बात की शंका से ग्रसित है कि कहीं हमने हाथ डाला तो उल्टा नहीं पड़ जाये। केवल मात्र यही एक कारण है जिसके कारण से डकैत आज वहां पर पकड़े नहीं जा रहे हैं। आपको एक जान- के तौर पर दे दूं, माननीय सभापति महो

++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

दय, वहां पर दो तीन दिन पहले अशर्फी नाम की एक औरत को गिरफ्तार किया गया है जो बहादुरगढ़ के पास एक गांव के अन्दर दुकान लगाकर रहती है और गांव के जंगल में अकेले महिला रहती है । केवल मात्र उसका काम यही है कि डकैतों का जो सामान आता है वह रख लेती है या अगर पुलिस पहुंचती है तो उसकी इतला पहुंचाने के लिये तत्काल वह भी डकैतों तक पहुंचाने का काम करती है । मुझे मालूम है कि पुलिस की हिरासत में आज उसको बैठा रखा है । लेकिन मुझे यह भी मालूम है ऐसे लोग करौली में पहुंच रहे हैं कि कैसे प्रेशर डालकर उसको छुड़वाया जाए कहीं अशर्फी ने वाकई बयान दे दिये तो कई लोगों का पर्दा फाश हो जाये । कई लोगों के मामले सामने आ जायेंगे । इसलिये उसको दबाने के लिये कई लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि आप के लोग जा रहे हैं राजनीतिज्ञ लोग चाहे वह आपकी तरफ के हों, चाहे मेरी तरफ के हों....

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : आपने एक भी डकैत का नाम नहीं बताया । गहलोत साहब, आप एक भी डकैत का नाम बताइये वह कौन+++है जो डकैतों को रोटी और सामान पहुंचाता है । आपको करौली के मामले में अच्छी तरह मालूम है आप नाम क्यों नहीं बताते है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप भी नाम जानते हैं और अगर यह चाहें कि नाम बताना जरूरी है तो मैं नाम बता भी दूंगा लेकिन प्रश्न इस बात का है राजनीति में हम लोग बैठे हैं राजनीति की बात में मुंह से ऐसा कोई नाम नहीं बोलना चाहिये । प्रशासन को अच्छी तरह से मालूम है, वहां की पुलिस को अच्छी तरह से मालूम है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसलिये उन बातों को बड़ी गम्भीरता से लें और पुलिस प्रशासन अगर मेरे से चाहेगा, भैरोंसिंह जी अगर मुझ से जानकारी चाहेंगे तो उनको चैम्बर में जानकारी दे दूंगा । अगर सरकार और पुलिस वाकई कुछ करना चाहती है तो मैं वह जानकारी देने को तैयार हूँ ।

श्री सम्पतराम : आप मेरे को दे देना ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार पिछले दिनों के अन्दर दो फाइलें, जब वहां पर पूनिया जी एडीशनल एस.पी. थे, उस समय पुलिस रिकार्ड में बनाई गई थी । मंत्री महोदय आप नाम नोट कर लें । एडीशनल एस.पी., पूनियाजी जब वहां थे उस समय बाकायदा पुलिस के रिकार्ड में दो फाइलें बनी हैं किसने हथियार दिये, किसने कारतूस दिये, कौन क्या कर रहा था । अगर उस फाइल को मंगवा कर अवलोकन कर लें तो मैं सोचता हूं सारे मामले का पर्दाफाश हो जायेगा । इसलिये माननीय सभापति महोदय, इस डाकू समस्या को वहां पर एक कैम्प लगाकर थोड़ा सा मुस्तैदी से काम करें तो मैं सोचता हूं वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर अनुसूचित जाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोगों को सही माने में असुरक्षा ज्यादा है। इसलिये वहां पर उनको हथियार देने के अन्दर या उनको लाइसेंस देने के अन्दर आपकी कम से कम थोड़ी मदद मिलनी चाहिये ताकि वह अपनी आत्म रक्षा स्वयं कर सकें क्योंकि डकैत का इलाका है पुलिस पहुंच नहीं पाती। आज भी कोई डकैत मरा है तो वहां के लोगों ने मदद की है तभी डकैत मरे हैं कई चमारों ने हमारे यहां डकैत मारे हैं, तलवारों से डकैतों को चमारों ने मारे हैं। वह बात दूसरी है जो एस.पी. उस समय रहा हो, राष्ट्रपति पदक का लेबल उसने जरूर लगा लिया होगा, मारा तो चमार ने है। ऐसी-ऐसी घटनायें भी हुई हैं जिसमें डकेत मरे ही नहीं हैं। जो मध्य प्रदेश जेल में भर्ती या और वहां पर राष्ट्रपति से पदक भी कई लोगों को मिल गये है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इस मामले को आप गम्भीरता से लेते हुए उस क्षेत्र की मदद करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत करौली का एक मामला और उठाना चाहता हूं....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : करौली क्षेत्र के अन्दर, राजस्थान लाटरी एक्ट में यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति निजी लाटरी नहीं चला सकता है। लेकिन आज करौली शहर में खुले आम से निजी लाटरी निकाली जा रही हैं और पांच लाख रुपये से ज्यादा रुपये वहां के नागरिकों से इकट्ठा कर लिये हमारे एक सामाजिक कार्यकर्त्ता ने एफ. आई.आर. न. 207/90 पुलिस थाना करौली में रिर्पाट दर्ज कराई। वहां के अधिकारियों को जा जाकर सम्पर्क किया लेकिन वह कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। यहां मामला भी वही राजनीतिक संरक्षण का है। मैं तो यहां तक कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के रहे हुए भूतपूर्व एम.एल.ए. के लड़के स्वयं इस लाटरी को वहां चला रहे हैं....

श्री सम्पतराम : यह निजी लाटरी कब से चल रही है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह निजी लाटरी करीब तीन महीने से चल रही है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : सभापति महोदय

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपने स्थान से बोलें, सदन के नियमों का पालन करें आप अपने स्थान से बोलें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय व्यवधान मन्त्री जी आपको अगर वाकई मालूम है कि शिवचरण सिंह जी के लड़के की लाटरी मेरी ही चलवाई हुई है तो चलने दीजिये। वहां आज खुले रूप से लाटरी चल रही है पुलिस में कई बार एफ. आई.आर. दर्ज हो गई, दबा दिया गया है लेकिन उस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है उनका देखा देखी और भी लोग लाटरियां चालू कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के प्रशासन की बात हुई आपने घंटी बजा दी, मैं दो मिनट में ही बात समाप्त करूंगा।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि पुलिस कमिश्नर पुलिस का आदमी बन जाये तो शायद ज्यादा अच्छा प्रशासन हो जायेगा। मैं सोचता हूं कम से कम एक ही कड़ी तो ऐसी है कि जहां पर पुलिस के ऊपर आई.ए.एस. स्तर के अधिकारी कमिश्नर के रूप में बैठे हैं, कई मामलों में, कई बार ऐसा होता है कि कड़ी से कड़ी मिलती जाती है तो कम से कम एक जगह तो रोका जा सके। इसलिये इस व्यवस्था को बदलना सरकार के हित में नहीं होगा। हम अभी देख रहे थे होम कमिश्नर साहब और डी.जी. साहब कानों में बातें कर रहे थे ऐसा तो नहीं हो सकता रामनारायणजी जैसे कह रहे थे उनके बोलने का संबंध ही नहीं है। इसलिये मैं सोचता हूं कि जो व्यवस्था कम से कम बनी हुई है उससे कम से कम एक दूसरे पर चैक होता है। मैं सोचता हूं यह ठीक बात है। माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : माननीय श्री रतन लाल जी।

श्री रतनलाल (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी सभ्य समाज में कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ हो, यह एक आवश्यक तत्व है। इस रूल ऑफ लॉ को मेन्टन करने के लिए पुलिस प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है लेकिन पिछले कई समय से हम यह देख रहे हैं कि समाज में अपराधों में वृद्धि हुई है। विधिवेत्ता या समाज शास्त्री इन अपराधों में वृद्धि के चाहे कोइ कारण बतायें। लेकिन जहां तक हम पुलिस की बात करते हैं। मैं तो दो महत्वपूर्ण कारण इसके लिए मानता हूं कि या तो पुलिस अधिकारी या पुलिस प्रशासन इन अपराधों को सीरियसली नहीं लेते हैं और उन्हें दर-गुजर कर चलते हैं या अगर मैं यह कहूं कि कई मामलों में पुलिस और अपराधियों की आपसी सांठ-गांठ होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में इस समाज में कई अपराधी पुलिस संरक्षण में फलते फूलते हैं और दिनों-दिन अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को बनाये रखते हैं। कोई भी सभ्य व्यक्ति आज इन परिस्थितियों में अपने आपको सुरक्षित नहीं मान कर चल रहा है और यथा स्थिति यह है कि इस पूरे प्रशासन में कई बार तो पुलिस अधिकारियों के दिये गये आदेशों की अवहेलना होती है और नीचे स्तर के अधिकारी उन आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इस प्रकार की आज प्रशासन की व्यवस्था चल रही है। जहां तक पुलिस की हम बात करते हैं, उनका वास्तविक रोल है कि समाज के लोगों को उनके अधिकारों को वह बराबर इस्तेमाल करते रहें, लोग अच्छी तरह से अपने कर्त्तव्यों को करते रहे हैं। अधिकारों और कर्त्तव्यों के बीच में और उन लोगों को जो उनको पालन करने से रोकते हैं, उन समाज कंटकों से उनको बचाना और उनकी रक्षा करना है। लेकिन आज स्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन रक्षक की बजाय कई मुद्दों में हम यह कहें कि भक्षक भी बन गई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में पुलिस को आज कई नामों से पुकारा जाता रहा है। उनको क्रूर कहें, निरंकुश कहें, या कई शब्दों में भ्रष्ट भी कहें, कई लोग उनको इन नामों से पुकारते हैं लेकिन वास्तव में इसके लिए जो पुलिस व्यवस्था

(श्री रतनलाल)

बनी हुई है उस में ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आज इस प्रकार के शब्दों में जहां पुलिस प्रशासन को हम कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी सौंप रखी है, उनके बारे में समाज अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें तो उचित नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि व्यवस्था की कमी है इसके लिए कई कारण हैं। वास्तव में हमारी कान्स्टट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से सेन्टर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कन्करेन्ट लिस्ट है, उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, उस हिसाब से देश की सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का काम है, उस दृष्टिकोण से जो सेनाएं अपोइण्टेड हैं उनकी और आज पुलिस की जो वास्तविक व्यवस्थाओं की और उनके आर्थिक दृष्टिकोण में फर्क है, उसको अगर हम देखें तो वास्तव में एक प्रकार से एक विरोधाभास की स्थिति है।

आज हम दिल्ली पुलिस को देखें, बी. एस.एफ. को देखें, सेन्ट्रल सिक्योरिटी फोर्स को देखें, तो उनको जो साधन सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं, वह पुलिस को प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। उसकी वजह से आज कई प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल रही है। न केवल यह बल्कि आवश्यकता के अनुरूप पुलिस फोर्स भी हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। उसका मैं ज्वलन्त उदाहरण इसी जयपुर शहर का देना चाहूंगा कि आप कम से कम पुलिस लाइन में जो व्यक्ति तैनात है उनको छोड़ कर के कम से कम 2000 व्यक्ति पुलिस प्रशासन में यहां पर कार्यरत हैं। यह संख्या पिछले 10 सालों में जो रही है वही की वही आज यथावत् चली आ रही है। थोड़ी बहुत वृद्धि, थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट समय-समय पर जो नये थाने खोले गये हैं और चौकियां खोली गई उनमें भले ही कर दिये गये हों। लेकिन जिस तरह से आज के समाज में अपराध बढ़े हैं, अपराधों के जो डिफरेन्ट नेचर के जो अपराध बढ़े हैं उनको देखते हुए जिस प्रकार से अभाव चला आ रहा है, संख्यात्मक दृष्टिकोण से उनको बढ़ाने का है वह वास्तव में इस समाज में अपराधों को रोकने में यह भी एक महत्वपूर्ण कारागाह है। न केवल यह बल्कि अगर हम पुलिस की बात करें या पुलिस कानून की बात करें 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी कानून आज दिन तक हमारे यहां चला आ रहा है, जो व्यवस्था चली आई है उसके जमाने में पुलिस की स्थिति थी उसमें मैं तो यह कहूंगा कि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आज भी नहीं हो पाया है। उस जमाने में पुलिस को और पर्टिकुलरली इण्डियन पर्सन्स को जो पुलिस में भर्ती किया जाता था उनको अंग्रेज, डॉग के नाम से पुकारा करते थे और उसको बार बार यह उनके मन में यह बैठा हुआ था कि किसी तरह से यह भारतीय पुलिस का व्यक्तित्व अपनी मानसिक दशा को यह नहीं समझने लग जाय कि मैं भारतीय हूं और किसी तरह की उसमें जागृति पैदा न हो जाय। तो हर दृष्टि से उसको नीचे से नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से उसको ऐसे शब्दों से उसका उच्चारण करते थे और उसकी स्थिति को बनाये रखते थे। लेकिन मुझे आज कहते हुए दुख भी है कि आज भी कई मायनों में पुलिस प्रशासन में जो उच्चाधिकारी हैं वो अपने मातहतों को जिस समय इंग्लैण्ड के

(श्री रतनलाल)

पुलिस आफिसर्स हैं वह भारतीयों को जैसे ट्रीट करते थे वैसे आज कई इस पुलिस प्रशासन में उच्चाधिकारी नीचे के तबके के पुलिस अधिकारियों को, उसी तरह के अपने मातहतों को डील करते हैं जो उचित नहीं है। न केवल यह कई हमारे माननीय सदस्यों ने पुलिस प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सुधार के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं लेकिन मैं तो इस टोटल प्रशासन का जो सबसे एक जैसे ग्रास रूट लेवल का व्यक्ति कह सकते हैं कांसटेबल जिसे कह सकते हैं, उसी दृष्टिकोण से उसकी स्थिति और उसमें सुधार के दृष्टिकोण से कुछ सुझाव देने का प्रयत्न करूंगा। वास्तव में आज हम इस प्रशासन के सबसे नीचे व्यक्ति जिसे हम कांसटेबिल कहकर बात करें उसकी अगर हम स्थिति को देखें तो आप पायेंगे कि सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति जिसे आप कह सकते हैं शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। इसके कपड़ों की स्थिति देख लो और इसकी शारीरिक स्थिति को देख लें, तब हम पायेंगे कि आज वह पुलिस लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति किस तरह की है। और उस दशा में होते हुए वह इस समाज में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को मेन्टेन कर पायेगा। वास्तव में यह हम देखते हैं जब यही व्यक्ति जो सबसे नीचे पद पर होता है वह अपनी पदोन्नति ले करके जब ऊंचे रेंक पर पहुंच जाता है उस व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल डिफरेन्ट हो जाती है। जिस व्यक्ति को खाने को नहीं मिले, पेट चिपका रहता है वही व्यक्ति जब ऊंचे पद पर बल्कि एस.एच.ओ. पद पर पहुंच जाये तो उसकी क्या स्थिति होती है और वह किस वजह से होती है, यह हमारे से किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इनकी स्थिति वास्तव में अच्छी होनी चाहिये आर्थिक दृष्टिकोण से भी। उस दृष्टिकोण से मैं खुद कुछ सुझाव देना चाहूंगा। वह सुझाव यह है कि वर्ल्ड लेबर ओरगेनाइज 1987 के तहत उनके वर्किंग आवर्स की दृष्टि से जो सुझाव दिया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो जन साधारण से जुड़ी सेवाओं को करता है वह व्यक्ति एक सप्ताह में 45 घण्टे से ज्यादा काम नहीं करेगा। यह वर्ल्ड लेबर आरगेनाइजेशन का सजेशन है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कान्सटेबिल है या पुलिस प्रशासन में लगा हुआ है, 24 घण्टे उससे इस प्रकार का कार्य लिया जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो अपनी शारीरिक क्षमता से ऊपर बढ़कर जिसे काम में लिया जावे, वह किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को सही रूप से परफोर्म कर पायेगा। यह आप और हमारे से छिपी हुई बात नहीं है। न केवल यह बल्कि और इनकी असुविधाओं का हम जिक्र करें तो हम पायेंगे कि अन्य सरकारी नौकरियों में जिन लोगों को जो छुट्टियां मिलती हैं, अवकाश मिलता है वह इन लोगों को नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को 25 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है और साल भर में उनको केवल 30 पी.एल. दी जाती हैं। जो बिल्कुल अपर्याप्त हैं जबकि दूसरी सरकारी नौकरियों में इससे दुगुनी या तिगुनी सुविधाएं छुट्टियों की दृष्टि से प्रोवाइड की गई हैं। डाइट की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हम पायेंगे कि आज जो

(श्री रतनलाल)

है उसको डाइट की दृष्टि से खर्चा जबकि 200–300 रुपये है उसका महीने का होता है केवल हम 85 रुपये प्रोवाइट करके हम आशा करेंगे कि उसका पूरा पेट भर सकेगा या अपनी तनख्वाह बचा करके अपने परिवार का पेट भर सकेगा तो बिल्कुल यह अनुपयुक्त है। न केवल बल्कि उसकी ड्रेसेज की दृष्टि से हम देखें तो आज कई सरकारी नौकरियों में दूसरे व्यक्तियों को टेरीकोट की वर्दी और दूसरी अच्छी सी वर्दियां या, पोशाकें प्रोवाइड की जाती हैं लेकिन कांस-टेबिल को आज भी ऐसे खादी के वस्त्र प्रवोाइड किये जाते हैं जिनको हमारे समाज के लोग आज जो थैला बना करके सब्जी लाना भी पसन्द नहीं करते हैं। न केवल यह बल्कि थानों में जो साधन दिये जाते हैं हम उम्मीद यह करते हैं कि यह प्रशासन अपराधियों को तुरन्त पकड़ करके उनके खिलाफ किसी प्रकार की तुरन्त कार्यवाही करें। उस दृष्टिकोण से ट्रेकर और गाड़ियां प्रोवाइड कर रखी हैं उनकी स्थिति हम देखें तो वास्तव में उनको धक्का देकर के स्टार्ट किया जाता है।

मैं यह भी कहूंगा कि, एक एस. पी. साहब ने ड्राइवर से यह कहा कि भाई, हीरो होण्डा गाड़ी पर यह दो अपराधी भाग कर निकल गये और आपने उनको पकड़ा नहीं। जो ड्राइवर था, कांस्टेबल था, उसने यह जवाब दिया कि साहब, हमारी गाड़ी तो ऐसी है, यह तो हीरो होण्डा मोटर साइकल है, अगर हीरो होण्डा साइकल भी होती तो हमारी जीप उसको नहीं पकड़ पाती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में जो साधन हमने उनको प्रोवाइड कर रखे हैं, वह गाड़ी घोड़े जो उनको हमने दे रखे हैं जिनकी दृष्टि से हम यह चाहें कि वह अपराधियों को पकड़ कर तुरन्त उनके खिलाफ कार्यवाही करें, वह उस दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं हैं। न केवल यह बल्कि सिपाहियों को कन्वेन्स की दृष्टि से 25 रुपये पर मंथ जिसके पास साइकिल होती है उसको दिया जाता है, जिस व्यक्ति के पास साइकल नहीं है वह पैदल ही लैफ्ट राइट करता है उसको किसी प्रकार की सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती। न केवल वह बल्कि उनको मेडिकल फेसिलिटी की जो बात हैं, वह वैसे ही बहुत कम मिलती है। मेडिकल फण्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उस दृष्टिकोण से वह मेडिकल फण्ड ज्यादा-तर अफसरों के मेडिकल बिल पूरा करने में ही समाप्त हो जाता है तो कांस्टेबलों को काफी लम्बे समय तक इन बिलों को भुगतान नहीं हो पाता है। न उनको प्रापर हाउसिंग फेसिलिटी है। कई सुझाव दिये गये हैं लेकिन मैं तो यह चाहूंगा कि इस पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे नीचे का आदमी है अगर हम उस पर ध्यान देंगे जो संख्यात्मक दृष्टि से काफी ज्यादा हैं, तो निश्चित रूप से इन व्यक्तियों से उम्मीद कर सकेंगे कि रूल ऑफ लॉ को मेन्टेन कर पायेंगे, कानून और प्रशासन समाज में व्यवस्थित कर पायेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस पुलिस विभाग के कार्य-कलापों, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये उसके ऊपर बहुत कुछ प्रकाश डाला।

(श्री हीरा सिंह चौहान)

माननीय सभापति महोदय, आज इस पुलिस विभाग में सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसमें थोड़ा परिवर्तन करके किस प्रकार इस विभाग की समाज के साथ विश्वसनीयता पैदा की जाय और विभाग में किस प्रकार जनता विश्वास कर सके। इसकी तरफ मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार की व्यवस्था है, पुलिस थानों में हम जाते हैं, कोई भी नागरिक जाता है वह एक डण्डे के बल पर जिस प्रकार से हुकूमत करते हैं, एक साधारण नागरिक को वहां जाकर अपनी बात को जिस विश्वसनीयता के साथ कहना चाहिये उस प्रकार का वातावरण वहां नहीं मिलता है। राज्य में चालीस साल से सरकार चल रही है, हर सरकार ने चाहा है कि इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा जनोपयोगी बनाया जाय, जनता के साथ इसे जोड़ा जाय। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो ट्रेनिंग स्कूल है वहां पर यह ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों से दूर रहो, लोगों के बीच में मत बैठो। यहां तक कि अपनी वर्दी पहने हुए अधिकारी लोग लोगों के साथ बैठने में अपनी तौहीन समझते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता के साथ बैठकर जनता की क्या-क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है इसके लिये पुलिस की ट्रेनिंग में बहुत जरूरत है। अगर पुलिस के इस प्रशिक्षण में यह एक अंग बना दिया जाय और जनता की समस्याओं के साथ जुड़कर इसका निराकरण किया जाय तो मैं सोचता हूं कि जनता और समाज की इस पुलिस विभाग के प्रति आस्था बढ़ेगी। हम पिछले चालीस सालों से इस विभाग पर किसी न किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करते रहते हैं और पुलिस विभाग भी अपनी मस्ती से अपना काम जिस भी गति से कर रहा है, करता रहता है। लेकिन उसके सुधार में जैसी अपेक्षा हम करते हैं, राजनैतिक दल करते हैं, सरकार करती है, समाज करता है उस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके लिये आज सबसे बड़ा इस विभाग पर दोष लगता है इन्वेस्टीगेशन जो मुकदमों में करते हैं उसके ऊपर है। माननीय सभापति महोदय, एक एफ.आई.आर थाने में लाज होती है। एफ.आई.आर लाज होने के बाद आई. ओ. होता है वह आई. ओ. उसका इन्वेस्टीगेशन करता है। आई. ओ. उस एफ. आई. आर. और उसके गवाह के बाहर जाने की कोशिश नहीं करता। चाहे गांव के सारे पंच, सारे मुखिया यह बात कहते हैं कि इस प्रकार का क्राइम नहीं हुआ है लेकिन आई. ओ. केवल मात्र उसके दो गवाह और एक फरियादी की बात का सुनता है। मैं तो, माननीय सभापति महोदय, इसमें परिवर्तन करना चाहता हूं। आई. ओ. को इतने पावर नहीं होने चाहिये। सी. आर. पी. सी. में अमेंडमेंट होना चाहिये। सी. आर. पी. सी. के सैक्शन 156 से लेकर 173 तक जो इन्वेस्टीगेशन की धाराएं हैं। उसके साथ मेरी तो यह मान्यता है गांव के मुखिया और पंचों को जोड़ दिया जाय। कोई भी मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होते ही, बड़े-बड़े शहरों में मोहल्ले होते हैं, गांव में गांव होता है, गांव में इस प्रकार के नम्बरदार, मुखिया होना चाहिये जो क्राइम के बारे में अपनी स्पष्ट मान्यता रखता है कि इस प्रकार का क्राइम हुआ है।

(श्री हीरासिह चौहान)

अगर क्राइम हुआ है तो आई. ओ. को उसकी जांच करनी चाहिये और गांव के लोग अगर यह कहें कि इस प्रकार का कोई क्राइम गांव में नहीं हुआ तो आई. ओ. को तत्काल उस जांच को बन्द कर देना चाहिये। यह जो लगातार मुकदमों के मारे लोग कोटा के चक्कर लगाते हैं, आई. ओ. को पूछते हैं, थाने में जाते हैं हम पूछते हैं तो कहते हैं, क्या करें, न्याय करने वाली तो अदालतें हैं, हमसे न्याय नहीं होता। हम से तो केवल चालान होता है। अगर यही व्यवस्था रही, एक आई. ओ. बड़ा जिम्मेदार होता है जिसको सी. आर. पी. सी. के तहत बहुत बड़े पावर्स दिये हुए हैं, अगर वह कहे कि हम न्याय नहीं करते, न्याय करने का पक्ष अदालतों में है तो हजारों लोग बिना कसूर के जिन्होंने किसी प्रकार का क्राइम नहीं किया, छोटे-छोटे आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी मामूली-मामूली मामलों में वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, राज्य सरकार को सी. आर. पी. सी. में अमेंड करने के पावर हैं, इसमें आई. ओ. के पावर को कम करने की जरूरत है। बहुत सारे क्राइम होते हैं, जैसे मर्डर है उसमें आई. ओ. करें, चोरी है जो रात को होती है, इस प्रकार की खोलने के लिए वह कोई भी अपना तरीका अपना सकते हैं लेकिन छोटे-छोटे अपराध जिनका इस प्रकार का तरीका बना रखा है इसमें संशोधन की जरूरत है। अन्यथा जो पुलिस के प्रति लोगों का अविश्वास है वह और ज्यादा बढ़ता जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों में जो कांस्टेबल पद पर भर्ती चली उसके साथ राजस्थान प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारियों को अलग कर दिया गया। जबकि राजस्थान प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के स्पेशल ग्रेड के होते हैं, एक स्टार ज्यादा रखते हैं उनके सम्मान में कमी की गई है। आई. पी. एस. अधिकारी के साथ, डी. आई. जी के साथ दो आई.पी.एस. और जोड़ दिये गए हैं। कांस्टेबल है, नीचे से नीचा पद है उस भर्ती के लिये हमारे जो राजस्थान प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, सबको अलग कर दिया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को पुनः बदला जाय और बदल करके सी. आर. पी. एफ. और सीमा सुरक्षा बल में जो भर्ती वाला तरीका है उस तरीके को अपनाया जाना चाहिये। हां, यह निश्चित है किस समय कौन अधिकारी उस भर्ती के लिये आयेगा, भ्रष्टाचार को कम करना है तो कम से कम ऐसा अधिकारी भर्ती के दिन से एक दिन पहले लगाना चाहिये। एक दिन पहले लगाने से कोई भी आदमी यह नहीं कह सकेगा, यहां पर भ्रष्टाचार हुआ। न तो आशार्थी जो जाता है उसको यह मालूम रहता है और इस प्रकार भ्रष्टाचार भी है जो कम किया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में कुल 634 पुलिस स्टेशन और 704 चौकियां हैं। राजस्थान बहुत बड़ा है। राजस्थान में 4·41 करोड़ जनता रहती है और इसका क्षेत्रफल 34274 वर्ग किलोमीटर है। उस हिसाब से आज के जो पुलिस स्टेशन हैं जनसंख्या के हिसाब से बहुत थोड़े हैं। मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, थानों की और वृद्धि की जाय। मेरे एरिया में रायपुर थाने के नीचे 8-10 पंचायतें आनी चाहिये, वह जैतारण

(श्री हीरासिंह चौहान)

के साथ मिली हुई हैं। हमारा जुडिशियल कोर्ट है अलग से बढ़ सकता है। लेकिन जैतारण तहसील के लोगों के फौजदारी के चालान होते हैं, वह जैतारण में होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैतारण थाने से देवलीकलां, रामपुरा, कुशालपुरा, निम्बेडा, आकेली और आजीवास यह गांव हैं रायपुर थाने में मिलाये जाने चाहिये क्योंकि वहाँ पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट लगता है। उस मुख्यालय पर केवल मात्र एक चौकी है इसलिये उसको पुलिस स्टेशन बनाया जाना चाहिये। आज राज्य में हम जानते हैं, पुलिस की सुविधाओं का अभाव है। 634 थानों में से 575 के पास टेली-फोन है और 372 थानों के पास जीप की सुविधा उपलब्ध है तो टेलीफोन और जीप दोनों ही प्राथमिक आवश्यकताएं है। एक पुलिस स्टेशन आफिसर तत्परता से काम करे इसके लिये जरूरी है कि उसके पास टेलीफोन और जीप हो तभी अपराधों की रोकथाम ज्यादा से ज्यादा कारगर ढंग से कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा भी हमको करनी पड़ेगी। आज एक व्यक्ति को थाने में बुला कर बैठा लिया जाता है और लम्बे समय तक कोई सुनवाई नहीं होती इसमें परि-वर्तन करना पड़ेगा। आज आजादी के 40-45 साल बाद कम से कम हम आशा करते थे कि पुलिस विभाग की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। एक तरफ मानव के मूल अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनका दुरुपयोग हो रहा है तो इस व्यवस्था में भी परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। इसलिए मेरा निनेदन है कि ऐसी व्यवस्था में तुरन्त परिवर्तन करना चाहिए।

इसी प्रकार हमने अभी-अभी जो अत्या-चार निवारण अधिनियम लागू किया है। पिछले दिनों हमारे जालौर और सिरोही में इस अधिनियम के तहत बहुत ही गलत लोगों के साथ चालान हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह कानून बिहार की पृष्ठ-भूमि पर बनाया गया है। हमारे राज्य में हर वर्ग के लोग शांति से रहते हैं। इस कानून को यहां लागू करना है तो काग्नीजेंस लेने का, जांच करने का अधिकार एस. पी., डीवाई. एस.पी. रेंक के अधिकारी तक देना होगा ताकि वास्तव में इस प्रकार की घटना घटे तो उसको सेशन ट्रायल होना चाहिए या मुंसिफ कोर्ट होना चाहिए। यह अधिनियम इस राज्य की पृष्ठ-भूमि के साथ ठीक नहीं है। इससे यहां पर वर्ग संघर्ष होगा क्योंकि कई प्रकार के झूठे मुकदमें दर्ज होंगे क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी है उसकी भी सीमा है उसको भी एक व्यक्ति के कथन को सही मानकर चालान करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको किस प्रकार से अपने राज्य में लागू किया जाय इसकी बहुत गम्भीरता से जांच करनी पड़ेगी।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, मान-नीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : हम भी नहीं चाहते कि समाज में अत्याचार हो। कानून में सबको बराबर हक है लेकिन मेरा निवे-दन यह है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। पिछले दिनों जालौर और सिरोही में इसका दुरुपयोग हो चुका है। इसलिए मेरा निवे-दन है कि इसको किस प्रकार की पृष्ठ-भूमि

(श्री हीरासिंह चौहान)

में किस राज्य में लागू किया जाय क्योंकि बिहार और यू. पी. की हालत यहां नहीं है। यहां की हालत बिल्कुल डिफर करती है। यहां पर लोग गांवों में एक-दूसरे के प्रति भाईचारे के वातावरण में रहते हैं। उनमें दुर्भावना भी नहीं होती इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अधिनियम में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और किस पृष्ठ-भूमि में इस राज्य में लागू किया जाय इसका हमें गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए ताकि कहीं ऐसा न हो जाय कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उनके विचार इस प्रकार के पड़ जायं कि सरकार द्वारा जो नियम लागू किये जा रहे हैं वह आम लोगों के लिए भी ठीक होने चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए कि आम जनता महसूस करे कि राज्य द्वारा लागू किया गया कानून ठीक है। अगर कोई कानून जनता के या मौजूदा समाज के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं उतरता है तो ऐसा कानून लागू करने से सरकार को किसी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, आज पुलिस के कई अधिकारी सी. आई. डी., सी. बी. में बीसों वर्षों से बैठे हैं उनको किसी प्रकार से चेंज करके थानों में लगाना या उनकी उपयोगिता लेने की विभाग कभी नहीं सोचता। उनका कम से कम चेंज करते रहना चाहिए ताकि सभी जगह वह अपनी सेवा दे सकें क्योंकि एक जगह लगातार रहने से ऐसी स्थिति आ जाती है और वह समझने लगता है कि विभाग में हमारी कोई सुनता नहीं है तो इस प्रकार की हमें परमानेंट व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी लोगों को सभी जगह अपनी सेवाएं देने का बराबर मौका मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि राज्य की जनसंख्या को देखते हुए पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की वृद्धि की जानी चाहिए और चूंकि पुलिस विभाग का शांति, सुरक्षा और जान-माल की रक्षा करना प्रथम कर्त्तव्य है इसके लिए और भी तत्परता से वह काम करें। इसके लिए जरूरी है कि उनको हर प्रकार के साधनों से सम्पन्न किया जाय। इसके साथ ही जैसा पूर्व वक्ता ने कहा कि केवल डन्डे के बल से सोसाइटी को चलाना चाहते हैं इससे समाज में विकृति पैदा होती है तो इस परिपाटी में भी परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों में इस समय पूर्वीजिलों में खास तौर से एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई है।....

श्री भंवरलाल शर्मा ऐसा कुछ नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी बात कृपया सुन लें। आप उत्तर दे दीजिएगा। सरकार के लम्बे हाथ हैं, मशीनरी है आपके पास। मेरी बात को गलत साबित कर दीजिएगा। मैं तो सही कहता नहीं हूं। आज जो हरिजनों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है उस पर सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है किस प्रकार इसको दूर करना चाहती है इसके बारे में सरकार से जानना चाहूंगा। अभी आगरा में जो इंसिडेंट हुआ उससे खासतौर से अलवर, धौलपुर, सवाई

(प्रद्युम्न सिंह)

माधोपुर में आपको जानकर दुःख होगा कि पुलिस और प्रशासन के मौके पर रहने के बावजूद धौलपुर जिले में हरिजनों की बारात नहीं निकली। (व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसको कंट्राडिक्ट कर दें। मेरा निवेदन है चूंकि आगरा का प्रभाव इन चारों जिलों पर जो इसके नजदीक पड़ते हैं आगरा में वहां के अखबार रोज रंगे आ रहे हैं कि हरिजन धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मसानी कांड किसके समय में हुआ था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मसानी काण्ड हुआ उसके बाद कार्यवाही हुई। माननीय जीतमल जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह तो एक काण्ड हुआ था उसके बाद पचासों काण्ड हो गये चार महीने में 1977 में जब आपकी सरकार आई थी तब भी हरिजनों पर अत्याचार की हरकतें बढ़ी थीं। इसलिये कृपया मुझे बोलने दें। अगर आप फेक्ट्स में जाएंगे तो मुझे भी याद है, इतनी पुरानी बातों को न दोहरायें। इस समस्या का निदान कैसे हो? अगर आप सीरियस हैं इस मामले के अन्दर....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय महावीरजी, इस मामले की गम्भीरता को कृपया समझें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : राजनैतिक बातें हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर यह राजनैतिक बातें हो तो मैं माननीय सम्पतराम जी पर छोड़ता हूं। मुझे अपने जवाब में इतना ही कह दें कि आप राजनैतिक भाषा बोल रहे थे। मैं उसी वक्त उठ कर सदन से क्षमा मांग लूंगा।

यह हकीकत आपसे बयान कर रहा हूं। बहुत गम्भीर मामला है इनको इतनी आसानी से और पुरानी सरकार पर आक्षेप लगाकर या मेरे ऊपर आक्षेप लगा कर इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। आज मैं अपने जिले और भरतपुर जिले की बात कर रहा हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह आप कृपया सोचें, ऐसा क्यों हो रहा है।

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यह नहीं कहता कि पुलिस लापरवाह रही, पुलिस पहुंची उसके बाद भी जाटव जाति की बारात नहीं चढ़ने दी लोगों ने। कृपया इसकी आप व्यवस्था करें, अन्यथा इसके बहुत ही सामाजिक गम्भीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे क्योंकि आज वहां पर धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। मुझसे लोगों ने आकर कहा कि साहब हम हिन्दू रहकर करेंगे क्या, बड़ी जाति वाले तो हमको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं आपसे ईमानदारी से यह बात कह रहा हूं सभापति महोदय, मैं इन क्षेत्रों के अन्दर गया था तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा। मेरा सुझाव यह है कि श्रीमान् इनके ऊपर आप कारगर कदम उठाइए अन्यथा इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

दूसरा मेरा सुझाव आपको यह है कि अपने आपको वे असहाय महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आज बड़ी संख्या के अन्दर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। समय कोई भी, गलती कोई भी हो सुधारने की बात कही जाती है। एक तरफ से आक्षेप करने वाली बात सही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है, आप बिराजिये, माननीय सदस्या आप बोल क्यों रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : समय आपका है जो इस समय मेरे पास नहीं है। एक तो साठ हरिजनों की मृत्यु हुई और वह जवाब आ भी गया। आप कहना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के प्रति यह समाज की व्यवस्था है। मैं समझती हूं कि ठीक नहीं होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बिराजिये, आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, कृपया बिराजिये माननीय सदस्या।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जो उत्तर देंगे, आप कृपया उसको सीमित मत कीजिए समय है आपके पास। दो, ढाई, तीन घण्टे का समय है, इसमें आप उत्तर देंगे। इन चारों जिलों के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट की कितनी बारातों को चढ़ाने के लिए पुलिस पहुंची ? मैं यह नहीं कहता कि पुलिस नहीं पहुंची अलवर, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप चारों जगहों से मंगवा लीजिए कि कितने स्थानों पर पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा और उसके बाद कितनी जगहों पर ईमानदारी से बारातें चढ़ा दी गईं। बारातें नहीं चढ़ाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके और मेरे बीच सारी बात हुई थी और सारी की सारी व्यवस्था पूर्णतया की गई थी। उसके पश्चात् एक भी ऐसा इन्सीडेन्ट नहीं आया।....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप अपने स्थान से बोले। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप अपने स्थान से बोलें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं यह एक सैम्पेथिक विषय है, इसको ज्यादा फ्लोअर नहीं करे तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, यह बात सही है कि मैंने सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को, गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन किया। इन्होंने इस बात की व्यवस्था की। लेकिन गृह राज्य मंत्रीजी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आपके निर्देश के बाद पुलिस बहुत बड़ी तादाद में राजाखेड़ा पहुंची, लेकिन उनकी बारात नहीं चढ़ पाई। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या हो

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

रही है ? मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

मैं आपको कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। अब मैं आपको गांवों के नाम गिनाना शुरू कर दूंगा। इसलिए मैं अभी बहुत ही दबी हुई और ढकी हुई भाषा में बात कह रहा हूं। लेकिन आज ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई है ? आज से पहले से तो यह स्थिति पैदा नहीं हुई थी कि शिड्यूल्ड कास्ट की बारातें नहीं चढ़ पाई थीं। इसलिए आखिर यह चार महीनों में यह ऐसी क्या स्थिति बदल गई। क्या लोगों के हौसलें बढ़ गये कि हरिजनों की बारातें नहीं चढ़ने दे रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करूंगा चूंकि अब सावे समाप्त हो चुके हैं फिर जाड़े के अन्दर, अगले साल गर्मी में यही समस्या आयेगी। उसके पहले आप कारगर कदम उठायें। यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय आ रहा है, उस समय बोल लेना। बीच में व्यवधान करने की इजाजत नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, एक जगह पर कहीं गड़बड़ नहीं है, पूरे जिले के अन्दर यह बात हुई है। माननीय मंत्री महोदय, सरकार की क्या नीति है, क्या सरकार चाहती है ? मैं अपने स्पेसिफिक्स पॉइन्ट्स पर आ रहा हूं। क्या सरकार की नीति है कि गांवों के हरिजनों को बन्दूकों के लाइसेन्स देगी ? आपकी क्या नीति है इस बारे में आप कृपया स्पष्ट करें। मेरी मांग है कि गांव के हरिजनों को बड़ी संख्या के अन्दर बन्दूकों के लाइसेन्स दिये जाए जिससे उनके अन्दर सुरक्षा की भावना पैदा हो और दूसरे लोगों के अन्दर जो हथियारबन्द लोग हैं उन्हें डराते धमकाते हैं, उनके ऊपर इससे अंकुश लगेगा अन्यथा स्थिति काफी बिगड़ने वाली है। सभापति महोदय, दूसरी बात यह मैंने हरिजनों के एट्रोसिटीज की बात आपसे कही।

तीसरी बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि आपके थानों की स्थिति आज क्या है ? हरिजनों की सुरक्षा आप क्या करेंगे ? आपकी स्ट्रेन्थ आज से दस साल पहले की है। सिर्फ आपने एक आर. ए. सी. की एडीशनल बटालियन खड़ी की वह भी इस रूप में अन्दर की आपने हर आर. ए. सी. की बटालियन में एक कम्पनी एक्स्ट्रा दे दी। पुलिस फोर्स जो आज से आठ-दस साल पहले थी, आज वह की वह पुलिस फोर्स है। आबादी कहां से कहां पहुंच गई ? क्राइम कहां से कहां पहुंच गये ? सरकार पुलिस स्ट्रेन्थ को, पुलिस की नफरी को बढ़ाने का सरकार का क्या इरादा है। इस बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह सब चीजें क्राइम से जुड़ी हुई हैं। हरिजन एट्रोसिटीज से जुड़ी हुई है। फिर माननीय मंत्री महोदय, होता क्या है कि पांच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट सिपाही छुट्टी पर रहते हैं। घर जाने की पड़ती है क्योंकि रहने की सुविधाएं थानों के अन्दर नहीं है तो आज उस स्थिति के अन्दर मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन की स्थापना करें। कई प्रान्तों के अन्दर इस प्रकार के कारपोरेशन बने हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं, भारत सरकार आपको पैसा देती है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

थोड़ा बहुत पैसा आप राज्य सरकार उसके अन्दर दे पाती है बड़े स्केल पर हाऊसेज को बनाने के लिए अगर पुलिस हाऊसिंग कॉरपोरेशन की आप स्थापना करते हैं, जैसा कि कई प्रान्तों के अन्दर है तो उससे आप को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरी फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन से आपको पैसा मिलेगा यह मेरा आपको सुझाव है, माननीय सभापति महोदय।

चौथी बात मैं आपसे कहूंगा कि आपके यहां आई. पी. एस. की संख्या है प्रमोशन रुके पड़े हुए हैं आपके हायर लेवल के ऊपर। सीनियर ऑफिसर के अन्दर फ्रस्टेशन पड़ा हुआ है। कोई काम नहीं, कोई वेलफेयर का काम देख रहा है, कोई ट्रेनिंग का काम देख रहा है। हालत यह है कि आई. पी. एस. दफ्तर में बैठे रहते हैं। एक घण्टे का काम नहीं है आपके आई. पी. एस. के पास तो क्यों नहीं आप यू. पी. का पैटर्न अपनाते हैं? आप दो-दो रैन्ज के ऊपर एक-एक आई. जी. को क्यों नहीं लगाते हैं? क्या काम कर रहे हैं? इससे प्रमोशन के एवेन्यूज भी खुलेंगे और जॉब सेटिस्फेक्शन भी रहेगा उसके मन के अन्दर वरना कोई ट्रेनिंग के अन्दर है, कोई वेलफेयर के अन्दर है। ऐसे-ऐसे पद क्रिएट कर दिये हैं प्रमोशन करने के क्योंकि उनके बैच को दूसरे स्टेट में प्रमोशन मिल चुके थे। फ्रस्टेशन था दुनिया भर का उनके अन्दर। पोस्ट क्रिएट हो गई लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज आज उनके अन्दर है नहीं। उन लोगों से काम आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। आपके तपे हुए पुराने जो सीनियर ऑफिसर है, इसलिए उनको रेंज के अन्दर अगर दो रेंज और तीन रेंज के अन्दर आई. जी. को लगा दिया जाता है तो सभापति महोदय, इससे पुलिस को लाभ ही होने वाला है। अब सभापति महोदय, एक बड़ी अजीब बात राजस्थान के अन्दर हुई है। आर. ए. सी. की भर्ती हुई। एक कांस्टेबिल भी भर्ती नहीं हुआ पुलिस में और भर्ती हो गए। ऐसे कौन से नियम आड़े आ गए? मेरी तो समझ में ही नहीं आया। बी. एस. एफ. जवान राजस्थान से भर्ती हो जाते हैं। आपके मिलिट्री के अन्दर दुनिया भर के लोग चले जाते हैं राजस्थान के लेकिन आपके पेरामीटर्स क्या हैं, फिजिकल पेरामीटर्स क्या हैं आपके? इस साल आपकी एक भर्ती नहीं हुई। जहां-जहां भर्ती थी आर. ए. सी. की Not a single constable has been recruited. मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान के अन्दर लोगों की हैल्थ तो इतनी खराब है नहीं कि पुलिस में भर्ती हो जाए. बी. एस. एफ. के अन्दर भर्ती हो जाए, आपकी सी. आर. पी. एफ. में भर्ती हो जाए।

इण्डो डिवीजन बॉर्डर फोर्स के अन्दर भर्ती हो जाए। सब चीज में भर्ती हो जाए। लेकिन राजस्थान के अन्दर आर. ए. सी. का जवान नहीं मिला, यह भी दो महीने पहले हुई बात। आखिर इसके पीछे है क्या? आखिर बात क्या है? आखिर हुआ क्यों ऐसा? मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे चाहूंगा इस बारे में कि जब आप अपना उत्तर दे यहां पर तब इस बारे में अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करें कि किन कारणों से आर. ए. सी. के जवान, पिछली दफा तो हो गई जब लास्ट टाइम

(183)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आर. ए. सी. का रिक्रूटमेंट हुआ था, तब तो भर्ती हो गई और इस मर्तबा राजस्थान के अन्दर एक भी लड़का नहीं मिला। बड़े ताज्जुब और बड़े खेद की बात है इस बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

मैं आपसे एक बात और कह रहा था कि हमारे धौलपुर जिले के अन्दर एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पिछले पांच साल से जिन बन्दूकों के लाइसेन्सधारियों जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके वारिसों को बन्दूकों के लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आज एक बन्दूक की कीमत दस हजार से लेकर बीस-पच्चीस हजार रुपये तक है, आप उनको लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर उनकी पुलिस रिपोर्ट ठीक है, उनका चरित्र ठीक है, उनके हैण्ड रिप्रेजेंट्न्स ठीक है, उनकी हैसियत सही है, अगर उनकी पुलिस रिपोर्ट सही है, ऐसे दो सौ के करीबन आदमी हैं, आप अन्दाजा लगाइये कि एक साधारण किसान, जिसने जैसे-तैसे करके अपनी सुरक्षा के लिए बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त किया, अब उसके पिता की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण या अन्य किसी कारण से हो गई तो आप उसका रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है? इन लाइसेंसधारियों के जो वारिसान हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया, पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनकी बन्दूकों के लाइसेंस को रिन्यू करना चाहेंगे, रिन्यू का सवाल ही नहीं, नये लाइसेंस उनको देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मैंने गृह मंत्रीजी, जो स्वयं मुख्य मंत्रीजी हैं, उनको इस बारे में पत्र लिखा है। विधान सभा शुरू हो गई इसलिए सम्भव है कि उनका उत्तर मुझे इस कारण से प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन आप निश्चित् रूप से इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

आखिर में मेरा आपको एक सुझाव और है। जितने भी आपके इन्सपैक्टर्स हैं, आपने तय कर लिया है कि सरटेन क्राइम का नम्बर जब एक थाने के अन्दर पहुंच जायेगा तभी हम उसके अन्दर इन्सपैक्टर की नियुक्ति करेंगे। आज सब इन्सपैक्टर से इन्सपैक्टर की नियुक्ति होने के बाद, यह नियम मैंने ही बनाया था, कितना प्रेशर रहता था कि इन्सपैक्टर बनते ही मुझे थाना दो, मुझे थाना दो, अब किस-किस को थाना दें। तो नियम बनाया कि जिसका प्रमोशन होगा पांच साल के लिए, एक तरह का कुलिंग ऑफ, कि आप पांच साल पुलिस की दूसरी ब्रांचेज में काम करिये, उसके बाद आपको थाना प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आज कोई यह ब्रह्म वाक्य तो है नहीं कि एक सरटेन क्राइम पर ही आप इन्सपैक्टर नियुक्त करें। जो प्रेसक्राइब्ड थाने हो गये हैं, जिन थानों के अन्दर आप यह महत्त्वपूर्ण समझते हैं, वहां पर आपको इन्सपैक्टर्स को नियुक्त करना चाहिए। यह मेरा सरकार को सुझाव है। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर।

(6.00 सायं)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में पुलिस विभाग द्वारा भयंकर अत्याचार हो रहा है। मेरा तो सुझाव यह है कि यदि पुलिस विभाग को ही समाप्त कर दिया जावे तो बहुत ही अच्छी बात है। पुलिस की मिलीभगत से अत्याचार, बलात्कार, डकैतियां और गरीब जनता के ऊपर फर्जी केस लादे जा रहे हैं। मेरे झालावाड़ जिले में पगारिया, गंगधार, डग और अन्य कई थानों पर गरीब जनता के ऊपर फर्जी केस लाद कर, गरीब जनता से रिश्वत लेकर और उनको फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। निसोली थाने में एक पूर्णलाल पाटेदार को एक गाय की मृत्यु के फर्जी केस में फंसाया गया और उसको परेशान किया जा रहा है। इसी प्रकार पगारिया थाने के थानेदार द्वारा भी शराब पीकर, क्योंकि थाना गांव के बीच में है, गांव के बीच में होने की वजह से आये दिन वहां के थानेदार शराब पीकर जनता के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौच करते रहते हैं और यदि कोई भी गरीब जनता अपनी रिपोर्ट लिखाने आती है, दर्ज कराने आती है तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर, उनकी समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां थाने की बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, उसको अपनी व्यवस्था में लेकर किसी भी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए या भवन बनवाया जाए। जो थाना भवन वहां पर किराये पर ले रखा है उसको बीच गांव से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार चौमेला में तारीख 20 को दिन-दहाड़े दो युवकों की हत्या हो, गई, उसमें पुलिस की मिलीभगत थी। एक अपराधी थाने में छिपा रहा, वहां जाकर वह नहाया-धोया, सारे कपड़े बदले, उन सब को नष्ट कर दिया और दो घण्टे तक पुलिस वहाँ मौके पर नहीं पहुंची। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस की सारी मिलीभगत से चोरियां, डकैतियां और हत्याएं हो रही हैं। जो अपराध हो रहे हैं उनमें अधिकतर पुलिस की मिली भगत से ही और पुलिस की निष्क्रियता से ही हो रहे हैं। यदि इसके ऊपर ध्यान दिया जायेगा तो बहुत अच्छा होगा।

कोटा शहर में, भवानीमण्डी में, चौमेला में, डग में, सभी जगह सट्टेबाजी हो रही है। भवानीमण्डी कस्बे में आये दिन स्मगलिंग होती है। वहां स्मैक का जो धन्धा चल रहा है, वह जोर-शोर से, धड़ल्ले से चल रहा है, इसमें सारी मिलीभगत पुलिस की है। झालावाड़ जिले का मेरा क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। वहां आये दिन स्मक का धन्धा चल रहा है वह सारा पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। इसलिए उसकी जांच करवाई जाय, वहां के थाने की जांच करवाई जाय तो आपको पता लगेगा कि वहां पर अपराधों की कितनी सं. बढ़ रही है?

माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ में पुलिस अधीक्षक लगे हुए हैं, यदि थाने की कोई शिकायत उनको की जाय, उनके ऊपर किसी प्रकार की जूं नहीं रेंगती। एक बार तो हमारी भिड़न्त भी हो गई। फोन पर मैंने उनको कहा कि आपका विभाग भ्रष्ट विभाग है और आप भ्रष्ट अधिकारियों को, थानेदारों को प्रोत्साहन

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

देते हो तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं रिश्वतखोर नहीं हूं, मैं अच्छा हूं इसलिए ऐसी बात आपको कहने का मेरा अधिकार है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको सुधारें कि यदि जनता का प्रतिनिधि कोई सुझाव देता है, अच्छी बात कहता है या अपनी जन समस्या बताता है तो उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। भवानीमण्डी में 14 अक्टूबर, 1989 को बम का एक कारखाना पकड़ा गया लेकिन दो-तीन अपराधी तो गिरफ्तार किये, पांच-छह अपराधी अभी भी खुले आम इधर-उधर छिपते-फिरते हैं, जो फरार हैं लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए जनता में भयंकर आक्रोश है। मेरी आसन के माध्यम से मांग है कि उनकी जांच कराकर तुरन्त उनको गिरफ्तार किया जाय ताकि उनको दण्डित किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ कई बार थानों में अधिकारियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि महिलाओं के थाने हर जिला केन्द्र पर, हर तहसील केन्द्र पर खोले जायें जिससे अनुसूचित जाति की सुरक्षा हो सके। अभी माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने बताया था कि तीन-चार जिलों में इस प्रकार बारातों पर हमले हुए, उनकी सुरक्षा नहीं हुई, वहां थाने के अधिकारी पहुंचे नहीं। मेरा आसन के माध्यम से यह निवेदन है कि हर जिले में इस प्रकार की समितियां बनाई जायें जिससे कि अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षा मिले। उनकी बारातों के या उनके जो भी कोई कार्यक्रम हों, वह उचित ढग से सम्पन्न हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक सुझाव देते हुए यहीं बात समाप्त करूंगा कि हर जिले में समितियां बनाई जायें, पर गांव में समिति बनाई जाय ताकि वह अपने कुछ सुझाव दे सकें और उसमें जिले के पुलिस अधिकारी और जन प्रतिनिधि, सरपंच आदि हों। यदि ऐसी एक कमेटी जिले में बनेंगी तो वह अपने सुझाव देकर जनहित में काम करेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री लालचन्द डूडी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री हेतराम बेनीवाल : खूब जमकर बोलें। हम सुनेंगे और आप बोलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय सभापति महोदय, आज हम पुलिस डिमाण्ड पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस का जो कर्त्तव्य है, उनका काम करने का जो तरीका है, आज समाज में इस प्रकार की आवश्यकता बन गयी है कि यदि कहीं पर न्यायालयों में न्याय करना है तो उसमें पुलिस की आवश्यकता है, यदि कहीं पर कोई ला एण्ड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाये तो वहां पर पुलिस की आवश्यकता है यदि किसी प्रकार भी माननीय सदस्यों को या इस सरकार बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों या सरकार में

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बैठने वाले लोगों को भी पुलिस की आवश्यकता है। इस प्रकार की आवश्यकता धीरे-धीरे बढ़ती चली गयी है। जिसके कारण से पुलिस पर सारा कुछ आश्रित हो गया है और ऐसा लगने लगता है कि इतने आश्रित हो गये हैं कि आज जब पुलिस पर एक्शन लेने की बात करते हैं तो जैसा करोली से आने वाले माननीय सदस्य ने, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कई प्रकार के सुझाव और इस प्रकार की शंकाएं प्रकट की हैं उनसे मैं निश्चित रूप से सहमत हूं। इन बातों से कि सफेदफोश राजनैतिक संरक्षण और पुलिस के संरक्षण में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। मेरा यह मानना है कि किसी भी अपराधी को जब तक पुलिस का और राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त नहीं हो तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं कि वह अपराध कर सके। यदि सारी रिपोर्ट देखें तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो घुसपैठ हो रही है, तस्करी हो रही है, उसके बारे में विभागों के प्रतिवेदन पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि केवल खानापूर्ति के लिये इतने हजार रुपये और करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। अपराधी खुलेआम घूमते हैं। आज पुलिस पर किसी का नियन्त्रण नहीं है और पुलिस समझने लगी है कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं चल सकती है इसलिए आप क्या कर लेंगे? आज पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जितने इन्वेस्टीगेशन्स हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, जब ऊंचे अधिकारी को मालूम होता है कि पुलिस इसमें लिप्त है उसके बाद भी बहुत समय तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है।

मैं आपसे एक निवेदन करूं कि नवम्बर, 1989 में 32 किलो चांदी पकड़ी गयी, पकड़ने के बाद लाखों रुपये का सौदा हो गया और कहते हैं कि तीन किलो चांदी इन्वेस्टीगेशन के अफसर ने ले ली। उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और रफा-दफा हुआ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब वहां के एस.पी. को मालूम हुआ कि इसमें डीवाई.एस.पी. और थानेदार लिप्त हैं तो फरवरी, 1990 में एफ.आई. आर. दर्ज की, लेकिन सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस जांच प्रतिवेदन में बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पुलिस में अव्यवस्था हो रही है।

जब हम भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और पुलिस का प्रतिवेदन पढ़ते हैं तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? भ्रष्टाचार से विहीन स्वच्छ प्रशासन करने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना।

यातायात पुलिस में ऐसा लगता है कि जैसे शैतान के हाथ में डण्डा दे दिया गया है। अभी हमारे थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने यातायात के बारे में काफी सुझाव दिये और वह कह रहे थे कि आये दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी मरने वाले को सम्भालने वाला कोई नहीं है लेकिन यातायात पुलिस किस के लिये है? आपको मालूम है सभापति

187

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

महोदय, आप किसी भी नेशनल हाइवे पर जाते हैं या हमारे मंत्री महोदय जाते हैं या हमारे सारे माननीय सदस्य राजस्थान में घूमते फिरते हैं तो यातायात पुलिस की जीप आपको खड़ी मिलेगी। वह किसी अपराधी को रोकने के लिये नहीं, कोई व्यवस्था के लिये नहीं, वह चौथ वसूलने के लिये वहां खड़ी रहती है। यदि किसी प्रकार का अपराध होता है तो पुलिस दौड़ कर वहां नहीं जायेगी लेकिन एक वाहन को रोक कर चौथ वसूल करती है। यह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि वह एण्ट्री हुए बिना निकल नहीं जाय। इसलिये इस बात की पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक्सीडेण्ट नहीं हो, वहां किसी प्रकार की अपराधवृत्ति का आदमी नहीं जा रहा हो, कोई तस्करी नहीं हो रही हो, इस प्रकार की व्यवस्था के लिये वह नहीं दौड़ता है लेकिन चौथ वसूल करने के लिये दौड़ता है।

आज वातावरण इस प्रकार का बन गया है। मैं जानता हूं कि पिछले चालीस वर्ष में शासन की जो नीतियां रही हैं जिस प्रकार उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, सक्षम कार्यवाही नहीं की गयी है। हमारे धौलपुर और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य काफी समय तक गृह मंत्री रहे हैं और मैं जानता हूं कि हमारे यहां के इस सीमावर्ती जिले में अपराधियों को कई राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। वहां पर थाने नीलाम होते हैं और वहां पर तस्करों और अपराधियों की जैसे समानान्तर सरकार चल रही है।

मै भी चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इतना चुस्त हो कि अपराधी उसको देखते ही भयभीत हो जाये और गरीब, असहाय व्यक्ति को पुलिस को देखते ही प्रसन्नता होनी चाहिये, उसको लगना चाहिये कि मेरी रक्षा करने वाला कोई खड़ा है। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि गरीब आदमी जो असहाय है, जो किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं कर सकता है, जिसकी किसी प्रकार की एप्रोच नहीं है, वह भयभीत है। पुलिस को देखते ही उसका पेशाब उतर आता है, वह थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। आज हालत यह है कि रिपोर्ट में भाषणों का बहुत अच्छा चित्रण होता है लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि पिछले चालीस सालों में जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको ठीक किया जाय।

मैं जानता हूं कि आज हमारे गृह मंत्री के रूप में जो बैठे हैं, जिन्होंने यह बजट पेश किया है, जिन्होंने मांग प्रस्तुत की है, वह पहले भी जनता राज में गृह मंत्री थे और मुझे एक मौका मिला था उन से मिलने का। एक काफी सम्पन्न परिवार ने, राज परिवार ने एक साधारण आदमी पर अत्याचार किया था। जब हम मिले तो उन्होंने निश्चित रूप से सक्षम कार्यवाही करने के लिये एस.पी. से कहा कि कोई भी हो जो अपराध करे उसको कानून की परिधि में लाया जाय, कोई बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसको छूट नहीं दी जायेगी। इस प्रकार यदि सख्त कदम उठाये जायें, यदि कहीं अपराध हो रहा है या कहीं पर कोई भी आदमी पद या प्रतिष्ठा का दुरुप–

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

योग कर रहा है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह उसको रोके और जिस पर अन्याय हो उसको राहत प्रदान करे ।

मैं चाहता था और मेरी यह इच्छा भी थी कि मैं यह कहूं कि ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में मैं महसूस करता हूं कि जब अपराध करने वाले व्यक्तियों के पास अत्याधुनिक हथियार और साधन हैं तो उसके मुकाबले में सरकार में बैठने वाले अधिकारियों को अच्छे, इन्वेस्टीगेशन के अच्छे यन्त्र नहीं हो, वायरलैस सैट की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था न हो तो अपराधी प्रवृत्ति रोकने में काफी दिक्कत आती है । जो सिपाही ड्यूटी देता है उसको मैस भत्ता देने की बात है, उसके रहने के क्वार्टर की बात है । हम भी चाहते हैं कि उनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए इसके लिए सरकार से मांग भी करता हूं । लेकिन इनका इस प्रकार का आचरण देखते हैं माननीय सभापति महोदय, तो यह मांग करते हुये हमें शर्म और शंका महसूस होती है कि हम किसके लिये और किस काम के लिये हम यह मांग कर रहे हैं । क्या यह इसलिये बढ़ाया जाय कि वह इसका दुरुपयोग करें । क्या वायरलेस सैट इसलिये बढ़ाये जायें कि लगातार चोरियों और डकैतियों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहे । खुले आम सट्टा खेलने वाले सट्टा खेलते हैं और उसकी सूचना देते हैं तो तुरन्त उसके पास सूचना पहुंच जायेगी । क्या टेलीफोन इसलिये उपलब्ध कराया जाय कि आपका अधिकारी वहां चैक करने जाय तो उसको उससे पहले ही इसकी सूचना मिल जाये । इसलिये मैं चाहता हूं कि नयी सरकार बनी है तो लोगों की जो आकांक्षायें हैं उनको पूरा करें । मैं जानता हूं कि हमारी सरकार जब पहले ढाई साल शासन में रही तो उस समय भी प्रभावी तरीके से काम किया है और मैं यह भी नहीं कहता कि सारे अधिकारी इस प्रकार के हैं कि जिनकी निष्ठा के प्रति इस प्रकार का सन्देह किया जाय लेकिन एक आध मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है । इसलिये इस प्रकार के जो गन्दे लोग हैं, इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं तो निश्चित रूप से यह कहूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो, उनको कानून के शिकंजे में लाया जाय और जो सक्षम तरीके से, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं उनको सम्मानित किया जाय । यह मेरी इच्छा है, यह मेरी मांग है । मैं चाहता हूं कि ईमानदार अधिकारियों को इस प्रकार का मौका और सम्मानित किया जाना चाहिए और समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, जिससे ईमानदारी प्रतिष्ठापित हो, जिससे ईमानदारी करने की प्रेरणा मिले तो इसके लिए यह आवश्यक है और मुझे यह उम्मीद है कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी इसको काफी सक्षम तरीके से देखेंगे और नियन्त्रण के लिये कदम बढ़ायेंगे । मेरा निवेदन है कि....

श्री सभापति : समाप्त करें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज स्थिति यह है कि कहीं पर कोई पुलिस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के खिलाफ भाषण देता है, कहीं पर पुलिस के खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो अपराधी को पकड़ने में इतनी मुस्तैदी हम नहीं दिखाते हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्त्ता को जरूर हम कानून के शिकंजे में फंसाने की कोशिश करते हैं। पिछले कांग्रेस के शासन में कभी रामशिलाओं के पूजन को लेकर, कभी किसी जात को लेकर ××× गप्पे दिखायी गई हैं, ××× गप्पों का रिकार्ड तैयार किया गया है, आज भी कई इस प्रकार के राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं, जिनको इस प्रकार ××× ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। वह कांग्रेस के भी हो सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन मैं इसको जरूर मानता हूं कि समाज में काम करने वाला व्यक्ति, राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति, यदि उसकी स्वतन्त्रता का हनन हो, यदि उसके अधिकारों पर कुठाराघात हो, यदि उसकी बोली को बन्द करने के लिये कार्यवाही करें, उसको फंसाने का जाल बिछाये, तो मैं समझता हूं, यह तरीका गलत है। यदि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को फंसाने की कार्यवाही हमारी पुलिस और सरकार ने की है और यह कार्यवाही जारी रही तो मैं समझता हूं, लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा। इसके उदाहरण के लिये मैंने कटमोशन भी लिखे। हमारे टोंक जिले में कई कार्यकर्त्ताओं को फंसाया, कई इन्वैस्टीगेशन हुए, जांच हुई और यहां तक कि आपके डाइरेक्टर, आपके आई.जी., इन्होंने अपने एस. पी. को जांच के लिए भेजा। आई.जी. के आदेश को उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया तो एस. पी. के इन्वैस्टीगेशन के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह मैं समझता हूं, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि....

श्री सभापति : ××× शब्द को एक्सपन्ज किया जाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने बताया कि इस प्रकार की स्थिति बन गई है। कोई भी अधिकारी उसके ऊपर बोलते है, यहां स्थिति ऐसी आ गई है, सभापति महोदय, कि इस सदन में कोई प्रस्ताव मूव किया जाये, सदन में निन्दा की बातें की जाये, बुराई को दबाने के लिए बुराई की चर्चा की जाये तो उसके पीछे उसको धमकियां दी जाती हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने एक 295 का नोटिस या (2) का प्रस्ताव रखा, यह कुछ अधिकारी मिलकर पुरातत्व विभाग की जमीन को और जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिलीभगत के कारण राजनैतिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत के कारण और इन करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का या उन्होंने असेम्बली में प्रस्तुत किया। तो अभी मुझे बताया गया कि वहां पर टेलीफोन पर धमकियां दी जाती हैं कि तुमको पता नहीं मैं फलां अधिकारी हूं और यदि यह कार्यवाही हुई तो तुम मिलोगे

××× शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहीं । यानी इस प्रकार का दुःसाहस कोई करे, तो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह अधिकारी कौन हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्रिविलेज लाओ ।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, जिसने यह धमकी दी है, माननीय सदस्य को असेम्बली के अन्दर, बोलने के कारण, इन अधिकारी का नाम भी बताइये और उनके खिलाफ मोशन रखिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है माननीय सदस्य कि प्रिविलेज मोशन और क्या-क्या मोशन लाये जा सकते हैं, उसकी मुझे पूरी जानकारी है और यदि नाम बताना आवश्यक समझा गया और प्रिविलेज मोशन लाने की आवश्यकता समझी गई, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो भी इसमें लिप्त हैं या उनको बताना चाहते हैं या जिसने यह मामला सामने लाने की कोशिश की है, उन लोगों को धमकाने की कार्यवाही की है, आप जानते हैं कि प्रिविलेज मोशन कठिन परिस्थितियों में उसको मूव किया जाना नितान्त आवश्यक है और प्रिविलेज मोशन की यदि आप व्यवस्था देखेंगे कि हमारे विशेषाधिकार के हनन का मामला विशेष परिस्थितियों में लाया जा सकता है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो लाने की आवश्यकता होगी, तो जरूर लाया जायेगा । मेरा तो यही निवेदन है, राजनैतिक कार्यकर्ता चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिये । अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना चाहिये, जिससे जन आकांक्षाओं के अनुसार कि पुलिस भी हमारी रक्षक है, भक्षक नहीं है । वह आज यह सुनाई आता है, चारों तरफ से कि पुलिस की मिलीभगत के कारण डकैतियां हुई । सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि लगातार चोरियां, 19 तारीख को लालसोट के जैन मन्दिर में चोरी, 20 तारीख को बोंली में चोरी हुई, 21 तारीख को भिलाई में हुई, पीपलू में हुई, । जैसे हमारा प्रशासन इतना पंगु हो रहा है उनके चेलेन्ज को स्वीकार नहीं करता । यानी ऐसी घटनाएं, जेबकट की घटनाएं लगातार होती रहीं और उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं हो रहा है और उसको किस प्रकार से सतर्कता से दबाने की कोशिश की गई । आज सवाल यह है कि लोगों में यह इच्छा शक्ति नहीं है और जिस प्रकार पैसे के ऊपर, जिस प्रकार केवल अपने पद के दुरुपयोग पर, जिस प्रकार की निगाह टिक गई है, यह अच्छी स्थिति नहीं है । मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस स्थिति में जल्दी परिवर्तन करें । आपने जो समय दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द जी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, आज गृह विभाग की मांगों पर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

विचार-विमर्श हो रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की बुनियाद शांति और व्यवस्था बनाये रखने का कार्यपुलिस का है। जहां तक राजस्थान की पुलिस का प्रश्न है, उसके पक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, विपक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। यह बात भी सही है कि निचले स्तर पर पुलिस में भ्रष्टाचार है।

कई अत्याचार की बातें भी हमारे सामने आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाये तो जो पुलिस का, राजस्थान की पुलिस का 40 साल का इतिहास है, वह एक तरह से सराहनीय ही कहा जायेगा क्योंकि जब राजस्थान बना था, उस वक्त पश्चिमी राजस्थान मे खास तौर से बहुत डकैतियां होती थीं। आप भी यह जानते हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और कई अन्य राज्यों के अन्दर डकैतियां होती हैं। लेकिन संगठित डकैतियों की इक्की दुक्की वारदात हो जाती हैं, लेकिन राजस्थान में पिछले 30-35 सालों से संगठित डकैतियां या संगठित दल एक ही क्षेत्र के अन्दर एक दो विपक्षी दल हो सकते हैं, वरना राजस्थान के अन्दर शांति है। पिछले साल, डेढ़ साल से कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए, लेकिन कभी कोई दौर हो जाता है, उसकी वजह से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो जाती हैं, लेकिन राजस्थान में साम्प्रदायिक दृष्टि से देखें तो वहां भी शांति रही है। हमारे पड़ोस की पुलिस को भी देखें, हमारी पुलिस को भी देखें तो मैं यह कहूंगा कि यह हमारे संस्कारों का प्रश्न है कि हमारी पुलिस में बहुत कुछ खामी होते हुए एक मानवीय दृष्टिकोण रखती है।

कई दफा यह बात भी कही जाती है कि पुलिस राजनीतिज्ञों के इशारे पर काम करती है। यह मैं नहीं कहता कि राजस्थान में पुलिस राजनीतिज्ञों के इशारे पर काम नहीं करती, लेकिन जैसा हम बहुत-से दूसरे प्रदेशों में सुनते हैं कि राजनीतिज्ञों के इशारे पर चुनाव के अन्दर कुछ का कुछ कर दिया 100-200-500 पुलिस कर्मियों को कहीं ले गये और चुनाव में मदद ले ली। आप और हम, चाहे पक्ष में बैठते हैं चाहे विपक्ष में बैठते हैं, अपन सब अच्छी तरह से जानते हैं इक्का-दुक्का घटनाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तियों के आपस में सम्बन्ध इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर हमारी पुलिस राजनीति से बचती रही है। यह नहीं कि किसी एक पार्टी का शासन, पहले हमारी पार्टी का था, अब दो अन्य पार्टियों का है, आ जाय तो पुलिसकोई मददगार या इमदाद देने वाली बन जाय सत्तारूढ़ दल की। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आम तौर से हमारी पुलिस निष्पक्ष रही है और इसके लिए वह बधाई की पात्र है। पुलिस को बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उनके पास पूरे साधन नहीं हैं, जितना बड़ा पुलिस बल होना चाहिए वह भी नहीं है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें बड़ी दूरियां हैं। पहले लोग एक सामन्ती समाज के अन्दर रहते थे इसलिए इतने बुलन्द हौंसले वाले लोग नहीं थे। अब पढ़ाई-लिखाई के कारण आम जागृति आयी है तो अच्छी प्रवृत्तियां जहां बढ़ी हैं वहां बुरी प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं। आवागमन के साधन बढ़े हैं,

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

बाहर के लोग ज्यादा संख्या में आते हैं और सामाजिक व्यवस्था भी कई कारणों से काफी जटिल हो गयी है। इन सब समस्याओं के होते हुए भी कई कमजोरियां हैं, उनको मैं इन्कार नहीं करता, कई कमजोरियां होते हुए भी पुलिस ने जिस तरह से हमारे प्रदेश के अन्दर कार्य किया है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, मैं इस कार्य को ज्यादा अच्छा समझता हूं।

पुलिस में एक बहुत बड़ी कमजोरी भ्रष्टाचार की है उसमें कोई मना नहीं कर सकते। इस पर अगर हम विचार नहीं करेंगे नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी न्याय व्यवस्था लडखड़ा जायेगी। लेकिन आप देखेंगे जैसे कोई डकैती हो तो उसमें पुलिस तत्काल कार्य करती है, कोई साम्प्रदायिक दंगे हों तो उसके अन्दर पुलिस तत्काल कार्य करती है। लेकिन आम तौर से भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायतें उन परिस्थितियों में आती हैं जहां पर लोग कोई पीड़ित होकर लड़ते हों, या कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ एक वर्ग दूसरे को दबा रहा हो। ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। आम तौर से होता यह है कि गांवों के अन्दर धड़ेबन्दी होती है, चाहे राजनीतिक कारणों से, चाहे सामाजिक कारणों से या चाहे व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। उसमें वह लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि किस कार्य के लिए कितना पैसा खर्च हो जायेगा। कुछ लोग तो इसलिए कि साहब, इस साल अच्छी फसल हुई है, कुछ पैसा इस कार्य के लिए रख दिया जाय, ताकि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो निकालें। उसमें यह मानकर चलता है कि पैसा खर्च होगा। उसका असर पुलिस पर भी पड़ता है। फिर चूंकि एक पार्टी पैसा दे रही है तो दूसरी पार्टी भी पैसा देने लग जाती है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण यह है। लेकिन यह बात नहीं कि इसके अलावा पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं हो। पुलिस में है। कुछ इस तरह के केसेज, जैसे स्मगलिंग वाले हो सकते हैं, हो सकता है स्मगलिंग में उनकी सांठ-गांठ हो। लेकिन आम तौर से यदि यह कहा जाय कि भ्रष्टाचार तो है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण सच्चाई कतई तौर पर नजरअन्दाज होती हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कमजोरियां सामने आयी हैं। पुराना थानेदार, चाहे राजाओं के वक्त का है, उस थानेदार को मैं इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि पैसे लेकर भी वह कोई गुनाहगार को बरी कर दे और बेगुनाह को फंसा दे, ऐसा होता था, लेकिन बहुत कम। मेरे पास पचास साल का अनुभव है, मैं यह मानकर चलता हूं कि आजकल ऐसा भी हो सकता है कि झूठे को फंसाया जा सकता है और दोषी को पैसे के बल पर छोड़ा जा सकता है। इन बातों में अपन को, वह चाहे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे मंत्री महोदय हों, इस तरह की शिकायतें आयें तो तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

मैंने यह बातें तो एक तरह से इण्ट्रोडक्शन के तौर पर कहीं। कटौती प्रस्ताव जो मैंने दिये हैं वह दो विषयों को लेकर दिये हैं। एक तो यह कि यह एक परम्परा बन गयी है, यह समझ लीजिए कि कुप्रवृत्ति बन गयी है कि पुलिस वाले किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध किसी तरह का कोई आक्षेप है, गिरफ्तार नहीं करते उसको बुला लेते हैं एक दिन रोककर रखते हैं वापस भेज देते

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हैं । दो-चार दिन में वापस बुलाते हैं ग्रौर इस तरह सिलसिला लम्बे समय तक चलता रहता है । उसमें उस व्यक्ति को यातनाएं भी दी जाती हैं । ग्राप जो पुराने सदस्य हैं उनको याद होगा, 1982-83 में जब मैं विधान सभा ग्रध्यक्ष था, एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी थी ग्रौर उसमें तत्कालीन गृह मंत्रीजी ने यह वक्तव्य दिया कि उसको हमने गिरफ्तार नहीं किया था; थाने में उसको बुलाया गया था । वहां वह बीमार हो गया ग्रौर जैसा सदा ही बहाना किया जाता है, उसकी बाद में मृत्यु हो गयी । मैंने कहा, ग्रापने इसको बुलाया बिना कानून के, पुलिस को कौनसा ग्रधिकार है ? पुलिस को दो ग्रधिकार हैं—एक तो यह कि लिखित में नोटिस देकर किसी को कोई समय देकर कोई दिन नियत करके कोई ग्रधिकारी उसको तलब कर सकते हैं । दूसरा यह है कि यदि गम्भीर ग्रपराध है, हत्या है, डकैती है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है । उस वक्त के मंत्री महोदय बहुत जोर देकर कहने लगे कि पुलिस को ऐसा ग्रख्तियार है कि चाहे जब किसी मामले की जांच के लिए, ग्रनुसन्धान के लिए किसी व्यक्ति को जुबानी बुला सकते हैं, बैठा सकते हैं । यह प्रश्न परसों भी हमारे सामने ग्राया था, वह भी एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में था । मंत्री महोदय कह रहे थे कि उनको बिना गिरफ्तार किये, बिना लिखित सूचना दिये हम बुला सकते हैं । यानि पुलिस बल के चाहे बड़े से बड़े ग्रफसर हों उनमें यह एक गलत धारणा है कि किसी व्यक्ति को किसी ग्रनुसन्धान के लिए, जांच के लिए जुबानी इत्तला से भी बुलाया जा सकता है और उसको चाहे जितने लम्बे समय तक ठहराया जा सकता है । यह एक मान्यता बन गयी है । लेकिन ग्रापसे निवेदन करता हूं कि यह ग्रत्याचार का एक बहुत ही बड़ा साधन बन गया है पुलिस के लिए, एक तरह से सर्वमान्य हो गया है । लेकिन कानूनी दृष्टि से देखें तो ऐसा कोई ग्रधिकार पुलिस को नहीं है । इसलिए मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो खास तौर से इस प्रश्न पर मैं ग्रापसे उत्तर चाहूंगा, क्योंकि ग्रत्याचार का सबसे बड़ा कारण यह तरीका है । किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया तो 24 घण्टे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा । यदि ग्राप उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, थाने में बुलाते हैं तो ग्रापको नोटिस देकर बुलाना पड़ेगा । ग्राप 15 दफा नोटिस दोगे, 15 दफा बुलाग्रोगे, तो जब कभी ग्रदालत में मामला जायेगा, पुलिस वालों को फटकार मिलेगी कि ग्रापने इसको बेजा तरीके से तंग किया है । यह परम्परा बन गयी है, यह सर्वमान्य हो गया है पुलिस के बड़े ग्रफसरों के लिए भी । उस वक्त दत्ता साहब थे । दत्ता साहब कहने लगे कि साहब, हम तो बुलाते हैं । मतलब, यह एक जायज तरीका हो गया । लेकिन इसके बारे में कानून कुछ इस तरह से है :

"The practice of keeping to all intents and purposes a person in custody but not producing him before a magistrate under the colourful pretension that no actual arrest has been made, is a defiance of all provisions of law for the

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

protection of liberty of the citizen and should not be tolerated."

दूसरा एक और हाईकोर्ट का जजमेन्ट है :

"A police officer cannot detain any person in custody without arresting him. Any such detention will amount to wrongful confinement...."

मैंने यही की यही बात कही है---

"....Wrongful confinement within Section 340 of the Penal Code."

मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि इस संबंध में आप कुछ व्यवस्था करें ताकि पुलिस की अत्याचार की शिकायतें जो हैं वह शिकायतें आधी हो जायें। यह मैं आपको अर्ज करता हूं।

दूसरा कटौती प्रस्ताव जो मैंने दिया था वह पुलिस हिरासत में लोगों की मृत्यु के बारे में है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जितने कानून-कायदे, प्रशासनिक ढांचा है सब कुछ मनुष्य के लिए, मनुष्य के मान-सम्मान के लिए है, उसी के लिए खड़ा किया गया है। उसमें न्याय देने में अगर आप किसी के प्राण हर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि वह सब बातें ही इस तरह से समाप्त हो जाती हैं और यह नकार देने का एक ढकोसला रह जाता है। आपने देखा होगा, विधान सभा चल रही है, करीब-करीब प्रतिदिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। आज एक व्यक्ति की थाने के अन्दर मौत हो गई, यह हो गई। मैं तो सिर्फ पुराने-पुराने थानेदारों की याद दिलाऊंगा। किसी व्यक्ति की थाने में मौत होना लगभग 20-30 साल तक तो पुराने राज में भी रहा। मैंने कभी सुना नहीं लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं थी हालांकि इतने अखबार वगैरह नहीं थे। यातनाएं देना बुरा है कानून से वर्जित है लेकिन फिर भी आज आप जानते हैं कि चोरों के साथ इस तरह का सलूक होता है लेकिन यह सलूक इस हद तक और इस निर्दयता से भी नहीं किया जाना चाहिए। जैसा यहां पर एक लड़के के साथ हुआ और वह 2 घण्टे के अन्दर मर गया। इसके बाद और भी शिकायतें आयी हैं इस तरह की तो इस पर नियंत्रण होना और पुलिस के जो छोटे अधिकारी हैं उनको इस बात की चेतावनी दी जानी चाहिए कि थानों में इस निर्दयता से पिटाई न हो, इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री लालचन्द डूंडी।

श्री लालचन्द डूंडी (भादरा) : सभापति जी, पुलिस की डिमाण्ड के ऊपर मुझे दो शब्द कहने हैं। मैं थोड़ा सा लाइन से हटकर ही बात करूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : कौनसी जनता दल की ?

श्री लालचन्द डूंडी : माननीय पूनमचन्द जी साहब ने जो बात कही है मैं काफी हद तक उस बात से सहमत हूं कि जिस

(श्री लालचन्द डूडी)

तरह से पुलिस का रोल, हमारी राजस्थान की पुलिस का रोल रहा है अगर दूसरी स्टेट्स की पुलिस के साथ हम कंपेयर करें तो हमारे राजस्थान की पुलिस और पुलिस के मुकाबले में बहुत आगे है, अच्छी है और इससे आगे और सुने तो मैं यह बताऊंगा कि कम से कम राजस्थान के अन्दर एक बात देखें पुलिस का महकमा बाकी के महकमों से जो राजस्थान में है उनसे कहीं लाख दर्जा अच्छा है । आज एक करोड़ रुपये की लागत से किसी प्रोजेक्ट को हम तैयार करते हैं, और उसमें से 30 लाख रुपया अगर कोई आ जाए तो उसका नुकसान राष्ट्र को है । इसी तरह से टेक्सेज के अन्दर अगर हमारे अधिकारी चोरी करते हैं तो नुकसान राष्ट्र का है । पुलिस का जिस तरह से राजस्थान का मैंने देखा है इस तरह की जो भी वारदातें हुई हैं वह चाहे आतंकवादियों के द्वारा राजस्थान के अन्दर वारदात की गई हो, चाहे किसी बैंक में डकैती की गई हो, चाहे कहीं भी हो, कल आपके जयपुर के अन्दर बम कांड जिस तरह का पकड़ा गया हो । इस तरह की वारदात के अन्दर राजस्थान की पुलिस ने कहीं कोई पीछा नहीं छोड़ा । भ्रष्टाचार की जो लोकल लेबल पर बात है इस बात से भी मैं डिनाइड नहीं करूंगा कि उनके उस व्यवहार से इस देश की गरीब जनता को, गरीब लोगों को परेशानी जरूर होती है, उसको रोकना चाहिए । लेकिन इसके साथ सभापति महोयय, एक बात और भी कह देना चाहता हूं काफी ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें पुलिस के साथ भी जानबूझकर ज्यादती की जाती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ।

मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा बस के नीचे आ गई । पुलिस ने बस को पकड़कर थाने में कर दिया, बस ड्राईवर को अरेस्ट कर लिया । पुलिस जितनी कार्यवाही कर सकती थी कर ली । उसके बावजूद ही हमारे पढ़े-लिखे वह लोग जिनको कल मेडिकल अफसर होकर यहां इस प्रदेश की सेवा करनी है, उन लोगों ने जिस तरह का वातावरण पैदा किया और उस वातावरण को शांत करने के लिए पुलिस को अपनी कार्यवाही करनी पड़ी और उस जायज कार्यवाही का नतीजा यह निकला कि उस पोलिटिकल प्रेशर की वजह से हमारे अच्छे पुलिस अधिकारियों को डिमोंलाइज होना पड़ा । तो हमारा यहां सब पोलिटिकल पार्टीज का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि हम चीफ पोपुलरटी को हासिल करने के लिए पुलिस के मोरल्स के साथ खिलवाड़ न करें । यह हम सब का कर्त्तव्य बन जाता है । तो हम चाहे अपोजिशन में हों, चाहे यह अपोजिशन में हों । जब भी कहीं किसी को मौका मिले पुलिस को बदनाम करने का, चाहे उसका व्यक्तिगत मामले में रहा हो, चाहे और कोई हो, हमने एकजुट होकर यह परवाह नहीं की कि हमने....(व्यवधान)

अभी कुछेक कानून इस तरह के बन गए जो कानून से कहीं दूर चीप पोपुलरटी लेने के लिए नारों के रूप में आ गए । सभापति महोदय, आपका दहेज विरोधी कानून और महिलाओं की आत्म हत्याओं का मामला । कुछेक ऐसे कैसेज आते हैं जिनमें पुलिस के हाथ बंध जाते हैं और उस परिस्थिति में पुलिस न्याय करने की बजाय अन्याय करने के लिए मजबूर हो

(श्री लालचन्द डूडी)

जाती हैं। ऐसे केसेज हमारे सामने कई हैं, कई आये हैं। अदालत में चल रहे हैं इस वास्ते में उन केसेज को कोर्ट करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि पुलिस ने उसके बारे में कुछ कहा और असलियत को अगर रख दिया, असलियत को रखने से दहेज का मामला न बनकर और कोई मामला करके पुलिस उसको पनाह देने की कोशिश कर रही है। इस आरोप से डरकर पुलिस काफी दफा अन्याय करती है और इसी तरह का अभी जिक्र कर रहे थे माननीय सदस्य श्री हीरासिंह जी चौहान। यह आपका अत्याचार निवारण विधेयक जो आ रहा है और वाकई यह सही बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए और उस सारे के सारे वातावरण को लिया जा रहा है उससे राजस्थान के अन्दर कितने भयंकर नतीजे होंगे। मैं आपको सभापति महोदय यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि अगर पोलिटिकल लेबल पर इसका मिसयूज किया गया तो इस राजस्थान के अन्दर भी वह स्थिति हो जायेगी जो बिहार और यू.पी. के अन्दर है और बिहार और यू.पी. के असर आ रहे हैं।

आज हमारे राजस्थान के अन्दर ऐसी घटनाएं नहीं घट रही जहां किसी हरिजन को कहीं घोड़े पर नहीं चढ़ने देते या बरात को नहीं ले जाने देते। यह बाकी सारे राजस्थान में कहीं नहीं हो रही। यह भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर में ही क्यों हो रही है? यह सारा का सारा असर बिहार और यू.पी. के हालात का है। यू. पी. बिहार की हालात में और वहां जो एक्शन पुलिस कर रही है जिस तरह से पुलिस का व्यवहार है और प्रशासन का जिस तरह का व्यवहार है उसका सारा का सारा असर जो है हमारे इस एरिया के अन्दर आ गया है।

तो हमें इन बातों से साफ कोई हल निकालकर और इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन पुलिस के अन्दर बड़े तमाशे की बात है। कई केस उलझ जाते हैं हम आरोप लगाते हैं कि लोकल पुलिस इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करती या उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो सी.आई.डी. से जाँच करवाओ। लेकिन असलियत क्या है? जो कहीं कामयाब नहीं है पुलिस में उसको सी.आई.डी. में भेज दिया जाता है और एक काबिल आदमी से तफतीश ले करके नाकाबिल आदमी को सौंप दी जाती है। तो देखिये आपकी सी.आई.डी. के अन्दर किस तरह के लोग हैं वो ही हैं जिनको कहीं-कहीं सजा देनी होती है वह सी.आई.डी. में चला जाए। तीसरा एक और बात है यह एण्टीकरेप्शन का स्टाफ है यह पुलिस में से है।

तो यहां मुख्यमन्त्री जी आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि सी.आई.डी. एण्टी करेप्शन और पुलिस इन तीनों की अलग-अलग भर्ती हो ताकि एक-दूसरे के ऊपर न हो करके आपको असिस्टेंस मिल सके, इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

साधन की जहां तक बात है। अभी कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे हम लिए घूमते हैं थ्री-नाट-थ्री और डीजल की खड़-खड़ करती हुई जीप जो जरायम पेशा लोग आते हैं जो डाका डालने के लिए आते हैं,

(श्री लालचन्द डूडी)

चोरी करने के लिए आते हैं उनके पास ए. के..47 और जिप्सी गाड़ियां होती है और सन्नाट करके चले जाते हैं और हमारी पुलिस देखती रहती है तो इसके लिए साधनों को बढ़ाना, उम्दा हथियार पुलिस को मुहैया कराना और पुलिस फोर्सेज की संख्या को बढ़ाना । यह हमारे लिए बहुत जरूरी है तो मैं बात कह रहा था, अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मैं पुलिस के ही आदमी को पुलिस कमिश्नर बनाने के बारे में किसी माननीय सदस्य का सुझाव आया था और आप उसका विरोध कर रहे थे । मैं समझता हूं यह विरोध बिलकुल गलत था । हम यो नहीं कह सकते कि हमारा आई.पी.एस. हमारे आई. ए. एस है । हमारे आई.पी.एस. ने आल इण्डिया लेबल पर अपना असर छोड़ा वह है आई. ए एस. से कहीं कम नहीं हैं । आज की स्थिति में जो हमारे होम कमिश्नर बैठे हैं उनके मुकाबले में तो हमारे पुलिस का हर आदमी अच्छा है । वह हफ्ते में 4 दिन दिल्ली रहते हैं और उनके पास आई फाइलें महीनों-महीनों तक पड़ी रहती हैं, छः-छः महीने तक पड़ी रहती हैं । उनको यह चिन्ता नहीं है कि किसी का प्रमोशन रुक जायेगा. थोडी सी लापरवाही की वजह से ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

गवर्नर साहब ने जिनको क्लियर करके भेज दी और वह डी. पी.सी. के वक्त क्योंकि कि डी.पी.सी. में अगर वह आदमी कामयाब हो नहीं पाये इन सभी फाइलों को रोके रखी । मैं सोचता हूं कि पुलिस का दूसरा वहां पर कोई आई.पी.एस. कमिश्नर होता तो वह अपने जवान के साथ, अपने सबोर्डिनेट के साथ ऐसा अन्याय नहीं करता । इसलिये यह जो कमिश्नर का पद है इसके अन्दर हमारे आई.पी.एस. होने चाहिये और वह हमारी फोर्स का वेलफेयर करे । क्योंकि आई.ए.एस. बहुत अच्छी कोई रिर्पोट साबित कर नहीं सके हैं । हम यहां पर भी आई.ए.एस. देखते हैं, सेक्रेटेरिएट के अन्दर जो आई.ए.एस. की हालत देखते हैं उन्होंने हमारे सारे प्रशासन के सिर को नीचा किया है । इसलिये आई.ए.एस के ऊपर इतना भरोसा न करके हमारे आई. पी.एस. पर उतना ही भरोसा करके उनका मोरल बढ़ाना चाहिये । इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय सभापति जी, पुलिस के बारे में पक्ष और विपक्ष की सब तरह की बातें बताई गई । यह बिल्कुल सच है कि पुलिस से सब तरह की सुरक्षा ली जाती है, सब तरह के प्रदर्शन, मेले, हाट, विधान सभा आदि की सुरक्षा ली जाती है । लेकिन उतना उनको हक नहीं दिया जाता हैं जितना काम लेते हैं उतनी उनको सुविधा भी देनी चाहिये, उनके साथ जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिये वह सारी देनी चाहिये । लेकिन इसके साथ ही साथ जो बात होनी चाहिये वह यह है कि आज कोई आदमी रिर्पोट करने जब आता है तो उसके मन में यह बात रहती है कि न जाने कितना पैसा या कितनी गालियां पड़ेगी । राजनीति में सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है वह यह है कि समाज भय मुक्त होना चाहिये । हम खाकी वर्दी या पुलिस को देखते ही जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसके मन में यह आये कि

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

मेरा रक्षक खड़ा है। इस तरह की कोई व्यवस्था हम करें जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह उसको देखते ही वह उसके पास पहुंचे और वह यह समझे कि मेरी रक्षा हो जायेगी। यह बात भी होनी चाहिये हक और सुविधा भी ज्यादा मिलनी चाहिये लेकिन उनके साथ-साथ यह भावना भी कर पाये तो बहुत अच्छी बात होगी।

यह बात भी पहले भी बताई गई कि थाने में 10-12 आदमी रहते हैं और इलाका इतना लम्बा-चौड़ा होता है, उनमें किसी प्रकार की घटनायें, कहीं जुलूस, कहीं आन्दोलन हो जाय तो इलाका सम्भल नहीं पाता है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं वहां पर दो थाने हैं, 105 गांव और कहीं सड़क का नाम नहीं है। छबड़ा क्षेत्र में बागचा थाने में पालडी थाना और दूसरा सार्थल थाना है और थाने होना चाहिये, वर्षों से मांग करते आये हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं। कोई रास्ता भी नहीं है, एम. पी. का इलाका जुड़ा हुआ है। एम. पी. का इलाका शिवपुरी का डकैत एरिया, पार्वती के किनारे-किनारे हम तीन ओर से घिरे हुये हैं सड़क का नाम नहीं है, उन थानों में जीप भी नहीं है, ऐसी स्थिति में जीप भी मिलनी चाहिये। कन्धरा विकास के नाम पर, डकैत एरिया के नाम पर वहां पर सड़कों का विकास भी होना चाहिये।

इसके साथ ही कोई आदमी जाये तो बागचा थाने में जाने के लिये 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

पुलिस में और सबसे बड़ी बात आती है कि पुलिस कोई केस बनाती है चाहे वह वाजिब बनाये। जब डाक्टर के पास जाते हैं मुआयना कराने के लिये, मेडिकल सर्टीफिकेट के लिये तो डाक्टर इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उससे पैसे के बल पर, अधिकतर केसेज में, सभी की नहीं कहता हूं, किसी भी में कुछ भी लिखाया जा सकता है, एक्स-रे कैसा भी करवाया जा सकता है। इस पर भी हमें सोचना चाहिये। केवल इस बात पर हमें न्याय भी नहीं मिल पाता है और पुलिस की भी बुराई होती है, वह बीच में ही रह जाता है इस बात को भी समझने की बात है। न्याय व्यवस्था गड़बड़ होती है और पुलिस भी दोषी होती है। इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिये जिससे मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य परीक्षा जितना अच्छा हो, उसमें किसी भी तरह की बुराई न हो सके। जिस प्रकार से वह हुई है। पुलिस थानों में जांच अवश्य होनी चाहिये। शाहबाद में 9-2 को घटना हुई थी, एक बालक लापता हुआ, 13-2 को उसकी लाश कुए में मिली आज तक उसको आत्म-हत्या का केस मानकर बता दिया, जबकि एक तरह की हत्या है। वैसे ही मई के महीने में छबड़ा के अहमदपुरा गांव में मोरेला का बच्चा जवान लेने गया उसका मर्डर हुआ लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन बातों पर यहां तक चर्चा होती है, औरत और आदमी आये लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो पायी है। जबकि वह सीधा मर्डर है। उसी तरह से गांव गाढ़ना में 10-12 रोज पहले एक ऐसा केस दर्ज हुआ जो बलात्कार का है लेकिन उसको एस. आई. ने केवल छेड़-छाड़ लिखी, उसकी रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से दी। उन पर विशेष निगाह रखनी चाहिये और

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

जो वास्तव में पीड़ित हों उनको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ऊपर वाले भी उनको देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा मतलब साफ है कि इन बातों पर हम जितना उनसे काम लेते हैं उनको उतनी ही सुविधायें मिलें। साथ ही उनकी जो बुराइयां हैं वह सब जानते हैं सभी को बार-बार दोहराएं कोई मतलब नहीं रखता है लेकिन हम सब उन्हें गम्भीरता से लें, वास्तव में सभी सोचें। समाज को भय मुक्त करने की बात है, आप कितना ही विकास करेंगे, विकास करने वाले अन्त्योदय या चयनित परिवार का गांव में यदि शोषण होता है और यदि उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं तो सरकार, पुलिस या किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति द्वारा, मैं मानता हूं कि, अगर उसे शोषण से मुक्त नहीं किया तो हम कुछ भी करें वह सब बेकार हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन तो यही है कि इन सब बातों पर पूरी तरह से हम ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनलाल जी सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस के पक्ष में विपक्ष में काफी कहा गया है लेकिन वास्तव में पुलिस के बारे में जब हम पिछले 3-4 महीनों की घटनायें पढ़ते हैं तो राजस्थान के किसी भी नागरिक का सीना और फूल जाता है उन घटनाओं को देखकर त्रिपोलिया बाजार का बम कांड जिसे होने के पहले बचा लिया गया। कोटा के वह बम कांड यदि ब्लास्ट होते तो किस प्रकार का विध्वंस और समाज की किस प्रकार की चीख-पुकार होती। कोटा में नहीं है इस प्रकार और भी समाज में योजनायें बनाई होंगी उनमें इस कारण से भय उत्पन्न हुआ। उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का राजस्थान बड़ा आभारी रहेगा। वास्तव में पुलिस का काम, जो लोग गरीब हैं, दुःखी हैं उनकी सजगता के साथ-साथ समाज की सुरक्षा का दायित्व होता है उसको उन्होंने पूरा किया है। इसका दूसरा पक्ष भी है जो चिन्ता का विषय भी है। पुलिस को देखने से आज समाज में भय उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होना चाहिये लेकिन प्रेम भी उत्पन्न होना चाहिये। वास्तव में पुलिस को देखने से केवल भय ही उत्पन्न होता है, प्रेम का विषय पुलिस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। पुलिस जो हमारे त्यौहारों, मेलों, बी. आई. पीज को ड्यूटी में लगाने की व्यवस्था कर दी है परन्तु वास्तव में पुलिस का काम तो अपराधियों की रोक-थाम करने का था वह गौण होता जा रहा है। पुलिस को इतना व्यस्त कर दिया है, आज पुलिस की जो स्थिति है उस पर भी हमें विचार करना होगा। जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, नई-नई अपराधिक टैक्निक बढ़ रही है, थाने खुल रहे हैं उस हिसाब से पुलिस की संख्या बढ़ रही है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस पर दुबारा एनलेसिस होना चाहिये। प्रदेश में कितने सिपाहियों की जरूरत है, कितने हैड कांस्टिबल की और कांस्टिबल की जरूरत है और कितने दूसरे आफिसर्स की जरूरत है। इस पर विचार करने के बाद तय होना चाहिये कि किस के कर्मचारी बढ़ रहे हैं, आज पुलिस कर्मियों की क्वालि-

(श्री मदनलाल सैनी)

फिकेशन तय करने की जरूरत है और क्वालिफिकेशन बढ़ाने की जरूरत है। सिपाहियों की बात मैं नहीं करता लेकिन उन अधिकारियों की जो जांच करते हैं, सी. आई. डी. में जांच करते हैं इस प्रकार के पेचीदगी पूर्ण सवाल को हल करते हैं....

वह लोग केवल थानेदार रैंक के आदमी हैं। आज जो नई टेक्निक बढ़ गई है अपराध करने की वह उनकें समझ में नहीं आएगी। इसलिए वहां पर बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग उन डिपार्टमेंट में सजाने चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि पुलिस का बहुत बड़ा समय अदालतों के सम्मन तामील करने में, उनके आदेशों की पालना करने में ही लग जाता है। हाई कोर्ट के नीचे, दूसरे न्यायालयों के नीचे इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके द्वारा किए जाने वाला काम जो आज पुलिस को दिया जा रहा है वह हाई कोर्ट के नीचे डिपार्टमेंट अलग से रहे और उसका यहां के पुलिस डिपार्टमेंट से कोई सम्बन्ध न रहे।

इसी प्रकार से सी. आई. डी. का जो महकमा है जहां लोग समझते हैं कि न्याय मिलेगा, ठीक तरह से जांच हो जाएगी। पक्ष और विपक्ष, दबाव और धौंस का काम नहीं चलेगा जहां पर मुकदमों को देते हैं लेकिन मुकदमों की संख्या के कारण या दूसरे किन्हीं कारणों से आज मुकदमे लम्बे समय तक लम्बित पड़े रहते हैं। उनका परिणाम होता है कि उस अपराधी को ठीक समय पर केस का चालान नहीं होने से दंड नहीं मिल पाता और अपराधों की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार से मेरा इस विषय में यह भी निवेदन है कि सी. आई. डी. डिपार्टमेंट को पुलिस डिपार्टमेंट से अलग कर देना चाहिए। जिनकी अलग से क्वालिफिकेशन हो। आज की क्वालिफिकेशन से बढ़कर होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार की चर्चा की जा रही है। भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट एक इस प्रकार का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो आज एक प्रकार से भ्रष्टाचार शिष्टाचार का रूप लेता जा रहा है, इस भ्रष्टाचार के डिपार्टमेंट को पुलिस डिपार्टमेंट से अलग करना चाहिए ताकि यह भ्रष्टाचारियों का जो काम है, जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग काम यह करता है यह वास्तव में भ्रष्टाचार के ऊपर एक डिपार्टमेंट और बनाओ, इसके ऊपर और बनाओ। इस प्रकार की संदिग्धता की जो स्थिति बनती जा रही है इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जो हमारा बना हुआ है इस विभाग को हमको अलग करना चाहिए ताकि व्यवस्था में कुछ सुधार किया जा सके।

(समय : 7·05 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

मेरा सुझाव है कि आज पुलिस की संख्या बहुत कम है। इसको देखते हुए आर. ए. सी. की चार कम्पनियां और होनी चाहिए। ताकि समाज में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए उचित मात्रा में, उचित संख्या में और ठीक समय पर पुलिस वहां पहुंच सके, आर. ए. सी. वहां पहुंच सके। ताकि अपराध को घटित होने से पहले ही रोका जा सके। समाज की सुरक्षा की जा

(श्री मदन लाल सैनी)

सके । सब जगह देखा गया है कि सी. आर. पी. एफ. के हैड क्वार्टर राजधानी में होते हैं। हमारे यहां राजधानी में उसका हैड क्वार्टर नहीं होने के कारण से कई प्रकार की असुविधाएं खड़ी हो रही हैं । सुरक्षा में भी व्यवधान पड़ता है, विलम्ब भी होता है और भी कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं वह इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं । मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार को इस बात के लिए लिखे कि यहां सी. आर. पी. एफ. का हैड क्वार्टर राजस्थान में जयपुर में होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो राजनीतिक और मजदूर आन्दोलन इस देश और प्रदेश में चले हैं वह किसी अपराध की संज्ञा में नहीं आते । इस प्रकार के लगभग 20-30 वर्ष पहले मजदूरों पर कई मुकदमे बनाए गए । उन मुकदमों का औचित्य भी नहीं है । कई मुकदमों में तो चार-पांच मजदूरों में से एक मजदूर रह गया है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

नौकरी छोड़कर चले गए हैं । कई भगवान के प्यारे हो गए हैं। इस प्रकार के सारे मुकदमे जो अपराधिक मुकदमें नहीं हैं वह सारे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा पुलिस के अधिकारियों से और पुलिस से भी कि यह पुलिस का काम अपना उत्तरदायित्व समझने का काम भी है । सारी केवल पुलिस की गलतियां जो बताई गई - वह गलतियां नहीं हैं ऐसी बात नहीं है । आज पुलिस में मैंने सुना कि सबसे अच्छा वह अफसर माना जाता है जो सबसे अधिक गाली दे सकता है, सबसे अधिक बेरहम हो सकता है जो अपने सामने तड़पती हुई लाश को देखकर उसके मन में कोई ममत्व नहीं उमड़ता, इस प्रकार के व्यक्ति को पुलिस में सबसे अच्छा आफिसर माना जाता है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति जो पुलिस अधिकारियों की बन रही है, समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा गिर रही है उसका कारण वह स्वयं है । उनका इस प्रकार का काम है । जनता के नीचे के गरीब तबके के साथ जो उनका व्यवहार है इस प्रकार के व्यवहार को बदलने की जुर्रत न सरकार कर सकती है न और कर सकते हैं । यह पुलिस के अधिकारी और सम्बन्धित व्यक्ति अपने आपको भी देखने की कोशिश करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जनता का मन जीतना चाहिये । अभी शोभा काण्ड की चर्चा हो रही थी । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शोभा काण्ड, जिस प्रकार का व्यवहार पिछली सरकार में हुआ, पिछली सरकार के दबाव के कारण से जो राजस्थान में एक चर्चित विषय रहा उस विषय को किस प्रकार से दबाया गया । उस पर एफ. आर. लगाई गई और एफ. आर. लगने के बाद न्यायालय ने उस एफ. आर. को गलत माना और आज मुकदमा चल रहा है । प्रसन्नता की बात तो यह है कि आज के जो मुख्यमंत्री हैं वह उस समय विपक्ष के नेता थे । उस समय इस विषय

(श्री मदनलाल सैनी)

को बड़ा उठाया था । आज मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहां जो सम्बन्धित अधिकारी थे बी. एल. जोशी उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए । इस प्रकार की जो पुलिस के अधिकारी असावधानी बरतते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए । जो सम्बन्धित लोग थे उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए । इस प्रकार की जो स्थिति है यह मैं आपके माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पुलिस का सम्मान इस कारण से ही गिर रहा है कि आज पुलिस के अधिकारी आम जनता की तरह, कच्ची बस्ती के लोगों की तरह जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं । उन पर मकान बन रहे हैं । जयपुर में भी इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल जायेंगे आप लोगों को कई स्थानों पर इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे । पुलिस के भय के कारण से, डर के कारण से कोई उनका विरोध नहीं कर सकता । बड़े अधिकारी बैठे हैं इनके सामने जब इस की चर्चा आती है तो उनको रोकना चाहिए इस प्रकार का मेरा निवेदन है । आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पटेल ।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । मैं कह नहीं सकता शहरों के बड़े अफसरों के बारे में इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो कस्बे और गांवों में थाने हैं उनका नैतिक स्तर बहुत नीचे चला गया है । उनमें रिश्वत के अड्डों के अलावा कुछ नहीं रहा है । जितने भी बुरे कर्म हैं वह सारे उन थानों के अन्दर होते हैं । जनता का पुलिस से विश्वास उठ चुका है । सरकार उस विश्वास को बनाने का प्रयास करे । सरकार ने यदि ध्यान नहीं दिया तो पुलिस दिन प्रतिदिन अत्याचार को बढ़ाए जा रही है । इसके बारे में मैं मेरे सपोटरा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । आज सपोटरा क्षेत्र में माहवारी एक डकैती डलती है । उन डकैतियों का मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं । पहले सपोटरा में 21-3-90 को नदेती गांव में डली थी जिसकी सूचना पुलिस को उसी समय दे दी गई थी । दूसरी डकैती 28-4-90 को सिरवानी गांव में डली थी जिसकी सूचना उनको दे दी गई थी । तीसरी डकैती पिछले 5 वें महीने रसीलपुर गांव में डली थी । पुलिस बल करीब हजारों की सैकड़ों की संख्या में उन डकैतों के पीछे घूम रहा है परन्तु तीनों डकैतियों में किसी का कोई अता-पता नहीं लग पाया है । अध्यक्ष महोदय, आज वहां का जो वातावरण है उसके बारे में निवेदन करूंगा । वहां का आम आदमी इतना भतभीत है डकैतों की वजह से उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । आज उस इलाके के पचास हजार मवेशी जो डांग क्षेत्र में जाते थे इन डकैतियों की वजह से आज घर पर बंधे हुये भूखे मर रहे हैं । पुलिस और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है । अध्यक्ष महोदय, इस पुलिस के एक दो उदाहरण और भी आपको मैं बताता हूं 8–10 कि. मी. के एरिया में सिर्फ यह डकैत रहते हैं । ज्यादा लम्बा-चौड़ा एरिया नहीं है उसमें करीब सैकड़ों आर. ए. सी. के जवान और पुलिस रोज गश्त लगाते हैं । जिधर डकैत जाते हैं उधर यह पुलिस उनकी बगल काट कर आगे बढ़ जाती है । अध्यक्ष

(श्री प्रभुलाल पटेल)

महोदय, ऐसी पुलिस के रहने का नैतिक अधिकार नहीं है । जो जनता के लिए सुरक्षा नहीं दे सके उस सरकार को भी रहने का अधिकार नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके के लिए कोई विकास की जरूरत नहीं है, उस इलाके के लिए कोई औषधालय की जरूरत नहीं है, उस इलाके के लिए आप सुरक्षा प्रदान कीजिए आज वहाँ की पब्लिक इतने असन्तोष में डूबी हुई है वह मन में सोचती है हमारा कोई रखवाला नहीं है । हमारा एक सिर्फ ईश्वर ही है । अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में सरकार का ध्यान दिलायेंगे । सपोटरा क्षेत्र की जनता को भयमुक्त कर दिया जाये ।

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप जांच करवा लीजिए किसी भी मंत्री महोदय ने नोट नहीं किया है....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये ।

श्री मोतीलाल मीणा : जिला सवाई माधोपुर जिले में सपोटरा और करोली क्षेत्र में डकैत डकैती डाल रहे हैं और इन्होंने बहुत बोला है । न तो सम्पतराम जी ने नोट किया और न ही श्री भंवरलाल जी ने ।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा । आप बैठिये तो सही । सपोटरा की यह समस्या वाकई में विचारणीय है और इस पर सरकार ध्यान दे ।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि किसी ने नोट नहीं किया । मैं यह भली भांति जानता हूं डाकू की समस्या कहां-कहां है और उसको हल कैसे किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भरोसी लाल ।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन इसमें और करना चाहता हूं इस समस्या का हल करने के लिए जो पहले सरकार यहाँ बैठी थी उसने भी काफी प्रयास किये हैं और इस सरकार ने भी काफी प्रयास किये हैं लेकिन जनता के लिए कोई राहत नहीं मिल पाई है ।

श्री अध्यक्ष : अब राहत मिलेगी आपको ।

श्री सम्पत राम : पहली सरकार ने अध्यक्ष महोदय, किया कि नहीं किया यह तो मैं नहीं कह सकता कितना किया कितना नहीं किया लेकिन तत्कालीन श्री भैरोंसिंह जी की सरकार इसको हल करना चाहती थी और मैं ही उस समय में गृह मंत्री था । मेरा समय आया था कार्यवाही करने का वह सरकार फेल हो गयी नहीं तो मैं धौलपुर, करोली का सारा इलाज कर देता ।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज मेरे इलाके में 50 हजार मवेशी जो डांग में चरने जाती थी वह घर बन्द हुई भूखी मर रही है । डकैतों के आतंक की वजह से यदि आप इसमें कोई शीघ्र निर्णय लें तो कोई मवेशी वहां जा सकती हैं वरना किसी की हिम्मत नहीं जो अपने मवेशी को लेकर डांग में चरने के लिए ले जा सके । मंत्री महोदय, पहले डकैतियां तीन-तीन, चार-चार महीने के

(श्री प्रभुलाल पटेल)

अन्तर से डलती थी परन्तु जब से आप पधारे हैं तब से प्रति माह डकैती डलती है उसका रिकार्ड आपके सामने है और अभी डकैती इस छठे महीने की दो चार दिन में....

श्री अध्यक्ष : श्री भरोसी लाल जी आपसे पहले श्री मोहम्मद माहिर आजाद बोलना चाहते हैं।

श्री भरोसी लाल जाटव (हिण्डोन) : मैं दो मिनट ही बोलूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस की छवि बहुत अच्छी नहीं है इसके बारे में, पुलिस थानों में एफ. आई. आर. के लिए गरीबों से पैसे लिये जाते हैं, कागजों के दो-दो दस्ते, पैंसिल इत्यादि लिये जाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। हमारे सवाई माधोपुर जिले में करौली कोटडी एरिया है जिसमें डाकुओं का बहुत आतंक है जिसमें मजदूर लोगों को डकैत काम नहीं करने देते हैं तथा ट्रकों के पम्प खोल लिये जाते हैं। जब हम पुलिस को सूचना देते हैं कि डकैत उधर जा रहे हैं तो पुलिस इधर जाती है ऐसा देखने में आया है। जब हम कभी भी एस. पी. या एडीशनल एस. पी. को सूचना देते हैं तो पुलिस क्या करती है कि गरीब लोगों को ही पकड़ती है उन डकैतों को नहीं पकड़ पाती है तथा ट्रकों के जो पम्प खोले जाते हैं उनसे उन्हीं के लोग जो एजेण्ट होते हैं वह रुपया लेकर उन पम्पों को वापस दे देते हैं तथा हिण्डोन के ढिढोंरा गांव में 80 हजार रुपये की पिछले माह डकैती हुई थी जिसमें पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। हिण्डोन में कोटडी जो गांव है वहां पर 10–15 हजार मजदूर काम करते हैं। वहाँ पर एक खरेटा गांव ऐसा है यदि वहाँ पर पुलिस की चौकी और आर. ए. सी. की फोर्स लग जाये तो वहां पर डकैतों का आतंक कम हो सकता है।

दूसरा प्रत्येक पुलिस थाने पर जीप की व्यवस्था होनी चाहिये। तीसरा, खनिज मजदूरों को डकैतों के मार देने पर उचित मुआवजा या आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। प्रत्येक थाने में टेलीफोन की जो अव्यवस्था है वहां टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए धोलपुर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर में बन्दूकों के लाइसेंस दिए जाने चाहिये जिससे उन लोगों का आतंक कम हो सके। मैं इतना कहना चाहूंगा।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील खण्डार के सम्बन्ध में पुलिस विभाग की डिबेट पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सन् 1985 से कांग्रेस के शासन काल में वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री केशवदेव शर्मा द्वारा रामस्वरूप डकैत को लाकर तहसील खण्डार में छोड़ा गया और रामस्वरूप डकैत ने कम से कम 18 डकैती तहसील खण्डार में डालीं जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में मैंने कई दफा पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी कि आज रामस्वरूप डाकू केशवदेव के मकान में बैठा हुआ है और उस केशवदेव ने उस रामस्वरूप डाकू को नोटों की माला पहनाई। आज भी वह डकैत खण्डार में मौजूद है। उस डकैत ने कई ऐसी-ऐसी डकैतियां डाली हैं जिनके बारे में ग्राम तालेड़ा की मैं बात कहना चाहता हूं एक कुम्हार परिवार के घर

(श्री चुन्नीलाल)

में जाकर के सात औरतों को रात को उनका जेवर उतारा, उनकी इज्जत लूटी। उस डकैत के साथ वर्तमान प्रधान केशवदेव के परिवार का आदमी भी शरीक था। इस मामले की जानकारी देने के बाद में एक दफा कलेक्टर साहब, एस. पी. साहब खण्डार के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी ली कि गांव के लोग कहां चले गए, आज यह सारे गांव सूने क्यों पड़े हुए हैं? तो लोगों ने कहा कि यहां रामस्वरूप डकैत का आतंक है और आतंक के भय से सब लोग घर छोड़कर निकल गए हैं। उन्होंने पूछा कि इसका कौन व्यक्ति दोषी हो सकता है, जिसने उनको लिफ्ट और शरण दे रखी है तो सब लोगों ने खुले दिमाग से बताया कि इसमें केशवदेव शर्मा का हाथ है और उसी के द्वारा इस व्यक्ति को शरण दी जाती रही है। अध्यक्ष महोदय, गांव आखोदा के अन्दर दिन-दहाड़े 45 औरतों का जेवर उतारा गया और पुलिस ने आज तक एक भी डकैती को बरामद नहीं किया। आप यकीन करो कि एक किशन गूर्जर उसकी एक लड़की और बहन। रामस्वरूप डाकू तो उसकी बहन को ले गया और जो उसके सहयोगी थे वह उसकी लड़की को उठाकर ले गए। आज भी उसकी लड़की और बहन को पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। उसकी पचासों रिपोर्टें कीं और पुलिस को समय-समय पर जानकारी देते रहे। भगवान चतुर्भुज जी के मन्दिर की मूर्ति जिसमें खण्डार तहसील की सारी जनता आस्था रखती है उसकी चोरी हुई लेकिन आज तक उस मूर्ति को भी बरामद करने में पुलिस नाकामयाब रही है।

दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में चौथ माता का मेला लगता है, जनवरी के महीने में। चौथ माता के दर्शनों के लिए लाखों लोग आते हैं। लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन ने एक वैश्याओं का मेला अलग से लगवाया। वैश्याओं के मेले के कारण लाखों लोग जो दर्शनों के लिए आये थे उनका शर्म के मारे सिर झुक गया। इस प्रकार के कृत्य करने की छूट दे दी गई जिससे किसी प्रकार का कानून व्यवस्था पर नियन्त्रण नहीं रहा। तत्कालीन प्रशासक के. के. शर्मा और नरेन्द्र जौहरी, इन दोनों ने केशवदेव प्रधान से सांठ-गांठ करके तहसील खण्डार के अन्दर कई डकैतियां डलवाई। अध्यक्ष महोदय, सोहनकच गांव में एक गप्पू नाम का महाजन है। उस गप्पू महाजन को डकैत उठाकर ले गए। उठा ले जाने के बाद उस व्यक्ति से ढाई लाख रुपये वसूल किये। 14–15 दिन के अन्दर उस गप्पू महाजन को वापस लौटाया और वर्तमान प्रधान केशवदेव शर्मा के द्वारा ही वह पैसे पहुंचाए गए। लेकिन इतनी जानकारी देने के बावजूद भी सरकार उसका कुछ नहीं कर सकी और आज भी वह रामस्वरूप डकैत खण्डार में मौजूद है। खण्डार के लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। इसके अलावा कई चोरी डकैती हुई हैं। इसी तरह से खांनिया थाने में कई हत्यायें हो चुकी हैं लेकिन एक भी हत्यारे को पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही। सवाईमाधोपुर के थाने में जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, तीन-चार इस तरह की हत्यायें हुई, डकैती पड़ी, गाँव आलनपुर में। जिसमें एक माली के परिवार को उसी समय डकैतों ने मारा और बावरिया जाति के जो लोग थे उनको अलग तंग किया।

(~~श्री चुन्नीलाल~~)

अभी तीन-चार दिन पहले की घटना है, तहसील सवाईमाधोपुर में ग्राम सवाईगंज में एक मोग्या जाति का व्यक्ति जो अपनी छोटी-सी जमीन में काश्त करता था उस मोग्या जाति के व्यक्ति को बैरवा समाज के कम से कम 150 व्यक्तियों ने घेर रखा था। वह बार-बार पुलिस से यह मांग करता रहा कि मेरी छपरी पर आकर सौ-सौ, डेढ़-सौ आदमी आकर हमला करते हैं और यह मेरे को जान से मारने पर उतारू हो रहे हैं। पुलिस को मैंने भी इस सम्बन्ध में, जब मोग्या मेरे से दो-तीन दफा मिला, मैंने उसको कहा कि थानेदार से मैं कह दूंगा। मेरे कहने के बावजूद भी उस अर्जुन मोग्या की कम से कम डेढ़-सौ आदमियों ने मिलकर के अभी पांच-छः दिन पहले दिन-दहाड़े उसकी हत्या की और हत्या करके उसको उठाकर स्कूल के प्रांगण में पटक दिया। यह कह दिया कि यह चोरी करने की गरज से आया था। इस वजह से हमने इसको पकड़ कर मार दिया। पुलिस ने आज तक उन हत्या करने वालों को कोई सख्त सजा नहीं दी है। सवाईमाधोपुर में हत्या के कई मामलों को एक्सीडेन्ट में बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस को हमने सुरक्षा के लिए लगा रखा है। ऐसी जानकारी देने के बावजूद भी अगर पुलिस किसी गरीब की सुरक्षा नहीं कर सके, हम उनके सुख और सुविधा की मांग तो करते हैं, लेकिन हमारे यहां रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तहसील खण्डार में इस तरह का जो डकैतों का आतंक चल रहा है और जिस तरह से राजनेताओं ने डकैतों को लिफ्ट दे रखी है उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिये और वहां की पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाशचन्द बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : आदरणीय अध्यक्षजी, राजस्थान की पुलिस का स्तर और दूसरी स्टेट्स के मुकाबले मेरी निगाह में ठीक है। वैसे जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे थे कि भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर साइड में जो कि यू. पी. के बोर्डर से लगा हुआ है। यू. पी. की पुलिस का स्तर गिरा हुआ है इसलिए वहां ज्यादा अपराधी हैं क्योंकि वहां की पुलिस निष्क्रिय है। हमारे लोगों के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, मैं इस बात को सही नहीं मानता। श्रीमानजी, पुलिस का स्तर ठीक करने के लिए पुलिस के निचले दर्जे के जो कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार पुलिस में ऊपर से नहीं नीचे से बढ़ रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि पुलिस में सर्विस करने वाले नीचे के जो कर्मचारी हैं उन लोगों की तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं। जैसे हमारे फोर्थक्लास के व्यक्ति को सरकारी ऑफिसों में जो तनख्वाह मिलती है उसके समान उनको मिलती है। 24 घण्टा काम करने वाले, 24 घण्टे देश की सेवा में लगे रहने वाले इन पुलिस सिपाहियों को तनख्वाह कम मिलती है इसलिए यह इसकी ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पुलिस के नीचे के स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाय। उनकी तनख्वाह एल. डी. सी. के ग्रेड के बराबर तो होनी ही चाहिए।

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

दूसरी बात, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस का स्तर ठीक है, पुलिस का स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। कोई भी आदमी थाने में जब रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, एस. सी., एस. टी. के जो गरीब लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट थानों में लिखी नहीं जाती, थानों में दर्ज नहीं की जाती। ऐसे भी कई प्रकरण आये हैं, कई लोगों ने मेरे को आकर बताया कि हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं स्वयं एस. पी. साहब से मिला और उन्होंने आदेश दिया तब कहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई। दिनों दिन इस प्रकार की घटनायें गरीबों के साथ हो रही हैं इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जब दिनों-दिन अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हो, दिनों-दिन नये तरीके से अपराधों की प्रवृत्तियां बढ़ रही हों तो पुलिस को भी आधुनिक वाहनों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया था कि जो अपराधी लोग हैं वह सारे के सारे अच्छी जिप्सियों में ए. के. 47 राइफल लिये हुए आते हैं और दन्नाटे से निकल जाते हैं, कोई भी अपराधी हो, आतंकवादी हो, डकैत हो, सब भाग जाते हैं और हमारी पुलिस देखती की देखती रह जाती है। इस सम्बन्ध में भी जो थाने मेन रोड पर हों, नेशनल हाईवे के ऊपर हों, कम से कम उन थानों को तो आधुनिक वाहनों से और साधनों से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

हरिजनों पर जो अत्याचार बढ़ने की बात कही गई, यह सही है कि बी. जे. पी. और जनता दल की सरकार आने के बाद राजस्थान में हरिजनों पर अत्याचार बढ़े हैं। इसी प्रकार जब 77 से 80 तक इनकी सरकार थी तब भी हरिजनों पर बहुत जुल्म हुये थे। इसलिये मेरा निवेदन है कि....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके समय में कितने हुए ?

श्री हीरासिंह चौहान : सीमा ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : हो रहे थे लेकिन आपके आने के बाद बहुत बढ़े हैं। हमारी सरकार के जमाने में किसी हरिजन की किसी थाने में कोई हत्या नहीं हुई। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद पुलिस वालों ने थानों के अन्दर हरिजनों और जगह-जगह लोगों की...(व्यवधान)...हत्यायें की हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : यह आप सबको मालूम है। मण्डावरी में दस हरिजनों को मार दिया, आपके ब्रह्मपुरी थाने में अभी उजलाजी बता रही थी कि एस. टी. के बालक को मार दिया, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां एक हरिजन को मार दिया। इस प्रकार की घटनायें सिर्फ तीन-चार महीने में बढ़ी हैं जो बड़ा सोचनीय विषय है। इस ओर भी आप तत्परता से कार्यवाही करें और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कार्यवाही करावें।

208

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

(समय-समाप्ति–सूचक–घण्टी)

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हरिजन अत्याचार निवारण कानून में संशोधन किया जावे या इसे समाप्त किया जावे । यह मैं सही नहीं मानता कि यह कानून वापस लिया जाय । देश की आजादी के 43 साल के बाद हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं आई है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैं । इस बात को मद्दे नजर रखते हुए कांग्रेस सरकार ने 1989 में हरिजनों पर अत्याचार नहीं हों इसके लिए कानून बनाया । इसके तहत अब जब मुकदमें दर्ज हुए हैं तो अपराधों की प्रवृत्तियों में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई है । यह नियम लागू होने के बाद दूसरे जो सवर्ण कास्ट के लोग ज्यादा अपराध करते थे वह कुछ डरने लगे हैं । इसलिये इस नियम में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाना चाहिये न कोई कटौती की जानी चाहिये ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता था । पुलिस के अन्दर चाहे आई. पी. एस. की नौकरी हो चाहे थानेदार की हो चाहे छोटे लेवल की हो, इन सर्विसेज में जो एस. सी./एस.टी. के लोगों का कोटा है वह पूरा नहीं हुआ है । मुश्किल से दो–चार पांच पर्सेन्ट कोटा पूरा होगा । न हमारे थानेदार हैं, जो थानेदार हैं उनको किसी भी प्रकार से दूसरी जगह लगा दिया जाता है और उनके ऊपर किसी प्रकार का लीगल–अनलीगल आरोप लगाकर उनको हटा दिया जाता है । एस. सी. और एस. टी. के लोगों का जो वास्तविक कोटा बनता है उसके हिसाब से भर्ती की जानी चाहिये ताकि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले ।

(समय-समाप्ति–सूचक–घण्टी)

एक बात मैं कहना भूल गया था । ट्रैफिक पुलिस में लड़कियों को लिया जा रहा है और इन लड़कियों को लिये जाने से शहर में मेरे ख्याल से एक्सीडेन्ट बढ़े हैं.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय सदस्य, लड़कियों के ट्रैफिक पुलिस में आने से यातायात की व्यवस्था सुधरी है ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मेरी मान्यता यह है कि पुलिस में लड़कियों की भर्ती होनी चाहिये लेकिन ट्रैफिक पुलिस में नहीं होनी चाहिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मान्यता नहीं इनका अनुभव है ।

श्री मदनलाल सैनी : इनकी नजर ठीक नहीं है इस कारण से एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मेरी मान्यता यह है....

श्री जगतसिंह दायमा : इनकी मान्यता यह है कि इनका एक्सीडेन्ट दो बार हुआ है वह शायद इसी वजह से हुआ है ।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मेरी मान्यता

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

है कि इन लड़कियों को ट्रैफिक पुलिस में रखने से लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनका ध्यान इधर-उधर डाइवर्स हो जाता है इसलिये पुलिस में तो भर्ती की जानी चाहिये लेकिन ट्रैफिक पुलिस में नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान रखिये। विराजिये। श्री गम्भीरलाल मीणा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : एक रह गया साहब। मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी में एक माधोराजपुरा है जहां पुलिस चौकी है। काफी दिनों पूर्व वहां सर्वे किया जा चुका है। वहां थाने के प्रपोजल्स भेज चुके हैं। मेरा निवेदन है सदन से कि माधोराजपुरा में एक थाना निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिये। दूसरा जो फागी तहसील में जो दांधीच पंचायत पड़ती है वह तीन तहसीलों की सीमा पार है निवाई, चाकसू एवं फागी। वहां चालीस-चालीस मील के ऊपर थाने हैं। मेरा निवेदन है कि दांधीच पंचायत के अन्दर एक पुलिस चौकी कायम की जानी चाहिये। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरी दांधीच पंचायत में पुलिस चौकी की व्यवस्था की जावे और माधोराजपुरा में थाना स्थापित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पुलिस विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पुलिस के काम काज के सम्बन्ध में कुछ सुझाव कुछ पेचीदगियां और स्थिति को आपके माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह आम आदमी के जान और माल की हिफाजत करे। उसके जान माल की हिफाजत करने के लिये सरकार के पास पुलिस विभाग एक माध्यम के रूप में काम करता है लेकिन अनेकों बार ऐसा देखा जाता है कि जैसा कई माननीय सदस्य यहां कह रहे थे कि रक्षक-भक्षक का रूप धारण कर लेते हैं और स्थिति में सुधार होने के बजाये और ज्यादा पचीदगियां पैदा हो जाती हैं। पिछले शासन काल में तो स्थिति इतनी खराब थी कि एक बार जहां एक जगह पुलिस के कार्यकलापों की चर्चा हो रही थी वहां मैं पहुंचा तो वहां एक किस्सा उस जगह उन्होंने मुझे सुनाया। मैं वह किस्सा भी सुनाना चाहूंगा। कहावत और किस्सा ही है लेकिन उससे यह बात झलकती है कि पुलिस की एफीशियेन्सी और पुलिस के काम के बारे में आम जनता की क्या भावनायें हैं। वह इस प्रकार है कि एक बार कई राष्ट्रों के उच्च पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। उसमें अमरीका के पुलिस अधिकारी कहने लगे कि हमने अपने पुलिस प्रशासन में इतना सुधार किया है कि अगर हमारे यहां कोई अपराध घटित होता है, कोई घटना होती है तो 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर हम अपराधी का पता लगा लेते हैं। इंगलैंड के पुलिस अधिकारी कहने लगे कि हमने भी इस तरह के आटोमैटिक कैमरे फिक्स कर दिये हैं कि हमारे यहां कोई भी हत्या, आगजनी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

या लूटपाट होती है तो हम 8 घण्टे के अन्दर–अन्दर अपराधी की खोजबीन कर लेते हैं। भारत के और शायद राजस्थान के ही पुलिस उच्च अधिकारी प्रतिनिधित्व करने उस बैठक में गये। उन्होंने कहा कि आप सब हमसे पीछे हैं। अमरीका वाले 24 घण्टे में अपराधी का पता लगाते हैं, इग्लैंड वाले आठ घण्टे में आटोमैटिक कैमरों से मुल्जिमों को पकड़ते हैं, हमारी पुलिस को तो 24 घण्टे पहले पता चल जाता है कि कल कहां बलात्कार होगा कल कहां चोरी होगी, कल कहां डाका पड़ेगा क्योंकि सारी यह योजनायें अब हमारे थानों और कार्यालयों में बनाई जाती हैं। यह धारणा आम जनता में उनकी रक्षा के लिये रखे गये लोगों के बारे में बन जाये। मुझे एक शायर का एक शेर याद आ रहा है। उसने सही कहा था कि—

बरबादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था।

अब हाले गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा है ।।

मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि पुलिस में शतप्रतिशत लोग भ्रष्टाचार और इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं लेकिन एक आध आटे में नमक जितने अच्छे लोग भी हैं। लेकिन उनकी कोई वैल्यू और कदर नहीं है उनको न थानों पर रखा जाता है न जिम्मेदारी की पोस्ट पर रखा जाता है। अब सत्ता परिवर्तित हुई है। लोगों के मन में नई सरकार से काफी आशायें और अपेक्षायें पैदा हुई हैं। मैं समझता हूं कि 40 साल के बिगड़े हुए ढांचे को सुधार में समय तो अवश्य लगेगा लेकिन इसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो-तीन उदाहरण बताना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कस्बा है खण्डेला। खण्डेला के सरपंच साहब ने, उनका बिजली का कनेक्शन कटे हुए करीब पांच साल हो गये, उन्होंने तार में अड़ंगा डालकर अपने कुएं पर मोटर का कनेक्शन जबरदस्ती ले रखा है। इतने साल से बिजली काम में ले रहे हैं। मैंने इलैक्ट्रिसिटी विभाग के सतर्कता अधिकारियों को सूचना दी। एन्टीकरप्शन विभाग के लोगों को कहा, वहां जाकर के उन लोगों ने छापा मारा। उन्होंने इस बात को सही पाया। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने केस भी बनाया। उसकी मोटर और पाइप भी बरामद किया लेकिन 4 महीने गुजर जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और जिस आदमी ने जो राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहा था, जो बिजली की चोरी कर रहा था, उसके हौंसले बढ़े हुए हैं। अब मुझे जानकारी मिली है कि उसने वापस एक नई मोटर लगाई और फिर कनेक्शन इसी तरीके से ले लिया है।

एक दूसरा उदाहरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको देना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव समर्थपुर के सरपंच विद्याधर ने पिछली 13 जून को एक महिला के साथ बलात्कार किया। गांव के लोगों ने उन दोनों को कमरे में बन्द कर दिया। गांव के लोग इकट्ठे होकर थाने में आये, थानेदार मौके पर पहुंचा। गांव वालों ने उस मुलजिम को और उस औरत को सम्भला दिया। उसके बयान, गवाहों के बयान मौका-ए-स्थल पर ही हो गये। उसके

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

बाद थाना ग्रधिकारी पुनः उस गांव में पहुंचते हैं उस ग्रौरत को पकड़ कर लाते है ग्रौर उससे कहते है कि तुम्हारे बयान बदलो ग्रौर उसके बयान बदलवाकर उस केस को कमजोर करने का काम किया जाता है। जिस ग्रादमी को ग्रपराधी को सजा देनी चाहिये, उसे वह सजा देने की बजाय उसके बचाव का रास्ता ढूंढ़ते हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं ग्राता कि हम कैसे प्रशासन में सुधार ग्रौर लोगों को सुरक्षा पहुंचा पायेंगे। मैं ग्रापको याद दिलाना चाहता हूं कि 21 ग्रक्टूबर, 1989 को हमारे सदन के एक माननीय सदस्य के घर पर चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट ग्रलवर कोतवाली थाने में लिखा दी गई। मुलजिमों ने थाने में ही इकबाल-ए-जुर्म कर लिया कि हां मैं इस चोरी में शामिल हूं। उस विधायक ने दो जोडी जूती ग्रधिकारियों के यहां पर चक्कर लगाते-लगाते तोड़ दी लेकिन उसके बाद भी ग्राज तक उसका सामान बरामद नहीं हुग्रा। यह स्थिति तो एक विधायक की है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, टाडा एक्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों जयपुर में टाडा एक्ट के ग्रन्दर काफी निर्दोष ग्रौर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि ग्रादमी जो भी ग्रपराध करें वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो, ग्रगर उसने ग्रपराध किया है तो निश्चित रूप से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनको जोर ग्रौर जबरदस्ती के सहारे झूठे ग्रारोपों में ग्रौर मुकदमो में नहीं फंसाया जाना चाहिये। जयपुर में पिछले दिनों एक कांग्रेस के प्रान्तीय प्रकोष्ठ के संयोजक ने एक तात्कालिक पुलिस ग्रफसर के साथ मिलीभगत करके उस ग्रधिकारी को गरीब लोगों के नाम बता देता था, गरीब को पुलिस जाकर उनको पकड़ लाती थी ग्रौर कांग्रेस का प्रान्तीय प्रकोष्ठ का संयोजक बाद में उस ग्रादमी को साथ लेकर पुलिस ग्रफसर के घर शाम को जाता था। ग्रौर लाखों रुपया इस तरीके से जयपुर में बेकसूर लोगों जयपुर के शरीफ लोगों से इन दोनों की मिलीभगत से घूस के रूप में ऐंठा गया है। पुलिस के ग्रधिकारियों ने भी इसमें कुछ हजार तक की बात को स्वीकार किया है। इस सारे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिये ग्रौर जो भी इसमें दोषी हैं उनको दण्ड मिलना चाहिये।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक मिनट ग्रौर चाहूंगा कन्क्लयूड करने के लिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप तीन मिनट ज्यादा ले चुके हैं।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : सिर्फ एक मिनट। जहां तक इसका सवाल है, वहीं एक बात यह भी है कि पुलिस के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाग्रों की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिये। मुझे राजस्थान के पुलिस कर्मचारी संघ की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें इन्होंने मांग की है कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी से उसके मासिक वेतन में से 35 रुपये काट लिये जावें ग्रौर उनको फ्री बस में यात्रा पास दे दिया जावे। इससे परिवहन निगम को भी 5 लाख रुपया प्रतिमाह की ग्रामदनी होगी ग्रौर पुलिस के कर्मचारी, जिनको ग्रपने निजी ग्रौर सरकारी काम से

(श्री मोहम्मदमाहिर आजाद)

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, वह या तो वर्दी का इस्तेमाल करके ट्रक रोकने का काम करते हैं या प्राइवेट वाहनों को रोक कर लिफ्ट लेने के लिए खड़े रहते हैं। इससे भी इस स्थिति में सुधार आएगा। पुलिस को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अन्तिम रूप में यह और मांग करना चाहूंगा कि व्यापक स्तर पर इन चीजों का अध्ययन करने और इसके लिए सुझाव देने के लिए सदन की एक कमेटी बनाई जानी चाहिये कि कैसे हम पुलिस प्रशासन को सही कर सकें, दुरुस्त कर सकें, कैसे इसको जनता की सेवा की माध्यम का केन्द्र बना सकें। जैसा पुलिस के एक भूतपूर्व अधिकारी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पुलिस थानों को सेवा का मन्दिर बनाया जावे। यह सपना साकार करने के लिए आप सदन के सदस्यों की एक समिति बनायें। जो इस पर अध्ययन करके और अपने सुझाव सम्बन्धित मंत्री और सरकार को दे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसराम मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की डिमाण्ड पर काफी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। मैं भी कुछ आपकी मार्फत सुझाव देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के ऊपर भी काफी विस्तार से कई आरोप लगे हैं और अत्याचारों के बारे में काफी कहा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सोचना दूसरी तरफ है। खाली हम पुलिस को दोष दें, मैं ऐसा नहीं मानता। काफी समय से मैं इस राजनीतिक जीवन में हूं और मेरा भी काफी अधिकारियों से मिलना होता है लेकिन खाली हम यह कह करके इससे पीछा छुड़ा लें कि साहब पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार हो गया, पुलिस हर काम में नाकाम रही, मैं इस बात को नहीं मानता। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि और राज्यों के प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छी है। मैं भी अपने आपको इस बात में शामिल करता हूं। मैंने हरियाणा की पुलिस को देखा है, मैं खुद गया हूं, महाराष्ट्र में भी देखा है और गुजरात में भी देखा है लेकिन निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस हमेशा इस बात के लिये प्रयास करती है कि कम से कम अत्याचार हो, आतंकवाद आगे न बढ़े। यह पूरा प्रयास पुलिस करती है। लेकिन इसके साथ ही मेरा एक सुझाव है कि कम से कम हम लोग भी इसके अन्दर दोषी हैं। अच्छा काम जब करना चाहती है, हम फाइल को सी. आई. डी. को ट्रांसफर करा देते हैं। अब सी. आई. डी. में ट्रांसफर होने के बाद चाहे 302 का मामला हो, चाहे 307 का मामला हो और चाहे 325 का मामला हो, वह केस वहां पैण्डिंग 6 महिने से पड़े रहते हैं। 6 महीने, 12 महीने, 2 साल.... (व्यवधान) 5–5 साल तक लेकिन जो गवाह मौके पर होते हैं, वह होस्टाइल हो जाते हैं। उस गरीब को कोर्ट के अन्दर न्याय नहीं मिल सकता तो मैं चाहूंगा कि इसमें एक प्रतिबन्ध होना चाहिये कि बहुत ही अच्छा भला केस जिसके साथ स्थानीय पुलिस बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है, उसको उस आधार पर मंगाया जावे। यह नहीं कि

(श्री परसराम मोरदिया)

324 का मुकदमा हुआ, हमने कभी यह कोशिश नहीं की है कि छोटे-छोटे मामलों के अन्दर हमने यह कहा कि लोकल पुलिस कोई थाना अधिकारी उसमें गड़बड़ करना चाहता है तो उसमें दूसरे अधिकारी को इस तफतीश को दे देनी चाहिये लेकिन यह नहीं है कि आज हजारों केस आपके सी. आई. डी. के अन्दर पड़े हैं। गरीब रोते-फिरते हैं। उनको कोई न्याय नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि आप ये जो सी. आई. डी. वाली प्रथा है अब मैं यह नहीं कहता कि आज ही हो रहा है। कांग्रेस सरकार में भी होता था लेकिन इसको खत्म किया जाना चाहिये और रेयर केस के अन्दर उन केसेज को सी. आई. डी. में देना चाहिये।

मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं इन सुझावों में देना चाहूंगा सी. आई. डी. इन्टेलिजेंन्स ब्रांच में जो स्पेशल अलाउन्स मिलता है सिपाही को, थानेदार को, राजस्थान में किसी भी जिले के अन्दर, एस. पी. आफिस के अन्दर, जहां आपकी डी वाई. एस. पी. बनी हुई हैं, यह अलाउन्स उन कर्मचारियों को भी देना चाहिये। दूसरा मेरा यह सुझाव है पुलिस थानों में जो क्वार्टर्स बने हुए हैं परन्तु बैरेक्स नहीं बनी हुई हैं, उनकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। तीसरा मेरा सुझाव है कि रोजाना आतंकवाद बढ़ता जा रहा है इसके लिए स्कवाड बम डिस्पोजल सिर्फ राजस्थान में जयपुर में ही है, जबकि हर जिले में होना चाहिये और उसका जो भी स्टाफ है, उसके अन्दर काम करता है, उनका लाइफ इन्श्योरेन्स होना चाहिये ताकि वे अपने उस काम को कर सके, उस काम को अच्छी तरह कर सके। यदि आपने यह व्यवस्था जयपुर में रखी है लेकिन आज गंगानगर के अन्दर यह व्यवस्था नहीं है। जबकि पंजाब और दिल्ली के अन्दर हर जिले में यह व्यवस्था है और उन कर्मचारियों को जो अपनी जिन्दगी से खेल जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ जाते हैं, उनको आज यहां राजस्थान के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है, उनका लाइफ इन्श्योरेन्स, माननीय अध्यक्ष महोदय, होना चाहिये। उनको अच्छी कोई जीवन बीमा या जो भी कोई व्यवस्था कर सकते हैं इनके जीवन के लिए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। चौथा, मेरा सुझाव है कि आपने यह देखा होगा कि सिपाही परिवार से बाहर दूर रहता है तो उसको फैमिली डिस्टर्बेन्स अलाउन्स मिलना चाहिये, आज वह नहीं है। आज छोटा कर्मचारी जो 24 घण्टे काम करता है, उस सिपाही के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ताकि यह प्रावधान जो सुझाव मैं आपको दे रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय इन पर विचार करेंगे कि सिपाही को डिस्टर्बेन्स अलाउन्स आपको देना चाहिये। पांचवां मेरा सुझाव है कि सिर्फ आपने, बम काण्ड हुआ, पुलिस के माननीय डी. जी. साहब विराजमान हैं, उनके सहयोगी विराजमान हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत बड़ा साहनीय कदम जयपुर के अन्दर उठाया ताकि दूसरे राज्य वालों ने भी आकर के जयपुर में यह पूछा कि आपने आखिर ऐसा कौन-सा काम किया ताकि इतने बड़े हादसे को राजस्थान के अन्दर रोक लिया। आपने बहुत सारी चर्चा पुलिस की भर्ती पर भी सुनी। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मैं पूरे

(श्री परसराम मोरदिया)

राजस्थान से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जयपुर रेंज से जरूर वाकिफ हूं। राजस्थान के अन्दर जयपुर रेंज के अन्दर,....

(समय–समाप्ति–सूचक-घंटी)

डी. आई. जी. साहब को चेयरमैन बनाया गया। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। एक भी लड़का आज राजस्थान में नहीं कह सकता कि मेरे से कोई वसूली हुई हो। मैं यह नहीं कहता, जो अच्छा काम करता है, अच्छी बात को आपको कहना चाहिये। जिस अधिकारी ने जो अच्छा काम किया है उसके लिये आपको कहना चाहिये।

तीसरा मेरा सुझाव यह था, हरिजनों के मामले में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, मंत्रीजी बहुत चिन्तित हैं इस बारे में और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी चिन्तित हैं। मेरे सामने कोई बात हुई, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, यह बात मैं बर्दाश्त नहीं करता कि हरिजनों की बारात घोड़ी पर नहीं चढ़े, चाहे गोलियां चलानी पड़ें। यह मेरे सामने की बात है। मैं यह नहीं कहता चिन्तित नहीं हैं लेकिन इसके लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो कानून बना रखा है उनको और मजबूती से लागू कराने की बात करनी चाहिये ताकि हरिजनों पर होने वाले अत्याचार रुकें।

(समय–समाप्ति–सूचक-घंटी)

आज भरतपुर के अन्दर देख लीजिये, भुसावर के अन्दर एक गांव है आज भी वहां हरिजन आतंकित हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। थाने में भी वह जा आये, सब जगह घूम आये लेकिन आज भी उनके साथ कई तरह की घटनाएं की जा रही हैं। वह सारी घटनाएं आपको, माननीय मंत्रीजी, बहुत गम्भीरता से लेकर हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना चाहिये। यह मेरे सुझाव थे। आपने समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भंडारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अभी कुछ कह रहे थे कि थानों में मौत होते और देखते हमने नहीं सुना। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कुछ पीछे ले जाकर निवेदन करना चाहूंगी। जिस समय सिरोही जिले के सांसद केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में माननीय श्री बूटासिंह जी थे और वह स्वयं अनुसूचित जाति के थे, उनका गृह जिला सिरोही और जालौर जहां पर थानों में एस. सी. के लोगों की निर्मम हत्याएं की गई। हमारे सिरोही जिले के नागिया गांव का 32 वर्षीय जवान, हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति नाथा नट को मोदरा की पुलिस पकड़ कर ले गई और उसको थाने में इतना मारा कि उसकी चमड़ी उधड़ गई। मैंने स्वयं उसके जो घाव बने थे वह देखे। लेकिन नतीजा क्या हुआ ? माननीय श्री बूटासिंहजी के प्रभाव के कारण उन्हीं के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या को इस प्रकार से दबा दिया गया कि उनकी गरीब औरतों से लिखवा लिया कि साहब, जिस समय इसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी इसके पेट में भयानक दर्द था इसलिये इसकी मृत्यु हो

215

(श्रीमती तारा भण्डारी)

गई । मुझे शर्म आती है यह बात कहते हुए, इसी प्रकार कोटालिया गांव का रहने वाला 25 वर्षीय हट्टा-कट्टा हरिजन बंसीलाल को पुलिस पकड़कर ले गई और दूसरे दिन उसकी लाश यह कह कर दे दी गई कि इसने तो जीप से छलांग लगा दी । इन मौतों में माननीय श्री बूटासिंह जी पूर्व केन्द्रीय मंत्री थे उनके प्रभाव से एफ. आर. लगा दी गई । इसका दर्द आज भी सिरोही की जनता बड़ा महसूस करती है, बड़ी पीड़ा का अनुभव करती है ।

और कहना चाहूंगी मैं, हमारे शिवगंज के खनदरा गांव का 25 वर्षीय रेवाड़ी भूभारा और खूवाणा गांव का 30 वर्षीय शंकर भील, दोनों ट्रैक्टर में चढ़ा कर मजूरी ले जाते थे, रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई । मैं कहना चाहूंगी, शंकर भील की हत्या करके निर्वस्त्र करके उसको करीब डेढ़ किलोमीटर दूर ले जाकर डाल दिया गया और उसके बाद वही हमारे माननीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री और मेरे पूर्व विधायक श्री रामलाल के प्रभाव में आकर पुलिस ने उन हत्याओं को आत्महत्या का स्वरूप देकर एफ. आर. लगा दी । मुझे इन बातों का बड़ा दुख है और मैं बार-बार इसके लिये लड़ी भी हूं । आज मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, महोदय, इस प्रकार की जो शर्मनाक घटनाएं हुई हैं उन्हें पुनः खोला जाय ताकि इस प्रकार का काम करने वाले लोगों को दंड मिले । यह भी निवेदन करना चाहती हूं मेरी सरकार से, इस प्रकार जो थानों में यों पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या की जाती है और उस पर लीपापोती की जाती है, कृपया मेरी सरकार इस बात को बड़े मानवीय ढंग से लेते हुए इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा काम करे ।

इसके अलावा हमारे यहां पर कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए । उन साम्प्रदायिक दंगों में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गरीब काश्तकारों की बन्दूकें इत्यादि जमा करवा दी गई । कई बार कहने के बावजूद भी पुलिस उन बन्दूकों को नहीं दे रही । मेरी बात को नोट किया जाय, काश्तकारों के खेतों की जंगली जानवरों से हिफाजत के लिये उन्हें बन्दूकें दिलाने का बन्दोबस्त किया जावे । इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि पिछले दिनों हमारे यहां राम शिला पूजन का भव्य समारोह हुए । 24 अक्टूबर को सिरोही नगर में भी राम शिला पूजन का भव्य समारोह हुआ । बड़ा शान्तिपूर्ण तरीके से जुलूस निकला एवं शिलाओं को हमने विदाई दी । लेकिन 24 अक्टूबर को रात को हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को रात भर पुलिस पकड़ती रही, सुबह थाने में बंद करके उनके विरुद्ध झूठे मुकदमें बनाये गये । उन मुकदमों को आज भी हमारे कार्यकर्ता भुगत रहे हैं । इसी प्रकार लोक सभा चुनावों में माननीय श्री बूटासिंहजी के इशारों पर कई सारे असत्य मुकदमें बनाये गये हैं जिन्हें हमारे कार्यकर्ता भुगत रहे हैं । मैं इस बारे में यही निवेदन करना चाहती हूं कि उन सारे मुकदमों की पुनः जांच की जाय एवं निर्दोष कार्यकर्ताओं को राहत दी जाय । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस भी आम आदमियों की तरह कब्जे करने लग गई है । मैं इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगी, हमारे आबू में अभी एक

216

(श्रीमती तारा भण्डारी)

डीवाई. एस. पी. विराजमान हैं। उन्होंने इसी प्रकार अनग्राथोराइज्ड ढंग से कंस्ट्रक्शन करके अपने मकान इत्यादि खड़े कर लिये हैं। पुलिस जो अपराधों से बचाव करती है....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

स्वयं अगर अपराधों में लिप्त हो गई तो फिर बाढ़ ही खेत को खा रही है उसका भी कुछ इन्तजाम किया जावे।

इसके अलावा मैं अब घंटी बज चुकी है, कुछ भी बातें कहना चाहूंगी, ऐसी पुलिस हमारी संरक्षक है तो उन्हें भी वे ही सुविधाएं दी जानी चाहिये मानवीय दृष्टिकोण रख कर ताकि वह भी अपने आपको ठीक रखते हुए जनता की सुरक्षा कर सकें। हमारे माननीय मिनिस्टरों और सरकारी बंगलों पर गार्ड लगाई जाती है परन्तु उन गार्डों की सुविधाओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। मैं आज मांगों का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहती हूं कि गार्ड हमारी है, हमारी तरह ही इन्सान हैं, उनके लिए गार्ड रूम एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाय। कुछ मेरे जिले की भी बात कहना चाहूंगी। हमारे यहां पुलिस थाना कालन्दरी, माउण्ट आबू एवं मंडार में जीपे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मण्डार बार्डर का गांव है, वहां बड़ी तस्करियां एवं अपराधिक कृत्य होते रहते हैं। इस मामले में पुलिस वाहन विहीन निष्क्रिय सी होकर रह जाती है। अतः कालन्दरी, मण्डार तथा माउण्ट थाने में जीप उपलब्ध कराई जाये और पुलिस थाना बरलूट के आसपास बड़ा लम्बा चौड़ा क्षेत्र है लेकिन टेलीफोन नहीं होने से बड़ी असुविधा होती है, उन्हें टेलीफोन उपलब्ध कराया जाय। कैलाश नगर में अस्थायी चौकी लगी हुई है जिसे स्थायी बनाने हेतु कैलाश नगर एवं कृष्णगंज में भवन उपलब्ध करवाये जायं।

वामनवास तीर्थ में भी एक चौकी की नितान्त आवश्यकता है। वहां देश भर के तीर्थ यात्री आते हैं। उनके साथ कभी भी असभ्यता हो जाती है तो पुलिस की बड़ी कमी महसूस की जाती है। वहां भी एक चौक की स्थापना की जाय। पालड़ी हाईवे पर स्थित है उसके चारों ओर सैंकड़ों गांव लगते हैं। यहां पर हाईवे थाना योजना के अन्तर्गत एक थाना खोला जाय। मोडक गांव सिरोही-उदयपुर के रास्ते में है। यहां उदयपुर और सिरोही से आने-जाने वाले राहगीरों के साथ चोरी और लूट की वारदातें हुई हैं यह बात सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगी कि मोडक में भी एक पुलिस थाना कायम किया जाय ताकि पर्यटकों और आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिले।

अध्यक्ष महोदय, आपने समयाभाव में भी मुझे समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

(8.00 रात्रि)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जो लिस्ट मेरे पास थी वह तो पूरी हो गई लेकिन कुछ नाम और आये हुए हैं। इसलिए मैं जो नाम आये हैं

(श्री अध्यक्ष)

उनको 5-5 मिनट का समय देता हूं। श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित) श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16–पुलिस के बारे में अर्ज है कि पुलिस समाज की जान और माल की रक्षा करने वाला महकमा है। चोरी, डकैती और हर प्रकार की अनियमितताओं को रोकने वाला महकमा है इसको बुराइयों का और नेकियों का भी सामना करना पड़ता है। इस महकमें में कई आदमी अच्छे होते हैं उनको बदनाम किया जाता है और कई बुरे होते हैं वह यश भी ले जाते हैं।

मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि अभी माननीय डूडी साहब ने कहा था कि पुलिस के महकमें में जो सी. आई. डी. में किसी भी ब्रांच में रहें, वह पुलिस में नाकाबिल से नाकाबिल आदमी होते हैं उनको छांटकर सी. आई. डी. में रखा जाता है। हकीकत में जब कि सी. आई. डी. विद्वान्, ईमानदार और सुलझे हुए आदमी रखने की जगह है जहां बिना सिफारिश वाले आदमी या कोई चरित्रहीन या कोई रिश्वत में या शिकायतों में या "डी" में बदनाम हुए कर्मचारियों को इस जगह रखा जाता है और बीस-बीस साल तक ऐसे आदमी बैठे रहते हैं तो वह अपने कर्त्तव्यों को छोड़ कर दूसरे धन्धों में लग जाते हैं जिससे न तो सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में अपना फर्ज अदा कर पाते हैं और न पुलिस का फर्ज, ड्यूटी वह समझ पाते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें लोग जाना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस थाने में कमाई का पैसा मिलता है। जिला पुलिस में डीलिंग करने वाले अफसरों को भी पैसों की कमाई मिलती है। इसमें कमाई नहीं मिलने के कारण से लोग इसमें जाना नहीं चाहते। तो इन लोगों को सुविधाएं उनसे अच्छी और ज्यादा मिलनी चाहिए ताकि वहां जा सकें।

अब मैं दो बिन्दु मेरे क्षेत्र के मुतलिक अर्ज करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय श्री विश्नोई साहब ने कानून का हवाला देते हुए अर्ज किया कि कोई भी आदमी को पुलिस जिस पर शक करे, जुर्म में लिप्त होने की सम्भावना समझे तो पुलिस के एस.एच.ओ. को पावर है कि वह किसी भी वक्त एफ.आई.आर. दर्ज कर सकता है और बेधड़क एफ.आई.आर. दर्ज करके किसी आदमी को हिरासत में ले। इसके अलावा कहीं सन्देह भी होता है तो 24 घंटे बुलाकर, बात करके भी उसको छोड़ दे तो भी कानून की कोई अवहेलना नहीं होती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 30-30 दिन तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करके पुलिस की हिरासत में आदमी को रखा और उस आदमी की हिरासत में मौत हो गई। उस मौत को जब जिला कलक्टर ने मजिस्ट्रेट से 176 में जांच कराई जिसमें मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ है कि पुलिस की घोर ज्यादतियों से यह आदमी खतम हुआ। परन्तु उस मजिस्ट्रेट पर भी दबाव गया कि रिपोर्ट को चेंज करें। लेकिन वह मजिस्ट्रेट

(श्री अमीन खां)

निहायत ईमानदार था, एक सही इन्सान था उसने रिपोर्ट चेंज नहीं की। सी. आई. डी. ब्रांच में वह पौने दो साल से जेर-तजवीज है जिसका निर्णय पुलिस महकमा आज तक नहीं कर सका इसका मतलब है कि दो साल में गवाह बदल जाय या दो दो साल से लोग इसको भूल जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित)।

श्री अमीन खां : दूसरा मेरा एक....

श्री अध्यक्ष : अब आप नहीं बोले आपका टाइम समाप्त हो गया। मैंने पांच मिनट कहा था। बोलिये आप। (श्री जुबेर खान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस पर चर्चा हो रही है उस पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। हम लोगों को गहराई में जाना होगा। जैसा कि काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान पुलिस की अगर दूसरे प्रान्तों से तुलना करें तो काफी अच्छी रही है और बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि धीरे-धीरे इसमें कुछ गिरावट आती जा रही है। हम वाकई चाहते हैं कि पुलिस व्यवस्था हमारे प्रान्त की सुधरे और पुलिस अपने कर्त्तव्य का सही निर्वहन करे तो हमें उन कारणों में जाना होगा जिनकी वजह से आज पुलिस की यह हालत होती जा रही है। आये दिन थानों में हत्याएँ होती जा रही हैं, हरिजनों पर अत्याचार होते जा रहे हैं और धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई दोष नहीं है कि सरकार चाहे कोई भी रही है लेकिन धीरे-धीरे हत्याएं और वारदातें बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए मैं तो कहना चाहूंगा कि हम राजनीतिज्ञ इस बात के दोषी हैं, अगर हम पुलिस पर गलत तरीके से दबाव नहीं डालें सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं वह दबाव नहीं डालें तो पुलिस अपने रास्ते से नहीं भटकेगी और यही कारण है कि हमारे दबाव की वजह से पुलिस भटकती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हरिजनों पर अत्याचार किये गये। माननीय श्री सम्पतराम जी भी अलवर जिले से मौजूद हैं। पिछले महीने के पहले हफ्ते में जो हरिजन लोग सड़क के इर्द-गिर्द बैठकर, जूतियां गांठ कर अपना धन्धा चलाते थे उनके पीछे की जमीन पर सवर्ण जाति के किसी व्यक्ति को जिनको दुकानें बनानी थीं। वह व्यक्ति पी. डब्लू. डी. की जमीन पर बैठे थे और पी. डब्लू. डी. ने सतर्कता विभाग के माध्यम से उनको यह निर्देश दिया था कि जब आपकी सरकार दूसरी जगह अलाट कर दे तो आपको यह जगह खाली करनी होगी। इसके बावजूद भी सवर्ण जाति के लोगों द्वारा उनकी झौंपड़ियों को फैंक दिया गया उनकी दुकानें फैंक दी गई और रात को ट्रेक्टर ट्रालियों से पत्थर और ईंटे डाल दी गई। यह वाकया मौजूद है रिकार्ड से आप करवा सकते हैं। हुआ यह है कि हरिजनों के खिलाफ अत्याचार की धारा के अन्तर्गत उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाना चाहा और पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो उस केस को सी.आई.डी. में ट्रांसफर कराने की कोशिश की नौबत यह हुई कि

(श्री जुबेर खान)

आज तक उस केस में कुछ नहीं हुआ और पुलिस वालों ने, और लोगों ने कोशिश की कि राजीनाश करा दिया जाय हरिजनों को कह दिया जाय कि आपको दूसरी जगह दिला दी जाएगी।

इसी प्रकार से एक वाकया डीग में हुआ। एक मीनाक्षी उर्फ मंजू नाम की लड़की 22 अप्रेल को जिस समय टी.वी. पर महाभारत का प्रसारण हो रहा था, उस समव जुलाई गई और उस आज तक उसके अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो उसकी सास है, जिसके नाम से एफ.आई.आर. दर्ज है। जांच में जो दोषी पाई गई उसने जब शिक्षा सत्र का आखिरी दिन था उस दिन हाजिरी लगा कर गई थी और जब सत्र 2 जुलाई को शुरू हुआ तो शिक्षा निदेशक, भरतपुर के यहां हाजिरी लगा करके चली गई पुलिस की जानकारी में थी लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया।

एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि पिछले टाइम में पुरानी सरकार ने तरह-तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमें दायर कर दिये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भी छात्र राजनीति से जुड़ा रहा है चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन उनके खिलाफ कहीं न कहीं केस चलाए जा रहे हैं केस कुछ नहीं है सिर्फ हियरिंग होती है और 8–10 साल से केस चल रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे केसेज को सरकार को विथड्रा करना चाहिए जो राजनीति के आधार पर लगाये गये हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा, (टोडा भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांगों के विषय पर सदन में विचार किया जा रहा है, हमारी राजस्थान की पुलिस जिसकी लगातार सब तारीफ करते चले आ रहे है। वास्तव में तारीफ करना कोई बुरा नहीं है। लेकिन तारीफ करने से कोई बिगड़ता नहीं है। हम कह रहे हैं कि इस गिरते हुए स्तर के पीछे क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस प्रशासन के बारे में एक जो महत्वपूर्ण कारण है, वे उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि अपराध क्यों बढ़ते हैं? उसका अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वह एक ही है। वह हमारे जो थाने हैं वह आज शराब के अड्डे बनते जा रहे हैं। थानों के अन्दर अधिकांश सिपाही, थाने का इंचार्ज सब मिलकर के शराबबाजी रोजाना करते हैं। माननीय मुख्यमन्त्री जी, भी यहां पर विराजमान हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अपराधों को रोकना है तो थानों के अन्दर जो शराबबाजी रोजाना रात्रि को होती है उसको रोका जाए तो वह अपराध रूक सकते हैं। आदमी बुरा नहीं होता है उसके अन्दर आने वाली बुराइयां बुरी होती हैं। थाने जैसा पवित्र स्थान जहां पर कि लोग दुखी होकर के जाते है। ताकि अपनी रक्षा करवा सकें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि रात्रि को जाते हुए हर आदमी घबराता है कि अगर मैं रात्रि को जाऊंगा तो वहां पर है लोग शराब पीकर के सो रहे होंगे। या कुछ कर रहे होंगे। इसलिए रात्रि को नहीं जायेंगे हम थानों में

(श्री रामस्वरूपनारायण)

सुबह ही जायेंगे । यह हर आदमी की बहुत गलत प्रवृत्ति बनती जा रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी थाने के अन्दर इस प्रकार की प्रवृत्ति की शराबबाजी चल रही है अगर इसको आप रोक सकते हो तो अपराध बहुत संख्या में रूक सकते हैं । इस शराबबाजी के साथी जो दूसरा अवगुण आता है वह है मुर्गेबाजी । शराब पीने के बाद इनको मुर्गा चाहिए । रोजाना थाने के अन्दर मुर्गे कटते हैं । इस प्रकार की कार्यवाहियां थाने के अन्दर बहुत ज्यादा हो इसलिए मेरा आपसे निवेदन हैं कि इस मुर्गेबाजी, शराबबाजी इसको आप थाने के अन्दर से मिटा दीजिए । निश्चित रूप से यह न्याय होगा और है जो बहुत बड़ी बुराइयां थाने के अन्दर आई गई हैं, उनमें बहुत कमी आयेगी । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे थाने के अन्दर जो भर्ती की जानी है वह वास्तव में निष्पक्ष नहीं है । पहले ऐसे नौजवानों को लिया जाता था जो देखने में बड़े हृष्ट-पुष्ट होते थे । जो दूसरों की रक्षा करने में मजबूत होते थे । लेकिन आज थानों के अन्दर हम देखते हैं, ऐसे-ऐसे सिपाही देखने को मिलते है, जिनकी आप हालात देखो तो टी.बी. के मरीज नजर आते हैं । जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों की क्या रक्षा करेगा ? इसलिए ऐसे जो लोगों की भर्ती हो जाती है । कम से कम इसके ऊपर तो चैक लगाया जा सकता है । मैं इस प्रकार की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के पीछे एक ही कारण मानता हूं कि इसके लिए राजनैतिक हस्तक्षेप लगातार पुलिस में बढ़ता चला जा रहा है । अगर इस राजनैतिक हस्तक्षेप को नहीं रोका गया तो अपराध और भी बढ़ेगा । इसलिए मेरा एक निवेदन है कि चाहे सरकार कोई भी रहे । चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई । लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप में कमी नहीं आई है । इसके लिए एक नियम बना दिया जाए कि किसी भी थाने में किसी भी थानेदार को जन-प्रतिनिधि के कहने से नहीं लगाया जाएगा तो वे अपराध कम हो सकते हैं । क्योंकि जन-प्रतिनिधि थानेदार को लगवाता है तो वह उसका अपराधियों को जो कि अपराध करते है उसको वह बचाने की कोशिश करता हैं । हम जानते हैं कि आज का चुनाव किस ढंग से जीते-जाते हैं । बड़े-बड़े अपराधी साथ में रखकर के लोगबाग चुनाव जीतते हैं । बाद में उन्हीं अपराधियों का संरक्षण करते हैं ।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजनीतिक हस्तक्षेप को इस पुलिस विभाग में रोका जाए । ट्रांसफरबाजी की जाती है पुलिस विभाग में उसको राजनीतिक आधार नहीं बनाया जाए । उसके लिए ऐसा नियम कायम कर दिये जाएं, जिनके तहत इतने दिनों में थानेदार की बदली होगी, निम्न अपराध यदि उसके थाने में ज्यादा बढ़ रहे हैं तो थानेदार जल्दी बदला जायेगा, उसे दण्ड मिलेगा । अगर वह अच्छा कार्य करता है तो उसको वहां ज्यादा रखा जायेगा । इस प्रकार के नियम बना दिये जायं । इस प्रकार की विचारधारा बना ली जाए तो यह अपराध रूक सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतरामजी ।

221

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय महोदय आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पांच साल पहले डकैती पड़ी थी और अभी भी एक मुलजिम जिसने पेटियां पटक दी थीं कुएं में वह व्यक्ति फरार है, गोलीकाण्ड हमारे मंडी में सरे-आम हो गया था, उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है। ऐसी बातों के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कोई मुलजिम हो चाहे उसको तुरन्त पकड़ा जाए। पुलिस विभाग द्वारा तुरन्त इस मामले में कार्यवाही की जाए और मेरे सुझावों पर ध्यान दिया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतरामजी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि बहुत से सदस्यों ने सदन में एक राय जाहिर की है कि हमारे थानों में, हमारे प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, वह नीचे से है, मैं इसको गलत मानता हूं। मैं यह समझता हूं वास्तव में अगर हमारे प्रदेश में कहीं भ्रष्टाचार है तो उसकी जड़ें ऊपर हैं ऊपर की वजह से ही पुलिस नीचे के थानों में पुलिस कर्मचारी और जो ड्यूटी पर लोग हैं वह भ्रष्टाचार कर पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी राज्य सरकार अगर अपनी छवि, कांग्रेस की छवि से अलग करना चाहती है, अभी तक तो मुझे बड़ा दुख है कि तीन महीनों में अलग नहीं कर पाये हैं। वहीं थानों हत्यायें, वही पुलिस कस्टडी में सब कुछ जुल्म, उसी तरह से पब्लिक के साथ डीलिंग, पब्लिक की मांगों पर उसी तरह से लाठियां और गोलियां मैं समझता हूं कि अब निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार यह महसूस करती है तो ऊपर से इसको सुधारने की कोशिश करें। ऊपर से सुधारने का मतलब यह है कि जो भी बड़े-बड़े मुकदमे दर्ज हों, किन्हीं भी अधिकारियों के खिलाफ या पुलिस की जांच हो तो उनमें हिम्मत व बहादुरी दिखाई जाए। मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी 1-7-90 को एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक आर. ए. एस के ऑफिसर हैं, रेप का मुकदमा अलवर में। रेप के मुकदमे में चार आर. ए. एस. ऑफिसर शामिल हैं, उन चारों के खिलाफ पुलिस का मामला दर्ज हुआ है। ललिता नाम की एक लड़की है उसने मुकदमा दर्ज करवाया है, उस मामले को पुलिस से सारे अधिकारी इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि उसको हस-अप कर दिया जाय, समाप्त कर दिया जाय।

श्री जुबेर खान : उस अधिकारी का नाम बतलाया जाए।

श्री हेतराम बेनीवाल : उस अधिकारी का नाम है+ + +प्रोजेक्ट ऑफिसर राजस्थान, टोन। इसी तरह से आज से दो-ढाई महीने, पहले मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे है, अजमेर के एस. पी. की धर्मपत्नी राजस्थान से आठ लाख रुपये

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

222

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लेकर के और कानपुर में एक एक्सीडेन्ट हुआ उसमें पकड़ी गई। एक्सीडेन्ट होने की वजह से पता लग गया और उसमें पुलिस का सिपाही, एक पुलिस का गनमैन और एक पुलिस का ड्राइवर दोनों के दोनों घायल हुए। अस्पताल पहुंचे और यू. पी. की पुलिस ने उनसे आठ लाख रुपया बरामद किया। ये आठ लाख रुपये कहां से आए? किस तरह से उस अधिकारी एस. पी. के पास मिले। एस. पी. की पत्नी के पास। इसकी जांच नहीं की गई सिर्फ उसका तबादला कर दिया। इसी तरह से मैं अर्ज करूं कि हमारा जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है उसके डी. आई. जी ने सितम्बर के महीने में फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर छापा मारा। उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सारे रिकार्ड सील कर दिए। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, सिर्फ एक ही कार्यवाही हुई है कि जिस-जिसका उसमें रजिस्ट्रेशन मिला, जिसने उसको बयान दिया, उस सारे डॉक्टरों के घरों पर पहुंचकर वसूली की गई। बांदीकुई के डॉक्टरों से एवं दूसरे जो स्थान जहां-जहां भी डॉक्टरों की लिस्ट मिली, उन डॉक्टरों से वसूली की जा रही है, कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। मैं अर्ज करूं कि निश्चित तौर से अगर ऊंचे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में बैठे है, जिनकी करोड़ों रुपये की जायदाद है। हमारा एक बहुत बड़ा अधिकारी अभी रिटायर हुआ है+++इसने राजस्थान में हमारे विभाग में....।

श्री पनमचन्द विश्नोई : बिना कुछ सोचे समझे किसी व्यक्ति के खिलाफ सदन में चर्चा करना ठीक नहीं है....।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं।

श्री पनमचन्द विश्नोई : इल्जाम नहीं, या तो नोटिस होना चाहिए कि मैं यह विषय उठा रहा हूं ताकि सरकार की तरफ से जवाब हो सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : कोई सरकारी अधिकारी यहां डिफाइन करने के लिए नहीं है, डिफाइन करने के लिए सरकार है। आप उसके खिलाफ बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने एक इन्स्टांस दिया है, जिसमें आठ लाख रुपये बरामद हुए। मैंने यह नाम नहीं लिया है कि उन्होंने क्या किया है? उस आठ लाख रुपये की जांच नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे की, आप मुझे यह बता दीजिए की आठ लाख रुपये बरामद तो हुए हैं क्या, जैसा आपने कहा। मैं वही तो कह रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यू. पी. के पुलिस ने आठ लाख रुपया उस जीप में से लिए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये जो आठ

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

लाख रुपये बरामद हुए हैं, यह बात सही है क्या ?

श्री हेतराम बनीवाल : यह तो यू. पी. की पुलिस कहती है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वही तो कह रहा हूं मैं, यू. पी. की पुलिस क्या कहती है ? वे आपको क्या कह गए मुझे पता नहीं है लेकिन यू. पी. की पुलिस ने पकड़ा क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका सरकार स्पष्टीकरण दे दे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको यह पहले भी कहा था कि आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है । आप रूल्स में देखिए बिना उस प्रक्रिया को फोलो किए यहां वलंटली आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए । इसलिए आपने जो नाम लेकर आरोप लगाये हैं, मैं वे नाम एक्सपंज कर रहा हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : निश्चित तौर से आप चाहे एक्सपंज करें, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम उच्च अधिकारियों को, जिनकी प्रोपर्टी के बारे में निश्चित तौर से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, इस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रोपर्टी की जांच होगी । क्या किसी पुलिस अधिकारी की जो राजस्थान का पुलिस अधिकारी है उसकी प्रोपर्टी की जांच भी हुई ? क्या किसी की बड़ी कोठियां या किसी के बड़े आलीशान मकान और उसकी जायदाद की भी जांच हुई ? मैं बता सकता हूं, मुझे पता है, गंगानगर जिले में एक उच्च अधिकारी है, उन्होंने पचास लाख रुपये गंगानगर जिले से अर्जित किये हैं । गंगानगर जिला वह जिला है जिसमें छह-छह क्विंटल अफीम बोर्डर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है तकड़ी से, जिस तरह से तकड़ी से तौल कर बांटते हैं उस तरह से अफीम बांटी जाती है । इस तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, मैं निश्चित तौर से समझता हूं कि उनमें अगर हम कार्यवाही नहीं करेंगे, उनमें हम हिम्मत नहीं दिखायेंगे— मैं मेरे जिले की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, हमारा जिला इस तरह का संवेदनशील जिला है जो चारों तरफ पाकिस्तान और पंजाब से घिरा हुआ है । आबादी भी उसकी पंजाबी और राजस्थानी होने से इस तरह की है कि वहां वातावरण में इस तरह का उग्रवादियों का भय व्याप्त है और उधर से पाकिस्तान से आने वाले लोगों का, मैं एक अर्ज करूंगा कि एक नया खण्ड, एक नया रीजन गंगानगर बनाया जाय । हमारे प्रदेश में सात रीजन हैं, सात की बजाय आठवां रीजन गंगानगर का हो, वहां डी. आई. जी. हैड क्वार्टर हो और वहां पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जाय । वहां जो बोर्डर के थाने हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें आश्वासन दिया था कि वहां से जिप्सी और पुलिस विड्रा नहीं होगी, जीपें विड्रा नहीं की जायेंगी, उन्होंने विड्रा कर ली हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जिप्सी वापस दी जाय और वहां की जो पुलिस है, विशेष तौर से जो बोर्डर के थानों में रहती है, उनको विशेष भत्ता दिया जाय, बोर्डर का भत्ता दिया जाय जिससे वह हमारे प्रदेश की और हमारे इलाके की रक्षा कर सके ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : अध्यक्षजी, आज पुलिस विभाग की मांग पर सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो-जो विचार इस सदन में रखे हैं, मैं सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। जो कुछ भी उन्होंने इस सदन में कहा है, वह विधायक के रूप में अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के रूप में कहा है और कहना भी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस इस प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में और बाहर भी एक इस प्रकार का संगठन है जिसको बहुत कठिन कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे मुल्क में और हमारे प्रांत में सब जगह ऐसे हालात पैदा हो गये हैं जिससे पुलिस का कामकाज काफी बढ़ गया है और दबाव भी काफी आ गया है। इण्डस्ट्रीज का बढ़ना, बेरोजगारी का होना, नजदीक के प्रांतों में कोई झगड़ा होना, जनसंख्या का बढ़ना, यह बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पुलिस का काम काफी बढ़ गया है। अब माननीय सदस्यों ने यह सवाल बार-बार उठाया है कि पुलिस नफरी नहीं बढ़ाई, साधन इनको देने चाहिए, मार्डनाईजेशन इनका होना चाहिए, संवेदनशील बनाना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन सब बातों को मैं कबूल करता हूं। इस मुल्क में गोरी कमेटी बनी और पुलिस कमीशन भी बना। बहुत कुछ सुझाव उन्होंने भी दिये लेकिन किन्हीं कारणों से मुल्क में वह लागू नहीं हुए। होने चाहिए, अच्छी बातें लागू होनी चाहिए। तो कर्त्तव्य पुलिस का काफी बढ़ गया और उसके बाद फिर यह भी होता है कि किसी मुल्क का और किसी प्रांत का प्रशासन इस बात पर बहुत कुछ मुनस्सर करता है कि उस जगह की राजनीतिक हालत कैसी है। सरकार जितना स्थायित्व लेकर रहेगी उतना ही प्रशासन भी सुधरेगा, उसमें अच्छाई आयेगी और बुराई नहीं आयेगी। जब प्रशासन बदलता रहता है तो मुश्किल आ जाती है। पिछले वर्षों में पांच साल में तीन-चार दफा सरकार बदली, छह-छह महीने तक एक्सरसाइज होती रही। जब ऐसे मौके आते हैं, हमारे दल में भी अगर यह मौका आ जायेगा, मैं यह नहीं कहता कि आप में ही आया है वह बुराइयाँ हममें भी आ जायेंगी। कौन माननीय सदस्य किधर है, कौन किधर है, तबादले कैसे हुए, यह भी पुलिस प्रशासन के डि-जनरेशन का एक बहुत-बड़ा कारण है कोई भी आदमी आया-फलां सब-इन्सपेक्टर जायेगा, किसी एम. एल. ए. ने कहा कि यह डिप्टी जायेगा वह चला गया। वहां पर गुणावगुण का जो विश्लेषण होना चाहिए प्रशासन के स्तर पर, बड़े-बड़े अधिकारियों के स्तर पर, वह कम हो गया। उसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस में गिरावट आई है। मैं यह जानता हूं कि गवर्नमेंट आर्डर कितने गये कि फलां सब इन्सपेक्टर को उस थाने में लगा दो। इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से पुलिस के कामकाज में गिरावट आना अनिवार्य है। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले 77 से 80 तक के दौरान में माननीय मुख्यमंत्रीजी का राज था। यह मुख्यमंत्री थे और मैं होम मिनिस्टर था। माननीय रामनारायणजी यहां बैठे हैं, पूछ लो इनसे। मैंने यह कहा था और चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि जयपुर में हम आपको एस. पी. लगा देते हैं, सिपाही से लेकर के अपने स्तर तक के जितने कर्मचारी, जितने अधिकारी हैं, आप खुद उनका सलेक्शन करेंगे, हम

(श्री सम्पत राम)

ट्रांसफर्स में दखलन्दाजी नहीं करेंगे, हम नतीजे चाहते हैं। यह हमने साबित करके दिखाया है। और यह कहा था कि कोई राजनैतिक दखलन्दाजी नहीं होगी। तो यह जो गिरावट आई, इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि राजनैतिक दखलन्दाजी इतनी बढ़ गई थी जिसकी वजह से बड़े अधिकारियों का कन्ट्रोल उन पर नहीं रहा। अब यह कोशिश की जायेगी कि इस प्रकार का मौका नहीं आये और अकेले पुलिस शासन को या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये सरकार ही सब कुछ कर सके यह सम्भव नहीं है। हमारे माननीय सदस्यों को भी और हमारे इस प्रांत की जनता को भी सहयोग देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, हम ईमानदारी से सोचें कि हम प्रशासन में ईमानदारी लायेंगे, वह ईमानदारी तभी नीचे तक रिफलेक्ट होगी जब इस सदन के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा, जनता का भी मिलेगा और सरकार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सवाल यह होता है कि पुलिस में बुराइयां आई, मैं मानता हूं कि नीचे के स्तर पर है।

मुख्य मंत्रीजी ईमानदार हों या मैं ईमानदार हूं या हमारे डी. जी. साहब ईमानदार हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक ईमानदारी नीचे के स्तर पर, उस जगह तक रिफलेक्ट नहीं करे जहां पर कि कोई भी प्रशासनिक यूनिट हो जिसका जनता से सीधा सम्पर्क होता है, इस दिशा में कोशिश की जायेगी। दूसरा गिरावट का कारण मैं आपको बताऊं वह यह है कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकें या नहीं कर सकें, यह तो अलग प्रश्न है और हम कितना कर पाते हैं, कितनों को पकड़ते हैं, कितनों को नहीं पकड़ते हैं, यह भी अलग प्रश्न है। लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का सबसे पहला कर्त्तव्य यह होता है कि कम से कम मैन मैनेजमेंट के मामले में वह ईमानदारी से काम करे। जो निकम्मे ऑफिसर्स हैं उनको ऐसी जगह टिकाये जहां कमाई के साधन न हों। जो ईमानदार ऑफिसर हैं उनको अच्छा इनाम दें, अच्छी जगह लगायें। यह मैन मेनेजमेंट का मसला पहला मसला होता है। मैं आज आलोचना के लिए नहीं कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि मैंने पुलिस विभाग को दो-ढ़ाई साल चलाया था और मुझे यह कहते हुए गौरव है कि मुख्यमंत्रीजी ने मेरे एक भी काम में कहीं दखलन्दाजी नहीं की, यह मैं अपनी ईमानदारी से कह सकता हूं। जो मैंने चाहा, वह किया और उसके नतीजे आये। तो ऑफिसर्स को लगाना, उनका मैनेजमेंट ठीक करना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने देखा– मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं और हमको शोभा भी नहीं देता–ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को ऐसी-ऐसी जगह लगाया जिनके लिए मैंने यह कहा था कि इस राज में तुम्हारे लिए कहीं एस. पी. के लिये जगह नहीं है। यह मैं ईमानदारी से आपको बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, उनको बड़े-बड़े जिलों में लगाया जहां पर कि लूट-खसोट के बहुत बड़े-बड़े चांसेज थे। आज पुलिस पर लांछन लगाते हो, पुलिस क्या करे? शासन करने वाले लोगों को देखना होगा कि वह कैसे उनके साथ

(श्री सम्पत राम)

न्याय करती है। मुझे उम्मीद है कि यह राज माननीय भैरोंसिंह जी की छत्रछाया में इन पुराने कामों को उसी प्रकार से चलायेगा जैसे पहले चलाया है। अब दूसरा मुद्दा आता है, मैं आंकड़े और बहुत चीजें नहीं दे रहा हूं, जानबूझ कर नहीं दे रहा हूं, अभी कहा कि पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, दूसरी जगह हो गई, तीसरी जगह हो गई। आँकड़े मेरे पास बहुत सारे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ने लगूं तो कफी पढ़ दूंगा लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं है। पहले भी पुलिस कस्टडी में मौतें हुई थीं, आज भी हुई हैं। डाके पहले भी हुए थे, आज भी हुए हैं। चोरियां पहले भी हुई थीं, आज भी हुई हैं। हम यह कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से हम अपने प्रशासन को, अपनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से जागरूक करें कि हम समाज की सेवा करने में ज्यादा से ज्यादा आगे आ सकें। यह हमारा पहला फर्ज होगा। जो पुराने अधिकारी पुलिस में थे, अभी भी वहीं बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने किसी का तबादला नहीं किया है, सिवाय कुछ एस. पीज. को बदला है। एडीशनल एस. पी. वहीं हैं, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट वहीं है। सब इन्सपेक्टर्स के लिए मैं कह नहीं सकता कि वहां मौजूद हैं या नहीं। लेकिन जो कोई भी सरकार जैसी होती है उस रूझान के मुताबिक नीचे के ऑफिसर्स बदलते हैं। अगर वह ऑफिसर समझदार हैं तो निश्चित बदलेंगे, वह अगर समझदार नहीं हैं तो दण्ड के भागी होंगे। यह भी आप सोच लीजिए। तो यह जो पुलिस के बारे में आपने कहा कि इसमें गिरावट क्यों आई है, उसके कुछ कारण मैंने बताये। अब भी यह सोचकर चलना होगा कि अगर सरकार चाहे और आप लोग चाहेंगे कि हमारा पुलिस संगठन अच्छे नतीजे लाये तो हमको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मैं सदन के इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से भी सहयोग की अपील करूंगा कि जहां तक हो एडमिनिस्ट्रेशन में दखलन्दाजी बहुत कम करें। हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर अपने माइण्ड को अप्लाई करके जजमेन्ट लेने का मौका देना चाहिए। उसके बाद आपकी चुनी हुई सरकार है, यदि गड़बड़ होती है तो आप हमको कठघरे में खड़ा कर सकते हैं, हम अफसरों को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सम्भव हो राजनैतिक दखलन्दाजी कम होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने पुलिस कमीशन पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा पर मैंने उसको पढ़ा है, गोरी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा, धर्मवीर की कमीशन की रिपोर्ट को भी पढ़ा है। बार-बार उन्होंने यह बात हाइ लाइट की है लेकिन दुर्भाग्य से वह अमल में नहीं आ सकी। तो पुलिस में जो गिरावट आयी है उसके कुछ कारण मैंने आपको बताए।

इसके साथ कुछ हरिजनों को प्रश्न आए, कुछ माननीय सदस्यों ने नौकरियों में भर्ती की बात कही। अध्यक्ष महोदय, मैं जब होम मिनिस्टर बना था सारे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट का एक भी इन्सपेक्टर नहीं मिला जिसको कि हम कुछ बना सकें जो नाम का भी इन्सपेक्टर हो। पहली दफा हमने पांच इन्सपेक्टर बनाये। सब इन्सपेक्टरों से इन्सपेक्टर्स का प्रमौशन नहीं दिया

(श्री सम्पतराम)

गया था और पुलिस में भर्ती की बात करते हैं। 77 से पहले के जितने वर्षों में जितनी भर्ती नहीं हुई थी मैं होम मिनिस्टर बना, भैरोंसिहजी मुख्यमन्त्री थे हमने सवा दो हजार भर्ती करके एक नया रिकार्ड कायम किया था। आज तक उससे ज्यादा भर्ती नहीं हुई। जब अम्बेडकर पर बैठक हुई दिल्ली में तो मैं भी वहां था, आदरणीय राजीवजी बैठे हुए थे और बड़ा ओपन डिसकशन हो रहा था इन्हीं मुद्दों पर तो कहा कि बैंक लोग पूरा करो। मैंने कहा, श्रीमान्, आपने भाषण बहुत दिए थे, बहुत कोशिशें, की मैं जानता हूं कि आपने ईमानदारी से कोशिश की होगी इसमें कोई शक नहीं लेकिन नीचे के स्तर पर नतीजा तो कुछ आया नहीं। हमारे राजस्थान में चार हजार के करीब सिपाहियों की भर्ती हुई थी, कहां बैंक लोग पूरा किया गया। यह पिछले दिनों की लीगेसी को कैसे पूरा करेंगे ? आज कितने प्रतिशत आपके कांस्टे- बिलरी में हैं, जरा अंदाजा लगाइए उस समय अफसर भर्ती करते थे, आज भी करते हैं तो इस बैंक लोग को पूरा करने के लिए आप कोशिश करें या न करें यह जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कोशिश करेगी और आज के दिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि वी.पी. सिंह- आज भारत की गरीब जनता, शोषित और मजदूर लोगों के महीसा बन गये हैं। आज हमेशा उनके दिल दिमाग में यह कल्पना रहती है कि मैं कैसे इन पिछड़े हुए तबके के लोगों को आगे ले जाइं। आज नौकरियों की बात होती हैं तो उसके लिए कानून की व्यवस्था की जा रही है। इसकी व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

सुन लीजिए, बैठ जाइए। बीच में दखलंदाजी नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री सम्पतराम : वह बार-बार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नतीजे दिए हैं। मैं जानता हूँ मेरी उम्र हो गयी है। सन् 52 में मैं भी चुनकर आया था और माननीय भैरोंसिहजी भी चुनकर आये थे। इनडिपेंडेंस से पहले हम ने थोड़ी बहुत स्कूलों कॉलेजों में बात सुनी होगी लेकिन मैं इस बात को गारण्टी के साथ कह सकता हूं कि आज हिन्दुस्तान का हरिजन है, भील है और शोषित वर्ग है वी.पी. सिंह के पीछे-पीछे एक तरीके से पूरा का पूरा हो लिया है। आज सारे के सारे उनके पास जायेंगे। क्यों जायेंगे ? क्योंकि गरीब आदमी को जब इस बात का पता चल जाता है कि वह हमारा वफादार है, ईमानदारी से हमारी तरक्की और बहबूदी चाहता है तो गरीब आदमी हमेशा उसके साथ हो जाता है। यहां सदन में और सब जगह इस तरह की बात की जाती है कि हरिजन का राजनैतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। राजनैतिक लाभ तो काम से उठाया जायेगा। ऐसे नहीं उठाया जायेगा।

मैंने यह भी देखा मुझे कहना तो नहीं चाहिए यह भी माननीय भैरोंसिह जी को ही था मैंने इन्कार किया था मुझे गृहमंत्री मत बनाओ, उन्होंने मुझे जबरदस्ती गृह-मन्त्री बनाया, मैं ईमान की बात कहता हूं,

(श्री सम्पतराम)

असत्य बात नहीं कहता हूं आज मैं फिर कहता हूं कि यदि मेरे बनने का मौका आया तो हम यह दिखा देंगे हिन्दुस्तान को कि राजस्थान में पुलिस का संगठन कैसे चलता है ? हम कैसे अपने नतीजे लाकर दिखाते हैं । हम अपनी ईमानदारी और मेहनत में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे ।

अब आया हरिजनों का प्रश्न । अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि 40–42 साल के बाद भी आज हिन्दुस्तान के हरिजन को आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है । राजनैतिक आजादी मिली है जो कई जगह बूथ केप्चर करके ले ली जाती है यह भी दुर्भाग्य की बात है लेकिन आज के दिन शादी-ब्याह में वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता है, अपने तरीके से नाच कूद नहीं करा सकता उत्साह से नहीं मना सकता है । इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है । चाहे उधर बैठे हुए साहबान हों या इधर बैठे हुए साहबान हों पुलिस को हम जागरूक करेंगे और वह जागरूक होगी लेकिन अकेले पुलिस के जागरूक होने से काम नहीं चलेगा इसमें नीचे के स्तर पर इस सदन के माननीय सदस्य सहयोग करें । हमको पंचायत लेबल तक ले जाना पड़ेगा और लोगों के दिलों-दिमाग में यह बात बैठानी पड़ेगी कि जो कुछ आप कह रहे हो । यह हिन्दुस्तान के लिए कलंक का विषय होगा और कभी आने वाली औलादें हमारे बारे में सुनेगी तो हमारे ऊपर थूकेंगी । इसलिए सत्ता या पावर से यह काम करने का नहीं है । इसके लिए नीचे के लोगों के दिमाग बनाने पड़ेंगे । जहां तक पुलिस का काम है, गवर्नमेण्ट का काम है वह तो मैंने कह दिया कि वह तो कटिबद्ध है और पूरा काम करेगी लेकिन नीचे से सहयोग होना चाहिए जिससे कि सारे के सारे काम कामयाब होंगे । आज हमारे पास स्वामी दयानन्द नहीं है, आज हमारे पास गांधी भी नहीं है, आज हमारे पास विवेकानन्द भी नहीं है लेकिन कोई न कोई व्यक्ति ऐसा हो तो समाज में क्रांति ला सकता है तो यह सारे सामाजिक पहलू हैं इसको इसी आधार पर देखना पड़ेगा । इससे इनका हल होगा ।

दूसरा प्रश्न यह है कि हम 77 से 80 तक हमने हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप चार महीने की प्रगति पेश कर रहे हैं । 77-80 का क्या दे रहे हैं । चार महीने पहले जो गवर्नमेण्ट बनी है उसका मतलब क्या है ? आज सारी डिबेट की रिसेंट आकरेंस हुई है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनको सुनने में क्या तकलीफ हो रही है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चालीस साल भी बताने पड़ेंगे और ढ़ाई साल भी बताने पड़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए । आर्डर प्लीज ।

श्री सम्पतराम : तो मैं यह बात कह रहा था कि यह चीजें नीचे से होंगी तब ऊपर तक सहयोग मिलेगा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि उनको हथियारों के लाइसेंस दे दिये जाये तो वह अपनी रक्षा करेंगे । हम सामाजिक विद्रोह पैदा नहीं करना चाहते । राइफल और बन्दूकें तो हमारी पुलिस के पास बहुत हैं । हम तो आपका सहयोग चाहते हैं । आपका

(श्री सम्पतराम)

दिल चाहते हैं, समाज का दिल चाहते हैं। रहम करें और खुदा के नाम से इस तरह की हरकतों को छोड़ दें।

श्री जुबेर खां : इसमें तो मन्त्री महोदय इधर से रहम करेंगे तो ठीक होगा।

श्री सम्पतराम : मैं जानता हूं कि किधर से रहम होगा। मुझे मालूम है। आपने देखा 77-80 के बीच हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव इस प्रान्त में सबसे ज्यादा रहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिबेट तो सारी रिसेण्ट आकरेंस पर हुई है। सतवाड़ी मण्डावरी पर। यह 77-80 की डिबेट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां उस पर भी बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, श्री महावीरजी जवाब दे रहे हैं या होम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं? आप क्यों जबाव दे रहे हो?

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 77-80 की डिबेट पर अब कोई अर्थ नहीं निकलेगा।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह डी जनरेशन क्यों हुआ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर-ऑर्डर। प्लीज ऑर्डर। बिराजिए। मंत्री जी आप बोलें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप व्यवस्था दें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका व्यवस्था का सवाल है। बोलिए क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 90–91 की डिमाण्ड्स पास हो रही है। मार्च के फर्स्ट वीक में गवर्नमेण्ट आयी है। पिछले चार महीने का लेखा-जोखा जो है उस पर पूरी डिबेट हो चुकी है, मण्डावरी काण्ड पर डिबेट हुई है....

श्री अध्यक्ष: आपका पाइंट आफ आॅर्डर क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : 77--80 की बात ही बार-बार क्यों कह रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया होगा इसलिए तो 80 में पब्लिक ने आपको बता दिया।

श्री अध्यक्ष : यह पाइंट ऑफ आॅर्डर नहीं है? आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल व्यवस्था का प्रश्न है। फिर ये रिप्लाई क्या दे रहे हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक बात कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय शिड्यूल्ड कास्ट के नेता हैं, नेता होने के कारण राजनैतिक भाषण नहीं दें, शिड्यूल्ड कास्ट के हित की बात सोचें। तब तो सदन की शोभा रहेगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजें। माननीय मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री जुबेर खां : आपने ही कहा था कि इस सदन में राजनीति को इश्यू नहीं बनने दूंगा। आप तो रिप्लाई को ही राजनैतिक इश्यू बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बिराजिए। ऑर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्रीजी को जो अच्छे कार्य किए 77-80 के बीच में, वह याद दिला रहे हैं। आप इनको कृपया गृह विभाग शीघ्र सौंप दें आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप आज घोषणा कर दें तो सही रिप्लाई आ जायेगा।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, हर एक जगह, हर मुल्क में आर्थिक, सामाजिक क्रांतियां होती हैं लेकिन इस मुल्क में और इस प्रान्त में सरकार चाहे कितना ही काम कर दे, कितनी ही तरक्की के काम कर दे, सड़क बना दे, हास्पिटल बना दे, लेकिन हालत ऐसे पैदा करने चाहिए जिससे सभी धर्म, मजहब और कौमों में एक सामंजस्य रहे और उनमें प्रेम भाव बढ़े, तो सरकार का यह प्रयत्न होगा कि अभी जो कई जगह हिन्दू-मुस्लिम झगड़े-फसाद हुए, हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम ऐसे हालात पैदा करें कि हमारे प्रान्त में इस प्रकार के झगड़े-फसाद ज्यादा पैदा न हो सकें क्योंकि यह जनता दल और भाजपा धर्म-निरपेक्षता को मानती है, यह इसका पहला सिद्धान्त होगा ताकि इस प्रकार की भावना इस प्रान्त में पैदा की जा सके। अब सवाल बहुत से आये और उनमें आया, पुलिस में सुधार, और बहुत से माननीय सदस्यों ने तो सुझाव भी दिये। एक तो माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने कहा था कि आर. ए. सी. में भर्ती नहीं हुई, मैं इसकी जानकारी करूंगा। जो मुझे सूचना मिली है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। सुन लीजिए। मुझे सूचना मिली। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्रीजी मुझसे इशारे से पूछ रहे थे, मैं बता रहा था कि राजस्थान के अन्दर पिछली दफा आर. ए. सी. की भर्ती हुई, तब माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें एक भी कांस्टेबिल भर्ती नहीं हुआ राजस्थान के अन्दर जबकि बी. एस. एफ. में हो जाते हैं, मिलिट्री में हो जाते हैं, सी. आर. पी. एफ. में हो जाते हैं, पुलिस में हो गये भर्ती और इसके अलावा जो पिछला रिक्रूटमेण्ट हुआ उसमें आर. ए. सी. के भर्ती हो गये, इस बार राजस्थान में रिक्रूटमेण्ट हुआ उसमें किसी भी केन्द्र के ऊपर एक भी आर. ए. सी. का कांस्टेबल भर्ती नहीं हुआ। क्या राजस्थान के अन्दर लड़के नहीं मिले, क्या ऐसी आफत आ गई, जिसकी वजह से यह हुआ, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी करायी थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। सन् 89 में आर. ए. सी. में यह भर्ती हुई। सैकिण्ड आर. ए. सी. जयपुर में दिनांक 7-9-89 को 95 आदमी लिये गये, फर्स्ट आर. ए. सी.

(श्री सम्पत राम)

जोधपुर में दिनांक 13–9–89 को 130 लिये गये थर्ड आर. ए. सी. जयपुर में 11–9–89 को 68 लिये गये। तो....

श्री प्रद्युम्न सिंह : दूसरा रिक्रूटमेण्ट हुआ है, अभी जो 3–4 महीने पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपकी सरकार बनने के बाद जो रिक्रूटमेण्ट हुआ, उसकी बात कर रहा हूं। I am talking of the last recruitment (व्यवधान)

श्री सम्पत राम : अध्यक्षजी, यह सही कहते हैं। यह हुआ, जिसमें भर्ती नहीं हुई, जो मेरे पास सूचना आयी है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं इसकी जांच करके, सदन चाहे तो फिर किसी तारीख को बता सकता हूं। लेकिन, जो सूचना मुझे मिली है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं मैं इतना ही कह सकता हूं। अब पुलिस वैलफेयर के मामले में माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है और होनी भी चाहिये और आवश्यक भी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक समस्या है कि सारा का सारा काम एक ही समय में, यह सरकार वजन नहीं उठा सकती है। एक तरफ कर्जा माफ किया है, एक तरफ पेंशन का मसला भी हल किया है, दूसरी तरफ पुलिस का भी मसला आ गया तो यह बार-बार कहा गया क्योंकि यह पटवारी के खसरे तो है नहीं। एक गांव में आबादी कितनी बढ़ जाये, लेकिन पटवारी के खसरे तो उतने ही हैं, तो पटवारी तो वहीं रहेगा लेकिन अब आबादी बढ़ जाय, इण्डस्ट्रिलाइजेशन हो, अनएम्लायमेण्ट हो, आपस में वर्गों में भेदभाव हो, कहीं पर अत्याचार भी होता हो, तो मेन पावर का होना बहुत आवश्यक है। सरकार इस बात को सोच रही है और माननीय मुख्य मन्त्री जी से आज मन्त्रणा भी हुई थी। उनका अपना स्वयं का भी दिमाग है और भारत सरकार भी इस मामले में शायद कुछ मदद करेगी, तो एक बटालियन उठाने की बात सरकार सोचेगी और सोच रही है। लेकिन इसी वक्त मैं घोषणा करने की हैसियत में नहीं हूं। इसके अलावा टेलीफोन सब जगह होना चाहिये, जो कि आज के दिन नहीं है, यह बहुत आवश्यक है। आज जीपें भी होनी चाहिये, जीप भी नहीं है। जीप के मामले में हम कोशिश करेंगे, टेलीफोन के मामले में हम कोशिश करेंगे कि सारे थानों में टेलीफोन की व्यवस्था हो। आज के दिन टेलीफोन 634 थानों में से 531 पर है, 103 पर नहीं है। 704 चौकियों में से 172 पर हैं 531 चौकियों पर नहीं हैं। इसी प्रकार से गाड़ियां भी बहुत से पुलिस स्टेशन्स पर नहीं हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह सारे साधनों के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है; तो बाकी पैसा कहीं से जुटाया जायेगा तो सरकार निश्चित तौर से कोशिश करेगी और ज्यादा से ज्यादा जितनी बढ़ा सकती है, उतनी पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ायेगी, ताकि यह जो बढ़ते हुए जुर्म हैं, जिम्मेवारी है, उसका ठीक तरह से निर्वहन कर सकें। आज के दिन कितने तो ट्रैफिक पाइण्ट आ गए। उन सबके ऊपर भी सिपाही चाहिए तो काफी स्ट्रेन्थ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अब आपने पुलिस वेलफेयर की बात नहीं, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने इलाके की चोरी, डाके और बलात्कार की घटनाओं

(श्री सम्पत राम)

का जिक्र किया है, मैं इस समय इस हैसियत में नहीं हूँ और कोई भी नहीं हो सकता कि हर केस के मामले में, मैं डिटेल दे सकूं। लेकिन मैंने स्वयं माननीय सदस्यों की बातों को सुना है, मैं उनसे मिलूंगा, सदन में या सदन से बाहर, मैं उनसे सारी डिटेल लेकर यह कोशिश करूंगा कि उसमें जांच ठीक हो और गड़बड़ हुई है तो क्या हुई है और गड़बड़ हुई है तो किसकी वजह से हुई है ? जितना कुछ हमसे हो सकेगा, उतनी कार्यवाही हम करेंगे। इसलिए मैंने अलग-अलग से उनका जवाब नहीं दिया है। अब पुलिस वैलफेयर की बात होती है, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार का नाम लूं, तो फिर नाराज हो जायेंगे। पिछली सरकार ने औरों को तो लाभ दे दिये लेकिन पुलिस वाले बैठे के बैठे रह गए। हमने निर्णय किया है कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा तथा होम गार्ड्स के कर्मचारियों को चयनित ग्रेड देय नहीं है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, जिसमें वायरलेस, सी. आई. डी. सम्मिलित हैं, के सदस्य तथा होम गार्ड्स को भी चयनित ग्रेड दी जाये, इसका तात्पर्य यह होगा कि पुलिस वायरलैस, ए. सी. डी. तथा सी. आई. डी. तथा होम गार्ड्स के कांस्टेबल को भी अब 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद चयनित ग्रेड जो कि हैड कांस्टेबल का ग्रेड होगा, मिल जायेगा। यह पहले और सर्विसेज में था, पुलिस में भी नहीं था। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अब तक खाना पकाने के जो हैंड मैस हैं, उनमें गैस का मुकम्मिल इंतजाम नहीं था। अब तक 100 गैस दिये गए थे, सारे राजस्थान में। हमने यह फैसला किया है कि 50 गैस हम इनको इस साल और देंगे। पुलिस कल्याण कोष, 84-85 में कुछ नहीं दिया, 85-86 में कुछ नहीं दिया, 86-87 में 5 लाख दिया, 87-88 में 5 लाख दिया, 88-89 में 5 लाख दिया और यह सरकार इस वक्त 10 लाख रुपया दे रही है। मैस भत्ता, मैस भत्ते के लिए अब मैं जो कुछ भी घोषणा करूंगा, उससे, अध्यक्ष महोदय, हम भी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इस वक्त बजट पर काफी फाइनेन्शियल स्ट्रेस हैं, इसलिए वह सम्भव नहीं हो सका, तो इस वक्त हमने मैस अलाउन्स के रूप में 10 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है, जो हर सिपाही को मिलेगी.... (व्यवधान)

खेल-कूद....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ बढ़ाये हैं, घटाये तो नहीं हैं ?

श्री सम्पत राम : यह तो पुलिस वैलफेयर की बात है। यह तो सुन लीजिए, मैं आंकड़े दे रहा हूं, इसमें नाराज होने की क्या बात है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये। आर्डर प्लीज।

श्री सम्पत राम : अब खेद-कूद के बारे में श्री हमारे माननीय मन्त्रीजी कल कह रहे थे कि सभी क्षेत्रों में खेल का तो कार्यक्रम चलना चाहिए तो हमने चाहा कि पुलिस में भी चले, तो इसमें भी हमने कुछ व्यवस्था की है। खेल-कूद में 84-85 में निश्चित रूप से कुछ पैसा दिया गया था 4 लाख, 85-86 में कुछ नहीं दिया है, 86-87 में कुछ नहीं दिया, 87-88 में कुछ नहीं दिया, 88-89 में 1 लाख दिया गया था और अब इसमें

(श्री सम्पत राम)

हम 3 लाख रुपये दे रहे हैं, 2 लाख रुपये पहले से ज्यादा दे रहे हैं। अब सुन लीजिए। पंखे और बिजली वगैरह की व्यवस्था करने के लिए पांच लाख पचास हजार रुपये दे रहे हैं। शौचालय एवं स्नान घर के लिए भी हम दस लाख रुपये दे रहे हैं। हमारी पुलिस अकादमी में माननीय सदस्यों ने एक अस्पताल खोला था। वह चल रहा है और दस बैड का है। इसको बढ़ाकर हमने तीस बैड का किया है, जिस पर 26 लाख रुपये का भार आएगा। हमने नागरिक सुरक्षा एवं गृह-रक्षा के जवानों के मामले में कुछ फैसले किए हैं। पहले इनको बीस रुपया मिलता था, अब बाइस रुपया मिलेगा। इससे आठ लाख रुपये का भार राजस्थान सरकार के खजाने पर पड़ेगा। राजकीय ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने या एक्सीडेण्ट होने पर अनुग्रह राशि जैसे पुलिस के दूसरे कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को मिलती है उसी प्रकार से इस महकमे–नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा दल को भी मिलेगी। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा कल्याण कोष में भी हमने दो लाख रुपए दिए हैं। जो पहले डेढ़ लाख थे उसकी बजाय दो लाख किए हैं। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा खेलकूद निधि में भी हमने कुछ पैसा दिया है।

अनेक माननीय सदस्य : कितना?

श्री सम्पत राम : एक लाख। पुलिस को यह सारी की सारी सहूलियतें हमने दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। जो शिकायतें आपने की हैं, हर आदमी के मेरे पास....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मेरा प्रश्न....

श्री सम्पत राम : हां, आपका प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय पूनमचन्दजी ने पहले भी कई दफा इस बात को स्ट्रैस किया है कि पुलिस में लोगों को यूं ही बुला लिया जाता है, बैठा लिया जाता है। उनका कानूनी अध्ययन होगा, मेरा कानूनी अध्ययन अभी पूरा नहीं है। हम अपने विभागीय स्तर पर और सरकारी लेवल पर इस बात को देखेंगे कि कहां तक क्या बात सम्भव हो सकती है। दूसरे राज्यों में क्या व्यवस्था है, उसके बारे में भी सूचना प्राप्त करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पुलिस को सुधारने की बात तो आपने कह दी, लेकिन इनमें शराबबाजी और मुर्गेबाजी की बात में कुछ सोचेंगे क्या आप? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्या इससे कुछ अंकुश नहीं लगेगा थोड़ा बहुत? आप इस बारे में कुछ विचार कर रहे हैं क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बन्दूक के लाइसेंस के लिए मन्त्री महोदय ने कुछ भी नहीं कहा। इस बारे में ना ही कर दिया। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए एक बात भी नहीं कही।

श्री सम्पत राम : मेरी सुनोगे? अजी सुनो।

श्री रामस्वरूप मीणा : मन्त्री महोदय, सुधार की बात कुछ तो करो ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि यह कहें कि हमने यों कर दिया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपका जवाब दे रहे हैं, सुनिये अब आप ।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो बहुत बड़े कदम उठाये थे इस प्रान्त में, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बाद में आने वाली सरकार ने उसको चौपट कर दिया । हमने 1977 से 1980 के बीच में इस प्रान्त में शराबबन्दी की थी, लेकिन हमारे हटने के बाद आपने झोंपड़ी-झोंपड़ी में शराब की दुकानें खोल दीं । आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब बन्द करेंगे क्या आप ? चलिए, अब बन्द कर दीजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पुरानी सरकार ने तो कुछ नहीं किया । यह दण्ड भोग रहे हैं इधर बैठे । आप क्या कर रहे हो, यह बताओ अब ? आप कुछ करोगे कि नहीं ? पहले की तरह शराबबाजी बन्द करोगे या चालू रखोगे, माननीय गृह मन्त्रीजी, बताने का कष्ट करें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या सरकार शराबबन्दी करने का इरादा रखती है, इसका स्पेसिफिक रिप्लाई आना चाहिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जवाब दिलाया जाय ।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,65,33,05,000 (अंके रुपये एक अरब पैंसठ करोड़ तैंतीस लाख पांच हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

जो पक्ष में हों, हां कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें ।

अनेक माननीय सदस्न : ना ।

श्री अध्यक्ष : जो पक्ष में हों, हां कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : ना ।

श्री अध्यक्ष : हां, पक्ष जीता, हां पक्ष जीता । मांग स्वीकार की गई ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Noes have it. ना पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बिराजिये ।

जो पक्ष में हों, हां कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : ना ।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Noes have it.

श्री रामस्वरूप मीणा : ना पक्ष जीता, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन ? बैल बजाइये ।

(मत-विभाजन घण्टी)

एक बार और पूछ लूं ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,65,33,05,000 (अंके रुपये एक अरब पैंसठ करोड़ तैंतीस लाख पांच हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11 जुलाई, 1990 बुधवार के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.59 बजे कल बुधवार दिनांक 11 जुलाई, 1990 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट—1
तारांकित प्रश्न सं० 247 की सूची

बून्दी जिले में वर्ष 1988-89 एवं 1989–90 में अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु दिए गए समाचार-पत्रों को सजावटी एवं गैर सजावटी विज्ञापनों का विवरण :

क्र.सं.	नाम समाचार पत्र	विज्ञापन दिनांक	व्यय राशि	मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं	विज्ञापन प्रकार
1	2	3	4	5	6
1.	राज. पत्रिका कोटा	25-4-88	198/–	हां	गैर-सजावटी
2.	राज. पत्रिका कोटा	29-4-88	253/–	हां	,, ,,
3.	राज. पत्रिका कोटा	29-4-88	69/–	,,	,, ,,
4.	साप्ताहिक अंगद, बून्दी	10-5-88	99/–	,,	,, ,,
5.	राज. पत्रिका कोटा	9-8-86	198/–	,,	,, ,,
6.	दैनिक नवज्योति कोटा	11-8-88	64/–	,,	,, ,,
7.	दैनिक नवज्योति कोटा	11-8-88	245/–	,,	,, ,,
8.	जननायक कोटा	15-8-88	224/–	,,	,, ,
9.	जन नायक कोटा	15-8-88	68/–	,.	,, ,,
10.	साप्ताहिक अंगद, बून्दी	15-8-88	90/–	,,	सजावटी
11.	साप्ताहिक घटाटोप, बून्दी,	15-8-88	200/–	,,	,, ,,
12.	दकाल, बून्दी	22-8-88	200/–	,,	,, ,,
13.	राजमार्ग, बून्दी	25-8-88	200/–	नहीं	,, ,,
14.	केशरिया बाना, बून्दी	5-9-88	200/–	,,	,, ,,
15.	केशरिया बाना, बून्दी	10-11-88	200/–	,,	,, ,,
16.	साप्ताहिक अंगद बून्दी	10-11-88	200/–	हां	,, ,,
17.	साप्ताहिक दकाल, बून्दी	15-11-88	200/–	,,	,, ,,
18.	साप्ताहिक राजमार्ग बून्दी	16-11:88	200/–	नहीं	,, ,,
19.	साप्ताहिक अंगद, बून्दी	21- 3-89	200/–	हां	,, ,,
20.	राज. पत्रिका कोटा	26- 3-89	60/–	,,	गैर सजावटी
21.	राज. पत्रिका कोटा	28-3-89	60/–	,,	,, ,,
22.	सा. राजमार्ग बून्दी,	15-5-89	200/–	नहीं	सजावटी
23.	राजस्थान पत्रिका कोटा	27-5-89	258/–	हां	गैर सजावटी
24.	सा. केशरिया बाना	30-5-89	400/–	नहीं	,, ,,
25.	राज. अधीनस्थ लेखा सेवा संघ	28-6-89	300/–	--	सजावटी

1	2	3	4	5	6
26.	राजस्थान पत्रिका कोटा	28-6-89	258/–	हां	गैरसभ्भावट
27.	राजस्थान पत्रिका कोटा	7-8-89	258/–	,,	,, ,,
28.	सा. घटाटोप, बून्दी	14-8-89	200/–	नहीं	सजावटी
29.	सा. दकाल, बून्दी	14-8-89	200/–	हां	,, ,,
30.	बून्दी एक्सप्रेस, बून्दी	14-8-89	200/–	,,	,, ,,
31.	सा. अंगद, बून्दी	15-8-89	140/–	हां	गैर सजावट
32.	सा. अंगद, बून्दी	15-8-89	200/–	हां	सजावटी
33.	दैनिक नवज्योति कोटा	17-8-89	200/–	,,	,, ,,
34.	कोटा रिपोर्टर कोटा	17-8-89	200/–	,,	,, ,,
35.	राज. पत्रिका कोटा	18-8-89	206/–	,,	गैर सजावटी
36.	सहकार कर्मी, बून्दी	18-8-89	200/–	नहीं	सजावटी
37.	सा. राजमार्ग, बून्दी	21-8-89	200/–	नहीं	,, ,,
38.	नवभारत टाईम्स, जयपुर	23-8-89	300/–	हां	सजावटी
39.	सा. केशरिया बाना, बून्दी	25-8-89	200/–	नहीं	,, ,,
40.	दैनिक नवज्योति कोटा	23-9-89	500/–	हां	गैर सजावटी
41.	अखिल राज. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्म. संघ बून्दी	16-10-89	500/–	—	सजावटी
42.	सा. अंगद, बून्दी	1-1-90	300/–	हां	,, ,,

नोट—विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित जानकारी के विज्ञापन को सजावटी विज्ञापन में दर्शाया गया है। एवं निविदाए एवं योभनाओं की प्रगति रिपोर्ट को गैर सजावटी विज्ञापन में दर्शाया गया है :

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न सं. 248 की सूची

From :—

Registrar,
Rajasthan High Court,
Jodhpur

To.

The Secretary to the
Government of Rajasthan,
Lwe and Legal Affairs Department,
JAIPUR.

Ref : Your letter No. F. 25 (21) Judl/89 dated 27.7.89.

Sub : Transfer of Additional Munsif–cum–Judicial Magistrate Court Dausa to Lalsot, District Jaipur.

Sir,

I am directed to send herewith the following pointwise information as desired,—

(A) Presently four Courts are functioning at Dausa, namely:—

(1) Additional District Judge, Dausa.
(2) Additional Chief Judicial Magistrate, Dausa.
(3) Munsif–cum–Judicial Magistrate, Dausa.
(4) Addisional Munsif–cum,–Judicial Magistrate, Dausa.

(B) At present no Judicial Court is functioning at Lalsot.

(C) The existing sanctioned strength of the Staff of Additional Munsif–cum–Judicial Magistrate Court, Dausa is as under:—

(1) Stenographer Grade III	One
(2) Reader (U. D. C.)	One
(3) Case Clerk (Civil)	One
(4) Hindi Typist–cum Copyist	One
(5) Office Peon.	One
(6) Orderly	One

(D) No assurance has been given ragarding not making any demand of any such Court at Dausa in near future by this Court to the Covernment.

(E) According to present pattern the following more posts of L. D, Cs and Class IV Servants would be required at outlying Courts at Lalsot.

1474239

LOWER DIVISION CLERK.

Execution Clerk.	One
Criminal Clerk.	One
Assistant Nazir	One
Copyist	One

Class IV Servant

Office peon.	One.
Chowkidar.	One.

Process Servers According to work load (Four) F It is, however, stated that with the present efficient working of the Court of Additional Munsif-cum-Judicial Megistrate, at Lalsot is not possible.

(G) Rs. 1,80,000/–would be required for sanction of more posts of Lower Division Clerks and Class IV employees and Rs. 20,000/– for the purchase of furniture etc. according to need of Court.

Yours faithfully,

Sd/-

REGISTRAR

(240)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची

(अ) कुआं निर्माण के ऋण की स्वीकृति के बाद भुगतान हेतु लम्बित पत्रावलियों की सूची दिनांक 30.6.90

क्रम सं.	एल. ए. नं.	नाम कृषक/बल्दियत/जाति	ग्राम	स्वी. दि.	स्वीकृत राशि डगकम बोरवेल	स्वीकृत राशि डीपीएस	पेन्डिग होने का कारण
1.	56/89–90	गोबरी लाल पुत्र छीत्या माली	रोण	29.1.90	21000	9000	कृषक द्वारा इन्तकाल का रेवेन्यू रेकार्ड में इन्द्राज कराकर बोण्ड नहीं भरवाया।
2.	91/89–90	रामकुंवार पुत्र गोपीलाल मीणा	रणोदिया	11.4.90	20000	11000	कृषक बाद सूचना सहनिष्पादकों को लेकर बोण्ड भरवाने नहीं आया।
3.	95/89–90	भंवरसिंह पुत्र अनारसिंह राजपूत	देलोद	11.4.90	3000	11000	कृषक बोण्ड भरवाने नहीं आया। इन्तकाल का इन्द्राज रेवेन्यू रेकार्ड में करवाया जाना बाकी है।
4.	103/89–90	मांगीलाल पुत्र मोतीलाल बैरवा	ख्यावदा	3.5.90	15000	7000	कृषक बाद सूचना बोण्ड भरवाने नहीं आया।
5.	104/89–90	रामनिवास पुत्र सांवला मीणा	गुवाड़ी	3.5.90	16000	10000	कृषक बाद सूचना बोण्ड भरवाने नहीं आया।
6.	106/89–90	भैंरूलाल पुत्र सुखदेव गुर्जर	बोरदा	3.5.90	18000	11000	कृषक बाद सूचना बोण्ड भरवाने नहीं आया।
7.	102/89–90	लटूर पुत्र धन्ना मीणा	खेरदा	3.5.90	20000	11000	चैक बनने की प्रक्रिया में है।
8.	93/89–90	मंगला पुत्र टोड्या मीणा	खातोली	11.4.90	21000	11000	कृषक बाद सूचना बोण्ड भरवाने नहीं आया।
9.	75/89–00	भवाना पुत्र बल्देवा बैरवा	रामपुरिया	3.3.90	20000	11000	95 मी. दूर अन्य कुआं है। खारिज करने हेतु विचाराधीन।
10.	78/89–90	भूरिया पुत्र भेरिया चमार	ख्यावदा	29.1.90	21000	11000	पास में दूसरा कुआं है। खारिज हेतु विचाराधीन।
11.	68/89–90	दुलीचन्द पुत्र रंगलाल मीणा	राजपुरा	29.1.90	19000	11000	पास में ही दसरा ट्यूबवैल होने से चैक भुगतान हेतु पेन्डिंग।
12.	70/89–90	बिरधा पुत्र किशना कुम्हार	पीपल्दाखुर्द	1.2.90	18000	6500	चैक बनने की प्रक्रिया में हैं।

(ब) कुआं निर्माण के अर्द्ध भुगतान के बकाया रहे मामलों की सूची दि. 30.6.90

क्र. सं.	नाम कृषक मय वल्दियत	ग्राम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि	दिनांक	वितरित राशि	अवितरित राशि	कारण
1	2	3	2	5	6	7	8	9
13.	श्री प्रभुलाल पुत्र छोगा लाल मीणा	जोरावरपुरा	डीसीबी	20000	9.12.89 27.2 .90	6000 8000	6000	दी गई राशि से ही कार्य पूर्ण हो गया तृतीय किश्त की आवश्यकता नहीं है ।
14.	श्री आंनदीलाल पुत्र गोंमदा मीणा	बमलियाखुर्द	,,	9000	9.12.89 2.1.90	2700 3600	2700	बोरिंग में पानी नहीं मिलने के कारण प्रार्थी अभी तृतीय किश्त नहीं लेना चाहता ।
15.	श्री जगन्नाथ पुत्र सुक्खा धाकड़	जोरावरपुरा	,,	21000	14.12.89	6300	14700	दी गई ऋण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है ।
16.	श्री शिवशंकर पुत्र भंवरलाल ब्रा.	पीपल्दा	,,	21000	27.12.89 14.6.90	6300 8400	6300	दी गई ऋण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया हैं ।
17.	श्री कान्हा पुत्र बल्देव चमार	रामपुरिया	,,	21000	11.1.90	6300	14700	95. मी. की दूरी पर अन्य चाह होने से विशेष स्वीकृति हेतु विचाराधीन ।
18.	श्री मांगया पुत्र मूरा धाकड़	अयाना	,,	21000	24.1.90	6300	14700	प्रार्थी ने अभी दी गई राशि का उपयोग नहीं किया है ।
19.	श्री गोपाल पुत्र भैंरू चमार	देवपुरा	,,	21000	19.2.90 14.6.90	6300 8400	6300	कार्य चल रहा है दी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है ।
20.	श्री रामनिवास पुत्र जग्गा मीणा	राजपुरा	,,	20000	22.2.90 1 .3.00	6000 8000	6000	कार्य चल रहा है दी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है ।

240

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र मोतीलाल धाकड़	जोरावरपुरा	डीसीबी	21000	22.2.90 8.3.90	6300 8400	6300	दी गई राशि में ही प्रार्थी का कार्य हो जाने से तृतीय किश्त नहीं लेना चाहता है।
22.	श्री काल्या पुत्र धूल्या चमार	नीमसरा	,,	18000	24.2.90 8.3.90	5400 7200	5400	दी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है।
23.	श्री सूरजमल पुत्र मूल चन्द ब्रा.बागरोद		,,	18000	8.3.90	5400	12600	बोरिंग कार्य चालू है अभी दी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है।
24.	श्री रामपाल पुत्र हीरा धाकड़	रजोपा	,,	16000	15.3.90 24.5.90	4800 6400	4800	दी गई राशि में ही कार्य पूर्ण हो गया है, तृतीय किश्त की आवश्यकता नहीं है।
25.	श्री बिरधीलाल पुत्र सरिया माली	पीपल्दा	,,	18000	17.3.90	5400	12600	बोरिंग कार्य चल रहा है, राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है।
26.	श्री श्रवण पुत्र मोती चमार	गुमानपुरा	,,	19000	22.3.90	5700	13300	प्रार्थी ने बोरिंग गलत खसरा नं. में कराने से पुनः स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।
27.	श्रीमती मूली बेवा मथुरा मीणा	राजपुरा	,,	20000	4.5.90 15.6.90	6000 8000	6000	कार्य चल रहा है दी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है।
28.	श्री भंवरलाल पुत्र किशनगोपाल ब्रा.	जटवाडी	,,	19000	4.5.90	5700	13300	प्रार्थी ने अभी उपयोग नहीं किया है।
29.	श्री गोवरी लाल पुत्र रामनाथ माली	गोपालपुरा	,,	16000	9.5.90	4800	11200	प्रार्थी ने अभी उपयोग नहीं किया है।
30.	श्री बद्रीप्रसाद पुत्र हरीनारायण	नीमसरा	,,	20000	24.5.90	6000	14000	प्रार्थी ने अभी उपयोग नहीं किया है।
31.	श्री सीताराम पुत्र भंवरलाल मीणा	गवाड़ी	,,	19000	15.6.90	5700	13300	प्रार्थी ने अभी उपयोग नहीं किया है।
32.	श्री रामेश्वर पुत्र मांगया मीणा	राजपुरा	,,	14000	21.6 90	4200	9800	कार्य चल रहा है अभी दी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ।
33	श्री प्रभुलाल पुत्र कैलाश मीणा	डडवाड़ा	,,	21000	28 6 90	6300	14700	प्रार्थी ने अभी उपयोग नहीं किया है।

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कृषि उपज मंडी बारां (कोटा) के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

251. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि उपज मंडियों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो कोटा जिले की उपज मंडियों में कितने कर्मचारी कब से काम कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी बारां में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 12 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दीर्घकाल से सेवारत ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कोटा जिले की कृषि उपज मंडी समितियों में दैनिक वेतन पर कार्यरत 24 कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जी हां । दीर्घकाल से सेवारत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है ।

कोटा जिले की मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक/फिक्स वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची:—

क्र.सं. मंडी समिति	नाम कर्मचारी	पद	कब से कार्यरत हैं
1, रामगंजमंडी	1. श्री भंवर लाल	सफाईकर्ता	3–12–86 से
	2. ,, राम लाल	जल व्यवस्था	2–5–87 से
	3. ,, गोपाल सिंह	ड्राइवर	10–11–87 से
2. इटावा	1. ,, राम गोपाल	पानीवाला	1–4–84 से
	2. ,, भंवर लाल	चौकीदार	6–7–88 से
	3. ,, तुफान	सफाईकर्ता	21–12–85 से
3. सांगोद	1. ,, मंगति राम	हरिजन (सफाईकर्ता)	2–2–81 26–9–86 से लगातार
	2. ,, मोतीराम खंगार	जलवाहक	23–2–84 26–9–86 से लगातार
4. अन्ता	1. ,, जगदीश प्रसाद	चौकीदार	29–7–87
	2. श्रीमती दांखा बाई	पार्टटाइम सफाईकर्ता	अक्टूबर 86
5. बारां	1. श्री ईश्हाक मोहम्मद	चौकीदार	10–7–78
	2. श्री सत्यनारायण	प्रकाश व्यवस्था	7–11–81
6. कोटा	1. ,, किशन लाल	सफाईकर्ता	1–2–79
	2. ,, रमेश चन्द्र	,, ,,	7–2–81
	3. ,, दुर्गा शंकर	चौकीदार	7–4–81
	4. ,, नन्द लाल भील	,, ,,	25–10–83
	5. श्रीमती कांति बाई	,, ,,	17–10–83
	6. ,, सोसर बाई	सफाईकर्ता	18–10–83
	7. ,, लटूर लाल	,, ,,	21–10–83
	8. ,, राजू	,, ,,	16–5–84
	9. श्रीमती शांति बाई	,, ,,	24–5–84
	10. श्री श्याम लाल	,, ,,	9–9–87
	11. ,, सूरज	,, ,,	4–4–87
	12. श्रीमती सज्जन बाई	,, ,,	22–9–87

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या

252. श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है और इसके आंकलन का आधार क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अखिल भारतीय प्रतिशत क्या है और क्या राज्य सरकार, राजस्थान के सम्बन्ध में इस प्रतिशत को उचित मानती है ? यदि नहीं, तो इसे उठाने की दिशा में क्या-क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 34.3 है इसे आंकने का आधार राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा 38वें दौर (जनवरी, 83-दिसम्बर-83) में एकत्रित उपभोग के आँकड़े हैं ।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अखिल भारतीय प्रतिशत भारतीय प्रतिदर्श संगठन के 38वें दौर के दौरान एकत्रित उपभोग से संबंधित आंकड़ों के अनुसार 37.4 है । राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के निष्कर्षों को उचित नहीं माना गया है एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का आधार बदलने हेतु उपाध्यक्ष, आयोजना विभाग, नई दिल्ली, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, भारत सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति एवं नवें वित्त आयोग के सम्मुख समय-समय पर उठाया जाता रहा है यह विषय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक दिनांक 18–19 जून, 1900 में भी उठाया गया था ।

डीडवाना पंचायत समिति क्षेत्र में कुए निर्माण में अनियमिततायें

253. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या मुख्य (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री चेनाराम चौधरी–प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना कृषि प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता व विकास अधिकारी पंचायत समिति, डीडवाना के विरुद्ध दि. 7-12-1989 को महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर के पास श्री हनुमानमल मैठ, सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया ने इस आशय की शिकायत की थी कि उपरोक्त चारों व्यक्तियों ने षड्यंत्र कर दिनांक 1-7-1989 को 10,200 रुपये प्रति कूप के 58 कूपों की भिन्न-भिन्न पंचायतों के नाम दो स्वीकृतियां जारी कर करीब 3 लाख रु. का गबन किया है जबकि करीब 28 कुओं की लगभग फर्जी एम. बी. दैनिक रखें कनिष्ठ अभियन्ता से भराकर रकम उठाली ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायत पर उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार विभाग नागौर को जांच के आदेश दिये थे लेकिन उन्होंने कोई जांच आज तक नहीं की ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन्हें फर्जी कुए बनाना बताया था उन्हीं कुओं को

अकाल राहत में 13,000 रु. प्राप्त कर दुबारा बनाना बताकर प्रधान ने दोहरा भुगतान प्राप्त किया हैं ? क्या उक्त तथ्यों के संदर्भ में उप अधीक्षक ने इन दोनों रेकार्डो को कब्जे में नहीं लिया और न ही किसी प्रकार की जांच ही की ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कुए विद्युत अनुभाग, भूमि विकास बैंक नागौर व पटवारी हल्का की गिरदावरी इत्यादि में अंकित हैं, जिसमें कुओं पर अमुक वर्ष से उन्हालू फसल होने का उल्लेख है लेकिन जांच में इन सबका पता तक नहीं लगाया ?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार प्रधान पंचायत समिति डीडवाना व अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर विस्तृत जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । जांच की जा रही है, जो प्रगति पर है ।

(3) इस सम्बन्ध में जांच पूर्ण होने पर ही सही स्थिति का ब्योरा दिया जा सकेगा। इस बाबत 58 कुओं की स्वीकृति सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया जाकर जांच की जा रही है शेष रिकार्ड पंचायत समिति डीडवाना आडिट के कारण अभी देने में असमर्थ है ।

(4) इस सम्बन्ध में जांच पूर्ण होने पर ही सही तथ्यों का पता लग सकेगा ।

(5) जांच पूर्ण होने पर ही एकत्रित तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, नागौर को दे दिये गये हैं ।

अनूपगढ़ की पंचायत समितियां

254. **श्री सुनीलकुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति अनूपगढ़ में कुल कितनी पंचायतें हैं और उनमें कितनी कितनी जनसंख्या हैं ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत समिति के विस्तृत रूप को देखते हुये इसकी तीन पंचायत समितियां बनाने का विचार रखती है ?

(3) क्या विभाग द्वारा इस बारे में कोई सर्वे करवाया गया है ? यदि हा, तो सर्वे की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो कब तक सर्वे करवाया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अनूपगढ़ में कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं । पंचायत वार जनसंख्या की सूचना संलग्न सूची में है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण करने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है । अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है । शीघ्र निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ।

(3) जी नहीं । जिला स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा ।

क.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वर्ष 1981 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या	क.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या
1.	बूगिया (4 जे. एस. डी.)	4216	32.	2 के. एल. डी.	2579
2.	1 जी. बी. (जेतसर)	4951	33.	17 के. एल. डी.	2571
3.	2 जी. बी. ए.	2390	34.	2 के. एम.	2771
4.	7 जी. बी.	2980	35.	22 आर. जे. डी.	1699
5.	24 जी. बी.	3412	36.	1 एस. के. एम.	2412
6.	28 जी. बी.	2974	37.	13 एम. डी.	3062
7.	बिलोचिया	3974	38.	27 ए. एस (घड़साना नई मण्डी)	24558
8.	12 जी. बी.	2284	39.	2 जी. एम.	-262
9.	17 जी. बी.	2638	40.	13 डी. ग्रो. एस.	2711
10.	42 जी. बी.	3125	41.	10 के. डी.	2448
11.	61 जी. बी.	3612	42.	4 के. पी. डी,	2350
12.	गोमावली	10750	43.	मोटासर (5 ए.एस.)	3261
13.	50 जी. बी.	1590	44.	16 ए. एस. (कूमली)	3492
14.	59 जी. बी.	4145	45.	3 एस. ए.डी. (मसानीवाला)	4216
15.	65 जी. बी.	2267	46.	15 ए.	3678
16.	41 जी. बी.	3612	47.	22 ए.	2864
17.	74 जी. बी.	4019	48.	9 एल. एम.	3839
18.	72 जी. बी.	2307	49.	20 एल. एम.	3573
19.	78 जी. बी.	4046	50.	3 एम. डी.	3970
20.	90 जी. बी.	2750	51.	15 बी. एल. डी ए.	3529
21.	रोजड़ी 2 एम. जी. एम	1275	52.	1 बी. एल. डी	4259
22.	नाहरावाली	3872	53.	8 एस. टी. बी.	4242
23.	14 ए. पी. डी.	4106	54.	27 ए.	2344
24.	2 एम. एल. डी.	2806	55.	21 एस. जे. एम. (खोखरावाली)	2845
25.	17 एम. एल. डी.	2996	56.	बांडा (सरादशहर)	3473
26.	8 पी. एस. डी.	2427	57.	गंगासिंह पुरा (11 पी)	2975
27.	9 एम. डी.	2744	58.	12 एच	2719
28.	12 एम. एल. डी.	3064	59.	48 जी. बी. ए. (रेडवगी)	2097
29.	7 के. एन. डी.	2293	60.	7 ए. पी. डी. (मालीवाला)	1940
30.	6 डी. डी.	2656			
31.	5 पी. एस. डी.	2927			

पशु चिकित्सालय ग्राम मीलखपुर गुजर

255. श्री जीतमलजैन (अलवर) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26-9-1986 को ग्राम भीवोणा तहसील तिजारा जिला अलवर में चल रहे पशु चिकित्सालय को ग्राम मीलखपुर गुजर-तिजारा में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या पशु चिकित्सालय का स्थानान्तरण कर दिया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों एवं कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं ?

(4) अब किस तिथि तक औषधालय का स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26–9–86 के द्वारा पशु औषधालय भीवाणा का स्थानान्तरण ग्राम मीलखपुर गुजर किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे ।

(2) जी नहीं, भीवोणा से पशु औषधालय का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

(3) राज्य सरकार के आदेशानुसार भीवोणा से औषधालय का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

(4) स्थानान्तरण अब नहीं होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 256

(स्थगित)

तारांकित प्रश्न सं. 257

(स्थगित)

तारांकित प्रश्न संख्या 258

(स्थगित)

श्रीगंगानगर को-ऑपरेटिव आयल सीड प्रो. मिल्स गर्जसिंहपुर

259. श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार श्री गंगानगर को-आपरेटिव आयल सीड प्रो. मिल्स गर्जसिंहपुर, जो सहकारिता क्षेत्र में पहला कॉटन सीड काम्पलेक्स है, इसके नवीनीकरण हेतु विश्व बैंक की सहायता दिलवा रही है ? यदि हां, तो कितनी राशि ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार का सभी ऑयल मिल्स को अलग ऑयल फेडरेशन बनाकर चलाने का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मिल को घाटे के कारण फेडरेशन में शामिल नहीं किया जा रहा ? यदि नहीं, तो इस मिल के बारे में सरकार क्या नीति अपना रही है ?

(4) क्या सरकार उक्त मिल में विगत में हुए घोटालों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री हेतराम बेनीवाल)

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हाँ ।

(3) जब तक इस इकाई में पूर्व में हुए घाटे की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक ग्रॉचल फेडरेशन भी इस यूनिट को नहीं लेगा, इसके लगभग 170 लाख रुपये के पुराने घाटे की पूर्ति कैसे हो इस पर विचार किया जा रहा है ।

(4) इस मिल में हुई अनियमितताओं की जाँच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के तहत की जा रही है ।

नारायणपुर (थानागाजी) में गौण कृषि मंडी की दुकानें

260. **श्री रमाकांत शर्मा** (थानागाजी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला अलवर में नारायणपुर तहसील थानागाजी में गौण कृषि मंडी की दुकानों का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ ?

(2) क्या मंडी ने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) दुकानों का निर्माण कार्य माह मई 90 में पूर्ण हुआ ।

(2) जी हाँ । नव निर्मित दुकानों के आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(3) आवंटन उपरान्त नवीन मण्डी यार्ड में व्यापार प्रारम्भ हो सकेगा ।

टौंक क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

261. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति टौंक क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सीय संस्था कहां-कहां पर कार्यशील हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पशुओं की जनसंख्या के आधार पर पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र में पशुओं की जनसंख्या ग्राम पंचायतवार कितनी-कितनी है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों एवं समुचित चिकित्सा सुविधा कब तक उपलब्ध करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति टौंक क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालय, एक पशु औषधालय एवं एक चल पशु चिकित्सा इकाई कार्यरत है ।

(पशुपालन राज्य मन्त्री)

सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) नई पशु चिकित्सा संस्था खोलते समय जिले की कार्यरत संस्था की दूरी, उपलब्ध सुविधाएँ, आबादी एवं पशु संख्या मुख्य आधार है ।

(3) ग्राम पंचायतवार पशु गणना नहीं की जाती है । तहसीलवार पशु गणना के आंकड़े उपलब्ध हैं एवं वर्ष 1983 की पशु गणना के अनुसार तहसील टौंक के कुल 3,06,664 पशुधन उपलब्ध हैं ।

(4) क्षेत्र विशेष हेतु पशु चिकित्सा संस्था खोलने का मापदण्ड निर्धारित नहीं है । यद्यपि नई संस्था स्थापित करने का मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है । वर्तमान में टोंक जिले के प्रत्येक 19839 गोवंश इकाइयों पर एक पशु चिकित्सा संस्था की सुविधा उपलब्ध है ।

पंचायत समिति टोंक में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची

पशु चिकित्सालय	1. टौंक
	2. पीपलू
	3. अरनियाकेदार
पशु औषधालय	1. अत्तालिकपुर
चल पशु चिकित्सा इकाई	1. टोंक

जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी के प्रकरण

262. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पिछले तीन महीनों में जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में कितने रुपये का क्या-क्या सामान पकड़ा गया और किन-किन को क्या–क्या सजा दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पिछले तीन महीनों में जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी के विरुद्ध 225 मामले दर्ज किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त मामलों में जितने रुपये का जो–जो सामान जब्त हुआ एवं जो कार्यवाही की गई, उसका विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कन्या छात्रावास खैरवाड़ा

263. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कन्या छात्रावास खैरवाड़ा में छात्राओं के स्नानागार सहित अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि छात्राओं को सुविधा के अभाव में मजबूरन नदी में स्नान, हेतु जाना पड़ता है जहां पी. टी. एस. के जवानों के आवासीय स्थल हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अशोभनीय व्यवस्था को उचित मानती है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार सभी आवश्यक व्यवस्था कब तक उपलब्ध करा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कन्या छात्रावास खैरवाड़ा में छात्राओं हेतु 4 स्नानागार हैं तथा 4 ही शौचालय हैं। परन्तु छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण पूर्ण सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

(2) जी नहीं। स्नानागार सुविधाओं के अभाव में छात्रायें नदी में स्नान करने नहीं जाती हैं। परन्तु जल सुविधा के अभाव में छात्रायें नदी पर कपड़े धोने जाती हैं। पी.टी.एस. जवानों का आवासीय स्थल नजदीक है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के द्वारा कन्या छात्रावास में छात्राओं के लिए स्नानागार निर्माण एवं पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये 35,623/– रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(252)

राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन

264. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) राजस्थान सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ ? उसमें कौन पदाधिकारी व सदस्य हैं ?

(2) उक्त फेडरेशन का उद्देश्य व कार्य क्षेत्र क्या है ? क्या फेडरेशन की गतिविधियों से भेड़पालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिल रही है ?

(3) फेडरेशन में भेड़पालकों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने एवं फेडरेशन के कार्यों में आई शिथिलता में सुधार हेतु क्या सरकार इसका पुनर्गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य में ऊन के विपणन की कहां–कहां और क्या व्यवस्था की गई है ?

(5) क्या सरकार ऊन के न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर भेड़ पालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने का विचार रखती है ?

(6) क्या सरकार ऊन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष रियायतें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वर्तमान में क्या–क्या रियायतें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 1977 में किया गया था । फेडरेशन के संचालक मण्डल में भेड़ पालक सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण तथा राज्य सरकार के निम्न पदाधिकारी होते हैं:—

1.	भेड़पालक सहकारी समितियों के अध्यक्ष (निर्वाचित होने पर)	सदस्य
2.	भेड़पालक सहकारी समितियों के अध्यक्ष (निर्वाचित होने पर)	सदस्य
3.	भेड़पालक सहकारी समितियों के अध्यक्ष (निर्वाचित होने पर)	सदस्य
4.	शासन सचिव, भेड़ व ऊन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर ।	मनोनीत सदस्य
5.	पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर	मनोनीत सदस्य

(भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री)

6. निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग — मनोनीत सदस्य–पदेन प्रबन्ध संचालक

7. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर। — मनोनीत सदस्य

(2) उक्त फेडरेशन का उद्देश्य भेड़ व बकरी के व्यवसाय को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाकर भेड़पालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाना है। फेडरेशन का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान है। फेडरेशन भेड़पालकों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयत्नशील है।

(3) जी हां। फेडरेशन में भेड़पालकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा इसका पुनर्गठन करने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) फेडरेशन की तीन विपणन इकाइयां क्रमशः बीकानेर, जोधपुर तथा ब्यावर है। उक्त तीनों विपणन इकाइयों द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्र में भेड़पालक सहकारी समितियों तथा भेड़पालकों से ऊन क्रय करने का कार्यक्रम विचाराधीन है।

(5) ऊन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की कोई कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(6) जी हां। ऊन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के क्रम में 1990–91 में ऊन धागे पर विक्रय कर की दर में कमी व नमदे के लिए कच्ची ऊन पर वित्तीय बजट में छूट दी गई है।

आसीन्द में सहकारी मिल की स्थापना

265. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द जिला भीलवाड़ा में सहकारी मिल की स्थापना का सरकार ने निश्चय किया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी मिल के राज्य सरकार के निर्णय के बाद किसानों से हिस्सा पूंजी भी एकत्रित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि एकत्रित की गयी व कहां जमा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने इस सहकारी मिल की स्थापना के निर्णय के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री ने शिलान्यास भी किया था ? यदि हां, तो इसके बाद इस मिल का कार्य आरम्भ करने की क्या योजना थी और इसकी क्रियान्विति न होने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार इस मिल को आरम्भ करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(254)

उत्तर

(1) जी हां। सितम्बर, 81 में।

(2) जी हां। 2,95,400/– हिस्सा पूंजी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा में जमा हुई थी।

(3) जी हां। भारत सरकार से औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त नहीं होने के कारण इस योजना की क्रियान्विति नहीं हो पायी।

(4) जी नहीं। भारत सरकार ने इस मिल सम्बन्धी प्रार्थनापत्र को नवम्बर, 85 में निरस्त कर दिया है।

आंधी (जमवारामगढ़) में उप तहसील

266. **श्री रामेश्वर प्रसाद गूजर** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कोई तहसील मुख्यालय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के मध्य में ग्राम आंधी में, जो सबसे बड़ा कस्बा है, उप–तहसील खोलने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जमवारामगढ़ में तहसील मुख्यालय है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 जून, 1990)

सुमेरपुर क्षेत्र की शालाओं में रिक्त पद

34. **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। यदि हां, तो कितने ?

(2) सत्रारम्भ से पूर्व इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 40 पद रिक्त हैं।

(2) सत्रारम्भ से पूर्व इन पदों को भरना सम्भव नहीं है। सरकार नई चयन नीति पर विचार कर रही है, जिस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

बीकानेर खण्ड कृषि विपणन बोर्ड में अनियमितताएं

267. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) एव **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्य कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री निर्भय लाल एवं श्री चुन्नीलाल, इन्दलिया)

(1) क्या यह सही है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बीकानेर के स्टोरकीपर सन्तलाल टांक द्वारा स्टोर से 750 सीमेंट के थैले व 450 डामर के ड्रम खुले बाजार में बेच दिये गये हैं ? यदि हां, तो गोदाम से सामग्री स्टाक रजिस्टर में किस तिथि से शून्य पायी गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अनियमिततायें बड़े-बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से की गयी है ? यदि नहीं, तो इतने बड़े काण्ड की आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई गई ?

(3) क्या सरकार उक्त मामले की तत्काल पुलिस थाने में रिपोर्ट कराकर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? मामले से सम्बन्धित विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्टोर कीपर सन्तलाल टांक द्वारा डामर के ड्रम व सीमेंट के थैलों को इशु करने में अनियमितताओं के बारे में जांच की जा रही है। 11 अप्रेल, 90 को सीमेंट का स्टॉक रजिस्टर में शून्य था।

(2) जांच के दौरान ही इस मामले में सर्व श्री एम. के. मेहता अधिशाषी अभियन्ता, वी.एस. टांक सहायक अभियन्ता व स्टोर कीपर सन्त लाल को निलम्बित कर दिया है। पूरी जांच के बाद ही सही रूप से उत्तरदायित्व निर्धारण करना सम्भव हो सकेगा। जांच के आधार पर ही पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) इस प्रकरण में जांच विचाराधीन है। जांच के आधार पर ही पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

268. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1980 से अब तक नई नियुक्तियों पर समय-समय पर रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में कब-कब रोक लगाई गई व कब-कब हटाई गई ? कृपया तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोक के कारण काफी संख्या में नवयुवक, नवयुवतियां नौकरी में प्रवेश की उम्र पार कर गये ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे नवयुवक, नवयुवतियों को आयु सीमा में और विशेष छूट देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) हां, विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) यह सम्भव है कि रोक लगाने की स्थिति एवं इसे हटाये जाने की तिथि के बीच कुछ नवयुवकों की आयु नौकरी में प्रवेश की उम्र पार कर गई हो।

ऐसे नवयुवकों/नवयुवतियों की आयु सीमा में और विशेष छूट देने का विचार नहीं है, क्योंकि आयु सीमा पहले ही 31 वर्ष से 33 वर्ष वित्त विभाग के आदेश क्र. 1 (अ) (12) वित्त/नियम/77 दि. 25.1.90 के द्वारा कर दी गई है और इन्हें 18 वर्ष से 33 वर्ष की आय तक नौकरी हेतु प्रयत्न करने के लिए 15 वर्ष का समय मिल जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू तहसील की प्राथमिक शालाएं

269. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू तहसील में पंचायत समिति के अधीनस्थ कितने विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये विद्यालय स्कूल भवन में सचालित हैं? यदि नहीं, तो कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास स्कूल भवन नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति में क्या अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या के अनुपात में पूरी है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक रिक्त स्थानों को भरने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार उक्त तहसील में नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन मानदण्ड के अनुसार?

उत्तर

(1) चूरू तहसील में पंचायत समिति के अधीन कुल 74 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 72 विद्यालय भवनों में संचालित हैं एवं 2 विद्यालयों के पास भवन नहीं है जिसका विवरण सदन के पटल पर रखी गयी सूची में अंकित है।

(3) जी नहीं। छात्र अनुपात में 47 अध्यापकों की कमी है। राज्य सरकार इस वर्ष छात्रों के अनुपात से अध्यापक शीघ्र नियुक्त करने का प्रयास कर रही है।

(4) जी नहीं। क्योंकि गत वर्ष पूर्व सरकार ने बिना विवेक के स्कूल खोले हैं, उनकी व्यवस्था करने का ही राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

पंचायत समिति चूरू

विद्यालयों के नाम जो स्कूल भवन में संचालित है अथवा नहीं है उनकी विद्यालयवार सूची।

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्कूल भवन में संचालित हैं	जिसके पास स्कूल भवन नहीं है
1	2	3	4
1.	गाजसर	हां	—
2.	रामसरा	,, ,,	—
3.	डाबला	,, ,,	—
4.	बालरासर तबरान	,, ,,	—
5.	थैलासर छात्र	,, ,,	—
6.	ढाणी लाल सिंह पुरा	,, ,,	—
7.	ढाणी डी. एस. पुरा	,, ,,	—
8.	हुणतालपुरा	,, ,,	—
9.	जुहारपुरा	,, ,,	—
10.	सहनाली बडी	,, ,,	—
11.	सूरतपुरा	,, ,,	—
12.	मोलीसर बड़ा	,, ,,	—
13.	छाजूसर	,, ,,	—
14.	सातडा छात्र	,, ,,	—
15.	बीनासर छात्रा	,, ,,	—
16.	पोटी	,, ,,	—
17.	जसरासर छात्र	,, ,,	—
18.	दूधवा मीठा	,, ,,	—
19.	बास घन्टेल	,, ,,	—
20.	रामदेवरा	,, ,,	—
21.	कुनसीसर	,, ,,	—
22.	घोघलिया	,, ,,	—
23.	ढाणी मुनीम जी	,, ,,	—
24.	सोमासी	,, ,,	—
25.	रिडखला	,, ,,	—
26.	चारणवासी	,, ,,	—
27.	रामपुरा रेणू	,, ,,	—

1	2	3	4
28.	चन्देल नगर	हाँ	—
29.	कोटवाद नाथोतान	,, ,,	—
30.	कोटबाद ताल	,, ,,	—
31.	कोटबाद टिब्बा	,, ,,	—
32.	घमैरी	,, ,,	—
33.	महरावणसर	,, ,,	—
34.	सहजूसर (छात्र)	,, ,,	—
35.	कड़वासर	,, ,,	—
36.	गिनडी पट्टा लोहसना	,, ,,	—
37.	भैरूसर	,, ,,	—
38.	थालाडी	,, ,,	—
39.	मठोडी	,, ,,	—
40.	दूधवाखारा	,, ,,	—
41.	ढाणी रथवा	,, ,,	—
42.	दूधवा खारा स्टेशन	,, ,,	—
43.	गिनड़ी पट्टा राजपुरा	,, ,,	—
44.	लोहसना छोटा	,, ,,	—
45.	बासढाकान	,, ,,	—
46.	ढाणी लक्ष्मणसिंह	,, ,,	—
47.	बासमहलान	,, ,,	=
48.	लादडिया	,, ,,	—
49.	बाड़की	,, ,,	—
50.	घांघू (छात्र)	,, ,,	—
51.	बणी का बास	,, ,,	—
52.	श्योदान पुरा	,, ,,	—
53.	कर्णपुरा	,, ,,	—
54.	बासजसवन्तपुरा	,, ,,	—
55.	बास सिरसला	,, ,,	—
56.	आसलू स्टेशन	,, ,,	—
57.	बास जैसेका	,, ,,	—
58.	ढाणी पन्नेसिंह	,, ,,	—
59.	बिकासी	,, ,,	—
60.	बरड़ादास	,, ,,	—
61.	सहजूसर (छात्रा)	,, ,,	—
62.	थैलासर (छात्रा)	,, ,,	—

1	2	3	4
63.	सातड़ा (छात्रा)	हाँ	—
64.	खण्डवापट्टा पीथीसर	,, ,,	—
65.	खण्डवापट्टा भारिया	,, ,,	—
66.	घीरासर बीकान	,, ,,	—
67.	जोड़ी पट्टा सात्यू	,, ,,	—
68.	नाकरासर	,, ,,	—
69.	ढाणी खरीटान	,, ,,	—
70.	रणासर	,, ,,	
71.	जोड़ीपट्टा चारणान	—	शाला भवन नहीं है।
72.	लालासरपट्टा राजपुरा	हां	
73.	जसरासर (छात्रा)	हां	
74.	ढाणी कुनसीसर	—	शाला भवन नहीं है।

गौहत्या पर प्रतिबन्ध

270. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में गौ संवर्द्धन की दृष्टि में गौहत्या प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबन्धित है ।

(2) चूंकि गो हत्या कानून 1950 से पारित है । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

दादूदयाल महासभा प्रन्यास के ट्रस्टियों के विरुद्ध शिकायतें

271. **श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 से दादूदयाल महासभा प्रन्यास के ट्रस्टियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर ने अपने आदेश से इन शिकायतों की जांच निरीक्षक से करवाई थी जिसकी जांच रिर्पोर्ट 1986 में प्राप्त हो गई थी ? यदि हां, तो इस रिर्पोर्ट में किन-किन को दोषी ठहराया गया था और रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि संस्था की प्रति वर्ष ऑडिट रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी जाती है ? यदि हां, तो इसके लिए विभाग ने संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन देवस्थान आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 9-8-1988 को इस प्रन्यास का स्पेशल ऑडिट कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के तहत ऑडिट करवा लिया गया है ? यदि हां, तो स्पेशल ऑडिट रिर्पोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, । शिकायतों की जांच निरीक्षक, देवस्थान से करवाई गई थी । जिस पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत धारा 38 व 49 में कार्यवाही लम्बित है ।

(2) जी हां, इस सम्बन्ध में निम्न व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है ।—

1. श्री सुखदेवदास 2. श्री ईश्वरदास
3. श्री अर्जुनदास
4. श्री स्वामी जीवानन्द
5. श्री रामपालदास स्वामी
6. श्री महन्त बजरंगदास स्वामी

7. श्री लल्लूनारायण

8. श्री मोहनलाल

उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 38 व 49 में कार्यवाही लम्बित है।

(3) प्रन्यास द्वारा हिसाब भेजा जाता है किन्तु राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 34 व 35 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई जिसमें प्रन्यास के कार्यवाहक प्रन्यासी मंत्री स्वामी जीवानन्द को दोषी पाये जाने पर डा. कृष्णदास दादूपंथी को इनके विरुद्ध धारा 75 राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत सक्षम दण्डनायक प्रथम श्रेणी जयपुर के समक्ष अभियोग प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 5.6.90 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न सं. 364 की सूची

ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भूमि के रकबे की सूचि निम्न प्रकार हैं :—

(1) पड़ाड तथा पहाड़ियां	154 बीघा 8 बिस्वा
(2) नदी नाले—	94 बीघा 16 बिस्वा
(3) आबादी	26 बीघा 11 बिस्वा
(4) जालोद भूमि	22 बीघा 3 बिस्वा
(5) शमशान भूमि	3 बीघा 14 बिस्वा
(6) गांव के मार्ग पंगडंडी	2 बीघा 2 बिस्वा
योग जिमन नं0 1	303 बीघा 14 बिस्वा
(7) खातेदारी भूमि	1555 बीघा 11 बिस्वा
(8) चरागाह भूमि	196 बीघा 4 बिस्वा
(9) जंगलात	869 बीघा 14 बिस्वा
कुल योग	3925 बीघा 3 बिस्वा

ह.—

कलक्टर, जयपुर

(262)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न सं 365 की सूची

नक्शा आई. पी.सी. व लोकल एक्ट एवं स्पेशल एक्ट

वर्ष 1987, 1988, 1989, व 1990 के मुकदमात की सूची

क्र. सं.	तफसील अपराध	वर्ष	थाना गढ़मोरा	थाना टोडा भीम
1.	2	3	4	5
1.	डकैती	1987	–	2
		1988	–	2
		1989	–	–
		1990	–	–
2.	कत्ल	1987	–	2
		1988	2	3
		1989	–	3
		1990	1	1
3.	लूट	1987	2	2
		1988	2	4
		1989	1	2
		1990	2	2
4.	नकबजनी	1987	21	12
		1988	4	17
		1989	2	16
		1990	–	3
5.	सरका मवेशी	1987	3	–
		1988	–	–
		1989	–	2
		1990	–	–
6.	सरका सादा	1987	16	35
		1988	17	30
		1990	14	32
		1990	5	3
7.	बल्वा	1987	62	51
		1988	77	76
		1989	44	81
		1990	18	–

1	2	3	4	5
8.	बलात्कार	1987	—	—
		1988	2	1
		1989	2	1
		1990	—	1
9.	अन्य आई. पी. सी.	1987	62	87
		1988	53	120
		1989	62	136
		1990	13	47
10.	अन्य एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा	1987	8	6
		1988	16	22
		1989	14	28
		1990	1	6
1.	योग	1987	174	197
		1988	173	274
		1989	139	301
		1990	40	63
	महायोग		526	835=1361

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 369 की सूची

1. आवासन मण्डल की एस.डब्ल्यू.बी. कॉलोनी अलवर में अरावली विहार में पुलिस थाना कायम करने।
2. जय नारायण व्यास कालोनी (बीकानेर) में पुलिस थाना बनाने।
3. कस्बा मनोहरपुर जिला जयपुर ग्रामीण में पुलिस थाना बनाने।
4. पुलिस चौकी पंचलंगी (झुन्झुनू) को थाने में क्रमोन्नत करने।
5. पुलिस चौकी रूदावल (भरतपुर) को थाने में क्रमोन्नत करने।
6. पुलिस चौकी अमरसर, नरेना, बनेठी (जिला जयपुर ग्रामीण) को थाना बनाने।
7. पुलिस चौकी बदरेल (बांसवाड़ा) को थाने में क्रमोन्नत करने।
8. पुलिस चौकी सारथल (कोटा ग्रामीण) को थाने में क्रमोन्नत करने।
9. पुलिस चौकी रोहिट (पाली) को थाने में क्रमोन्नत करने।
10. पुलिस चौकी भोपाल सागर (चित्तौगढ़) को थाने में क्रमोन्नत करने।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न सं. 375 की सूची

तालिका ता. हि. के अपराध थाना डीग जिला भरतपुर वर्ष 87, 88 89 (सम्पूर्ण वर्ष) एवं वर्ष 1990 माह मई, 1990 तक

शीर्षक	वर्ष	रिपोर्ट	झूठे	157 बी जा.फो.	अदमपता	अदमसबूत	जेरतफतीश	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. डकैती	1987	1	—	—	1	—	—	—
	1988	—	—	—	—	—	—	—
	1989	2	—	—	—	—	—	2
	1990	1	—	—	—	—	1	—
2. कत्ल	1987	6	1	2	2	—	—	3
	1988	11	1	—	1	1	—	8
	1989	7	3	—	2	—	—	2
	1990	4	—	—	1	—	3	—
3. लूट	1987	5	1	—	3	—	—	1
	1988	2	—	—	—	—	—	2
	1989	1	—	—	—	—	—	1
	1990	2	—	—	1	—	1	—
4. नकबजनी	1987	26	—	—	18	—	—	8
	1988	21	3	—	14	—	—	4
	1989	26	3	—	18	—	—	5
	1990	14	2	—	4	—	4	4
5. चोरियां	1987	62	29	—	17	—	—	16
	1988	63	16	—	28	—	—	19
	1989	56	18	—	23	—	—	15
	1990	29	3	—	14	—	5	7
6. बलवा	1987	109	21	—	—	—	—	88
	1988	124	26	—	3	—	—	95
	1989	165	44	—	1	—	—	120
	1990	45	8	—	3	—	7	27
7. बलात्कार	1987	1	—	—	—	—	—	1
	1988	5	1	—	—	—	—	4

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1989	3	–	–	–	–	–	3
	1990	2	2	–	–	–	–	–
8. अन्य	1987	178	72	–	6	–	–	100
ता. हि.	1988	195	96	–	11	2	–	86
	1980	171	81	–	8	–	–	82
	1990	54	19	–	1	–	14	20
योग	1987	388	124	–	47	–	–	217
	1988	421	143	–	57	3	–	218
	1989	431	149	–	52	–	–	230
	1990	151	34	–	24	–	35	58

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 378 की सूची

क्र. नाम अखबार	वर्ष 87-88 में विज्ञापन व्यय की राशि			वर्ष 1988-89 में विज्ञापन व्यय की राशि			वर्ष 1989-90 में विज्ञापन व्यय की राशि		
	सजावटी	गैर सजावटी	योग	सजावटी	गैर सजावटी	योग	सजावटी	गैर सजावटी	योग
1. नवभारत टाइम्स	—	1972.00	1972.00	—	—	—	522.00	—	522.00
2. राजस्थान पत्रिका	—	900.00	900.00	—	216.00	216.00	—	336·00	336.00
3. जन नायक कोटा	200.00	—	200.00	—	—	—	250.00	—	250.00
4. किसान संदेश कोटा	100.00	—	100.00	—	—	—	—	—	—
5. घंटा टोप बून्दी	175.00	—	175.00	4:0.00	—	450.00	250.00	—	250.00
6. पानीदार साप्ताहिक दकाल बूँदी	675.00	—	675,00	250.00	—	250.00	250.00	—	250.00
5. बून्दी एक्सप्रेस	100.00	—	100.00	—	—	—	250.00	—	250.00
8. अंगद साप्ताहिक बून्दी	1800.00	108.00	1908.00	400.00	562·80	1962.80	1800.00	—	1800.00
9. सहकार कर्मी बून्दी	650.00	—	650.00	400.00	—	400.00	—	—	—
10. बून्दी संदेश सवाईमाधोपुर	150.00	—	150.00	—	—	—	—	—	—
11. राजमार्ग बून्दी	500.00	—	500.00	350.00	—	350.00	250.00	—	250.00
12. केसरिया बाना बून्दी	300.00	—	300.00	150.00	—	150.00	850.00	—	850 00
13. कोटा आब्जर्बर	150.00	—	150.00	—	—	—	—	—	—
14. हाडा भूमि बून्दी	150.00	—	150.00	—	—	—	—	—	—
15. योग्य कोटा	250.00	—	250.00	—	—	—	250.00	—	250.00
16. कोटा रिपोर्टर	300.00	—	300.00	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	अरानाद	330.00	—	330.00	—	—	—	—	—	—
18.	जनवादी लेखक संघ कोटा	400.00	—	400.00	—	—	—	—	—	—
19.	राजस्थान मंगल	1000.00	—	1000.00	—	—	—	—	—	—
20.	राष्ट्र निर्माण बून्दी	—	—	—	350.00	—	350.00	250.00	—	250.00
21.	आल राज. को-आप. बैंक यूनियन भीलवाड़ा	—	—	—	500.00	—	500.00	—	—	—
22.	देश की धरती कोटा	—	—	—	—	—	—	250.00	—	250.00
23.	अखिल राज. सह. बैंक अधि. ऐसो. कोटा	—	—	—	—	—	—	1500.00	—	1500.00
24.	कोटा इकाई सह. विभाग कर्म. सहकारी समितियां	—	—	—	—	—	—	500.00	—	500.00
25.	अपेक्स बैंक गैम्स क्लब कोटा	—	—	—	—	—	—	400.00	—	400.00
26.	अरनेडा ग्राम सेवा सह. स. लि.	—	—	—	—	—	—	200.00	—	200.00
27.	दैनिक सनसत्ता	—	—	—	—	—	—	—	2320.00	2320.00
28.	कोटा ब्यूरो	—	—	—	—	—	—	200.00	—	200.00
29.	सहकार दर्शक जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	4000.00	4000.00
		7230.00	2980.00	10210.00	3850.90	778.80	4628.80	7972.00	6656.00	14628.00

(268)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 383 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	इन्द्रा आवास कालोनी का नाम	इन्द्रा आवास की संख्या
(1)	बिचपुरी	1. इन्द्रा आवास बिचपुरी	10
(2)	गण्डावर	2. ,, ,, बिणजारी	10
(3)	कुरेड़ी	3. ,, ,, वीरपुर	10
		4. ,, ,, कुरेड़ी	10
(4)	अनियाला	5. ,, ,, बड़वास	10
(5)	रवांजना चौड़	6. ,, ,, रवांजना चौड़	6
(6)	दूमोदा	7. ,, ,, हज्जाम खेड़ी	20
		8. ,, ,, हलोंदा	10
(6)	गोटड़ा	9. ,, ,, जयसिंहपुरा	50
(8)	क्यारदा	10. ,, ,, चितौला	20
(9)	अक्षयगढ़	11. ,, ,, कबीरपुरा	10
(10)	डूंगरी	12. ,, ,, डूंगरी	10
(11)	बह् कला	13. ,, ,, कुढाणा	8
(12)	गोढबिहारी	14. ,, ,, गोढबिहारी	8
(13)	चितारा	15. ,, ,, खानुपुर	20
(14)	खण्डेवला	16. ,, ,, फरिया	10
(15)	बह्. खुर्द	17. ,, ,, सोनकच्छ	10
		18. ,, ,, अल्लापुर	10
		योगः—	242

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 387 की सूची

जिलेवार जलग्रहणों की सूची जिनको राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम में लिया गया है ।

क्र.सं. जिले का नाम	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	1986-87 भौतिक	1986-87 वित्तीय	1987-88 भौतिक	1987-88 वित्तीय	1988-89 भौतिक	1988-89 वित्तीय	1989-90 भौतिक	1989-90 वित्तीय
1. अलवर	1. सियाखो	201	0·51	130	1·24	60	0·175	192	1·28
	2. काकर कुटीना	—	—	165	1·40	—	—	—	—
2. भरतपुर	3. खान सूरजापुर	60	0·53	274	2·74	485	3 93	115	1·27
	4. कलसाडा	—	—	325	2·66	808	8·74	835	10·48
3. सवाईमाधोपुर	5. बारोली	—	0·01	400	3·73	175	1·50	846	5·52
	6. अन्तरहेड़ा	—	—	257	2·49	50	0·49	504	4·26
4. कोटा	7. मोईकलां	114(डीपीएपी)	1·80	245	2·40	497	5·00	585	5·80
	8. रानी बड़ौद	—	—	357	3·57	200	2·89	619	7·98
	9. छजावा	200	5·35	10	0,55	150	4·00	10	0 85
	10. बूंदी	100	1·00	162	1·60	—	—	—	—
5. झालावाड़	11. कोटड़ा कोटड़ी	—	—	174	2·00	590	5·28	555	5·15
6. अजमेर	12. माधोगढ़	—	—	627	1·36	1151	8·56	1992	21·90
	13. दुर्गावास	—	—	312	1·58	20	0·31	1839	18·62

269

क्र.सं. जिले का नाम	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	1986–87		1987–88		1988–89		1989–90	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
	14. बिच्चियावास	—	—	330	2·365	800	7·968	275	2·96
7. सिरोही	15. मनादर	—	—	653	2·38	468	2·55	....	....
	16. रामपुर खेड़ा	—	—	308	1·48	480	4·32	348	3·49
8. डूंगरपुर	17. घाटोड़	—	—	503	4·30	770	7·70	1164	11·64
	18. गामडी	325	1·00	398	3·50	360	3·60	317	3·77
	19 गन्धवा	—	—	545	4·50	269	2·69	....	....
9. बांसवाड़ा	20. हरेन्द्रगढ़	—	—	530	5·30	770	7·70	804	8·04
	21. पीपलखूंट	—	—	682	6·28	270	4·55	11	0·11
	22. मूंगड़ा	—	—	984	6·50	179	1·79	45	0·45
	23. नोगामा	96	0·895	273	2·49	901	8·35	579	5·79
10. टोंक	24. शिवपुरी	—	—	108	0·553	—	—	—	—
	25. देश्रोपुरा	—	1·11	177	0·939	—	—	—	—
	26. सदातनगर	—	—	112	0·484	—	—	—	—
11. उदयपुर	27. महूवरा	72	8·98	371	3·32	—	—	—	—
	28. समरन मुकरन	—	—	117	1·16	—	—	—	—
	29. पानों की श्रानी	—	—	302	1·93	—	—	—	—
	30. रघुनाथपुरा	—	—	204	1·59	—	—	—	—
12. चित्तौड़गढ़	31. मूगाना	—	—	354	2·03	—	—	—	—

क.सं. जिले का नाम	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	1986–87		1987–88		1988–89		1989–90	
		मौतिक	वित्तीय	मौतिक	वित्तीय	मौतिक	वित्तीय	मौतिक	वित्तीय
13. भीलवाड़ा	32. शाहपुरा	—	—	130	1·30	—	—	—	—
	33. रामपुरा	—	—	242	1·40	—	—	—	—
14. बून्दी	34. बम्बोली	195	1·91	502	3·46	—	—	—	—
15. धोलपुर	35. तालपुरा	40	0·48	441	3·[illegible]4	—	—	—	—
16. जयपुर	36. पोलिया	—	0·01	300	0·41	—	—	—	—
	योग :	1443	15·565	12004	89·521	9645	90·121	11763	120·99

272

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 391 की सूची

1. जिला एवं सत्र न्यायालय, सवाई-माधोपुर ।
2. विशेष न्यायालय (डकैती प्रभावित क्षेत्र), करोली ।
3. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, गंगापुर सिटी ।
4. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, करौली ।
5. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सवाई-माधोपुर ।
6. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, गंगापुर सिटी ।
7. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली ।
8. व्यवहार न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, हिण्डौन ।
9. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सवाई-माधोपुर ।
10. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सवाई-माधोपुर ।
11. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, गंगापुर सिटी ।
12. अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली ।
13. अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, हिण्डौन ।
14. मुंसिफ एव न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली ।
15. अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, करौली ।
16. न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, हिण्डौन ।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 399 की सूची

क्र.सं. नाम पटवार मण्डल	खातेदारी अधिकार जमाबन्दी में दर्ज	मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा इन्तकाल	क्र.सं नाम पटवार मण्डल	खातेदारी अधिकार जमाबन्दी में दर्ज	मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा इन्तकाल
1. के. पाटन	0	3	25. वालोद	0	15
2. ईश्वर नगर	0	16	26. धार का वराला	0	15
3. लेसरदा	0	26	27. देई खेड़ा	0	10
4. मामरणा	0	19	28. लवान	0	12
5. गुठला	0	13	29. मासीदा	0	5
6. मितावा	1	7	30. खाकरा	0	4
7. सुनगर	0	25	31. रेवारपुरा	0	7
8. कटवाला	0	30	32. बोर्ताडा	0	4
9. चड़ी	0	20	33. धरावन	2	2
10. रडी	0	12	34. गेण्डोली	0	17
11. सारसला	0	37	35. फोलाई	0	22
12. मीमा	0	9	36. गोठड़ा	0	30
13. वसकामा	0	17	37. कोठक्या बालाजी	0	5
14. जलोदा	0	12	38. कस्याला की झोपड़ियाँ	0	17
15. अरनेठा	1	12	39. बोरदाकामियान	0	10
16. जमथल	0	15	40. ईशरदा	0	2
17. चावध	0	16	41. झालीजी का वरोदा	0	18
18. कापरेन	0	35	42. हिंगोनिया	—	—
19. गेटेवा	0	19	43. निमोठा	—	—
20. आजन्दा	0	12			
21. बालापुरा	1	17			
22. कोठक्या	0	5	कुल योग—	5	596
23. अडिला	0	16			
24. मरडावा	0	10			

फैहरिस्त माह मई 1990 राजस्व अभियान की प्रगति-अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ ।

क्र.सं. नाम पटवार मण्डल	खातेदारी जमाबन्दी मृत्यु प्रमाण पर	अधिकार में दर्ज गैरखातेदारी में दर्ज कार्य वाले	काबिज भूमि पर अतिक्रमियों को दखल (आवंटन से)
1. इन्द्रगढ़	77	80	11
2. मोहनपुरा	61	49	52
3. बावड़ी	33	—	—
4. बोहठिया गांव	36	—	30
5. नवलपुरा	31	18	—
6. अति नवलपुरा	1	29	11
7. दौलतपुरा	37	3	5
8. बलबन	53	33	—
9. चाणदा खुर्द	25	—	32
10. लाखेरी	19	—	—
11. बसवाडा	25	5	—
12. खरामल	26	2	—
13. बड़ाखेड़ा	6	—	—
14. पापडी	22	4	—
15. इतराना	20	12	—
16. ढगारिया	57	—	—
17. सखावदा	33	22	—
	562	257	141

नोट :—काबिज भूमि पर अतिक्रमणों को दखल आबंटन होने के बाद दिये जाकर गैर फौतेदार दर्ज किये ।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

वर्ष 1989 में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के अन्तर्गत बंटवारे में निष्पादित किये

प्रकरणों की सूची

जिला	तहसील	निष्पादित प्रकरण
बाड़मेर	1. पचपदरा	9
	2. शिव	33
जैसलमेर	3. जैसलमेर	4
	4. पोकरण	17
	योग :	63

कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव

जिला	तहसील	प्राप्त प्रस्ताव	निर्णीत प्रस्ताव		शेष
बाड़मेर	बाड़मेर	3	2	—	1
	सिवाना	17	13	—	4
	चोहटन	9	9	—	—
	पचपदरा	8	4	—	4
	बायतू	4	4	—	—
	गुढ़ामालानी	—	—	—	—
	शिव	—	—	—	—
जैससमेर	जैसलमेर	26	25	—	1
	पोकरण	21	14	—	7
	योग :	88	71	—	17

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	109	11	दिशेष	विशेष
2	127	1	—	श्री मनीराम सियाग
3	136	11	(साँगरिया)	(संगरिया)
4	108	11	श्री अयध्क्ष	श्री अध्यक्ष
5	197	3	(अनुमानगढ़)	(हनुमानगढ़)
6	253	1	(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)	—
7	261	1	(श्री सांवरलाल सैनी)	(श्री सांवर लाल)
8	305	फोलियो	गांग	मांग
9	357	1	(प्रद्युम्नसिह)	(श्री प्रद्युम्न सिह)
10	357	13	एक बाननीन सदस्य	एक माननीय सदस्य
11	444	3 एवं 8	श्री पनभचन्द	श्री पूनम चन्द
12	483	3	तारांफित	तारांकित
13	490	1	(श्रीमती उजला आरोडा)	(श्रीमती उजला अरोडा)